राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 45वां दिवस संख्या 17

बुधवार,

दिनांक 3 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[खनिज, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, समाज कल्याण, विद्युत्, खाद्य, श्रम, पंचायत, राजस्व, विकास, चिकित्सा विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 224

श्री निरन्जननाथ आचार्य।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखिये)

श्री जेठमल।

नागौर जिले की सड़कों की मरम्मत

225. **श्री जेठमल बरवड़** (परवतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में सड़कों की मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो उन सड़कों का पूरा विवरण सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(2) इस जिले की सड़कों की मरम्मत के लिये सरकार ने कितनी राशि की व्यवस्था की है?

(3) क्या यह सही है कि सड़कों की मरम्मत का कार्य समय से प्रारम्भ नहीं करवाया गया है और अब मार्च के अन्तिम सप्ताह में सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करवाया गया है?

(4) क्या यह सही है कि सड़कों की मरम्मत की प्रारम्भ तिथि व कार्य समाप्ति की तिथि रखी जाती है? यदि हां, तो नागौर जिले की सड़कों की मरम्मत की प्रारम्भ व कार्य की समाप्ति की तिथि का पूरा विवरण सदन की मेज़ पर रखा जावे।

(5) क्या यह सही है कि मकराना, परवतसर, रूपनगर सड़कों पर इस समय काम चालू है? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब दी गई और कार्य अब ही क्यों शुरू किया गया?

(6) क्या यह सही है कि सड़कों की मरम्मत में मुरड़ डालने आदि की कोई निश्चित विधि है? यदि हां, तो क्या इस विधि की पूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

Page No 2

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) अभी मरम्मत का कार्य जारी नहीं है। अक्टूबर, 71 से मार्च, 72 में जिनकी मरम्मत की गई थी उनकी सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) 3,75,000 रुपयों की स्वीकृति दी गई है।

(3) मरम्मत कार्य स्वीकृति अनुसार आवश्यक प्रक्रिया की पूर्ति पर आरम्भ कराये गये हैं।

(4) जी हां, विवरण सूची (अ) में अंकित है।

(5) जी नहीं, कार्य माह मार्च में आरम्भ होकर माह मार्च में समाप्त हुआ है।

(6) सड़कों पर मुरड़ डालने की विधि निश्चित है। कार्य विधि अनुसार ही हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री जेठमल बरवड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 31 मार्च को यह कार्य पूरा नहीं हुआ था और 12 अप्रैल तक कार्य चालू था। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है।

श्री हरिदेव जोशी : आप सूचना दे रहे हैं वह मैंने नोट कर ली है और इसमें कोई कार्यवाही करने की बात होगी तो करेंगे।

एक माननीय सदस्य (विपक्ष) : जो सूची दी गई है उसमें····

श्री हरिदेव जोशी : मैंने उसमें लिख दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचरन।

मनोहरथाना बांध योजना

226. **श्री रामचरन** (अटरू) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में मनोहरथाना बांध की योजना है ? अगर हां, तो इस बांध से कब और किस किस पंचायत समिति क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : जी हां, अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि किस किस पंचायत समिति क्षेत्र में कब सिंचाई होगी. क्योंकि इस योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है ?

श्री रामचरण : कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

श्री मूलचन्द : इस योजना में एक बाधा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से है। जब तक उसका फ़ैसला नहीं हो जाता है तब तक नहीं दिया जा सकता है।

प्रश्न संख्या 227

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 228

श्रीमती गौरी पूनियां।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

Page No 3

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सांचोर के किराये पर लिये गये गोदाम

229. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सांचोर का गोदाम खाद्य विभाग द्वारा कलेक्टर, जालौर के मार्फत सरकारी अनाज रखने के लिये किराये पर लिया गया था ? अगर हां, तो कब से कब तक किस दर से ? उक्त गोदाम का अब तक कुल कितना किराया सरकार पर बकाया है ? इतना किराया अब तक भुगतान करना शेष क्यों है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सहकारी समिति द्वारा उक्त किराये के भुगतान के लिये कई अर्से से आग्रह किया जा रहा है ? अगर हां, तो कब से ?

(3) अब उक्त सहकारी समिति के गोदाम किराये की रक़म का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कष्ट करें।

खाद्य मंत्री (श्री ओंकारलाल) : (1) जी हां, उक्त समिति का गोदाम दिनांक 28-10-66 से 8-8-71 तक 104.00 रु. माहवार की दर से किराये पर रहा है और अब तक 5969.60 रु. बक़ाया है। निर्माण विभाग द्वारा किराया निश्चित किया गया था वह समिति ने लेना स्वीकार नहीं किया था। अब समिति ने 5969.60 पैसे लेना स्वीकार कर बिल प्रस्तुत कर दिया है जिसके भुगतान की कार्यवाही जिला स्तर पर हो रही है।

(2) जी हां, समिति के आग्रह पर निर्धारित दर से बिल प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 17-4-71 को स्मरण कराया गया था।

(3) समिति को लगभग दो सप्ताह में रक़म का भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न संख्या 230

श्री अध्यक्ष : श्री भरतलाल।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

जयपुर में बाढ़ की रोकथाम हेतु योजना

231. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जयपुर में वर्षा से आने वाली बाढ़ की रोकथाम के लिये कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो उस योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(2) इस योजना के अनुसार अब तक कितना कितना काम हुआ है और शेष काम कब कब और किस प्रकार से पूरा होगा ?

(3) क्या इस कार्य के लिये कोई धनराशि स्वीकृत की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) वर्ष 1964 में योजना बनाई गई थी। योजना की प्रति संलग्न है।

Page No 4

(श्री हरिदेव जोशी)

(2) वर्ष 1965-66 व 66-67 में 6,83,600 रुपये का कार्य कराया है। शेष कार्य विचाराधीन हैं।

(3) जी नहीं, अर्थाभाव के कारण।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह जो योजना बनाई गई थी तो क्या यह सही है कि यह योजना 1963 में बनाई गई थी 64 के बजाय ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास में जो तारीख थी वह दी गई है। आपके पास में जानकारी हो तो दूसरी बात है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी जानकारी सही है। 31-10-63 को योजना बनी है। दूसरा प्रश्न यह है कि 65-66 और 66-67 में जो यह 6,83,600 रुपया खर्च किया गया है, तो यह सूचना बिल्कुल गलत है। इसके बारे में आपका क्या खयाल है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी सूचना के अनुसार मेरी सूचना सही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी सूचना के अनुसार यह पुरानी बस्ती में नाला है चौगान से होकर राजामल के तालाब तक जो जिला स्टेडियम के पास में जाता है उसमें से एक आदमी भी पास नहीं हो सकता है। पन्नीगरों का नाला लुहारों के खुर्रे से रामचन्द्रजी की चौकड़ी में जलमहल, चौपड़ से नहरों का नाला पन्नीगरों में जाकर मिल गया है। लक्ष्मीनारायणपुरी के सहारे सूरजपोल से जलमहल तक गया है। घाटगेट से सांगानेरी गेट, शिकारियों का मोहल्ला यह क्या उस सूची में दर्ज हुए हैं ? इसी तरह से पुरानी बस्ती में राजामल के तालाब का पानी भरता है, चौमूं हाउस के पास में पानी भरता है, राजा शिवदासजी की हवेली और नमक की मन्डी में पानी भरता है। वहां के निवासियों के मकानों में पानी भर जाता है। बोराज के ठाकुर के रास्ते में पानी भर जाता है और फिल्म कालोनी और प्रेम प्रकाश के सामने इतना पानी भर जाता है, चौड़े रास्ते पर कि लोगों को नाव लगानी पड़ती है। सांगानेरी गेट के पास में जौहरी बाजार में इतना पानी भर जाता है कि लोगों को नाव लगानी पड़ती है। इसी तरह से लुहारों के खुर्रे, मेहरों की नदी, पन्नीगरों का रास्ता, घोड़ा निकास रोड, पहाड़गंज का रास्ता, गलता रोड, लक्ष्मण डूंगरी, टांका नाहरगढ़ यह सब उस सूची में सम्मिलित होने चाहिये थे। वह जो सूची मुझे दी है उसमें सम्मिलित नहीं हैं और इनमें से मन्त्री महोदय, एक में भी काम नहीं हुआ है, तो किस आधार पर 6,83,600 रुपया खर्च करने की बात होती है? यह मेरे हिसाब से गलत है, क्या यह सही है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला: माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बाढ़ के लिए योजना बनाई है उस योजना के अन्दर नाहरी के नाके में काम हुआ है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नाहरी के नाके में बन्धे का काम पूरा पूरा हो चुका है और अब जब बाढ़ से इस हिस्से में हानि होती थी वह रुक गई है। और माननीय सदस्य ने

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
जिन जिन स्थानों के बारे में कहा है, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यहां पर जयपुर शहर में इस बाढ़ की दुविधा से बचाने के लिए अर्थाभाव का बहाना लेकर इसको स्थगित न करें और मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को शीघ्र पूरा करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे प्रश्न के संबंध में अभी अभी जो जो स्थान मैंने बताये हैं इनमें से किसी एक में भी काम नहीं हुआ है। नाहरी के नाके का काम तो इससे पूर्व हो चुका है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 64 में ही हुआ है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो बाढ़ रोकने के लिए कमेटी बनाई गई थी जयपुर के लिए उसमें यह विचार करना था कि शहर में जगह जगह जो पानी भरता है और बारिश के दिनों में लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, तो आप बताइये कि मेरी जानकारी सही है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: यह आप पूछिये कि ये जगहें इस योजना में शामिल हैं कि नहीं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : शामिल हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सबसे पहले यह कहा है कि 6,83,600 रु. खर्च नहीं हुए हैं। मुझे जो सूचना है, उसके अनुसार यह हुआ है। मैं इसकी और जानकारी करा लूंगा। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, 64-65 के अन्दर पी. डब्ल्यू. डी. और यह डिपार्टमेन्ट दोनों एक ही थे। अब अलग बन गये हैं। जो चीजें आपने बताई हैं, मैं सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट से जानकारी करा लूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह जयपुर राजस्थान की राजधानी है। 184 एम. एल. ए. हैं उनको भी सांगानेरी गेट और चौड़ा रास्ता होकर आना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न क्या है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रश्न यह है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने यह कहा है कि एक साल में जयपुर का विकास करके छोड़ेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आप की यह भावना मुख्य मन्त्रीजी को पास ओन कर दूंगा कि जो कार्यक्रम इस सम्बन्ध में चलें, उसमें आप की बात को भी शामिल कर लिया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कार्यक्रम इसी वर्ष में पूरा होना चाहिये। जो सूची की बात की है तो जो सूची मुझे मिली है, वह अंग्रेजी में है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी मैं समझता नहीं हूं। वैसे राज्य सरकार ने यह घोषणा की हुई है कि राज्य के सारे कार्य हिन्दी में होंगे।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे खेद है कि आप के पास अंग्रेजी वाली कापी पहुंच गई है। मैं आपके उपयोग के लिये हिन्दी में टाइप करा दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: ये काम जो मैंने बताये हैं, उनमें से एक भी काम सूची में

Page No 6

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
नहीं है। एक भी काम सूची में शामिल नहीं है। आपने मुख्य मन्त्री जी महोदय को पास-ओन करने के लिये कहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्थगित कर दें तो कृपा होगी।

श्री हरिदेव जोशी : जो इन्फ़ोर्मेशन उपलब्ध है, वह मैंने आप को दी है। अब आप एडीशनल करवाना चाहते हैं। मैं उसकी कापी हिन्दी में करवा दूंगा।

श्री **मनोहर कोठारी नाथद्वारा** : भविष्य में हिन्दी में ही दी जानी चाहिये।

श्री **रोशनलाल शर्मा** (सलूम्बर) : मन्त्री महोदय राज्य सरकार की नीति है कि 72 तक सारा राज्य-कार्य हिन्दी में किया जायेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जब मुख्य मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है तो वह सरकारी आश्वासन है। इसकी क्रियान्विति करना क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है? क्या बजट में इस सम्बन्ध में कोई धनराशि रखी गई है?

श्री हरिदेव जोशी : मुख्य मन्त्री महोदय ने जनरल डेवलपमेन्ट की बात कही है। किसी पब्लिक मीटिंग में उन्होंने यह बात कही थी। उनका कहने का मतलब यह था कि रोड्स, इलैक्ट्रिसिटी, पानी आदि का जो प्रावधान है मुख्य मन्त्रीजी किन किन चीज़ों का केलकुलेशन करके कार्यक्रम में लेना चाहते हैं, यह उन्हीं पर निर्भर करता है।

प्रश्न संख्या 232

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छगाणी

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर नर्क के समान है। मेरा निवेदन है कि जगह जगह पानी भरता है। इस समस्या को हल करना चाहिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो नगर पालिका का काम है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नगर पालिका का काम नहीं है। (व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

मेरा निवेदन है कि झूंठा आश्वासन नहीं दिया जाये। जो आश्वासन दिया जाये उसको निश्चित रूप से पूरा किया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक बात मैं आप से जानना चाहता हूं कि वह कौन सा तरीका है जिससे कि मैं आप से कोई बात कहूं और आप उसको मान लें?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप हुक्म दे दें, मैं मान लूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह कैसे हो कि मेरी प्रार्थना आप मन्जूर कर लें?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप कह दें तो मैं बैठ जाता हूं।

प्रश्न संख्या 233

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

(श्री अध्यक्ष)
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 234

श्री जीथिंग ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन

बीकानेर जिले में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कों का कार्य

235. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर जिले में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत कौन कौन सी सड़कें शुरू की गई हैं? तथा उन पर कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है?

पंचायत मंत्री (श्री औंकारलाल) : सड़क का कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। अतः सड़क कार्यों पर रोजगार मिलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री भीमसेन : यह सड़क का काम कैसे नहीं लिया गया है?

श्री औंकारलाल : सड़क का कोई प्रस्ताव नहीं आया, इसलिये नहीं लिया गया।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, सड़कों के प्रस्ताव आये हैं। उसे यह कहकर मन्जूर नहीं किया गया है कि क्रैश प्रोग्राम में सड़कों को नहीं लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती भगवती देवी।

मन्त्रियों को कृषि भूमि का आंवटन

236. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर रोड पर एवं राज्य के अन्य भागों में भूतपूर्व एवं वर्तमान मन्त्रियों को कृषि भूमि आवण्टित की गई है? यदि हां, तो किस किस को कितनी कितनी कहां कहां भूमि आवण्टित की गई? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या उपरोक्त भूमिहीन किसान की परिभाषा में आते हैं? यदि हां, तो कृपया किस नियम के अन्तर्गत? यदि नहीं, तो उन्हें कृषि भूमि कैसे अलाट की गई?

(3) क्या राज्य सरकार उनसे भूमि लेकर भूमिहीन किसानों में वितरित करने को तैयार है?

श्री राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

श्रीमती भगवती देवी : एक आदमी को कितनी जमीन अलाट की जा सकती है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 25 बीघा तक।

Page No 8

श्रीमती भगवती देवी : फिर यह 100 बीघा तक कैसे अलाट की गई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : बीहड़ की जमीन है, रिवाइन्स की जमीन है । उसको ठीक करके काम में लिया जा सकता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो सूची माननीय सदस्यों को मिली है, उसे पढ़ दिया जाये तो जनहित में उचित होगा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, सूची को पढ़ दिया जाये ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : जनहित पर बड़ी कृपा होगी । उसे पढ दिया जाये ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं पढ़ देता हूं :—

(1) श्री दिनेशराय डांगी, भू. पू. उपमन्त्री,

हरध्यानपुरा, तह. सांगानेर, जिला जयपुर में 18 बीघा 8 विस्वा आवण्टित हुई, आवण्टिति राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एलाटमेंट आफ लैंड फौर एग्रीकल्चर परपजेज, 1957 के रूल्स 2/111 के अन्तर्गत भूमिहीन की परिभाषा में आता है ।

श्री रामचरण भू. पू. उपमंत्री,

अटरू जिला कोटा में 9 बीघा भूमि आवण्टित हुई । आवण्टिति उपरोक्त परिभाषा में आता है ।

श्री शिवचरणसिंह : भू. पू. उपमन्त्री,

आवंण्टिति, को राजस्थान की बीहड़ भूमि आवण्टन नियम, 1967 के अन्तर्गत आवण्टित की गई थी । नियमों के अंतर्गत आवण्टिति के लिये भूमिहीन होना आवश्यक नहीं है । आवण्टिति को ग्राम टीटोलाई, तह. गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर में 100 बीघा 12 विस्वा बीहड़ भूमि अलाट की गई ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले लिस्ट तो सुन लें ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सूची पढ़ी जा चुकी है ।

श्री कदारनाथ : क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जयपुर के आठ–आठ मील के अन्दर किन मन्त्रियों को भूमि एलाट की गई है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : किसी भी मन्त्री या भू. पू. मन्त्री को जमीन एलाट नहीं की गई है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या माननीय मन्त्री महोदय को मालूम है कि जयपुर के पास सांसी और कंजरों के बच्चों के लिये होस्टल चलाने के लिये जो जमीन ली गई थी, वह क्या हरिदेव जोशी के पास नहीं है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सरकार की तरफ से अलाटमेंट नहीं हुआ । यह अलग से प्रश्न है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया वह भी उसी में आती है ।

श्री गुमानमल लोढा : इस पर सदन में पहले भी आश्वासन दिया गया था कि जांच की जायेगी । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि यह अतिक्रमण हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है । सांसी, कंजरों की भूमि को हड़प लिया गया है । कृपया आप बतायें, इसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह बिल्कुल अलग से प्रश्न है ।

करौली सब-डिवीजन में सेण्ड स्टोन का ठेका

237. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सन् 1969 में करौली सब-डिवीजन में मैसर्स झूमरलाल सरूपलाल तिवाडी द्वारा छोड़े हुए 15 वर्ग मील भू-खण्ड में सैण्ड स्टोन का लीज देने हेतु सूचना प्रसारित की गई थी ? यदि हां, तो कृपया सूचना की प्रति मय विवरण के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि सन् 1970 में उपरोक्त नोटिस में संशोधन किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया संशोधित नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) उपरोक्त नोटिस के अनुपालन में किस-किस के कब-कब आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? इन आवेदनकर्ताओं की आर्थिक स्थिति एवं खनिज के उत्खनन के कार्य का कितना कितना अनुभव था ?

(4) माइनिंग इंजीनियर, सवाई माधोपुर ने आवेदन-पत्र किस प्राथमिकता के आधार पर संचालक, खनिज विभाग उदयपुर को स्वीकृति हेतु भेजे ?

(5) संचालक, खनिज विभाग ने किन-किन आवेदन-पत्रों पर किस प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति हेतु मंत्री, खनिज विभाग को सिफारिश भेजी और मंत्री महोदय द्वारा किन-किन के आवेदन-पत्र कितने कितने क्षेत्र के लिये स्वीकृति किये ?

(6) इस लीज होल्डर के सम्बन्ध में तथा विभाग के बीच में कब इकरारनामा लिखा गया और इन भू-खण्डों पर लीज होल्डर्स ने कब-कब कब्जा किया ?

(7) क्या इन लीज होल्डर्स ने अपने नाम के स्थान पर किसी दूसरे को यह लीज हस्तान्तरित की है ? यदि हां, तो इसकी अनुमति किन नियमों के अन्तर्गत दी गई ?

(8) क्या यह सही है कि उपरोक्त 15 वर्ग मील भूमि को समय पर लीज पर न दिये जाने के कारण लगभग डेढ़ लाख रुपया वार्षिक के डैड रेन्ट की राज्य सरकार को हानि हुई है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

राज्य मंत्री खनिज (श्री जुझार-सिंह) : (1) सन् 1969 में नहीं बल्कि सन् 1968 में प्रकाशित हुई । प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां, चूंकि छोड़े हुए क्षेत्र को चार प्लाट्स में बनाकर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था । संशोधित

(श्री जुझारसिंह)
विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) वांछित सूची नं. (1) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) वांछित सूची नं. (2) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(5) निदेशक, खान द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों के नाम व राज्य सरकार द्वारा जिन्हें क्षेत्र स्वीकृत किये गये वह भी सूची नं. 2 में बता दिये गये हैं ।

(6) प्लाट्स सं. 1 एवं 2 के इकरारनामे क्रमश: 28-8-71, 13-10-71 को होकर कब्जा दिनांक 30-8-71 व 15-10-71 को दिया गया। शेष दो ने इकरारनामा नहीं किया जिससे स्वीकृतियां रिवोक की गई ।

(7) प्लाट नं. 2 जो कि श्री जनार्दनसिंह गहलोत के पक्ष में स्वीकृत हुआ वह नियम 15 माइनर मिनरल कन्सेशन रूल, 1959 के तहत दिनांक 4-2-72 के आदेश से दूसरे को हस्तान्तरित हुआ ।

(8) क्षेत्रों को अनुदान करने में समय लगता है । क्षेत्र अनुदान न करने के कारण खनिज संपदा यथावत् कायम रहती है और इस कारण इस खनन् संपदा की आय आने वाले वर्षों में हो जाती है । नुकसान होने की स्थिति का प्रश्न नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि किस सन् में यह जमीन छीनी गई । 15 स्क्वायर मील और किस समय वापिस दी गई ? बीच में न देने के कारण कितना घाटा हो सकता है ?

श्री जुझारसिंह : जैसा निवेदन किया 1968 में छीनी गई और 1971 में यह दी गई और जैसा निवेदन किया, खान वही रहती है इसलिये बीच के टाइम में नहीं देने से खान को नुकसान नहीं होता, खान, एक्स्प्लोइट नहीं हो सकती, वह बाद में की जा सकती है । इसलिये राज्य सरकार को नुकसान होने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या यह सही नहीं है That this land was released and renewed in 1944.

श्री जुझारसिंह : क्या ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह छीनी गई है जमीन, उसमें........

श्री हीरालाल देवपुरा : हिन्दी की बजाय अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मंत्री महोदय ने आदेश दिया है वह अंग्रेजी की कापी है । जवाब है उसमें 68 में.......!

श्री दिनेश डांगी : जनसंघ के एक सदस्य हिन्दी के लिये दबाव डाल रहे हैं और दूसरे अंग्रेजी में बोल रहे हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गिरधारी लाल भार्गव ने कहा कि मैं अंग्रेजी नहीं समझ इसलिये जरूरी है कि हिन्दी बोलें ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं हिन्दी में बोल रहा था, लेकिन पत्र ओरिजनल अंग्रेजी में है इसलिये मैं उससे उद्धरण दे रहा था। माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करें कि जनादनसिंह गहलोत को प्लाट दिया गया, उसका एग्रीमेंट हुआ था ? अगर हुआ तो वह रजिस्टर कब हुआ ?

श्री जुझारसिंह : इसकी सूचना नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह बताने की कृपा करें कि जब एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं हुआ तो आप प्लाट कैसे दे सकते थे ?

श्री जुझारसिंह : यह मैंने नहीं कहा कि रजिस्टर नहीं हुआ। उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं कहता हूं कि रजिस्टर नहीं हुआ, इट इज नाट रजिस्टर्ड? क्या यह सही है कि विना रजिस्ट्रेशन के आपने प्लाट दिया और इसलिये जल्दी दे दिया क्योंकि वह आपके फेवरेट हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं।

श्री जुझारसिंह : ऐसा नहीं है। आपने सूचना दी है कि कानून की अवहेलना करके दिया गया है। ऐसी बात नहीं है तो मैं जानकारी करा लूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं इसलिये कह रहा हूं कि जनार्दनसिंह गहलोत ने ने जो एप्लीकेशन दी है, उसका नम्बर क्या है, यह आपने जो सूची रखी है उसमें ग्यारह है। ग्यारहवें नम्बर को आपके नियमों के अनुसार कैसे दिया ? जब कि नियमों में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड का आधार है।

श्री जुझारसिंह : 11वां नहीं है। उसमें ब्लाक नम्बर है। एप्लीकेंट आठ हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने जो सूची दी है उसमें नम्बर 11 पर है।

श्री जुझारसिंह : नम्बर 11 है, ब्लाक देखिये। इन्होंने एप्लीकेशन दी है वह ब्लाक नम्बर दो में दी है, उसमें सात आदमी ब्लाक नम्बर 1 के लिखे हैं, इसलिये ग्यारहवें नम्बर का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह बताने की कृपा करें कि अनुभव और आर्थिक क्षमता श्री जनार्दनसिंह गेहलोत और श्री रूपनारायण पाण्डे ने क्या बताई है ?

श्री जुझारसिंह : वह उसमें अंकित है, जरा देख लीजिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आर्थिक क्षमता है उसमें बताया है, पाण्डे ने बताया है उनकी आर्थिक क्षमता 1 लाख 25 हजार की, लगभग दो लाख रुपये की है। क्या यह फोर्ज्ड नहीं है ? आपने इसकी जांच की है ? क्या फाइल आपने देखी है ?

श्री जुझारसिंह : किसने ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : जिन्होंने एप्लीकेशन आपके सामने पुट अप की।

श्री जुझारसिंह : जनार्दन सिंह गेहलोत ने अपनी 43 हजार की हैसियत बताई है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : और अनुभव पांच वर्ष का बताया है ?

श्री **जुझारसिंह** : जी हां ।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : रूपनारायण पाण्डे ने क्या दिया है ?

श्री **जुझारसिंह** : रूपनारायण पाण्डे ने दिया, उससे ऐसा लगता है कि वह मैसर्स झूमरमल सरूपलाल के आदमी हैं और उनको असिस्ट करते हैं और इस प्रकार मोनोपोलिस्टिक टेण्डेंसी को डवलप करते हैं । एप्लीकेशन पर उनका नाम है लेकिन वह उनकी ओर से दी गई है । इसलिये इसको खारिज किया गया ।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : आपने इस टेण्डेंसी को सिद्ध करने के लिये कोई जांच कराई ।

श्री **जुझारसिंह** : जांच कराने के बाद ही फार्म खारिज किया गया ।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : दूसरा प्रश्न यह है कि पांच वर्ष के अनुभव वाले को प्लाट दिया गया, लेकिन जिनका पच्चीस वर्ष का अनुभव था और जिनकी आर्थिक क्षमता ज्यादा थी उनको नहीं दिया गया ?

श्री **मनोहर कोठारी** : क्या यह सही है कि झूमरमल सरूपलाल के······

श्री **जुझारसिंह** : जवाब मैंने दे दिया है ।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : क्या यह सही है कि मोनोपोली को तोडने के लिये ही दिया है ।

श्री **जुझारसिंह** : यह जो निर्णय लिया गया वह इसलिये लिया गया······

श्री **दिनेश डांगी** : आर्थिक स्थिति तो एक दिन में ही बदल जाती है ।

श्री **जुझारसिंह** : इन्हें देना इन्डाइरेक्ट रूप में झूमर मल सरूपमल को प्लाट देना हो जाता इसलिए नहीं दिया गया ।

श्री **मनोहर कोठारी** : क्या यह सही है कि झूमरमल सरूपलाल के अन्दर काफी बकाया रकम है ।

श्री **अध्यक्ष** : एक एक माननीय सदस्य ।

श्री **गुमान मल लोढा** : क्या यह सही है कि इससे 1 लाख 64 हजार का घाटा राज्य सरकार को हुआ है ?

श्री **जुझारसिंह** : कैसे ?

श्री **गुमानमल लोढा** : डेड रेन्ट की । आपने पन्द्रह स्क्वायर मील छोडी है. इससे 1 लाख 64 हजार का घाटा हो जाता है ।

श्री **जुझारसिंह** : वह दूसरे ने ले लिया । छोडने का क्या, दो तीन साल का पीरियेड कुल रहा । बाद में दूसरा काम करता हैं तो 1 लाख 64 हजार का घाटा कैसे हो सकता है ।

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय सदस्य को इस मामले में थोड़ा भ्रम है, ऐसा लगता है । इस लिहाज से मेरा निवेदन है कि झूमरमल स्वरूपलाल के पास सैकड़ों मील जमीन थी उसको छुड़वाया गया इसलिए कि एक आदमी के पास ज्यादा नहीं रहनी चाहिए जब छीनी तो उसे ब्लाक में बांट दिया सर्वे कराकर और दूसरे लोगों को देने के लिए एप्लीकेशन

(श्री हरिदेव जोशी)
इन्वाइट की गई। बाद में ऐसा मालूम होने लगा कि भूमरमल स्वरूपलाल के आदमियों ने फिर एप्लीकेशन दी हैं तब उनको टाल कर इनको दी।

श्री गुमान मल : जनार्दन सिंह गहलोत व्यवसायी हैं, विधायक नहीं—क्या यह ठीक है ?

श्री हरिदेव जोशी : आप विधायक हैं, पहले व्यवसायी थे।

श्री गुमान मल : यह बताने की कृपा करें कि जनार्दनसिंह गेहलोत को पांच वर्ष का अनुभव कैसे प्राप्त हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : इसको तो वही कह सकते हैं कि किनके पास रह कर काम किया।

श्री गुमान मल : मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी समाप्त करके यह आवश्यकता समझी कि ऐसे व्यक्तियों को लीज दी जाय जो इसमें अनुभव रखते हों तो आपने आज्ञा देने के पहले जांच की ?

श्री हरिदेव जोशी : पहले की।

श्री गुमान मल लोढा : क्या यह सही है कि राजनैतिक पक्ष के व्यक्ति को प्रोत्साहन देने के लिये यह किया ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य की पार्टी के भी सैंकडों लोगों को लीज पर दिये हैं, वह लीज होल्डर हैं इसका मतलब यह नहीं है कि राजनैतिक पक्षपात से सोचा गया था।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पहले व्यवसायी थे जनार्दनसिंह गहलोत, अब व्यवसाय छोड दिया है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां। उन्होंने ट्रांसफर कर दिया।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री मीठालाल।

श्री **गिरधारी लाल भार्गव** : जिस समय आप खनिज मंत्री थे उस समय आपने यह लीज दी थी, क्या यह सही है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

प्रश्न सं. 238

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न इतना लम्बा हो जाय तो दूसरे प्रश्न रह जाते हैं। इसलिये कम से कम समय का बटवारा होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं ध्यान रखूंगा।

श्री उम्मेदीलाल !

स्टेशन के बाहर की बाहर स्वामित्व

239. **श्री उम्मेदीलाल** (हिन्डौन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सच है कि हिन्डौन स्टेशन क्रोसिंग के बाहर की भूमि ग्राम पंचायत मंडावरा की है ? अगर हां, तो फिर हिण्डौन तहसील इस भूमि पर अपना दखल क्यों दे रही है ?

(श्री उम्मेदीलाल)

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका, हिण्डौन पंचायत की भूमि पर स्थित पत्थर के फंडो से टैक्स वसूल कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस मामले में शीघ्र कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

पचायत मन्त्री (श्री ओंकारलाल) : (1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री उम्मेदीलाल : मेरा प्रश्न यह है : (1) क्या यह सच है कि हिण्डौन स्टेशन क्रोसिंग के बाहर की भूमि ग्राम पंचायत मंडावरा की है ? अगर हां, तो फिर हिण्डौन तहसील इस भूमि पर अपना दखल क्यों दे रही है ?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका, हिण्डौन पंचायत की भूमि पर स्थित पत्थर के फंडों से टैक्से वसूल कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस मामले में शीघ्र कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इन्होंने प्रश्न का जवाब दे दिया ।

श्री ओंकारलाल : जवाब अर्ज कर दिया ।

श्री उम्मेदी लाल : अर्ज यह है कि पंचायत क्षेत्र है, लेकिन नगरपालिका टैक्स लेती है, जबकि पत्थर के फण्ड पर टैक्स वसूल कर रही है वह उसकी भूमि नहीं है, वह क्षेत्र पंचायत समिति का है ।

श्री ओंकारलाल : किसी कोई बात नहीं है, न नगरपालिका कोई टैक्स वसूल करती है न पंचायत समिति लेती है ।

श्री उम्मेदी लाल : नहीं हुक्म, मैं अर्ज करूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को पता नहीं है, यह जो क्षेत्र है, यह पंचायत समिति मंडावरा का है, लेकिन नगरपालिका हिण्डौन अब तक टैक्स वसूल कर रही है ?

श्री **अध्यक्ष** : श्री पी. के. चौधरी ।

कृषकों को बिजली

240. श्री **पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य में बिजली की कमी है ? यदि नहीं तो कृषकों को बिजली देने में रोक क्यों लगा रखी है ? यह रोक कब लगाई गई एवं कब तक लागू रहेगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : बिजली की कमी से नहीं अपितु केवल कुछ स्थानों पर पावर ट्रान्सफार्मर्स पर क्षमता से अधिक भार बढ जाने के कारण कृषि हेतु नए कनेक्शन देने बन्द कर दिए गए थे यह रोक 9 दिसम्बर, 1971 को लगाई गई थी । जैसे जैसे पर्याप्त क्षमता के ट्रान्सफार्मर्स आते जाते हैं यह रोक हटाई जा रही है ।

श्री **पी. के. चौधरी** : ट्रान्सफार्मर्स की जो जरूरत पडेगी, वह एस्टीमेट नहीं लेते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : कुछ लोग बैंक आउट कर गए इसलिए आवश्यकता थी वैसे ट्रांसफार्मर्स नए आए हैं, मैंने व्यवस्था कर दी है और जल्दी ही कठिनाई दूर हो जाएगी।

श्री पी. के. चौधरी : कब तक दूर हो जाएगी, निश्चित तारीख कोई ?

श्री हरिदेव जोशी : निश्चित तारीख तो नहीं बता सकता लेकिन बहुत जल्दी, एक दो महीने में।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र।

कोटपुतली परगना अधिकारी एवं तहसील का कार्यालय

241. **श्री सुरेश चन्द्र** (कोटपुतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटपुतली में परगना अधिकारी व तहसील कार्यालय के भवन नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार यहां सरकारी भवन बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट व परगना अधिकारी, कोटपुतली के कार्यालय काफी दूरी पर हैं जिससे जनता को व वकीलों को काफी कठिनाई होती है ?

(3) क्या सरकार अदालत मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास ही परगना अधिकारी व तहसील के कार्यालय बनाने पर विचार करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) कोटपुतली में परगना अधिकारी व तहसील कार्यालय के लिये सरकारी भवन नहीं है न उनके बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(2) इन दोनों कार्यालयों में केवल 1½ फ़र्लांग की दूरी हैं। जनता व वकीलों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है।

(3) साधनों के अनुसार उचित समय पर कार्यवाही की जा सकेगी। इस समय उक्त कार्यालयों के लिये भवन क्रय करने की कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

सराडा तहसील में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

242. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले की तहसील सराड़ा क्षेत्र में अनसूचित जन जाति की जन सख्या कितनी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने सराड़ा क्षेत्र में आदिवासी सामुदायिक विकास खण्ड खोलने के लिये योजना बना ली है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक चालू करदी जावेगी ?

समाज कल्याण मन्त्री (**श्री ओंकारलाल**) : (1) 1961 की जनगणना के अनुसार उदयपुर जिले की तहसील सराड़ा में अनुसूचित जन जाति की जन संख्या 42650 है।

(2) सराड़ा में 1968–69 में आदिवासी विकास खण्ड खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए थे। पर नए

(समाज कल्याण मन्त्री)
आदिवासी विकास खण्ड खोलने की योजना समाप्त हो जाने के कारण यह स्वीकृत नहीं हो सका ।

श्री देवीलाल : क्या अब दुबारा कार्यवाही की जाएगी ?

श्री ओंकारलाल : ऐसी कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है ।

श्री देवीलाल : क्या कारण है ?

प्रश्न संख्या 243

श्री अध्यक्ष : श्रीमती निर्मला शक्तावत ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये ।)

243. **श्री शंकर सिंह** ।

मांगलियावास ग्राम में अग्नि कांड से क्षति

244. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मांगलियावास में दिनांक 4-3-72 को भयंकर अग्निकांड हुआ जिससे 49 व्यक्तियों को भारी क्षति पहुंची और उनका 68,820 रु. का नुकसान आंका गया ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इन्हें सहायता प्रदान की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या राज्य सरकार इन्हें क्षतिपूर्ति हेतु सहायता देगी ? यदि हां तो कब तक?

(4) क्या यह भी सही है कि दिनांक 4-4-72 को फिर इसी ग्राम में अग्नि कांड हुआ जिससे 29 व्यक्तियों को क्षति पहुँची ?

(5) क्या सरकार इन्हें भी तुरंत सहायता देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) सहायता दिए जाने वाले व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) :

(1) जी हां ।

(2) अग्नि पीड़ितों को जो सहायता प्रदान की गई है उसकी सूची (क) संलग्न है।

(3) अब तक दी गई सहायता का ब्योरा सूची (क) में संलग्न है । इसके अतिरिक्त अग्नि पीड़ितों को नियमानुसार राहत देने हेतु 10,000) रुपये आवंटित किए गए हैं ।

(4) जी हां ।

(5) इनमें से 20 व्यक्तियों को तत्काल 910) रु. नकद सहायता के रूप में वितरित किए गए हैं ।

(6) सहायता जिन व्यक्तियों को दी गई उसका विवरण सूची (ख) में संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री चिम्मन सिंह भाटी ।

पंचायत समितियों पर प्रशासनिक व्यय

245. **श्री चिम्मन सिंह भाटी** (भीम) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में प्रति वर्ष प्रत्येक पंचायत समिति पर विकास अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक व अन्य प्रशासनिक मदों में कुल कितना वार्षिक व्यय होता है ?

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम के अंतर्गत विकास अधिकारी एवं प्रसार अधिकारियों के स्थानान्तरण स्थानीय प्रधान की सहमति से होने चाहिए ? यदि हां, तो क्या इन नियमों का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल):—
(1) औसतन 6.75 लाख रुपए का वार्षिक व्यय होता है ।

(2) पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 में परामर्श करने का प्रावधान है, सहमति का नहीं है । इस व्यवस्था का पालन किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष: श्री केदारनाथ ।

भारत पाक युद्ध और काश्तकारों को हानि

246. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत भारत पाक युद्ध (दिसम्बर 1971) में गंगानगर के सीमावर्ती गांवों के काश्तकारों को खेत व गांव छोड़ने से कहां और कितनी कितनी हानि हुई है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त नुक्सान का क्लेम केन्द्रीय सरकार से किया है ? यदि हां, तो कितना और आज तक कितना मुआवज़ा राज्य सरकार ने काश्तकारों को चुकाया है ? गांव वार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य सरकार द्वारा सीमावर्ती गांवों में रहने वालों को और क्या सुविधायें देने की घोषणा की गई है ?

(4) क्या राज्य सरकार काश्तकारों से खरीफ़ व रबी की फ़सलों का लैण्ड रेवेन्यू व इर्रीगेशन चार्जेज वसूल न कर उसे मुआफ़ करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि उस क्षेत्र के काश्तकारों से बकाया रकम की वसूली को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : इसका सम्बन्ध रिहेबिलिटेशन विभाग से है, इसलिये उसको ट्रान्सफ़र कर दिया गया है, वह अपने टर्न पर जवाब देंगे ।

श्री केदारनाथ : क्या इसको पोस्टपोन्ड समझा जाए ?

श्री अध्यक्ष : जी हां ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : क्या इसको रेड टेपिज्म समझा जाए ?

श्री अध्यक्ष : श्री गौरी शंकर ।

झालावाड़ खानपुर सड़क की मरम्मत

247. **श्री गौरीशंकर** (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि भारी वर्षा की वजह से झालावाड़ खानपुर सड़क अत्यन्त ख़राब हालत में है और उसमें स्थान स्थान पर खड्डे पड़ गए हैं? यदि हां, तो इस सड़क की अब तक मरम्मत नहीं कराए जाने के क्या कारण हैं और अब मरम्मत कब तक करादी जावेगी ?

Page No 18

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिदेव-जोशी) : सन् 1971-72 में भारी वर्षा के कारण झालावाड़-खानपुर सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुई थी एवं उसमें स्थान स्थान पर गड्ढे पड़ गए थे । राज्य सरकार द्वारा इस सड़क पर मद 64 दुर्भिक्ष (वी) बाढ़ के अन्तर्गत रु. 23,000) की स्वीकृति दिनांक 28-2-72 को दी गई है मरम्मत का कार्य आरम्भ किया जा चुका है और दो माह में सड़क की मरम्मत करादी जावेगी ।

श्री गौरीशंकर : जो 23 हज़ार की मन्जूरी सड़क के लिये दी गई है मैं समझता हूं मिट्टी डलवादी जाएगी और सड़क नहीं बनेगी और सड़क टूटती रहेगी ....

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक ठीक काम करने का सवाल है कोशिश की जाएगी कि सड़क दुरुस्त हो । मैं देखूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही न हो ।

प्रश्न सं. 238

श्री अध्यक्ष : श्री मोहर सिंह ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री राजेन्द्रसिंह ।

टोंक जिले की तहसीलों में दर्ज मामले

249. **श्री राजेन्द्र सिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने भूमि के तक़ासमा सम्बन्धित कोई आदेश जारी किए हैं ? यदि हां, तो आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

(2) टोंक ज़िले की तहसीलों में इस आदेश के तहत कितने केसेज़ रजिस्टर्ड हुए और फ़ैसले कितने हुए ? अलग-अलग तहसीलवार सूची सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें ।

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां, आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) टोंक ज़िले में तहसील मालपुरा, टोडा रायसिंह, देवली, निवाई व उनियारा में कोई तक़ासमा सम्बन्धी केस दायर नहीं हुआ । तहसील टोंक में सन् 1971-72 में 4 केस धारा 83 रा. ले. रेवन्यू एक्ट के तहत दायर हुए जिनमें से 3 में निर्णय लिया जाकर एक विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहन सिंह ।

छबड़ा-छीपा बड़ौद क्षेत्र में सड़क निर्माण

250. **श्री जगमोहन सिंह** (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा-छीपा बड़ौद क्षेत्र में सन् 1947 के बाद आज तक किसी नई सड़क का निर्माण हुआ है ?

(2) सालपुरा से अकलेरा जाने वाली सड़क की मरम्मत कब से नहीं हुई ? इसकी तुरन्त मरम्मत के लिये विभाग क्या क़दम उठा रहा है ?

(3) सालपुरा से छबड़ा के लिये सड़क बनाने का काम कितने वर्षों से चल रहा है इसकी क्या प्रगति है ? और अब तक पूरी नहीं होने के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) छबड़ा से कवाई रोड निर्माण कराया गया है।

(2) प्रति वर्ष मरम्मत की जाती है।

(3) मेटल रोड निर्माण कार्य 1960 से प्रारम्भ कराया गया था। कुछ छोटे पुलियों के कार्य को छोड़ कर कार्य पूर्ण हो चुका है।

श्री जगमोहन सिंह : मैं निवेदन करूं कि निर्माण पूरा किया जाने वाली बात है और उसकी रिपोर्ट आपके पास आई है, वह गलत है। यह सड़क बिल्कुल नहीं बनी है। इसका काम धीमे चल रहा है। हर-साल सड़क बनती है, बारिश में खराब हो जाती है, फिर बनती है। इसलिए अब तक जो राशि खर्च की गई है, व्यर्थ की गई है। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए और इस सड़क को बनाया जाए क्योंकि छबड़ा सबडिवीजन अब तक जिला हैडक्वार्टर से लिंक नहीं हो पाया है और 10 साल से बराबर सड़क इस हालत में है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना के अनुसार 10 मील काम हो चुका है अतः कहा गया है और 28 हजार रुपये व्यय भी हो चुका है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी।

खेराट खान की खडडी

251. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागोर जिले की जायल तहसील में खेराट की खान की खड्डी से क्या खिराट में व पड़ौस के गांवों में लोग मकान बनाते आए हैं ? यदि हां, तो नागोर व जायल तहसील के ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) गांव खेराट के पड़ौस में कितने ऐसे गांव हैं, जिनमें लोग खेराट की खड्डी काम में लेते थे एवं उन गांवों की खेराट से क्या क्या दूरी है?

(3) क्या यह भी सही है कि गांव खेराट की खड्डी के नहीं मिलने से खेराट में व पड़ौस के गांवों में आवासीय मकानों के निर्माण की गति शिथिल है ? यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) नागोर जिले के जायल तहसील में खेराट की खान की खड्डी से खेराट व पड़ौस के गांवों में लोग मकान बनाते आए हैं। संबंधित गांवों की सूची संलग्न है। नागोर तहसील के गांवों में खेराट की खड्डी नहीं लाई जाती है।

(2) वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित हैं।

(3) गांव खेराट की खड्डी के बाहर जाने के कारण स्थानीय जनता को खड्डी सस्ते भाव पर नहीं मिल पा रही है।

(कृपया, परिशिष्ट 5 देखिए)

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

Page No 20

बाड़मेर व जैसलमेर जिले की क्रेश योजना

252. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिये सन् 1971-72 में एक केन्द्रीय क्रैश योजना लागू की गई ?

(2) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत सन् 71-72 में बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में किन किन कार्यों के लिए स्वीकृति कब कब दी गई ?

(3) उक्त कार्यों में कितने कितने मजदूरों को कब से लगाया गया और उन कार्यों की क्या प्रगति है ?

विकास मंत्री (श्री ओंकारलाल) : जी हां।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका भी उल्लेख कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिए)

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह क्रेश योजना बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कब लागू की गई है और दूसरी योजनाओं पर कितनी राशि स्वीकृत हुई और व्यय हुआ ?

श्री ओंकारलाल : बाड़मेर जोधपुर सड़क 30-10-71 को शुरू हुई और अलग अलग जगह अलग अलग सड़कों पर काम शुरू हुआ है बाड़मेर से जोधपुर, रामसर से गिराव, दालां से सिनली धनाउ से धारेमिन्ना। 5 सड़कों पर काम शुरू हुआ है। इसी प्रकार जैसलमेर में भी 4 सड़कों का काम हुआ है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सड़कों के अलावा और कोई कार्य नहीं लिए गए हैं, क्या कारण है ?

श्री ओंकारलाल : सड़कों के अलावा और कोई प्रस्ताव नहीं, इसलिए कार्य नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला।

कोटा जिले की मुख्य सड़कों पर बसे गांवों में बिजली

253 **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (दीगोद): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की मुख्य सड़कों पर बसे हुए क़स्बों व गांवों में बिजली लगाने हेतु सरकार क्या योजना बना रही है ?

(2) बड़े बड़े गांवों में बिजली लगाने हेतु सरकार क्या विचार कर रही है ?

(3) क्या सरकार ने इस बात की सर्वे करवाई है कि किन मुख्य बड़े बड़े गांवों में बिजली ले जाने से वे गांव व्यापार से सम्बन्धित हो जाते हैं तथा उनके साथ अन्य छोटे गांवों को विद्युत् लाभ भी प्राप्त होता है एवं मण्डियों से जुड़ जाने पर गांवों पर आर्थिक विकास का प्रभाव पड़ता है।

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) अभी इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) केवल बड़े गांवों में ही बिजली दिए जाने का अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है।

(3) जी नहीं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : जहां बड़े बड़े गांवों में बडे कस्बों में काफ़ी कुए हैं, सिचाई हो सकती है उनके कई प्रार्थना-पत्र पंचायत समितियों और पंचायतों द्वारा बिजली विभाग को दिए गए हैं लेकिन अभी तक पंचायत समिति सटार, दीगोद बड़े बड़े क्षेत्र आसपास हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। अगर पहुंच जाती तो लिफ्ट इरिगेशन होती, कुओं पर बिजली पहुंच जाती और गांवों को भी बिजली मिलती। इस बारे में सरकार विचार नहीं कर रही है, आश्चर्य की बात है।

श्री हरिदेव जोशी : इस वर्ष के कार्य बनाते समय इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थी सिंह।

कांस की बावरी की जमीन के पट्टे

254. **श्री नत्थी सिंह** (नदवई) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या तहसील बयाना में कांस की बावरी की ज़मीन जो वन विभाग में थी वह रिलीज़ कराई जा चुकी है? यदि हां, तो उस भूमि के पट्टे किसानों को अब तक क्यों नहीं दिये गए?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : जी नहीं। कांस की बावड़ी की वन भूमि अभी वन विभाग से रिलीज़ नहीं हुई है। अतः इस भूमि के पट्टे किसानों को दिए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री नत्थी सिंह : मन्त्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि यह 4 साल से सवाल चल रहा है, कागज़ात चल रहे हैं या नहीं, इस पर सरकार क्या कर रही है?

क्योंकि 13.14 हज़ार फ़ोरेस्ट की ज़मीनें हैं। रेवेन्यू को देते तो हज़ारों परिवारों जो भूमिहीन हैं उनकी समस्या हल हो सकती है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वन विभाग ने राजस्व विभाग को नहीं रिलीज़ की इसलिये अलाट करने में दिक्क़त है।

श्री नत्थी सिंह : कब तक रिलीज़ होने को है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : खतोकिताबत चल रहा है। ज्योंही यह फ़ाइनल हो जावेगा अलाटमेन्ट करेंगे हमारे पास आने पर।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री दिनेश राय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह सूचना चाहूंगा कि जहां जहां पर जंगलात की खाली पड़ी हुई ज़मीनें हैं और जो कि काबिलेकाश्त हैं, जिनमें जंगल नहीं उग सकते हैं उनको सबसे पहले अनुसूचित जाति के लोगों को जो कि भूमिहीन हैं उन को अलाट क्यों नहीं किया जाये?

श्री गिरराज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमको मन्त्री महोदय से निश्चित उत्तर चाहिये।

Page No 22

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, नीति का प्रश्न है कांस की बावड़ी या कई ऐसे रक़बे हैं। यह ख़ास प्रश्न पूछा गया है। वैसे हर ज़िले में मन्त्री महोदय को यह जानकारी होनी चाहिये कि ऐसे जंगलात के क्षेत्र हैं जहां ऐसे विस्तृत जंगल हैं, जहां कि जंगल कभी नहीं उग सकते हैं, कम्प-लीटली डिफारेस्ट हो चुके हैं क्यों नहीं उनको शीघ्रातिशीघ्र भूमि हीनों को अलाट कर दिये जायं। क्या यह रेडटेपिज्म नहीं है कि राजस्व विभाग और वन विभाग के बीच में खतोकितावत चलते हुए वर्षो बीत जाते हैं ? क्या यह खेदजनक व्यवस्था सरकार की नहीं है? सरकार शीघ्राति-शीघ्र यह उचित नहीं समझती है कि एक इस सम्बन्ध में दृढ़ नीति निर्धारित हो जाय कि जिन जंगलों में जंगल उग ही नहीं सकते हैं उनका उपयोग शीघ्रातिशीघ्र किया जाय और भूमि हीनों को उनको अलाट कर दिया जाय। क्या मन्त्री महोदय रीति नीति पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वनों की संपदा भी ज़रूरी है। जहां वन नहीं उग सकते हैं उनके लिये यदि अलग से प्रश्न पूछते तो मैं बता सकता था।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री गिरराज प्रसाद : जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मंगा कर अलाट करें।

बूंदी रोड काप्रेन लवान लाखेरी सड़क का ठेका

255. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी में बूंदी रोड से काप्रेन लवाना देई खेड़ा से लाखेरी जानेवाली सड़क निर्माण कार्य का ठेका कब किस किस को कितने कितने में दिया गया? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि इस सड़क का निर्माण कार्य चालू है? यदि हां, तो कहां कहां और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि जिन जिन ठेकेदारों को सड़क निर्माण का ठेका दिया गया था उनकी मियाद समाप्त होगयी है? यदि हां, तो मियाद में कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि इस सड़क का निर्माण कार्य राज्य सरकार ने प्रथम योजना में भी शुरू किया था ? यदि हां, तो उस समय कितनी धनराशि व्यय की गई थी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) बूंदी रोड से काप्रेन लवान देई खेड़ा से लाखेरी नाम से कोई सड़क स्वीकृत नहीं है। केशोराय पाटन से लवान रोड स्वीकृत है। ठेकेदारों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। कार्य मील 1015 से 2610 में प्रगति पर है। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(3) 1313 सी. 2610 की मियाद समाप्त नहीं हुई है। जिन ठेकेदारों ने

(श्री हरिदेव जोशी)
मियाद में काम नहीं किया है उनको नोटिस दिये जा रहे हैं।

(4) यह सड़क 8–11–63 को स्वीकृत की गई है मार्च 1971 तक 5,36,143 रुपया व्यय हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

श्री नन्दलाल बैरवा : लाखेरी से लवान तक दिखायी गई है। वह टूटी हुई है। आप इसकी दुबारा जांच करायेंगे ?

श्री हरदेव जोशी : मैंने कहा कि बीच में रास्ता अधूरा है और पूरा करना है। अधूरे पर काम चल रहा है।

श्री नन्दलाल बैरवा : लाखेरी से कई जगह टूटी हुई है। खुर्रा मिटा दिया गया है। जांच करायेंगे ?

श्री हरदेव जोशी : आप कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि टूटी हुई है लेकिन रोड की शुरुआत और आखरी हिस्सा पूरा हो चुका है और बीच का हिस्सा अधूरा है।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

अनुसूचित जन जाति के परिवारों को मकान बनाने हेतु ब्याज रहित ऋण

256. **श्री रावत राम** (छापर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के परिवारों को मकान बनाने के लिये बिना ब्याज प्रति परिवार दो हजार रुपये तक का कर्जा दिया जाता है ? यदि हां, तो गत साल के दरमियान चूरू जिले में किन किन हरिजन परिवारों को कर्जा दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में इस बाबत कितनी धन राशि का प्रावधान रखा गया है ?

(3) गत वर्ष में मकान सहायता के लिये चूरू जिले में किन किन परिवारों को मकान सहायता दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल) : (1) समाज कल्याण विभाग द्वारा गृह निर्माण हेतु अब कोई ऋण नहीं दिया जाता है। अलबत्ता राजस्थान राज्य सहकारी भवन निर्माण फाईनेन्स सोसाइटी द्वारा अब यह ऋण स्वीकृत किया जाता है।

गत वर्ष 1971-72 में गृह निर्माण हेतु किसी भी नये परिवार को ऋण स्वीकृत नहीं किया गया था। केवल जिन परिवारों को वर्ष 1970-71 में प्रथम किश्त स्वीकृत की गई थी उन्हें वर्ष 1971-72 में दूसरी व तीसरी किश्त की राशि स्वीकृत की गई है। चूरू जिले में जिन 2 हरिजन परिवारों को सन् 1970-71 में कर्जा दिया गया है उसकी सूची "अ" संलग्न है।

(2) चालू वित्तीय वर्ष के बजट में ऋण दिये जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। अब यह ऋण राजस्थान राज्य सहकारी भवन निर्माण फाइनेन्स सोसायटी द्वारा दिया जावेगा।

(श्री ओंकारलाल)

(3) वर्ष 1971-72 में चूरू जिले में 13 मेहतर परिवारों को मकान सहायता दी गई है। जिसकी सूची "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग ने गांवों में रहने वाले हरिजन जाति, अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को मकान बना कर देने की यहां सदन में घोषणा की थी कि दो हजार का हर परिवार को लोन मिलेगा और बिना ब्याज के मिलेगा ?

श्री ओंकारलाल : इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री रावतराम : बडे खेद की बात कि मंत्री महोदय कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। गांवों में लोग झोंपडों में बैठे हुए हैं एक तरफ तो आप एक एक लाख के कर्ज दे रहे हैं और दूसरी तरफ दो हजार का लोन भी उनको नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्री रावतराम : यही तो पूछ रहा हूं कि कर्ज देने के लिये उनके लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री ओंकारलाल : लोन की कोई व्यवस्था नहीं है। फाइनेन्स सोसायटी द्वारा ही यह व्यवस्था है।

श्री रावतराम : पहले यह लोन की व्यवस्था थी। गवर्नमेन्ट ने यहां हाउस में घोषणा की थी कि बिना ब्याज का लोन दिया जायेगा।

श्री दिनेशराय डांगी : न तो मिनिस्टर को जानकारी है और न ही समाज कल्याण विभाग को जानकारी है। हर साल बजट में रकम होती है और खर्च नहीं की जाती है। कई बार घोषणा हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर रहे हैं या ट्रायल ले रहे हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : कब और कितना किनता लोन दिया गया यही बता दीजिये ?

एक माननीय सदस्य : जानकारी नहीं है तो कह सकते हैं कि जानकारी करूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि स्वायत्त शासन मंत्री जी से मिल कर भूमिहीनों को अलाट कराने के लिये सहकारी समितियां बनायें। दस लाख रुपया सोसायटी को देने की बात कही गयी है। उसका उपयोग किया जाय। एक माननीय सदस्य चिन्ता प्रकट कर रहे हैं कि उसका सही उपयोग नहीं हुआ है। दुबारा यह पैसा पड़ा न रह जाय इसके लिये समाज कल्याण मंत्री जी स्वायत्त शासन मंत्रीजी से मिल कर तय करे।

श्री अध्यक्ष : भाषण के रूप में प्रश्न नहीं।

श्री ओंकारलाल : माननीय सदस्य का प्रश्न आया है उस पर विचार किया जायेगा।

श्री **रावतराम** : कई हरिजन जाति के परिवार मकान बनाने के लिये कर्जा लेना चाहते हैं तो किस को दरख्वास्त दें ?

श्री **ओंकारलाल** : समाज कल्याण विभाग में दें । वह फाइनेन्स कमेटी के पास भेजेंगे ।

श्री **रावतराम** : समाज कल्याण विभाग कहता है कि हमारे पास बजट नहीं है । पिछले चुनावों में कितने बड़े बड़े वादे किये । आपकी इसके लिये क्या व्यवस्था है यह बतायें ? कहां दरख्वास्त दें ?

श्री **अध्यक्ष** : जवाब दिया है न ।

श्री **ओंकारलाल** : इस संबंध में दरख्वास्त सहकारी सोसायटी को देना चाहिये ।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव दूंगा ।

श्री **रावतराम** : कर्जा और सबसिडी मकान बनाने के लिये देंगे । किसान हरिजन झोपडियों में बैठे हैं ।

श्री **ओंकारलाल** : ऐसी तो कोई बात नहीं है ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा सबसिडी हमेशा दी जाती रही है और जितना प्रावधान बजट में रहा है उसके मुताबिक सबसिडी बराबर दी गई है । जैसा उत्तर में कहा है कि 13 परिवारों को हजार रुपया दिया गया और इस प्रकार.......

श्री **बीरबल** (सांगरिया) : इससे पेट नहीं भरता । देने से भरता है ।

श्री **ओंकारलाल चौहान** : दिया तो गया है, मैं समझता हूं ।

श्री **बीरबल** : आप स्वयं आश्वस्त नहीं हैं कि दिया गया या नहीं ।

श्री **रावतराम** : आप इसके लिये आगे से क्या व्यवस्था करते हैं शेयर होल्डर उन लोगों को बनाने के लिये कि जिससे उनको कर्जा मिल सके । अब इन सारी चीजों के लिये भागदौड करना, लिखापढ़ी करना उनके लिए सम्भव है क्या ? एक आदमी गांव में दूर देहात में बैठा हुआ कस्बे में कहां जावेगा, क्या करेगा, अनपढ़ है वह पिछड़े वर्ग का है यह भी आपने सोचा कि यह सब करना उसके लिये सम्भव हो सकेगा क्या ?

श्री **रावतराम** : आपने बहुत सीधी व्यवस्था इसके लिये की थी पहले कि वह दरख्वास्त देकर समाज कल्याण विभाग से कर्जा ले सकता था आसानी से । वह व्यवस्था आपने क्यों बदल दी ? और अब कौनसा रास्ता आपने निकाला है ?

श्री **ओंकारलाल चौहान** : पहले की व्यवस्था में उसे सिर्फ दो हजार मिलने का प्रावधान था जो कम पडता था एक मकान बनाने के लिये इसलिये उसके स्थान पर चार हजार का प्रावधान रखा गया इसमें मकान बन सकता है । इसकी व्यवस्था सहकारिता विभाग के माध्यम से की है ।

श्री **बीरबल** : दो रुपया रोज की जो मजदूरी करता है क्या वह सौ रुपया का शेयर खरीद सकेगा ?

Page No 26

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट । श्री विट्ठल ।

प्रश्न सं. 257

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 258

श्री प्रद्युम्नसिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु ।

गंगानगर जिले में मृत पशुओं के डालने का स्थान

259. श्री **गुरुदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर जिले में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनकी आबादी भूमि में मकानों के साथ लगता हुआ हड्डी रोडा (मृत पशुओं के डालने का स्थान) मुकर्रर किया हुआ है ?

(2) क्या यह सच है कि उन हड्डी रोडा के पास बसने वालों ने सरकार से इसकी शिकायत की है मगर आज तक सरकार ने उनकी तकलीफ पर कोई ध्यान नहीं दिया है ?

(3) क्या यह सच है कि खाट सजवार, तहसील सादुलशहर की आबादी में सिक्खों के गुरुद्वारे के साथ लगता, चक छ. बी. बी. तहसील पदमपुर में रहने के मकानों के साथ लगता हड्डी रोडा तथा वहां के रहने वालों की बार बार शिकायत पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही करेगी ताकि वह हड्डी रोडा आबादी भूमि से दूर हटाया जा सके ?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) :
(1) गंगानगर जिले में केवल ग्राम खाटस जवार की आबादी भूमि में मकानों से लगती हुई मंजूरशुदा हड्डी रोडा थी जो हटाई जाकर गांव से दो मील दूर कर दी गई है ।

(2) हड्डी रोडा हटाने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर हड्डी रोडा तुरन्त हटा दी गई थी ।

(3) गांव खाटस जवार की आबादी भूमि से लगती हुई है हड्डी रोडा हटा दी गई है । तहसील पदमपुर के चक 6 बीबी में मकानों के लगती हुई कोई हड्डी रोडा नहीं है बल्कि आबादी भूमि से बाहर एक बीघा भूमि छोडकर मंजूरशुदा हड्डी रोडा है जिसको हटाने के लिये कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु** : क्या एक बीघा को आप दूरी का मामला समझते हैं ?

श्री **ओंकारलाल चौहान** : दूरी का तो नहीं पर आबादी से एक मील काफी जगह होती है जहां कोई दिक्कत नहीं होती ।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु** : मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि यह बिलकुल गलत है कि 6 बी. बी. एक मील की दूरी पर है । बिलकुल यह मकानों के साथ लगता है स्थान और जो दूसरा स्थान बताया है वहां से कोई रोडा नहीं हटाया गया है । अभी भी वहीं है । एक बीघा जमीन है, एक मील नहीं है ।

श्री **ओंकारलाल चौहान** : इसके संबंध में मैं और जानकारी प्राप्त कर लूंगा और

(श्री ओंकारलाल चौहान)
जैसा बताया गया है तो तुरन्त कार्यवाही करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद ।

वान्या खेडी बांध

260. श्री **रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि वान्या खेडी बांध पंचायत समिति पिडावा में बने लगभग, 3 चार साल का अरसा हो चुका ? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय हुई और उससे कितनी सिंचाई हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध में पानी नहीं ठहरने से सिंचाई किंचितमात्र भी नहीं हुई ?

(3) क्या यह भी सही है कि सिंचाई मन्त्रीजी ने गत विधान सभा सत्र में इसकी जांच करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो जांच का क्या नतीजा रहा ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उपमंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जी नहीं, इस योजना पर कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत 1969-70 से चालू हुआ था और 1971-72 में पूरा हुआ था । इस पर लगभग एक लाख रुपया खर्च हुआ इस योजना का उद्देश्य केवल आस पास के कुओं का जलस्तर ऊंचा करना तथा वतमान लिफ्ट योजनाओं की अनुपूर्ति करना था । इससे सीधी सिंचाई करने का प्रावधान नहीं था ।

(2) यह केवल एक एनीकट है और इससे सीधी सिंचाई करने का कोई प्रावधान नहीं था । एनीकट से सब सोइल वाटर का स्तर ऊंचा करते हैं जिससे आसपास के कुए व लिफ्ट योजनाओं से लाभ मिल सके ।

(3) हां, जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है । जांच से पाया गया कि एनीकट से बनाने का उद्देश्य पूरा हुआ है ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

श्री **राम प्रसाद बोहरा** : क्या यह सही है कि यह एनीकट किसी व्यक्ति विशेष की सुविधा के लिये बनाया गया था या केवल सिंचाई के लिये बनाया गया था ? साथ ही यह बताइये कि इस एनीकट के नीचे कितने कुए आते हैं ?

श्री **मूलचन्द** : कुओं की सूची तो इसमें नहीं है । केवल उसका उद्देश्य बताया गया है ।

श्री **राम प्रसाद बोहरा** : जी, यह केवल एक कुआ जो पिछले उपमन्त्री कन्हैयालाल जी का है उसके लिये बनाया गया है । बाकी और कोई कुआ उस एनीकट के नीचे नहीं है । तो केवल एक व्यक्ति विशेष के लिये एक लाख चालीस हजार रुपया खर्च कर देना कहां तक उचित कहा जा सकता है ? यह तीन बार टूटा और हर बार नया बनाया गया । जांच का आश्वासन दिया गया था । पर लीपा पोती कर दी गई और इससे स्पष्ट है कि यह धन का बहुत बुरा दुरुपयोग किया गया । इसलिये निवेदन करूंगा कि इसकी दुबारा जांच कराई जावे । इसका प्लानिंग गलत हुआ था । केवल

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
उप मंत्री जी के कुए की खातिर यह किया गया था। इसमें तीन इन्जीनियर भी शामिल हैं। वे इस के लिये जिम्मेदार हैं सरकार की लगभग डेढ़ दो लाख रुपये की रकम बरबाद कर दी गई।

श्री **जान मुहम्मद** (पिडावा) : अध्यक्ष महोदय, इसका ताल्लुक मेरे इलाके से है। सरकार का करीब डेढ लाख रुपया एक आदमी की सहूलियत के लिये खर्च कर दिया गया है यह वास्तव में सही है इसमें इन्जीनियरों का भी हाथ है। यह खर्च उन इन्जीनियरों से वसूल किया जाना चाहिये और कन्हैयालाल जी से वसूल किया जाना चाहिये।

श्री **अध्यक्ष** : आप तो सवाल फरमाइये। नेक्स्ट।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : क्या यह मामला भ्रष्टाचार और रकम के गबन में नहीं आता, इस तरह से एक आदमी के पीछे सरकार के खजाने का डेढ़ लाख रुपया बरबाद कर दिया गया ?

श्री **लक्ष्मण सिंह** : इस प्रश्न नम्बर 260 के सम्बन्ध में मेरा भी एक सप्लीमेन्टरी है।

श्री **राजेन्द्रकुमार भारतीया** : दूसरा प्रश्न लिया जा चुका है अध्यक्ष महोदय।

श्री **लक्ष्मण सिंह** : मन्त्री महोदय का उत्तर सुना उससे मुझे लगा कि एनीकट कुओं में पानी का स्तर ऊंचा करने के लिये भी बनाये जाते हैं। आज तक जैसी कि मुझे जानकारी है तो एनीकट केवल मात्र सिंचाई के लिये बनाये जाते रहे हैं। मन्त्री महोदय अगर ऐसा उत्तर देते हैं तो लोगों के संशय की पुष्टि ही करते हैं।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

बूंदी जिले के ग्रामों को बिजली

261. श्री **राजेन्द्र कुमार भारतीया** (बूंदी) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी जिले में अब तक कौन कौन से ग्रामों को बिजली दी गई और अब कौन कौन से ग्रामों को कब कब बिजली देने का विचार है ?

(2) बूंदी जिले के जवाहर सागर डैम के बिजलीघर से पैदा होने वाली कुल बिजली की मात्रा का वितरण किस प्रकार कौन कौन से जिले में किया जावेगा ?

(3) राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर डैम के बिजली घर से कुल कितनी मात्रा में विद्युत् बूंदी जिले को दी जा रही है ?

(4) कोटा में लगाई गई टरबाइन से कितनी मात्रा में बिजली बूंदी जिले को दी जा रही है और आइन्दा प्लान के मुताबिक किस प्रकार बिजली बूंदी को दी जायेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) बूंदी जिले के जिन ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। वर्ष 72-73 की योजना अभी तक नहीं बनी है।

(2) राज्य में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त बिजली का आवन्टन जिलेवार नहीं किया जाता है।

(श्री हरिदेव जोशी)

(3) उपरोक्त प्रश्न दो में उत्तर दिया जा चुका है।

(4) अन्य विजली घरों से अब आवश्यक मात्रा में विद्युत् प्राप्त होने के कारण गैस टरबाइन को नहीं चलाया जाता है। अतः गैस टरबाइन से बिजली देने का प्रश्न ही नहीं उठता। आजकल बूंदी ज़िले को बिजली कोटा से 33 के. वी. लाइन द्वारा दी जा रही है और आगे भी दी जाती रहेगी।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय मेरा सीधा सा प्रश्न है किस किस बान्ध से कितनी कितनी बिजली पैदा की जाती है और किस किस जगह सप्लाई की जाती है। उसका स्पष्ट रूप से उत्तर माननीय मंत्री महोदय देने की कृपा करें।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि किस बान्ध से बूंदी को कितनी बिजली दी जाती है। यह नहीं कहा है कि किस किस बान्ध से किस किस को बिजली दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री राजेन्द्र भारतीया : माननीय मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें।

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकर्ता का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ या नहीं ?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राक-फास्फेट की खुदाई और ट्रांसपोर्ट का कार्य

224. **श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली):** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि उदयपुर के पास रांक-फास्फेट का बहुत बड़ा भण्डार है ? यदि हां, तो उसकी खुदाई और ट्रांसपोर्ट का कार्य कौन ठेकेदार कर रहा है ?

(ख) उक्त ठेकेदार को किस भाव पर यह कार्य दिया गया ?

(ग) ठेकेदार मजदूरों से किस भाव पर यह कार्य करा रहा है ?

(घ) यहां पर कौन से ट्रक ट्रांसपोर्ट के काम में आ रहे हैं ? प्रारम्भ से अब तक का सारा विवरण दें। इन ट्रकों के मालिक कौन कौन हैं या थे ? इन ट्रकों की रोजाना क्या आमदनी हुई ?

उत्तर

(क) जी हां, बीकानेर जिप्सम्स लिमिटेड।

(ख) रु. 46) प्रति टन में खुदाई, व क्रशींग व ट्रांसपोर्ट मय वेगन तथा लोडिंग का कार्य सम्मिलित है।

(ग) माइनिंग का यह कार्य ठेकेदार के विभिन्न श्रेणी के वेतन भोगी कर्मचारी व मजदूर करते हैं। जिनकी संख्या व वेतन क्रम की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) इस प्रश्न से सम्बन्धित प्रतिवर्ष की सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई

Page No 30

(खनिज मंत्री)
हैं। प्रत्येक ट्रक की दैनिक आमदनी का ब्यौरा राज्य सरकार के पास नहीं है चूंकि यह व्यवस्था ठेकेदार के जिम्मे थी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अन्तरिम सहायता

2.7. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को अन्तरिम सहायता नियमित रूप से दी जा रही है? अगर नहीं, तो आज तक क्यों नहीं दी गई?

(2) क्या सरकार इनकी आर्थिक विषमता को मद्देनजर रखते हुए शीघ्र भुगतान करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो, क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रश्न नही उठता।

मकराना पंचायत समिति क्षेत्र के गांवों में बिजली

223. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मकराना पंचायत समिति के कितने गांवों का विद्युतीकरण आज तक हो चुका है?

(2) जिला प्रोडक्शन कमेटी ने 1971–72 में नागौर जिले के कुल कितने गांवों के विद्युतीकरण की सिफारिश की थी? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इनमें पंचायत समिति मकराना के कितने गांव थे व किन किन का विद्युतीकरण हुआ? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मकराना पंचायत समिति के चार गांव मकराना, बोरावड मेंलासर व कालवा का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(2) जिला कृषि उत्पादन समिति ने 1971–72 में नागौर जिले के 86 ग्रामों के विद्युतीकरण की सिफारिश की थी। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिला कृषि उत्पादन समिति की गत वर्ष की सिफारिशों में पंचायत समिति मकराना के तीन गांव थे। इनमें से किसी गांव का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है। जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा सिफारिश किये गये सब ही गांवों का विद्युतीकरण किया जाना सम्भव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

पांचना बांध की योजना

230. श्री भरतलाल (बामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सवाई माधोपुर जिले में पांचना नामक बांध की कोई योजना काफी अर्से से सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना को राज्य सरकार कब तक प्रारम्भ करेगी ?

उत्तर

जी हां, चालू पंचवर्षीय योजना में कोई भी नई मध्यम सिंचाई योजना को लेने के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं है अतः इस योजना को कब लिया जायेगा यह बताना अभी सम्भव नहीं है।

गजेन्द्र गड़कर लेबर कमीशन की रिपोर्ट

232. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गजेन्द्र गड़कर लेबर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर श्रमिक कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

जी नहीं।

चान्दराना बान्ध

233. मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(क) क्या चांदराना बांध के लिये राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि इसके लिये स्वीकृत की गई है और इस बांध का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस कार्य के लिये रु. 11.18 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति की गई है। इस बांध का निर्माण कार्य लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि की उपलब्धी पर वित्तीय वर्ष 1974-75 में पूरा होने की आशा है।

कुशलगढ़-बामनीया सड़क का कार्य

234. श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के तहसील कुशलगढ़ से बामनिया रोड़ जाने वाली सड़क को सरकार ने पक्का बनाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

चाकसू-कोट खावदा सड़क पर डामर

238. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की चाकसू-कोट खावदा सड़क पर डामर बिछाने की स्वीकृति होने के बावजूद अभी तक सड़क पर डामर बिछाने का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों और यह कार्य अब कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

उत्तर

(क) कार्य प्रगति पर है।

(ख) वर्ष 72–73 में पूर्ण होने की आशा है।

चित्तौड़गढ़ जिले में ग्रामों को शहरों से जोड़ने हेतु सड़क

243. श्रीमती निर्मला शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चालू वर्ष में चित्तौड़गढ़ जिले में ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र से जोड़ने के लिये सड़क पर कितना व्यय होगा, तथा उनके अन्तर्गत कौन कौन से गांव आयेंगे ?

(2) क्या उन गांवों में भी सड़क बनाने का प्रावधान है जो बरसात के मौसम में पूर्ण रूप से पृथक हो जाते हैं ?

उत्तर

(क) वर्ष 1972–73 में नई सड़कों के निर्माण हेतु 10,80,000/- व्यय होने का अनुमान है। सूची (अ) प्रस्तुत है।

(ख) सूची (अ) अनुसार कार्य कराने की योजना है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

चूरू जिले में कन्या छात्रावास

248. श्री मोहरसिंह (चूरू): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में समाज कल्याण कन्या छात्रावास अब तक क्यों नहीं बनाया गया ?

(2) अब कब तक विभाग की ओर से कन्या छात्रावास का निर्माण करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में कन्या छात्रावास के लिये विभाग के पास अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने तथा प्रावधान के अभाव में, कन्या छात्रावास प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(2) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बांसवाड़ा जिले में प्राईवेट एलोपेथिक चिकित्सक

257. श्री विट्ठल (पीपलखूंट)—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री विट्ठल)

(1) बांसवाड़ा जिले में प्राइवेट एलोपैथिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने वालों की संख्या क्या है? ये किस किस गांव में है और इनके क्या नाम हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस जिले में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वालों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है? यदि हां तो किस किस ने? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पंजीकरण कानून के अभाव में चाही गई सूची विभाग द्वारा संकलित नहीं की जा सकती है।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

भूमि की अधिकतम सीमा

58. प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या राज्य सरकार भूमि की अधिकतम सीमा जो 30 स्टेण्डर्ड एकड़ निश्चित की गई उसे घटाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्यवाही को जाकर कानून में संशोधन किया जायेगा?

उत्तर

भूमि की अतिकतम सीमा के घटाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है व निकट भविष्य में निर्णय ले लिया जाएगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मंडी विकास एवं उद्योग धन्धों के लिये निर्धारित भूमि

71. श्री भीमसेन (लूणकरणसर)–क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में छतरगढ़ एवं लूणकरणसर आदि स्थानों में न तो मंडी विकास के लिये और न ही उद्योग धंधों के लिये भूमि निर्धारित की है।

उत्तर

जी हां।

रपट निर्माण कार्य

72. श्री सुखलाल सेणचा (जैतारण): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

रामपुर तहसील जिला पाली के किन किन गांवों मे रपट निर्माण का कार्य चल रहा है एवं किन किन रपटों का मामला विचाराधीन है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सूची 'अ' संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

बालोतरा बाड़मेर सड़क पर कृषि फार्म

73. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्रीमती मदनकोर)

(1) क्या यह सही है कि लगभग एक साल पूर्व नगर बालोतरा में श्री शत्रुशाल सिंह के घर पर श्री खीमसिंह एवं उसकी पत्नी की हत्या की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि स्वर्गीय श्री खीमसिंह के पास बालोतरा-बाड़मेर सड़क पर एक कृषि फार्म था ?

(3) यदि हां, तो अब वह कृषि फार्म किसके कब्जे में हैं और उसका मालिक कौन है ?

(स्थगित किया गया)

उच्च स्तरीय जांच समिति की बैठक

74 **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गंगानगर नहर परियोजना उच्च स्तरीय जांच समिति जिसका गठन मार्च 1970 में हुआ था उसकी कितनी और कब कब बैठकें हुई और क्या उन बैठकों का एजेण्डा तैयार किया गया ?

(2) उपरोक्त जांच समिति द्वारा क्या निर्णय लिये गए और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सच हैं कि उपरोक्त समिति को कोई भी अधिकार नहीं था और न ही इन्हें कोई कागज या मिसलें दिखलाई गई और जो दो बैठकें हुई उनका एजेण्डा कभी तैयार नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त समिति को कोई अधिकार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। समिति की अब तक कुल 11 बैठकें हो चुकी हैं तथा उन बैठकों के विवरण भी तैयार किये जा चुके हैं। समिति की बैठकें क्रमश : दिनांक 31-3-70 1-4-70, 3-4-70, 20-4-70, 21-4-70 22-4-70, 23-4-70, 14-9-70, तथा 20-9-70 को हुई है इसके बाद 27 व 28 अगस्त, 1971 को बैठक हुई।

(2) समिति द्वारा अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(3) जी नहीं। समिति को आवश्यक पत्रादि दिखा दिये गये थे।

(4) समिति के पुनर्गठन के आदेश जारी कर दिये गये हैं। प्रतिलिपि संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पानी की बकाया राशि

75. **श्री गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि गंगानगर–सूरतगढ़ सड़क (डिफेन्स रोड) 0 से 10 मील तक बनाने के लिये ईंटों के भट्टों को नहरों से पानी दिया गया था ? यदि हां, तो कितने

(श्री गुरुदयालसिंह सन्धु)

रुपयों का पानी दिया गया और इसकी कितनी राशि कब से बकाया है तथा इसकी वसूली के लिये सरकार क्या कर रही है? अब तक वसूली नहीं होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जी हां, कुल 10, 685–27 रुपये का पानी दिया गया था जिस में से 9185–27 रुपये सन् 1966 से बकाया है। बाकी के पैसे अभी तक ठेकेदार ने जमा नहीं करवाये हैं। उसको पैसे जमा करने के लिए लिखा जा रहा है।

मोगों का पानी

76. श्री **गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

श्री आर. एन. माथुर, एक्स. ई एन. दक्षिणी सिंचाई विभाग गंगानगर के कार्यकाल में एक मोगे से दूसरे मोगे पर कितनी जमीनों के पानी के तबादले हुए और जमीन किन किन चकों की थी और किस किस की थी? पानी को एक मोगे के स्थान पर दूसरे मोगे से लगाये जाने की क्या आवश्यकता थी?

उत्तर

1. सूची 'अ' में अंकित है। आवश्यकता भी सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

घुमक्कड़ जातियों को बसाने की योजना

77. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार ने अनेक घुमक्कड़ जातियों जैसे बनबावरियों, गवारियों, बाल्दिए, जोगी आदि को बसाने एवं उन्हें उपयोगी नागरिक बनाने हेतु कोई योजना शुरू की है? अगर नहीं तो क्यों नहीं की गई?

उत्तर

जी हां। शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करने के लिये घुमक्कड़ जाति के बालकों को छात्रवृत्ति दिये जाने की योजनाएं हैं तथा उनके लिये निःशुल्क छात्रावास भी चलाये जा रहे हैं जहां पर वे रहकर के अध्ययन कर सकते हैं तथा उन पर होने वाले सभी प्रकार का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

घुमक्कड़ जातियों के परिवारों को बसाने के लिये अब गृह निर्माण हेतु अनुदान व ऋण आदि की कोई योजना नहीं है।

पंचायत समिति बालोतरा के अधिकारी एव कर्मचारी

78. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति बालोतरा के मुख्यालय पर कितने अधिकारी एवं कर्मचारी लगे हुए हैं?

(श्रीमती मदनकोर)

(2) प्रत्येक कर्मचारी या अधिकारी किस स्तर या पद पर कार्य कर रहा है ? कृपया प्रत्येक का नाम व स्थाई निवास की जानकारी भी देवें ।

(3) कौन कौन कर्मचारी किस तिथि से इस पंचायत समिति में कार्य कर रहा है ?

उत्तर

(1) दो अधिकारी व 21 अन्य कर्मचारी लगे हुए हैं।

(2) सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) सदन की मेज पर रखी गयी सूचना में इसका भी उल्लेख कर दिया है ।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

जलूका ग्राम के भट्टे

79. श्री **गुरदयालसिंह** संघु (करणपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) गांव जलूका ग्राम पंचायत जलूका, तहसील पदमपुर जिला गंगानगर की आबादी भूमि में कितने वर्षों से भट्टा चल रहा है और भट्टा मालिक ग्राम पंचायत को किराए के रूप में कितनी रकम दे रहा है, कितनी दी जा चुकी है और कितनी कब से बाकी है ?

(ख) क्या यह सच है कि गांव जलूका अधिकतर हरिजनों का गांव है जहां कच्चे झोंपड़े हैं और इस भट्टे से किसी समय भी आग लग जाने का खतरा हो सकता है ?

(ग) क्या यह भी सच है कि इस भट्टे के कारण आबादी की भूमि खराब हो रही है और वायुमण्डल दूषित हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस भट्टे को कब तक बन्द कराना चाहती है ?

उत्तर

(क) भट्टा सन् 57 से चल रहा है व ग्राम पंचायत को 40) रु. वार्षिक किराया दिया जाता है । सन् 71 तक का किराया जमा हो चुका है व बाद का किराया बाकी है ।

(ख) गांव में सवर्ण जाति व हरिजन हैं, तथा कच्चे झोंपड़े व मकानात हैं । विकास अधिकारी का अनुमान है कि आग लगने की संभावना कम है क्योंकि भट्टा चिमनी का है ।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार भट्टे के स्थान के अतिरिक्त कोई भूमि खराब नहीं हो रही है और न वायुमंडल दूषित हो रहा है भट्टा हटाने के लिए ग्राम पंचायत सक्षम है ।

मैला ढोने के लिये थ्री-व्हीलर स्कूटर

80. **श्री जेठमल बरबड़** (परबतसर) : क्या समाज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं को सरकार ने थ्री व्हीलर स्कूटर मैला ढोने हेतु दिये थे ? यदि हां, तो राज्य सरकारों को कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ी ?

(श्री जेठमल बरवड़)

(2) क्या यह सही है कि नगर पालिकाओं को दिये गये स्कूटरों का उपयोग अध्यक्षों द्वारा निजी उपयोग हेतु किया जा रहा है और उनसे मैला नहीं उठाया जा रहा ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं ने इस प्रकार के स्कूटरों को नहीं देने का सुझाव दिया था, और यह मांग की थी कि नगरपालिकाओं को मिलिट्री डिस्पोजल के ट्रक खरीदने की स्वीकृति दी जाय ? यदि हां, तो यह सुझाव नामंजूर क्यों किया गया और ट्रक खरीदने की स्वीकृति क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि मैला ढोने के लिये नगरपालिकाओं को सरकार ने मैकेनिकल स्कूटर, बाल्टी, टैम्पों, खुर्पा आदि क्रय करने के लिये सन् 1969–70, 1970–71 व 1971–72 में क्रमश: 20.45 लाख रु. 10.35 लाख तथा 2 लाख 4 हजार, कुल 32,84,000 रु. की राशि स्वीकृत की गई थी।

(2) विभाग को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) स्कूटरों को नहीं देने का सुझाव किसी नगरपालिका से प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन कुछ नगरपालिकाओं ने स्कूटर के स्थान पर ट्रेक्टर तथा ट्रेक खरीदने की मांग की थी जिस पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर कुछ नगरपालिकाओं को ट्रेक्टर खरीदने की स्वीकृति दी गई। लेकिन ट्रक खरीदने की कोई स्वीकृति नहीं दी गई। योजना का मुख्य उद्देश्य मैला सर पर नहीं ढोकर छोटे छोटे स्कूटरों, टेम्पो आदि द्वारा ढोना है। इस कार्य के लिये ट्रक का कोई उपयोग नहीं है नगरपालिकाओं द्वारा ट्रक कूड़ा करकट ढोने के काम में लाया जाता है जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया नगर पालिकाओं की है।

पाली तहसील के गावों में पानी की समस्या

81. **श्री शंकरलाल** (पाली)–क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली तहसील में अकाल की स्थिति के कारण कई गांवों में पीने के पानी की विकट समस्या है ? यदि हां, तो किन किन गांवों में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किन किन गांवों में जंवाई से जोधपुर नहर का पानी पीने हेतु दिया जा चुका है और किन किन गांवों में पानी देने की मांग शेष है और वह कब तक पूरी कर दी जायेगी।

(3) किन किन गांवों में नहर का पानी नहीं पहुंच सकने के कारण अन्य व्यवस्था करने की योजना है और वह किस किस प्रकार कब तक कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) हां, सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) गांव 1–भीतडा 2–मडलीखुर्द 3–पुनयिता 4–गिरवर 5–वाला 6–कान्द-

(श्री अकाल राहत मंत्री)

लाव में जंवाई नहर से पानी दिया जा चुका है तथा बाला 2- मडिया, गुरडाई गिराडडा रूपावास मुलियावास, भावनगर, सावलता-कलां, सावलता खुर्दमाड, पुरिया, दुधिया, ढावर पुनायता, रामासिया सुदेलाव, बाडिया हेमावास कानदडा, सालीडिगाई, तोगाबास गिरवरीड्सा ग्रामों में नहर से पानी देने की मांग शेष है उन गांवों मे जंवाई नहर से पानी दिया जाना सम्भव नहीं होने के कारण पेय जल परिवहन की व्यवस्था की जा रही है ।

(3) खुटानी 2- कलाली 3- आटण 4- सोनाईलाखा 5- सिनगारी इन ग्रामों में टैंकरों द्वारा पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई है तथा जिन गांवों में जहां नहर का पानी नहीं जा सकता है वहां भी पेयजल परिवहन की व्यवस्था की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट-16 की सूची)

शरणार्थियों को अलाट किये गये मकानों का किराया

82. **श्री गुरुदयालसिंह संधु** (करणपुर): क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला गंगानगर में बसने वाले शरणार्थियों से अलाट किये गये मकानों का किराया मय सूद और कीमत कुर्कियों द्वारा वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

जी नहीं । जिन शरणार्थियों से अलाट शुदा मकान का किराया लिया जाता है उनसे व्याज नहीं लिया जाता । सूद उनसे लिया जाता है जिन्होंने मकान की कीमत का 1/5 हिस्सा कस्टोडियन विभाग में जमा करा दिया था तथा बाकी देय मूल्य किश्तों में निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाते हैं । यह ब्याज धारा 28 डी. पी. (सी. एण्ड आर.) रूल्स, 1955 के अन्तर्गत देय है ।

सडक निर्माण कार्य के लिए निकाला गया पत्थर

80. **श्री मोहरसिंह** (चूरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में पिछले वर्षों में अकाल सहायता कार्यों में सड़क निर्माण के लिये किस किस खान पर से कितना कितना धांधला पत्थर निकाला गया ?

(2) उस धांधले पत्थर का कौन कौन से कार्यों में कितना कितना उपयोग किया गया है ? अब कितना धांधला पत्थर बाकी मौजूद है तथा उसका क्या उपयोग किया जा रहा है ?

(स्थगित किया गया)

नदबई तहसील के गांवों में बिजली

84. **श्री नत्थीसिंह** (नदबई) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या तहसील नदबई के ग्राम गुदावली खांगरी, नगला, खटौटी, कुडवारी खुर्द,

(श्री नत्थीसिंह)
कडवारी कलां ओरादा, दन्तरा, दहरा, वीलोट, मरहमपुर, रायसीस, करौली, ऊंच रोनीजा, अखेगढ़, वोकरा, रोलीछार, नयावास, बकटारा आदि गांवों में बिजली पहुँचाना स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो कार्य कब तक कराया जावेगा ?

उत्तर

जी हां। ग्रामीण विद्युतिकरण निगम (आो. ई. सी.) द्वारा स्वीकृत योजना के अधीन इन गावों को विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत कर दिया गया है। यह योजना तीन वर्षों में पूर्ण की जायगी। कार्य इस वर्ष से आरम्भ हो जायगा।

गांवों का विद्युतीकरण

85. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में माह फरवरी, 72 तक कितने गांवों एवं कुओं का विद्युतीकरण हो चुका है तथा माह मार्च, 72 तक कितने और की संभावना है ?

(2) डेढ हजार तक की आबादी वाले गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जायगा ?

उत्तर

राज्य में फरवरी, 72 तक 4012 गांवों एवं 47715 कुओं का विद्युतीकरण हो चुका था तथा माह मार्च, 72 में लगभग 156 गांवों एवं 674 कुओं के विद्युतीकरण होने की सूचना है।

यह निश्चित रूप से अभी नहीं कहा जा सकता कि किस समय तक 1500 तक की आबादी वाले गांवों का विद्युतीकरण कर लिया जावेगा।

कुओं को बिजली

86. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) राज्य में 1971–72 में कुल कितने कुओं को बिजली दी गई तथा 1972–73 में कुल कितने कुओं को बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

राज्य में सन् 1971–72 के अन्तर्गत कुल 13294 कुओं को बिजली दी जा चुकी है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। 1972–73 के अन्तर्गत राज्य में 20,000 कुओं को बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी जिलेवार लक्ष्य तय नहीं किये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

सवाई माधोपुर जिले की सडकों के लिये योजना

87. श्री **बृजेन्द्रपालसिंह** (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार ने सवाई माधोपुर जिले की सड़कों के निर्माण के लिये क्रेश प्रोग्राम

(श्री बृजेन्द्रपाल सिंह)

के या किसी अन्य प्रोग्राम के अन्तर्गत कोई योजना बनाई है ?

उत्तर

जी हां योजना के अन्तर्गत 14 सड़कों की स्वीकृति है।

कोटपूतली तहसील के ग्रामों में बिजली

88. **श्री सुरेशचन्द** (कोटपूतली): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या हरियाणा से लगती हुई राजस्थान की सीमा के ग्रामों के विद्युतीकरण की कोई योजना राज्य सरकार ने बनाई है ?

(2) यदि हां, तो कोटपूतली तहसील के कौन कौन से ग्राम इसमें शामिल किये गये हैं ?

(3) विद्युतीकरण की उपरोक्त योजना पर कब तक कार्य आरम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले की एक स्कीम बनाई जा चुकी है।

(2) जयपुर जिले के हरियाणा सीमावर्ती गांवों की कोई स्कीम अभी तक नहीं बनाई गई है।

(3) योजना की प्रश्न एक के उत्तर में वर्णित स्कीम को योजना स्वीकृति आ. ई. सी. न्यू देहली द्वारा दी जा चुकी है। इस पर कार्य इसी वर्ष में शुरू करने की संभावना है।

नागौर जिले के औषधालय

89. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जिला नागौर में आयुर्वेद चिकित्सालय कुल कितने व किस किस श्रेणी के हैं ? कृपया पंचायत समितियोंवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

नागौर जिले में कुल 76 औषधालय है उसमें से एक अ श्रेणी, 7 ब श्रेणी तथा 68 स श्रेणी के हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 18 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मै माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री केसरीमल, श्री योगेन्द्र हान्डा, श्रीमती भगवती देवी, सदस्य विधान सभा द्वारा दो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे जिनमें अजमेर जिले में निश्चित की गई लगान की दरों से अधिक दर पर वसूली करने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा की गई थी। इस प्रश्न पर माननीय सदस्य संबन्धित अनुदान की मांग पर बहस के समय चर्चा कर सकते हैं। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रामानन्द अग्रवाल के स्थान पर

(श्री अध्यक्ष)

श्री मोहम्मद गफ्फारअली को सभापति-तालिका के लिये मनोनीत किया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय गफ्फारअलीजी का परिचय करा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आसन ग्रहण करने के बाद अपने आप परिचय मिल जायगा। राज्य मंत्री गृह वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

नीम का थाना में पेट्रोल पम्प के पास श्री रामकुमार गूजर की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री गुमानमल जी लोढ़ा व माननीय श्री मालारामजी विधायकों द्वारा रखे गये स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार हैं :–

गत दिनांक 28 दिसम्बर, 1971 को कुछ व्यक्तियों ने एक जीप में आकर नीम-का-थाना से खेतड़ी जाने वाली सड़क पर नीम का थाना में स्थित पेट्रोल पम्प पर करीब 5 बजे शाम श्री रामकुमार गूजर को बन्दूक मार कर उसकी हत्या कर दी। इस काण्ड की सूचना श्री मन्नालाल पुत्र भूंथा लाल मण्डी नीम का थाना ने टेलीफोन द्वारा करीब 5–30 बजे शाम को स्थानीय पुलिस ने मुकदमा नं. 119/71 जेर दफा 302 ता. हि. दर्ज किया और शाम को करीब 6 बजे घटना स्थल पर पहुंच कर तफतीश शुरू की। मौके की कार्यवाही में करीब 2–2॥ घण्टे लग गये और इसके पश्चात् लाश को पोस्टमार्टम के लिये अस्पताल भेज दिया गया। मुकदमे की तफतीश शुरू में थानेदार ने की और उसके पश्चात् उप पुलिस अधीक्षक नीम-का-थाना ने अपने हाथ में ली। राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 10 जनवरी, 1972 से मुकदमे की तफतीश सी. आई. डी., अपराध शाखा, जयपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी के सुपुर्द की गई। तफतीश से निम्नलिखित व्यक्तियों का इस हत्या काण्ड में शरीक होना पाया गया।

(1) नानगा पुत्र वालू निवासी गांवली थाना पाटन जिला सीकर।

(2) मुंशी उर्फ मन्चीडा पुत्र सेतानिया मीना साकिन कालोड़ा की ढाणी थाना खेतड़ी जिला भूंझनू।

(3) मूलिया पुत्र दुर्गा मीणा साकिन नयावास थाना जिला सीकर।

(4) जयलाल पुत्र दुर्गा मीणा साकिन नयावास नीम का थाना जिला सीकर।

(5) प्रहलाद पुत्र फूलया मीणा साकिन नयावास थाना नीमकाथाना जिला सीकर।

(6) जगदीश पुत्र सूरजा मीणा साकिन नयावास थाना नीम का थाना जिला सीकर।

उपरोक्त तमाम मुलजिमान बाद वारदात के फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु उनके निवास स्थान पर दबीशें दी गई और जिन जिन न्यायालयों में इन मुलजिमानों के विरुद्ध तारीख पेशियां थीं उनमें

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
मुलजिमान अनुपस्थित रहे और यही कारण है कि मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं।

राज्य सरकार के आदेशानुसार 30 मार्च, 1972 को मुकदमे की तफतीशी फाइल वास्ते गिरफ्तारी मुलजिमान पुलिस अधीक्षक, सीकर को भेज दी गई जहां पर मुलजिमानों की गिरफ्तारी का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री रामकुमार गूजर ने कुछ समय पहले नीमकाथाना क्षेत्र में एक सुरक्षा समिति स्थापित की थी जिसके वे अध्यक्ष भी थे। उस क्षेत्र के वे एक लोकप्रिय कार्यकर्ता थे तथा असामाजिक तत्वों से जनता की रक्षा हेतु प्रयत्नशील थे परन्तु अब तक की तफतीश से यह तथ्य सामने नहीं आये हैं कि असामाजिक तत्वों ने अपने मार्ग में रोड़ा समझ कर इनकी हत्या कर दी। हत्या के मूल कारण हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ सकेंगे।

अब तक की तफतीश से यह तथ्य भी सामने नहीं आये हैं कि असामाजिक तत्वों ने सत्ताधारी नेताओं की सांठगांठ से यह हत्या की हो। अतः यह कहना भी गलत है कि इन सत्ताधारी नेताओं के प्रभाव के कारण पुलिस व प्रशासन दृढ़ कदम उठाने में असमर्थ हो रहे हैं। तफतीश से मुलजिमान नामजद हो चुके हैं लेकिन उनकी निरन्तर फरारी के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हत्यारों की गिरफ्तारी हेतु भरसक प्रयत्न जारी हैं और आशा की जाती है कि उनको पकड़ने में पुलिस को शीघ्र सफलता प्राप्त होगी।

इस क्षेत्र में कानून व शान्ति की व्यवस्था हेतु पूर्ण प्रबन्ध किया गया है और असामाजिक तत्वों पर पुलिस प्रशासन की पूर्ण निगाह है।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय श्री रामकुमार की हत्या एक बहुत अहमियत रखती है और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण दे दीजिये।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस राजनैतिक जघन्य हत्या काण्ड के तीन महिने पहले ही सुरक्षा दल के अध्यक्ष श्री रामकुमार ने लिखित में सूचना दे दी थी कि मेरा जीवन खतरे में है, मेरी हत्या करने का षडयन्त्र रचा जा रहा है। श्री रामकुमारजी इस क्षेत्र में डकैतों से और चोरों से जनता की रक्षा करते थे। गांव गांव में ढाणी ढाणी में उनके खिलाफ मोर्चे लेते थे। इसलिये मुझे मारने का षडयन्त्र किया जा रहा है। डकैतों को और चोरों को नीम के थाने के मोदी परिवार के द्वारा पनाह दी जाती है। इस कारण मेरे जीवन का अन्त किसी समय भी किया जा सकता है, मुझे किसी भी समय मारा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहूंगा धारा 107 जो जाब्ता फौजदारी में बनाई गई है जो राजनैतिक लोगों के लिये काम में ली जाती है, क्या सुरक्षा दल के अध्यक्ष श्री रामकुमारजी का जीवन बचाने के लिये नीम के थाने क्षेत्र के अन्दर शान्ति स्थापित करने वाले, जनता को सुरक्षा प्रदान करने वाले, चोरों और डकैतों से बचाने वाले इस व्यक्ति को धारा 107 का उपयोग क्यों नहीं किया गया

(श्री गुमानमल लोढा)

जिन व्यक्तियों का नाम मंत्री महोदय ने बताया ह कि उनके लिये सुरक्षा दल के अध्यक्ष ने पहले से ही बता दिया था कि ये मेरे जीवन का अन्त करने के लिये घूम रहे हैं मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा इस सदन में क्या इस जनतन्त्र के युग में जो व्यक्ति तीन महीने पहले सूचित कर दे कि मेरे जीवन की हत्या होने वाली है, मेरे चारों ओर गिद्ध की दृष्टि से लगाये घूम रहे हैं और उसके सम्बन्ध में आपकी पुलिस और यहां की सरकार मोदी परिवार के प्रभाव के कारण नहीं बचा सकी। मैं कहना चाहता हूं यहां पर मुख्य मंत्री बैठे हुये हैं नीम के थाने में आपकी सरकार नहीं चलती है, नीम के थाने में मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां की सरकार नहीं है? नीम के थाने में मोदी परिवार की सरकार काम करती है। पुलिस उनका कहना मानती है। जिस समय यह हत्या हुई उसके पहले 5-6 अपराधियों के नाम दिये थे, उसके बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका · · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्टेटमेंट के बाद भाषण नहीं होगा।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय मैं स्पष्टीकरण के बारे में पूछना चाहता हूं जाब्ता फौजदारी के अन्दर जो व्यक्ति फरार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाकर, उसके मकान उसके मवेशी, उसकी जायदाद को कुर्क कराने का प्रावधान है। जिन पांच व्यक्तियों का नाम दिया है, क्या उनके मकान आदि कुर्क कराये हैं? क्या उनके मकान नीलाम कराये गये? मैं यह भी जानना चाहूंगा मेरे पास स्पष्ट सूचना है कि एक इनमें से फरार मन्सिहा नाम का व्यक्ति है, जिसके लिये सदन के माननीय सदस्यों को सुन कर हैरानी होगी उसके यहां शादी के अन्दर दो हजार व्यक्तियों का जीमन था और उसमें मन्सिहा मौजूद था। रामकुमार का भाई भी वहां उपस्थित था उसको देख कर स्वयं उसका भाई और नीम के थाने के सुरक्षा दल के लोग पुलिस अधिकारियों के पास गये और पुलिस अधिकारियों से कहा आप कहते हैं कि मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मन्सिहा के घर दो हजार का खाना हो रहा है, शहनाई बज रही है, बारात आ रही है। आप हमारे साथ चलिये और मुलजिम को गिरफ्तार कीजिये। क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे पुलिस अधिकारियों ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वे उस जगह पर नहीं गये। आपके पुलिस वालों ने निश्चित रूप से उनको पनाह दी है। उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्यों नही कार्यवाही की गई? आज के युग में लोग चन्द्रमा तक पहुंच गए हैं और आपकी पुलिस जिन 5 व्यक्तियों के नाम दिये थे उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। उनके वहां मकानात बने हुये हैं, बड़ी बड़ी जिनके जायदादें हैं 2-2, 4-4 लाख की बिल्डिंग बनाये हुए वे नीम-के थाने में बैठे हुये हैं जो चोरी करने वाले, डकैती करने वाले और ऐसा पेशा करने वाले लोगों के साथ मिले हुये हैं।

उन बिल्डिंग्स के ऊपर कुर्कियां क्यों नहीं की गयी, उनको नीलाम क्यों नहीं किया गया, उनको पनाह क्यों दी गयी? मैं अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह राजनैतिक हत्याकाण्ड है · ·

राजेन्द्र भारतीय : अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण हो रहा है या भाषण हो रहा है ?

श्री **गुमानमल लोढा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, हत्यारों को पनाह देने के लिए किसी प्रकार की सहानुभूति दी जाती है तो मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है । प्रश्न यह है कि हत्यारे को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ? मुझे सूचना है कि पुलिस वाले हत्यारे को जीप में ले कर घूमते हैं। वे पुलिस वालों को मदद करते हैं, उनको फाइनेन्स करते हैं और शादी कराते हैं और उनको क्यों नहीं मुलजिम बनाया गया ? क्यों नहीं कटघरे में लाकर खड़ा किया गया ? इसमें उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता है, यह साधारण हत्याकाण्ड नहीं है । यह राजस्थान की 2।। करोड़ जनता को चुनौती है, जनतंत्र को चुनौती है, उन सिद्धान्त के लिए चुनौती है जिनके लिए हम यहां पर बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि श्री श्रीकिशन मोदी और मोहन लाल मोदी को इन मुलजिमों को पनाह देने के लिए कटघरे में लाकर खड़ा किया जाये और मैं विश्वास दिलाता हूं कि श्री मोहनलाल मोदी और श्रीकिशन मोदी को ज्यों ही कटघरे में लाकर खड़ा किया तुरन्त वे मुलजिम गिरफ्तार किये जा सकेंगे । अध्यक्ष महोदय, न्याय दिया जा सकता है···

श्री **राजेन्द्र भारतीय** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा फिर से निवेदन है कि यह स्पष्टीकरण नहीं है बल्कि भाषण है ।

श्री **गुमानमल लोढा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो व्यक्ति उनको बचाने का प्रयास करता है वह अच्छा काम नहीं करता है···

श्री **राजेन्द्र भारतीय** : अध्यक्ष महोदय बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है क्या ? इस प्रकार से दल विशेष के ऊपर आरोप लगाये जा रहे हैं ये ठीक नहीं है ।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : माननीय सदस्य फिर बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं ।

(शोरगुल व्यवधान)

श्री **राजेन्द्र भारतीय** : जब तक इनवेस्टीगेशन से साबित नहीं हो जाता तब तक कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं ?

श्री **मुन्शीलाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यहां सदन में उपस्थित नहीं हैं उनके खिलाफ यहां पर आरोप नहीं लगाये जा सकते ।

श्री **मालाराम** : अध्यक्ष महोदय, आज से दस दिन पहले श्री मोहनलाल जी मोदी पुलिस कर्मचारियों के पास मिलने के लिए आये थे और उन्होंने कहा है कि नानगा मीना को कातिल मत बनाओ। सी.आई. से मिलकर गये हैं और यहां उनको देखा गया है और इस बात के लिए मैं दस गवाह पेश कर सकता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : इस पर मेम्बर ज्यादा से ज्यादा स्पष्टीकरण चाह सकते हैं ।

श्री **मालाराम** : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार निकम्मी है ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री करणसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण मैं भी चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपको भी समय दूंगा।

श्री राजेन्द्र भारतीय : आप एक ही माननीय सदस्य को मौका दें।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे खयाल में एक बहुत गम्भीर वारदात मुझे मालूम होती है और इसके अन्दर सम्भवतः राजनैतिक राज भी हो सकता है इसका मुझे व्यक्तिगत कटु अनुभव है। दीनदयाल उपाध्याय का क्या हुआ ? महाराजा किशनगढ़ का क्या हुआ ? अभी माननीय सदस्य श्री गुमानमल जी लोढ़ा ने आरोप लगाया कि मुलजिम के घर के ऊपर शादी हो रही है और दो हजार आदमी खाना खा रहे हैं। मेरे खयाल में यह एन्टी-सोशियल एक्टीवीटी की भी पराकाष्ठा है और पुलिस की लैतलाली और पक्षपात का भी मेरे खयाल से आशंका की परकाष्टा है। और इस तरह से शासन की तरफ से लैतलाली हुई। और राजनैतिक हत्याओं को दबाया गया·····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : महराजा बीकानेर शामिल हुए थे या नहीं ? उनकी तीन हजार की दावत हुई थी।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं फ्लोर के ऊपर हूं। आपको जो कहना है खुशी से कहें लेकिन मैं अपनी बात कह दूं फिर आप चाहें दस बात कह दें तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। यह असंसदीय परम्परा माननीय सदस्य आप मेरे ऊपर तो कम से कम लादने की कृपा न करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ऊपर इस आरोप को एक गम्भीर आरोप मानता हूं और सरकार को चाहिये कि अगर यह सरकार है तो इस बारे में निष्पक्ष जांच कराये और अगर यह पार्टी की सरकार है और जज एट दी सेम टाइम बनना चाहती है और राजनैतिक हत्याओं को बिलकुल नजर अन्दाज करना चाहती है तो फिर देश का दुर्भाग्य है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, एक बात जानना चाहता हूं कि जो मृतक के पत्र हैं जो उन्होंने मृत्यु होने से पहले लिखे वह पत्र मंत्री महोदय सदन की मेज पर रख दें या सुना दें तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ प्रकाश उसके ऊपर पड़ सकता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस समय उनकी हत्या हुई उस समय··

श्री अध्यक्ष : कोई नयी बात कह रहे हैं?

श्री भानुकुमार शास्त्री : हां। स्पष्टीकरण के लिए कह रहा हूं, दूसरी बातों से संबंध नहीं है मेरा।

जिस समय नोम का थाना में दिन दहाड़े रामकुमार जी की हत्या हुई पुलिस का थाना नगर में होते हुए भी पुलिस का विलम्ब से आने का क्या कारण था ? सौ कदम पर पुलिस थाना है, दिन दहाड़े आये, गोलियां चलायें····

श्री राजेन्द्र भारतीय : यह दूसरा भाषण है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि या तो वे मिले हुए हैं। इससे शंका होती है कि वह राजनैतिक षड्यंत्र है और राजनैतिक हत्या है और पुलिस अधिकारी मिले हुए हैं और कोई कार्यवाही नहीं करते और वे पुलिस की गाड़ियों में घुमते हुए दिखाई देते हैं और इतनी परिस्थिति के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जाय, मैं समझता हूं कि या तो राज्य सरकार विरोधी जो अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके जन जीवन को खतरे में डालना चाहती है। तीसरी बात यह है कि यदि पुलिस की गाड़ी में घूमने के बाद जांच नहीं की गई तो क्या पुलिस अधिकारी को सस्पेण्ड करके उसके ऊपर कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र भारतीय : यह सब तथ्य पहले ही सामने आ चुके हैं। कोई नयी बात नहीं है।

श्री सांवरमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हत्या हुई और जिसको माननीय सदस्य आज राजनैतिक रूप देना चाहते हैं और उसके आधार पर इन्होंने जिन व्यक्तियों के नाम लिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हत्या जिन्होंने की उसकी तलाश करने में मदद करनी चाहिए और इसको कोई राजनैतिक रूप नहीं देकर जिन्होंने हत्या की है उनको पकड़कर सजा दिलानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री।

श्री राजेन्द्र भारतीय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कुछ माननीय सदस्यों ने राजनैतिक घटना की चर्चा की और उसको राजनैतिक बनाने का प्रयास किया और पहले भी घटनाओं को राजनैतिक घटना बताया और कहा कि उनमें से एक भी राजनैतिक घटना आज तक साबित नहीं हुई इस प्रकार के एक पक्ष के ऊपर आरोप लगाना कहां तक उचित है इतने बुजुर्ग सदस्य के लिए महारावल जैसे और इसको भी राजनैतिक रूप दिया जा रहा है।

श्री लक्ष्मणसिंह : संदिग्ध हत्याओं के संबंध में कहूंगा। नागरवाला का केस है उसका क्या हुआ ?

श्री राजेन्द्र भारतीय : उसको आपने सही कैसे मान लिया ?

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर आप डेमोक्रेसी को रखना चाहें तो रखें नहीं तो कान्स्टीट्यूशन को एब्रोगेट कीजिए और वन पार्टी रूल कर लीजिए।

श्री राजेन्द्र भारतीय : नागरवाला केस कोई राजनैतिक काण्ड नहीं है!

श्री लक्ष्मणसिंह : ये तो मत मतान्तर हैं।

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री जी।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा जो यह भावना प्रकट की गयी है कि यह राजनैतिक हत्या है और इसका करने वाले लोगों की इसमें सांठगांठ है और इसलिए पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है तो इस स्थिति का जब तक नतीजा नहीं निकलेगा, जो मुलजिमान हैं वे पकड़े न

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

जायें और उनके बयान न हो जायें और हम किसी निष्कर्ष पर न पहुंच जाये उसके पहले राजनैतिक आक्षेप लगाना सही नहीं है। यह बात सही है कि जिन हालात में और जिन परिस्थितियों में श्री रामकुमार की हत्या हुई, उन हालात और परिस्थितियों को देखते हुए संदर्भ निकाला जा सकता है लेकिन संदर्भ निकालना और निर्णय देना दोनों अलग–अलग बातें हैं।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही कि पुलिस के साथ मुल्जिम घूमते रहते हैं और पुलिस कार्यवाही नहीं करती। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यह तथ्य बिल्कुल गलत है। इस प्रकार का कोई वाकयात नहीं हुआ बल्कि पुलिस अपनी तरफ से पूरे जोर से, पूरी कोशिश से उनको पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। मुल्जिमान हैबिचुअल क्रिमिनल ओफेंडर्स हैं और पहले भी क्राईम में पकड़े गये हैं। उनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं और पहले भी कई मामले चल चुके हैं। लेकिन यह जिन गांवों के रहने वाले हैं उन गांवों में कोई सम्पत्ति उनकी इस प्रकार की नहीं है और कोई इस प्रकार का मकान या और कोई सम्पत्ति नहीं है, कोई दबाव नहीं है जिसके आधार पर दबाव डालकर उनको पकड़ा जा सके। और उनको किसी प्रकार से दबाव डालकर वहां बुलाने के लिए बाध्य किया जा सके। पुलिस ने दफा 75 के अन्दर मजिस्ट्रेट के यहां वारन्ट जारी करने के लिए अपील दायर की थी लेकिन उसको मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया। मजिस्ट्रेट द्वारा अपील खारिज करने के बाद अब पुनः दफा 87 और 88 सी आर. पी. सी. में कार्यवाही कर रहे हैं। जैसे ही इजाजत मिल जाएगी वैसे ही अपनी कार्यवाही तेज करेंगे और मुल्जिमान को पकड़ने के लिए और तेजी से काम करेंगे।

एक बात माननीय सदस्य जोधपुर से आने वाले ने यह कही कि हम इस प्रकार की राजनैतिक हत्याओं का अगर मुस्तैदी से कोई भी निराकरण नहीं करते हैं तो इस प्रकार की राजनैतिक हत्याओं के दृष्टांत से किसी भी सामाजिक कार्यकर्त्ता के लिए आगे काम करना और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लड़ने का हौसला बुलन्द नहीं हो सकता। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता की जिन्दगी को बचाना और खास तौर से जो असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्य करते हैं जिनकी जिन्दगी को बचाना राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की और खेद की बात है कि उन्होंने जो अपनी अर्जी दी थी उसमें किसी व्यक्ति को नामजद नहीं किया था। जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने अपनी अर्जी में नामजद किया था कि मुझे इन–इन व्यक्तियों से जिन्दगी का खतरा है। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहती हूं कि उन्होंने यह अवश्य कहा था कि मुझे जान का खतरा है और इस–इस प्रकार के तत्व मुझे खत्म करने पर तुले हुए हो सकते हैं। न तो उन्होंने व्यक्तियों को नामजद किया और न ही गार्ड के लिए अर्जी दी। इसके उपरान्त भी पुलिस अधीक्षक, सीकर को इस बात के लिए पाबन्द किया गया था राज्य सरकार की तरफ से कि इस प्रकार की वारदात न होने पावे और उनकी जिन्दग

(श्रीमती कमला वेनीवाल)

की सुरक्षा की व्यवस्था की जावे। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने उनकी अर्जी पर नोटिस नहीं लिया। इसलिए मैं आपके सामने यही निवेदन करना चाहती हूं कि जिस प्रकार के हालात में हत्या हुई हैं, जिन परिस्थितियों में यह घटना हुई है उनसे निश्चय ही खराब लगता है लेकिन यह कहना कि पुलिस विभाग इस मामले में इनइफेक्टिव है वह सही नहीं है। पुलिस विभाग अपनी पूरी तन्मयता के साथ मुल्जिम को पकड़ने में संलग्न है और मुझे आशा है कि इस कार्य में सफल होगी।

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न यह पैदा होता है कि मेरे द्वारा स्पष्ट आरोप लगाया गया है कि मुल्जिमान और हत्यारे आदमियों के पास मकान वगैरह हैं। इसके अलावा हत्या के बाद मुल्जिम के मकान पर शादी होती है, पुलिस पार्टी वहां मौजूद थी और शादी के मौके पर कातिल मौजूद था और जो व्यक्ति मारा गया उसके भाई यहां पर मौजूद हैं, उन्होंने जाकर पुलिस को बताया कि मुल्जिम मौजूद है। वहां पर शहनाइयां बजती रहीं, खाना होता रहा, मिठाइयां बंटती रही और कातिल वहां पर मौजूद रहा लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया, यह इस बात का प्रमाण है कि पुलिस ने मुल्जिम को पनाह दी। इसके अन्दर सबसे बडा कातिल डी. वाई. एस. पी. खण्डेलवाल है जिसने कातिल को पनाह दी, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई। केवल यह कह देने मात्र से क्या हो जाता है कि मुख्य मंत्रीजी के पास में एक प्रार्थना-पत्र आया था और उसको उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया था...

श्री अध्यक्ष : जनाव, कितनी बार रिपीट करेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय सदस्य रिपिटिशन करते जा रहे हैं। शादी होना कोई जुर्म नहीं है, मिठाइयां बांटना कोई जुर्म नहीं है।

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मेरी बात सुनिए।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात भी सुनिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार कातिल मौजूद हो और पुलिस खडी 2 देखती रहे और पास में ही पुलिस स्टेशन होते हुए तमाशा देखते रहें। मुल्जिम जीप में बैठ कर घूमते हैं...

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिए, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आगे पुलिस की मांग आने वाली है, उस मौके पर आप और कह सकते हैं इस मौके पर काफी कहा जा चुका है, आधा घण्टा हो गया है इस पर पुलिस के डिमाण्ड के मौके पर जो कुछ कहना चाहें, और भी कह सकते हैं।

श्री **मालाराम** : मंत्री महोदय ने यह बताया है कि उनके मकान, जमीन जायदाद नहीं है। मैं आपको जानकारी देता हूं कि उनका मकान है, उसके पास सौ बीघा पक्की भूमि है, कुआ है। उसका मकान है जो करीब लाख डेढ लाख रुपयों की बिल्डिंग होगी।

श्री **अध्यक्ष** : : इसके लिए कहा जा चुका है कि दफा 85 और 87 के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहे हैं।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : मंत्री महोदय कह रही हैं कि मकान नहीं है लेकिन उसका एक लाख का मकान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की गलत बात यहां नहीं कही जाय कि उनका कोई मकान नहीं है। पुलिस को मजबूती के साथ कदम उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक पर वादविवाद

(व्यवधान–शोरगुल–कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री **मालाराम** : मैं जनता में क्रांति कर दूंगा। पुलिस अगर इस तरह से निष्क्रिय

(शोरगुल–अश्रव्य)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव और श्री मालाराम एक साथ बोल रहे)

(अश्रव्य)

श्री **राजेन्द्रकुमार भारतीय** : पहले आपस यह तो तय कर लें कि किसको बोलना है। तीन तीन, चार चार आदमी एक साथ खड़े हो जाते हैं और बोलते रहते हैं।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : जब स्थगन प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है और इस पर अपने विचार रखे जाते हैं…

श्री **अध्यक्ष** : आप तशरीफ रखिए।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : तशरीफ तो मैं रख लूंगा। लेकिन प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार का उत्तर दिया जा रहा है, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश में इस प्रकार की हत्यायें होती रहें तो लोकतंत्र किस प्रकार जीवित रहेगा। आखिरकार।

श्री **अध्यक्ष** : लोकतंत्र तो परम्पराओं को कायम रखने से जीवित रहेगा। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी लेकिन इस प्रकार की दावतें हों जिसमें मुल्जिम मौजूद रहे…

(शोरगुल-कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(अश्रव्य)

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर विचार होना चाहिए और मंत्री महोदय को भी एक अच्छा उदाहरण देना चाहिए····

श्री **अध्यक्ष** : कृपया तशरीफ रखिए। मैंने आपसे कई बार निवेदन किया है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं·····

श्री अध्यक्ष : आप पुलिस की डिमाण्ड के मौके पर काफी कह सकते हैं। इस मौके पर ज्यादा नहीं कहा जा सकता। इसको आधा घण्टा हो गया है अब इस पर बहस बन्द होनी चाहिए। जब पुलिस की डिमाण्ड आएगी तब आप फरमाऐं, उस समय कोई ऐतराज की बात नहीं होगी। कोई सदन की परम्पराएं भी हैं उनका ठीक तरह से पालन होना चाहिए। स्टेटमेंट के वक्त पर इतना वादविवाद नहीं होना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढा : परम्पराओं के अन्तर्गत ही निवेदन किया जा रहा है·····

(व्यवधान–शोरगुल–अश्रव्य)

डीवाई. एस. पी. खण्डेलवाल इसके लिए जिम्मेदार है·····

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय आखिर कुछ तो व्यवस्था का खयाल रखा जाय। कितनी बार भाषण होंगे और उसका रिपीटेशन किया जाएगा। दस बार एक ही बात को बोल चुके हैं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : +++

श्री निरंजननाथ आचार्य : श्री भारतीय को आनरेबुल मेम्बर का एडवाइजर बना दिया जाये, एडवाइजर टू दी आनरेबुल मेम्बर····

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय ++++

श्रीमती कमला बेनीवाल : +++

श्री गुमानमल लोढा :+++

श्री राजेन्द्र भारतीय : +++

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री खेतसिंह : +++

श्री गिरधारी लाल भार्गव : +++

श्री अध्यक्ष : आप व्ययक पर सामान्य वाद–विवाद।

श्री गुमानमल लोढा : क्या मोदी परिवार की साजिश के बारे में सरकार सी. बी. आई. से जांच करायेगी।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुन लीजिये। पाइन्टेड जवाब ही दें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो सब से ज्यादा बात को तूल यहां पर दिया गया है, वह यह है कि शादी हुई। इस शादी की पुलिस को जानकारी थी। यह कहा गया मुलजिमान वहां पर आये और पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा। मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि यह 23-4-72 को शादी थी, पुलिस को इसकी जानकारी थी और पुलिस ने मुलजिमान को वहां पर पकड़ने के लिये

++++अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती कमला वेनीवाल)
तैयारी कर रखी थी लेकिन कोई मुलजिमान वहां पर हाजिर नहीं था तो कैसे उनको वहां पर पकड़ा जाता। जब कोई मुलजिमान वहां पर हाजिर नहीं था तो उनके बजाय किसी दूसरे को पकड़ना उचित नहीं होता।

श्री गुमानमल लोढा : मुलजिमान वहां पर मौजूद थे।

श्री मालाराम : एक सिपाही वहां पर गया था और उसने जाकर पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट को बताया था कि मुलजिमान फलां फलां वहां पर मौजूद हैं। पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उससे कहा×××× बाहर निकल जा। ऐसी बात कहता है।

श्री गुमानमल लोढा : क्या इस एस. पी. को सस्पेन्ड किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : कोई मंत्री महोदय वक्तव्य दें और कोई माननीय सदस्य उस पर क्लेरीफिकेशन चाहते हो तो इसकी भी कोई मर्यादा उनको रखनी चाहिये। एक का क्लेरिफिकेशन हो जाना चाहिये। यह नहीं कि बार बार, दस बार, बीस बार आप उसी बात को रिपीट करते चले जायें। जितना मर्जी में आवे उतना ही क्लेरिफिकेशन कराते जावे तो मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को क्लेरिफिकेशन लेना है वे एक बार ही पूछ लें। बार बार जब चाहें तब बोलते रहें, तो मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी कोई स्टेटमेन्ट हो, वह एक दफा जितना चाहें पूछ लें। यह नहीं कि बार बार कन्टीन्यूसली बोलते रहे। मैं माननीय सदस्यों को जिम्मेदार समझता हूं। इस पर काफी वाद-विवाद हो गया है। इसके अलावा और भी अवसर हैं, और भी तरीके हैं जिनके द्वारा ये सवाल उठाये जा सकते हैं। आप, आशा है, इस बात पर ध्यान देंगे। एक-दो दफा में ही पूछ लें। मैं भी चाहता हूँ कि आपकी भावनाओं का इजहार हो परन्तु आप भी मर्यादा में रहते हुए काम करें तो ठीक रहेगा।

श्री गुमानमल लोढा : मेरे तीन प्रश्न है, इस सम्बन्ध में·····

श्री अध्यक्ष : आप कई बार पूछ चुके हैं।

श्री गुमानमल लोढा : क्या मोदी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जवाब दे चुके हैं। अब हम उनको यहां पर मजबूर नहीं कर सकते।

श्री राजेन्द्र भारतीय : ये यहां पर मोदी परिवार के खिलाफ बात इसलिये कह रहे हैं कि ये उसका राजनैतिक लाभ लेना चाहते हैं।

श्री सांवरमल मोर : अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं हो उसके खिलाफ माननीय सदस्यों को नहीं कहना चाहिये।

श्री गुमानमल लोढा : फरार व्यक्ति की एक लाख की सम्पत्ति है। उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है···

श्री सांवरमल मोर : वह गिरफ्तार हो, इसमें कोई दो राय नहीं है।

×××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

श्री गुमानमल लोढा : हम जांच करवाना चाहते हैं तब इसमें आपको क्या आपत्ति है ? क्या हम जांच भी नहीं करवा सकते ?

श्री राजेन्द्र भारतीय : सारा सदन इस की जांच करवाना चाहता है लेकिन आप सिर्फ राजनैतिक लाभ लेने के लिये ही सदन का समय व्यर्थ कर रहे हैं ? जांच से कौन इन्कार करता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि इसमें किसी राजनैतिक कारणों का, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग का विचार करते हुए इस मामले में कोई दबाव नहीं है । पुलिस अपने जरिये से माकूल कार्यवाही कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मुलजिमान को जल्दी ही पकड़े जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया से मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार इस गंभीर विषय की इन्क्वायरी सी.बी.आई. के द्वारा करवायेगी ? मेरा मोदी परिवार से कोई लेना देना नहीं है, किसी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस से लेना देना नहीं है ? इस इशुज पर क्या आप सी. बी. आई. से इन्क्वायरी करवाना चाहते हैं या नहीं ? अगर सरकार सी. बी. आई. से इन्क्वायरी करवाती है तो वह अपनी निष्पक्षता की भावना को द्योतक करती है । अगर इस बारे में सरकार इन्कार करती है तो हमारी शंका और भी विशेष बढ़ेगी ।

श्री राजेन्द्र भारतीय : मेरा भी एक निवेदन है । . . . .

श्री अध्यक्ष : आप बार बार क्यों बीच में बोल रहे हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के पुलिस विभाग ने उसकी विभिन्न शाखाओं से विस्तृत जांच करा कर मुलजिमान को नामजद कर दिया है । अब सवाल यह है, सही जांच हो यह नहीं है. वह तो हो चुकी है, अब सिर्फ जिन मुलजिमान को नामजद किया गया है उनको तकाजे के साथ गिरफ्तार किया जाये । वह गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि गिरफ्तारी की जायेगी और सदन को आगे से यह कहने का मौका नहीं मिलेगा ।

श्री गुमानमल लोढा : सी. बी. आई. से जांच करवायेंगे इसके बारे में सरकार का क्या रुख है । राजस्थान की पुलिस इस जांच को करने में वहां पर किसी प्रकार से भी सफल नहीं हुई है राजस्थान की पुलिस के अधिकारी वहां पर जाकर उनको पनाह देकर चले जाते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर अन्य काण्डों के ऊपर भी बड़े प्रश्न उठे हैं और गंभीरता से यह सवाल आया है तो सी. बी. आई. से जांच को आज्ञा मुख्य मंत्री ने दी है । मैं जानना चाहूंगा कि इस विशेष काण्ड के अन्दर, जहां पर दिन दहाड़े नीम के थाने के सड़क के ऊपर, पुलिस थाने से 100 कदम के फासले पर, पूर्व सूचना के बाद, दिन के पांच बजे पांच व्यक्तियों ने राईफलें लेकर एक व्यक्ति की हत्या की है । क्या उस हत्या की जांच सी. बी. आई. से करवाई

Page No 53

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जायेगी। अगर ऐसी जांच नहीं करवाई जाती है तो यह मानना होगा कि यह राजनैतिक हत्या थी और राजनैतिक कारणों से यह जांच नहीं करवाई जा रही है और इस मामले को दबाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उत्तर चाहता हूं इस बात का ?····

श्री मोहनलाल छंगाणी : आदरणीय सदस्य यहां पर तो सी. बी. आई. की सिफारिश करते हैं और इनकी पार्टी दिल्ली में सी. बी. आई. को गालियां देती हैं और यहां पर राजस्थान सरकार पर पूरा जोर सी. बी. आई. से जांच करवाने के लिए डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) एक माननीय सदस्य एक दफा में।

श्री मोहनलाल छंगाणी : दिल्ली में तो जनसंघ वाले सी. बी. आई. को गालियां निकालते हैं और यहां पर सी. बी.आई. से जांच के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : एक–दो सैकण्ड मुझे भी दिये जायं, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : आपको काफी समय दिया है।

श्री लक्ष्मणसिंह : राजनैतिक लाभ उठाने की हमारी कोई भावना नहीं है, लेकिन एक यह आशंका है, माननीय अध्यक्ष, कि अगर यह मामला पुलिस के पास रहेगा तो एवीडेन्सेज को टेम्पर विथ करने की कोशिश की जायगी। हम निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं सी. बी. आई. के द्वारा। अगर यह सरकार को आपत्तिजनक सुझाव लगता है तो उसको ठुकरा दे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सी. बी. आई. से जांच कराना आवश्यक है क्योंकि एवीडेन्सेज को कलेक्ट करना है तो····

श्री अध्यक्ष : नियमों की अवहेलना से काम नहीं चलेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : ···· इसलिए सी. बी. आई. से जांच होना आवश्यक है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : पुलिस यह काम नहीं कर रही कर रही है क्या ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय····

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अगर पुलिस गलती कर रही हो तो कहा जाय, लेकिन इस तरह के आरोप लगायें सरकार और पुलिस के ऊपर तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं। माननीय सदस्य इस प्रकार····

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय :+ + +

श्री चतुर्भुज (टोडा रायसिंह) : माननीय सदस्य सदन का और भी कार्य करना है। हम चाहते हैं कि सदन के और कार्य के लिए समय छोड़ दिया जाय, लेकिन

+ + + अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया। एवं शब्द कार्यवाही से निकाला गया।

(श्री चतुर्भुज)
माननीय सदस्य +++ में समय लगा रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इस संबंध में सदन में माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे हैं उनको आप ++ कहते हैं तो यह ++ इस प्रकार का शब्द है इसको, माननीय अध्यक्ष, एक्सपन्ज किया जाय। मैं माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि इस + शब्द को एक्सपन्ज किया जाय। माननीय अध्यक्ष, मैं कहना चाहता हूं + कि शब्द को एक्सपन्ज किया जाय। यह + शब्द कहना मैं समझता हूं कि सदन का अपमान है। इस शब्द को एक्सपन्च किया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ग्रोन ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। (जोर से) ग्रोन ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : यस।

श्री निरंजननाथ आचार्य: (श्री रामानन्द अग्रवाल की ग्रोर इशारा करते हुए) ये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, शब्द के बारे में माननीय सदस्य ने ग्राब्जेक्शन उठाया था। जिस संदर्भ में कहा गया है वह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ग्रागे नहीं कहना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिस कर्कशता के साथ में...

श्री अध्यक्ष : ग्रागे नहीं कहना चाहिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार को सी. बी. ग्राई. से जांच कराने में गुरेज नहीं है, लेकिन जांच बहुत विस्तृत रूप से विभिन्न पहलुग्रों पर ग्रौर विभिन्न शाखाग्रों द्वारा की जा चुकी है इसलिए जांच के बारे में कोई माननीय सदस्य को ग्रापत्ति नहीं है, बल्कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के बारे में ढिलाई है तो उसके बारे में कार्यवाही करने में सरकार सतर्क है।

श्री गुमानमल लोढा : एक बात स्पष्ट कर दें। जांच इस बात की की जानी है कि क्या मुलजिमान को वहां के मोदी परिवार की ग्रोर से पनाह दी गई है, प्रोत्साहन दिया गया है? माननीय मुख्य मंत्री जी को तीन महीने पहले सूचना मिलती है ग्रौर उसके बाद में ग्राम सड़क पर 5 ग्रादमी जीप में ग्राकर मर्डर कर दें...

श्री अध्यक्ष : यह ग्राप पहले फर्मा चुके हैं।

श्री गुमानमल लोढा : मैं कह चुका हूं ग्रौर इस बात को फिर भी कहूंगा कि मुलजिमान को बचाया जाय... माननीय ग्रध्यक्ष, मैं ग्रापसे प्रार्थना करूंगा कि उनको पनाह देने वाला भी उतना ही गुनाहगार है जितना कि मुलजिम। यदि मोदी परिवार का इनके साथ में संबंध होने का ग्रारोप है तो उसके बारे में सी. बी. ग्राई. से जांच करवाने की बात मंत्री महोदया को स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि सारे सदन में भी इस बात का विश्वास पैदा हो जाय कि जनतन्त्र में ग्रास्था रखने वाले लोगों के साथ में भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी।

श्री अध्यक्ष : (श्री गुमानमल लोढा से) ग्रौर कुछ फरमाना है?

श्री मालाराम : सी. बी. आई. से केस करा दें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जांच करालें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : क्या सी. बी. आई. न्याय करेगी ?

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूं माननीय राज्य मन्त्री महोदया ने अपने वक्तव्य में स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया है कि अभी तक चार महीने के बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है और मजिस्ट्रेट के यहां जो अटेचमेंट की कार्यवाही के लिये दरख्वास्त दी गई थी उसको मजिस्ट्रेट ने मन्जूर नहीं किया, तो आखिर कौन सा तरीका है राज्य सरकार के पास और गृह मंत्रालय के पास कि जिस के मारफत मुलजिमान का पता लगने के बाद उनको पकडा जाय । अभी तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है । तो मैं सोचती हूं कि सी. बी. आई. को देने के अलावा राजस्थान सरकार के पास दूसरा चारा नहीं है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मजिस्ट्रेट के यहां पर जो दरख्वास्त दाखिल हुई है उसके रिजेक्ट होने के बाद में पुलिस अपील कर रही है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दफा 81 की कार्यवाही की इजाजत मजिस्ट्रेट से जब तक नहीं मिलेगी तब तक दुबारा सेशन्स जज के यहां आपकी अपील मन्जूर नहीं होगी ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अपील की हुई है ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री लक्ष्मण सिंह : कोई न कोई सत्य बात कहने वाले तो आज भी हैं ।

श्री अध्यक्ष : इस विषय को अब समाप्त करें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इतने बड़े हत्याकाण्ड ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अब और आगे इस विषय पर बात न करें ।

श्री गुमानमल लोढा : यदि ऐसे हत्याकाण्ड में मजिस्ट्रेट दरख्वास्त खारिज कर दे अटेचमेंट की और उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाय तो मजिस्ट्रेट ने क्यों खारिज की दरख्वास्त इसकी जांच कराई जाय ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष

श्री अध्यक्ष : आप फर्मा चुकी हैं ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इस हत्या के सम्बन्ध में अभी तक पुलिस मुलजिमान को पकड़ नहीं सकी है और राजस्थान गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है । वे चार महीने से राजस्थान के बाहर हैं और उनको पकड़ने के बारे में कार्यवाही नहीं करते हैं तो मैं नहीं समझती कि कैसे आप मुलजिमान को पकड़ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं गवर्नमेंट को मजबूर नहीं कर सकता हूं उसको मन्जूर करने के लिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप अभी तो प्रपोज कर रहे हैं लेकिन आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। आदमी चाहे जनसंघ की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : माननीय सदस्य केवल भाषण कर रहे हैं। काम करना और बात है और बात करना अलग बात है। माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूं कि काम करके बतायें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : किसी का प्रश्न नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : नाट टू बी रिपोर्टेड।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ++++

श्री अध्यक्ष : (श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय के खड़े होने पर) : अंकित न हो।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय +++

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : +++

श्री मालाराम : + + ×

श्री गुमानमल लोढा : + + +

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : +×+

श्री गुमानमल लोढा : +++

श्री श्रीराम गोटेवाला : +++

श्री अध्यक्ष : कुछ भी अंकित न हो।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : +++

श्री गुमानमल लोढा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

मै यह चाहता था (व्यवधान) मैं जितना बरदाश्त कर सकता हूं। तहम्मुल कर सकता हूं, वह करता हूं।

श्री पी. के. चौधरी: इनको यह जानकारी नहीं होती है कि जब आप हुक्म देते हैं तो उस के बाद रिपोर्टिग होती नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनको यह जानकारी हैं कि आप आखिरी कदम नहीं ले सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : कैसा आखिरी कदम ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह यह जानते हैं कि आप इतने उदार हैं कि आप आखिरी कदम उनके लिए नहीं उठायेंगे।

श्री अध्यक्ष : तो आप मुझे यह प्रेरणा दे रहे हैं कि मुझे आखरी कदम लेना चाहिए ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये आप को प्रवोक कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : आखरी कदम की जो शक्ति है, वह और ऊपर को बढ जाये। और, इस अन्याय के खिलाफ जांच हो।

(शोरगुल व्यवधान)

+ अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : जहां नेताओं का यह हाल हो, वहां औरों का क्या हाल होगा। उनको भी यही करना पड़ेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनता का क्या हाल होगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह पहले भी नम्रता-पूर्वक निवेदन किया है, यदि हम सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं तो आप का ही सम्मान है। क्योंकि मैं आप के द्वारा ही चुना हुआ व्यक्ति हूं। अगर कोई बात होती है तो यह आपके लिए ही सोचने की बात है। इसका बाहर भी असर पड़ता है। किसी भी प्रश्न को उठाने के लिए इस चेनल के अलावा भी चेनल कई हैं एक घण्टे तक उसी पर बोला गया है। मैं फिर आप से यह निवेदन करता हूं कि नियमों के भीतर ही आप को काम करना है ताकि सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे। जैसा कि आचार्य जी कहते हैं, वह कदम मैं उठाना भी नहीं चाहता हूं। जैसा कि एक माननीय सदस्य कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है। मैं जानता हूं कुछ जानबूझ कर करते हैं। पर कुछ माननीय सदस्य नियमों से वाकिफ भी नहीं हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप को जवाब मिल चुके हैं। आपकी जो और रेमेडीज हैं उनको देखना होगा। इसलिए अब इसको, समाप्त किया जाये ताकि और आगे का कार्य लिया जाये।

श्री गुमानमल लोढा : सी. बी. आई. के बारे में उनको क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष : यदि वह नहीं करते तो मैं कोई जोर नहीं दे सकता।

श्री गुमानमल लोढा : आप उनको प्रेरणा दें।

श्री अध्यक्ष : आप नियमों को जानते हैं। नियमों में स्पीकर उनको मजबूर नहीं कर सकता है। सी.बी.आई. को दिया जाये, यह मेरे अधिकार क्षेत्र में होता तो मैं कह सकता था कहने की सोच सकता था। लेकिन मेरे अधिकार क्षेत्र में यह नहीं है। बात को रखने की और भी चेनल है। मैं इसको अब समाप्त करता हूं और आगे चलता हूं।

आय-व्ययक पर विचार

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को समाप्त करता हूं। एक अन्य विषय पर जानकारी चाहता हूं। 15 दिन पहले मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है। वह आबकारी महकमे की टेण्डर प्रणाली के बारे में हैं। शराब के जो टेण्डर दिये गये हैं, उनमें 2 करोड़ का स्कैण्डल हुआ है। 15 रोज पहले इस प्रश्न को प्रस्तुत किया है। कल वह टेण्डर असेप्ट होने वाला है। उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? पहले व्यक्ति के द्वारा 1 करोड़ का टेण्डर दिया गया है। एक ने 30 लाख का टेण्डर दिया है। यह कहा गया है कि 28 तारीख तक अगर पहले का एक्सेप्ट नहीं होगा तो दूसरे को दे दिया जायेगा। इससे दो करोड़ का नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो सरकार इस प्रकार से टैक्स लगा रही है।

श्री अध्यक्ष : अगर एडजोर्नमेण्ट मोशन है.....

श्री गुमानमल लोढ़ा : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

एक माननीय सदस्य : 28 तारीख तो अभी गई है। आपने पहले से कैसे दे दिया।

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमेंट मोशन और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में फर्क है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह नियम मैं समझ रहा हूं। 5 तारीख को टेण्डर मन्जूर होने वाला है। दो करोड़ का स्केण्डल है।

श्री अध्यक्ष : मैं इतना ही कहना चाहता था कि अगर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, तो आप चेम्बर में आकर बात कर लें।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, ये स्केण्डल कह रहे हैं। मुझे आज सुबह ही जानकारी मिली है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : गलत बात कह रहे हैं आप।

श्री चन्दनमल बैद : आप गलत कह रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दूसरे आदमी का टेण्डर एक्सेप्ट कर लिया जावे।

(व्यवधान–शोरगुल)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आय–व्ययक पर विचार।

आय व्ययक पर अग्रेतर
[सामान्य वाद-विवाद]

श्री भूपालसिंह जी

श्री भूपालसिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले दिनों से बजट के बारे में माननीय सदस्यों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखी हैं। किसी ने बजट को आत्मा को समाजवादी बताया है। किसी ने पूंजीवादी बताया है। किसी ने दिवालिये की इन्सालवेशन की पिटीशन बताया है। किसी ने कहा कि यह बहुत खूबसूरत है। मैं निवेदन करूं कि मैं बजट का एक्सपर्ट नहीं हूं। मोटे तौर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के इतिहास में पहली दफा राजस्थान के पश्चिमी जिलों के बारे में योजनाबद्ध आर्थिक प्रमुख गतिविधियों को विकास देने के लिए बहुत की गई हैं। इसमें शङ्का नहीं होती है। कई बार मैंने यह भी देखा है कि आचार्य जी ने और जोशी जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। अभी तक पश्चिमी जिलों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। वहां असन्तुलित आर्थिक स्थिति बनी हुई है। इस से राजस्थान के विकास के लिए कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसलमेर जिले, जिसके बारे में बहुत कुछ लोग सोच रहे हैं, के बारे में जरा सूचना भी देना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा जिला है, 16 हजार स्क्वायर मील के अन्दर यह फैला हुआ है इसमें करीब चार पांच इन्च वर्षा होती है और वह प्रधान जीवन–आधार का कार्य केवल पशुपालन है या भेड़ पालन है। इस जैसलमेर जिले के आस पास लगते हुए कोलायत, बीकानेर जिले के कुछ हिस्से हैं और बाड़मेर जिला है इनके बारे में 1960 के अन्दर लैंड यूटीलाइजेशन कमेटी बैठी थी। उसने जो फाइंडिंग दी उनमें उस समय यह

(श्री भूपालसिंह)
फाइंडिंग भी दी गई कि इस इलाके के अन्दर भूमिहीन की समस्या नहीं है। यहां पर खेती की समस्या नहीं है लेकिन पशुओं की समस्या है। यदि एक साल बरसात कम होती है तो जो

(1.02 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बरसात की मात्रा होती है उसमें घास पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकती है वहां पर खेती नहीं होती उसके बावजूद वहां भूमि आवंटित की जाती है जो एक राष्ट्रीय अहित है क्योंकि भूमि पर काश्त नहीं हो सकती, भूमि का प्लांट प्रोटेक्टिव व वेजीटेटीव हट जाता है, इसकी वजह है कि वहां अन्धड़ चलता है उसकी वजह से रेत आन्धी के साथ चलता है और इससे रेगिस्तान में बढ़ावा होता जाता है। इससे जिन गांवों में लोग खेती नहीं करते हैं और वहां पर पशुओं के लिए घास ज्यादा होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है। इसलिए इस पर आज विचार न करते हुए लैंड को न देखते हुए जो आज वहां भूमि का आवंटन हो रहा है वह एक राष्ट्रीय अहित है। साथ ही इस बात का ख्याल न रखते हुए वहां पर सुनियोजित विकास भी नहीं किया जा रहा है—यह खेद की बात है। वहां पर पशुओं के अन्दर भेड़ और गाय हैं, थरपारकर गाय वहां की है, जो अब कुछ बची हैं। वह गाय पशुओं के अन्दर अमूल्य चीज हैं। यह एक्सपर्ट्स की फाइंडिंग है कि थरपारकर डेयरी फार्मिंग के लिए उपयुक्त गाय है। उसकी रेसिस्टेन्स पावर, उसको दूध देने की क्षमता सब गायों से अधिक है और यह गाय बहुत उपयोगी हैं। इस गाय की गुजरात के अन्दर, महाराष्ट्र के अन्दर और मध्य प्रदेश के अन्दर बड़ी मांग है। अब वहां जो कुछ भी गाय हैं, पहले बहुत तादाद इस गाय की थी, लेकिन 1968-69 के अकाल के बाद वहां पर स्थिति बदली है और इसकी कमी आ गई है, अब जो कुछ बची हुई हैं, उसके दूध के लिए कोई बाजार न होने के कारण उसकी संख्या भी दिन पर दिन घटती जा रही है, दे आर आन पैरिसिंग पाइन्ट। इसी तरह से आज जैसलमेर में भेड़ हैं। हमारे यहां दूसरे प्रान्तों में जितनी भेड़े पाई जाती हैं उनमें सबसे अच्छी उसकी ऊन है। इसकी ऊन की क्षमता 2.5 किलोग्राम है, इसका भार साठ से अस्सी पाउन्ड है जो दूसरी भेड़ हैं उनकी नस्ल विदेशों के नस्ल सुधारने के तरीके से सुधारी जाय तो भी वह इस स्टेन्डर्ड को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। ऐसी हालत में 1968-69 के अन्दर वहां की संख्या लगभग चार लाख थी, वह घट कर सवा लाख रह गई है। उसके बारे में कोई प्लान नहीं बन रहा है, उनको बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। यहां के डाइरेक्टर ने एक प्लान जो पेश किया है उसके बारे में भी अभी कोई इस बजट में प्राविजन नहीं है अथवा इस बजट में उसका कोई संकेत नहीं है। भेड़ के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है जब कि इस प्रान्त के अन्दर जो ऊन पैदा की जा रही है वह हिन्दुस्तान में जो ऊन पैदा होती है उसका करीब चालीस प्रतिशत है। इसी तरह से गाय के विकास का भी जो प्रश्न

(श्री भूपाल सिंह)

है, उसके बारे में जितने एक्सपर्ट्स की फाइंडिंग हैं. एनीमल रैस्यो के अनुसार ग्रेजिंग के बारे में, साइंटिफिक तरीके से मिल्क के प्राडक्शन के लिए और उसके विस्तार के लिए–इसमें उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

जो राजस्थान कैनाल है, उसके लिए जो प्रावधान किया गया है, उसी तरह से पिछली बार भी कुछ प्रावधान किया गया था, पिछली बार भी तीन करोड़ रुपया काम में नहीं लिया गया था। सात करोड़ का प्राविजन इस साल है और तीन करोड़ वह उपयोग में लिये जा सकते हैं, लेकिन मुझे आशा नहीं है कि इस रुपये को काम में ले सकेंगे। एक बात मनोहर सिंह जी ने कही, राजस्थान कैनाल का पानी लिफ्ट के द्वारा चूरू को मिलना चाहिए। चूरू को इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वहां के लोग साधनशील हैं उनका तजुर्बा भी है। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं, उनके पास साधन जरूर हैं, वह उनको मुबारक हों। लेकिन वह इससे एक फसल देते हैं, लेकिन राजस्थान कैनाल हमारे यहां पर आ जाय तो दो फसल होंगी। वह एक के लिए सोच रहे हैं लेकिन राजस्थान कैनाल आने के बाद दो होंगी। आज राजस्थान कैनाल के लिए यह कोशिश की जा रही है कि नहर का पानी दूसरे जिलों में चला जाय और जैसलमेर तक वह पानी नहीं पहुंचे। इससे एक दुर्भाग्यपूर्ण संकेत मिलता है। वैसे हम देखते हैं कि उससे लाभ ही ज्यादा होना चाहिए काफी नहीं है। होना यह चाहिए कि जहां पर जीवन देने के लिए एक मौका प्राप्त होता है पानी पहुंचने से, क्योंकि वहां साधन हैं, सुविधायें हैं, यही काफी नहीं हैं और हम सोशल इम्पेरेटिव दृष्टि से देखें और सोशल जस्टिस की दृष्टि से सोचें तो यह जरूरी है कि जल्दी से जल्दी नहर जैसलमेर इलाके में पहुंचनी चाहिए ताकि वहां के लोगों का पूर्ण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि वह हमारे जीवन-ढांचे में दखल नहीं करना चाहते, आज जो हालात मौजूद हैं उससे उन्हें सहानुभूति है तो उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसलमेर एरिया ऐसा है कि राजस्थान कैनाल से बहुत कम एरिया सिंचित होने वाला है, जो बाकी हिस्सा रहेगा उसमें से दो चूरू जैसे जिले निकल सकते हैं।

एक बात यह कही गई कि पिछले फेमिन कार्य चले उससे लोगों की आदत वहां पर ऐसी पड़ गई है कि वे बेरोजगार बन गये हैं आज देश के लिये बेरोजगार की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है। वैसे जैसलमेर के लोगों का, पश्चिमी इलाके के लोगों का यह रुख नहीं रहा है कि केवल हम अकाल कार्य पर निर्भर करें, वैसे अकाल जैसलमेर में 1960 से पड़ना शुरू हुआ है लेकिन 1968 तक हमने कभी भी अकाल सहायता के लिए मांग नहीं की। केवल 1968 के अन्दर हमारे पूर्ण तौर से मवेशी मर गये और हमारे पास कोई जीवन का साधन नहीं रहा, हमारी क्रय शक्ति इतनी घट गई कि रोटी के लिए लाचार हो गये और जो जेब में पहले से पूंजी थी जो पहले की बची हुई थी वह भी पिछले आठ सालों में पशुओं के लिए खर्च कर चुके तो भयङ्कर

(श्री भूपाल सिंह)

स्थिति बन गई और जीना मुश्किल हो गया इसलिए जो भी अकाल राहत कार्य चलाये उनमें काम किया। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा उम्मीद रखते हैं कि वहां पर अकाल राहत कार्य चलते रहें। इसके अलावा अकाल राहत कार्य चले उनसे उपयोगी काम हुआ है, सब जिलों में सड़क बन गई हैं जिनके जरिये से विकास होने का रास्ता बन गया है सारा एरिया ओपन हो गया है और बहुत बड़ा स्कोप फोर फरदर डवलपमेंट हो गया है। इसलिए यह सोचना कि अकाल राहत कार्य चल रहे हैं उससे यह भावना पैदा हो रही है कि स्टेट पर हम डिपेन्ड रहें–यह गलत है, यह मन्शा हमारी नहीं है। मैंने पिछली बार कहा था कि जो क्रेश प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसलमेर जिले की स्थिति को देखें कि गांव दूर दूर पर हैं इसलिए जहां क्रेश प्रोग्राम चल रहे हैं वहां मजदूर नहीं पहुंचते हैं। इसलिए इसमें तरमीम होनी चाहिए। जो एग्रीकल्चर ओरियेन्टेड इलाके हैं वहां क्रेश प्रोग्राम ठीक तरह चल सकते हैं लेकिन पशु पालक जहां रहते हैं वहां के लिए और तरह की योजना होनी चाहिए, उन्हें पशु देने चाहिए, लोन देना चाहिए। इसके अलावा भेड़ पालक कुटुम्ब जो हैं, जिनके यहां काम करने वाला कोई नहीं है, नौकर नहीं है, उनको दो हजार रुपया लोन दे दें तो उनके पास बीस पच्चीस, चालीस भेड़ हो जायं और उनके कुटुम्ब के जीवन का आधार बन जाय और भेड़ों के चारों तरफ उनकी एक्टिविटी चालू हो जायं। ऐसी कोई सेल्फ रिलाइन्ट इकानामी बन जाती है तो अकाल राहत की मांग नहीं करने वाले हैं।

हम चाहते हैं कि सेल्फ रिलायन्ट इकोनामी को ध्यान में रखते हुए क्रेश प्रोग्राम में कुछ तब्दीली होनी चाहिए। अगर यह सरकार के हाथ की बात नहीं है तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार से भी बातचीत करनी चाहिए और इस इलाके के लिए यह बिल्कुल अनुपयुक्त है, उसको उपयुक्त बनाने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए।

दूसरी बात हमारे यहां जितने ट्यूबवेल्स हैं, जो ट्यूबवेल्स चल रहे हैं, वे खेती के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह सही है कि हमारे यहां पर नो हाऊ नहीं है, एप्टीट्यूड भी खेती के लिए नहीं है लेकिन उससे भी बढ़कर बात यह है कि वहां डीजिल एन्जिन्स जो चलाए जाते हैं और बिजली के अभाव में वहां पर ब्रेक डाउन्स बहुत होते हैं। कभी कभी खड़ी फसल हो, घास हो और ट्यूबवेल्स का ब्रेक डाउन हो जाता है तो वहां पर व्यवस्था ठीक न होने से पूरी की पूरी फसल खतम हो जाती है। यह कहा जाता है कि वहां एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्ट्स नहीं हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर एक जेठा फार्म है, वह गवर्नमेंट का फार्म है, जो फायदे में चल रहा है, ऐसे बहुत कम फार्म्स होंगे जो मुनाफे में चल रहे हैं लेकिन जेठा फार्म आज भी मुनाफे में चल रहा है।

डेयरी फार्मिंग के लिए एक स्कीम चल रही है जिसकी ओर संकेत वित्त मंत्री ने अपने भाषण में दिया है। उन्होंने कहा है कि विश्व बैंक के सामने एक विस्तृत प्रोग्राम रख छोड़ा है। इसको ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि वहां पर बिजली आनी चाहिए विद्युतिकरण के बगैर ट्यूबवेल्स से पूरा फायदा नहीं उठा सकेंगे–न प्लांट चाहे चिलिंग

(श्री भूपालसिंह)
प्लांट या और कोई उद्योग मूल से सम्बन्ध रखने वाला नहीं चलाया जा सकता इसलिए जरूरी है कि इस इलाके में विद्युतिकरण होना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : उपाध्यक्षजी, बजट किसी भी सरकार का यह द्योतक है कि उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, आर्थिक हालत कैसी है। आर्थिक नीति कैसी है इस दृष्टि से जो बजट पेश किया गया है उसको अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं, हमारी सरकार की घोषणायें कुछ और हैं, इरादों का इजहार कुछ और है और प्रस्ताव कुछ और है। एक बात कही गई है कि चुनाव के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वित मंत्री ने नया विभाग संभाला है और मुझे तरस आती है वित्त मंत्री पर यह देखकर कि नया विभाग संभाला और नई जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी हैं। अब तक 20 साल जो राज्य किया वह गैरजिम्मेदारी से किया और चुनाव के बाद ही जिम्मेदारी आई। आगे उन्होंने कहा है कि हमारे आगे बढ़ने में कठिनाई अवश्य है लेकिन हम प्रगति के पथ पर हैं। सुनकर ऐसा लगा कि वित्त मंत्रीजी कमजोर नहीं हैं। वह आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रयास करते हैं। अब आगे बजट प्रस्तावों के बारे में निवेदन करता हूं। वित्त मंत्रीजी ने जब कर लगाने की बात सोची तो उन्होंने शुरूआत की इन शब्दों से कि मेरा ध्यान सबसे पहले विलासिता की चीजों की ओर गया। खुशी हुई कि अब जो कर लगेंगे पूंजीपतियों पर लगेंगे। पहले था सोना और चांदी। उसके बाद जब लिस्ट बढ़ी तो मुझे ख्याल हुआ कि वित्तमंत्रीजी को किसी अधिकारी ने धोखा दे दिया है। विलासिता के बजाय दूसरी लिस्ट आ गई। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गए, मैंने सोचा समाजवाद वाली सरकार, गरीबी मिटाने वाली, रोजी-रोटी देने वाली सरकार की ऐसी लिस्ट हो सकती है और साथ में चुनाव से पूर्व का बजट जो पेश किया गया, दोनों को मिलने का प्रयास किया तो देखा चुनाव से पूर्व किसानों के साथ सरकार की बड़ी सहानुभूति थी, गरीबों के प्रति भी। दोनों बजट्स में अन्तर है। कारण जानने की कोशिश की, मुझे एक गाना याद आ गया :

'बरबादी के आसार नजर आते हैं।'

चुनाव से पहले पेश किया गया बजट में गरीबों के प्रति दर्द, बाद वाले बजट में नहीं है। साफ नजर आने लगा। दरअसल उस समय चुनाव का अवसर था और जनता के सामने जाकर वोट लेना था इसलिए सारी सहानुभूति और दर्द सरकार को रहा लेकिन जैसे वित्त मंत्री ने कहा है कि हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है और 4 साल 11 महीने तक यह सफलता रहेगी। इसलिए सारी समाजवादी विचारधारा, सहानुभूति, गरीबी दूर करने की बात, इन सब बातों का खयाल वित्त मंत्रीजी को नहीं रहेगा।

तो मैं कर प्रस्तावों के बारे में निवेदन कर रहा था, सोना और चांदी। सोने की बात तो समझ में आती है लेकिन चांदी की बात सुनकर हैरानी हुई कि यह पूंजिपतियों के काम में आती है। यह समझ में नहीं आता। यह तो गरीबों के काम में आने

Page No 63

(श्री सुरेश चन्द्र)

वाली वस्तु है। मजदूरों के काम में आने वाली वस्तु है। उससे आगे देखा तो साबुन, धागा, खार, दाल, मोठ, जब बढ़े हुए सिंचाई के दर ट्रेक्टर्स इत्यादि।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मोठ और जव पर कम लिया है।

श्री सुरेशचन्द्र : मोठ को शामिल किया है। पहले नहीं था।

श्री चन्दनमल बैद : धागा यह सूती और ऊनी नहीं है। नैलान और दूसरा यार्न है, यह अमीर लोगों के काम आता है, गलतफहमी है आपकी।

श्री सुरेशचन्द्र : आखिर हमारे वित्तमंत्री जी को क्या होगा कि इनको विलासिता की चीजें कहते हैं। जो साधारण वस्तुएं किसानों के काम में आने वाली है, मजदूर के काम आने वाली हैं और दूसरी तरफ कहा जाता है कि हम किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि इस प्रकार के कर सरकार लगाएगी और इसी प्रकार की हालत रही तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे गरीबी दूर होगी, किसान की हालत सुधरेगी। पक्ष और विपक्ष के लिए काफी कहा गया है। यदि सत्ता में बैठने वाले माननीय सदस्यों के भाषणों पर गौर किया जाए तो एक बात पढ़ने को मिलती है, बजट के लिए धन्यवाद। बाकी सारी बातें विरोधियों से मिलती हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि बजट ऐसा नहीं है जिससे गरीबों को लाभ मिले या किसान खुशहाल हो सकें। करों का असर पड़ेगा आम जनता पर जो समाजवाद का नारा दिया जाता है वह केवल नारा ही है।

मैं कुछ और मुद्दों पर निवेदन करना चाहता हूं। वित्त मंत्री को घोषणा करनी चाहिए कि कौनसे गांवों में बिजली पहुंचेगी। लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए कि कितने साल में हम बेरोजगारी मिटायेंगे। कहा गया है कि हम क्रेश प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कितना रुपया आया, कितना काम में लगाया इस बात पर गौर नहीं करते हैं और वह लैप्स होता है, कुछ पैसा केन्द्र से आता है। विभाग काम नहीं करता। आप योजना बनाते हैं लेकिन आपका विभाग साथ नहीं देता। क्रेश प्रोग्राम की योजना बनाई, काम चालू नहीं हुआ। इस पर कहा जाता है कि सड़कें शामिल नहीं हैं, सड़कें शामिल की जाती है, कहते हैं अधिकारी काम नहीं करते क्यों नहीं काम करते ? आप जानते हैं। कमीशन का मामला है। मजदूर काम करेंगे। कलेक्टर मस्टर रोल एप्रूव करेगा। गुन्जाइश नहीं है। इसलिए आपकी योजना योजना हो रह जाती है। वास्तव में आपकी इस ओर नीयत नहीं है। छोटी-मोटी बातों को करने की भी नीयत नहीं है। इच्छा नहीं है।

इसी प्रकार डाक्टरों और इन्जीनियरों को वजीफा देने की घोषणा की। क्या आप समझते हैं कि उनमें इससे बेरोजगारी समाप्त हो जायेगी ? नहीं होगी। यह कोई दरअसल सही और स्थायी हल नहीं है। आपको चाहिये कि आप इस सम्बन्ध में बेरोजगारों के आंकड़े इकट्ठे करिये कि

(श्री सुरेशचन्द्र)

कितने तो शिक्षित बेकार कितने अशिक्षित बेकार हैं कितने शहरी बेकार हैं और कितने ग्रामीण बेकार और बेरोजगार है। तब ही आपको वास्तविकता नजर आयगी कि असली हालत क्या है। यदि आपके पास आंकड़े हैं तो आपको निश्चित रूप से इस प्रकार की घोषणा करनी चाहिये कि पांच साल में या दस साल में आप इस बेकारी और बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे।

इसी प्रकार बिजली के मामले हैं। कब तक आप सारे ग्रामों में बिजली पहुंचा देंगे। पांच साल में या दस साल में? कब तक बिजली पहुंचा देंगे? जैसा कि हरियाणा ने किया। उन्होंने प्रोग्राम बनाकर हर ग्राम में बिजली पहुंचा दी।

इसी प्रकार हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। हमारे पास खनिज के रूप में बहुमूल्य सम्पदा हैं। वन हमारी सम्पदा है। पशु नस्ल हमारे यहां अच्छी है और पशुधन हमारी बहुमूल्य सम्पदा है, अच्छे जंगलात हैं, अच्छे कारखाने हैं। इसी प्रकार हमारे कुटीर उद्योग हैं, प्राचीन कुटीर उद्योग हैं, यदि उनको बढाया जाय और वास्तव में सरकार कुछ कार्य करना चाहती है तो कर सकती है लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जाता। सरकार वास्तव में करना नहीं चाहती।

खेती की बात कही जाती है। हरित क्रान्ति लायेंगे। लेकिन यह तो आप बतायें कि कहां तक आपने किसानों को अच्छे बीज, सुधरे हुए औजार और पानी पहुंचाया है? यदि पर्याप्त नहीं है तो हरित क्रान्ति कैसे आवेगी? क्रान्ति का कुछ लोगों ने फायदा उठाया है। उनमें या तो बड़े-बड़े अधिकारी हैं या बड़े-बड़े मंत्री हैं।

प्रश्न काल के समय में सामने आया एक प्रश्न। मंत्रियों को जमीन का अलाटमेन्ट हुआ। यह जानकर बड़ा दुःख हुआ। असलियत सामने आ गयी। तीन भूतपूर्व मंत्री उनमें हैं। एक श्री दिनेशराय डांगी, दूसरे श्री शिवचरणसिंह और तीसरे श्री रामचरण। असली रूप है आपके समाजवाद का। इसी प्रकार समाजवाद लाने का प्रयास हो रहा है? यदि समाजवाद लाना है, गरीबी को दूर करना है तो उस समाजवाद को जनता में लाना चाहिये न कि मंत्रियों में। इसके लिये आपको कार्यक्रम रखना होगा। आपको इसके लिये आर्थिक नीति बनानी पड़ेगी, आपको उत्पादन बढ़ाना होगा और उस उत्पादन से सही मूल्य पर वस्तु लोगों को पहुंच सके इस ओर भी ध्यान देना होगा।

आपने कारपोरेशन्स बनाये। घोषणायें होती हैं फाइनेंशियल कार्पोरेशन, होटल कार्पोरेशन। अपेक्स सोसाइटी हाउसिंग के लिये बनायी। अच्छी बात है। लेकिन यह भी तो देखिये कि पैसा किन-किन को मिलता है? उस पैसे का उपयोग भी हुआ है या पैसा लेकर बैठ गये हैं? आपने देखा होगा कि प्रभावशाली लोग तमाम पैसा ले गये। वास्तविक रूप से मकान बनाने या कारखाने का काम नहीं किया। तो यह जो आपकी व्यवस्था है वह केवल अनुभव के

(श्री सुरेश चन्द्र शर्मा)

आधार पर कहा जा सकता है कि एक राजनैतिक दृष्टिकोण से है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मेरे दल के सदस्यों में से अब केवल मुझे ही बोलना है।

जनता ने जिन व्यक्तियों को तिरस्कृत कर दिया उनको वापिस कुर्सी लाकर आप बैठाते हैं और इसी प्रकार काम करते हैं तो फिर काम चलने वाला भी नहीं है।

समाजवादी समाज के रूप को भी देखिये। वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की। ऊपरी आवरण समाजवादी है लेकिन अन्दर सारा शरीर, दिल और दिमाग पूंजीवादी है।

बिजली की बात ही ले लीजिये। बिड़लाजी को बिजली तीन पैसे में, साथ में जमीन की भी रियायतें दीं लेकिन जब किसान और मजदूर बिजली मांगे तो 15 पैसे युनिट। यही आपके समाजवादी समाज का वास्तविक रूप है? आपके समाजवाद का सही चित्र सामने आ जाता है। जब आपके कार्यक्रम और सारी बातों पर विचार किया जाता है तो आपका समाजवाद और घोषणायें सारी सामने आ जाती हैं। दरअसल आपकी नियत काम करने की नहीं है केवल मात्र आपकी घोषणायें ही हैं।

शिक्षा के बारे में आपने घोषणा की। 1 हजार प्राथमिक स्कूल खोले जावेंगे और 1 हजार मिडिल स्कूल खोले जावेंगे। इनका फायदा शहरों में ही होता है। शहरों में जो स्कूल खोले जाते हैं उनकी बिल्डिंग, नल, बिजली सब सरकार की ओर से दी जाती है। गांवों में खोलते हैं तो कहते हैं कि भवन दीजिये। 95 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। वहां पर आप तरक्की नही करना चाहते हैं। शहरों में लोग रहते हैं वे आप लोगों पर प्रभाव डालते हैं दबाव डालते हैं इसलिये आप यहां सब सुविधा दे देते हैं और गांव के लिये, किसानों के लिये, मजदूरों के लिये आप कहते हैं कि भवन दीजिये। अब सरकार की यह नीति चलने वाली नहीं है।

हरिजनों के मकान निर्माण के लिये आवासन बोर्ड का गठन किया गया। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ही यह देते हैं। गांवों में नहीं देते हैं। यदि वास्तव में आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हैं जनता की तो आपको वहां भी कर्जा आदि देना चाहिये।

एक भूतपूर्व मंत्री कन्हैयालाल जी पटेल हैं। इनकी सुविधा के लिये 1½ लाख का सरकारी खर्चा किया गया। क्या यही आपका समाजवाद है? उनके निजी काम के लिये सड़क बनाने में सरकार ने यह खर्चा किया। आज हम जब सड़कें और बिजली देने को बात कहते हैं तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। आर्थिक हालत ठीक होने पर करेंगे। सरकार के दृष्टिकोण को हम जानते हैं और इस प्रकार यह काम होने वाला नहीं है।

मेरे इलाके में चालीस साल से सड़क चली आ रही है। मरम्मत नहीं हो रही है। जब मंत्री और मुख्य मंत्री उधर दौरा करते

(श्री सुरेश चन्द्र शर्मा)

हुए आते हैं तो आश्वासन देते हैं कि मरम्मत करा देंगे। वे जानते हैं कि वे इस इलाके में बहुत कम आते हैं इसलिये उधर मरम्मत के लिये पैसा नहीं लगाने की उनकी इच्छा रहती है। जब प्रश्न पूछा मंत्री जी से तो एक प्रश्न के सिलसिले में उन्होंने कहा कि उनको जानकारी नहीं है। अफसोस है कि मंत्रियों को भी जानकारी नही है।

उद्योगों के सम्बन्ध में बजट भाषण में पढ़ने को मिला। आपने 16 जिले छांटे हैं। वरिष्टता की दृष्टि से बांसवाड़ा हरिदेवजी जोशी का है और परसरामजी का जोधपुर होना चाहिये। छांट कर आप करा तो दीजिये। 26 जिलों में से 16 जिलों में उद्योग लगा दीजिये उसमें भी हमें संतोष है। दो जिले कौन से छांटे गये? एक जिला वह है जहां मुख्य मंत्रीजी ने पहले चुनाव लड़ा था और दूसरा जिला वह है जहां से अब मुख्य मत्रीजी ने चुनाव लड़ा है। इस तरह से समाजवाद नहीं आवेगा। गरीबी नहीं हटेगी। हटेगी तब जब वास्तव में ध्यान देंगे। खनिज सम्पत्ति को बढायेंगे। आज एक प्रश्न था। रिन्युअल आफ लाइ-सेन्स। दस साल पहले इसी सदन में राज्य-पाल महोदय ने कहा था कि सिमेन्ट फेक्टरी कायम हो। ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो कांग्रेस का नेता है और समाजवाद का प्रतीक है। तरक्की इसलिये नहीं की जा रही है कि उनको नुक्सान होता है। उनका निजी फायदा हो इसलिए यह नहीं किया जा रहा है। चाहे जनता को फायदा न हो। सर्वे हो चुका है सीमेन्ट का कारखाना लगाया जा सकता है। महज अपने गुट के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए यह किया जाता है। इस प्रकार की बातें हैं। केवल प्रचार है समाजवाद का और गरीबी दूर करने का। इस तरह से समाजवाद आने वाला नहीं है। यह तो केवल घोषणा मात्र है।

जयपुर में गुलाबीपन को ला देंगे और यहां की समस्याओं को एक साल में दूर कर देंगे यह मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की। सब समस्या दूर हो जायगी एक साल में। आज तक भी पता नहीं है कि कहां-कहां क्या समस्या है और क्या बात है। जब घोषणा करते हैं तो उसका पालन होना चाहिए। कुछ तो रूप सामने आना चाहिए। इससे तो सरकार के प्रति जनता की आस्था नहीं रहती है। आपकी घोषणाओं में कोई दम नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यह समाजवादी सरकार कुछ करना चाहती होती तो गरीब जनता पर इस तरह के टैक्सों की भरमार नहीं करती। वास्तव में वे सारे टैक्स गरीब जनता पर लगाये गये हैं।

इसे जनता देखेगी। समाजवाद के नारे की आड़ में जनता ने अभूतपूर्व अवसर इस सरकार को दिया है। अब इस नारे के पीछे आपका जो कार्यक्रम है उसको आपने पूरा नहीं किया तो जनता देखेगी। अगर आपने कुछ नहीं किया तो जनता अगले चुनाव के समय बर्दाश्त नहीं करेगी और आपकी भी वही हालत करके रख देगी जो हालत आज अन्य दलों की हो गई है।

गरीबी की स्थिति को अगर सुधारना है तो कुछ कार्यक्रम बनाइये। आज आप

(श्री सुरेश चन्द्र शर्मा)

पर कर्जा है, ओवर ड्राफ्ट है, कर्जे को चुकाने के लिये कर्जा लेना पड़ रहा है। तो वित्तमन्त्रीजी इन सबके लिये क्या करेंगे। यह सरकार क्या रास्ता निकाल पावेगी। ऐसा न हो कि कर्जा बढ़ता जावेगा, आप जावेंगे तो जावेंगे, यह सरकार भी आपको जावेगी और यह सारा कर्जा आने वाले शासकों के सिर पर, आने वाली पार्टी के सिर पर पड़ेगा, जनता की कमर टूट जावेगी।

यह बहुत बड़ा काम है। आप कैसे करेंगे इसकी रूप रेखा आपको बनानी होगी। आप फाइनेन्सियल कारपोरेशन से पैसा लेते हैं, बीमा से पैसा लेते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से लेते हैं। आपके पास तो पैसा है नहीं। आप तो केवल बातें करते हैं और यह कर्जा लेकर भी अगर पूरी तरह से उसका सदुपयोग नहीं किया तो असलियत में जनता की हालत सुधरने वाली नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर वास्तव में कुछ करना चाहती है तो इन थोथी घोषणाओं से कुछ होने वाला नहीं हैं। कुछ ठोस कदम उठाये जावें, प्रशासन को चुस्त और समाजवादी बनाया जावे, शीघ्रातिशीघ्र जन हित के कामों को पूरा किया जाये, भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी को कड़ाई से समाप्त किया जावे, जनता का पैसा जहां बरबाद होता हो, जनहित का काम नहीं होता हो या उसमें बाधा आती हो तो उसको बड़ी सजा दी जावे बाधा डालने वाले को, वह चाहे कोई हो, तब तो कुछ आशा हो सकती है।

नहीं तो आज बीस साल आपको कहते-कहते हो गये। आज कहते हैं हम अब करेंगे। आप का ही तो राज था पहले भी। पहले आपने क्यों कुछ नहीं किया? पांच दस साल तक तो यही कहते रहे कि अभी अभी आजाद हुए हैं। अब करना प्रारम्भ करेंगे। बाद में कहने लगे अ[illegible] करेंगे।

तो जनता अब आपके मुगालते मे अधिक आने वाली नहीं है। इस बार उसने आपको आखिरी अवसर दिया है। पर ऐसा लगता है अभी भी आप उसी पुरानी लीक पर चल रहे हैं।

ये जो टेक्स आपने लगाये हैं, किसानों को गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। आपने ट्रेक्टर और ट्रेक्टरों के स्पेअर पार्ट्स तक नहीं छोड़े। खाद को नहीं छोड़ा अनाज को नहीं छोड़ा। फिर आप समाजवादी होने का दम भरते हैं, आपका ऊपर यह चोला समाजवादी है मानस आपका पूंजी वादी है, दिल आपका समाजवादी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिल पर बहस चल रही है। किसी ने इसे समाजवादी बताया, तो किसी ने दिवालिया। किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ।

एक बात पर सब तरफ से खुशी जाहिर की गई कि इसमें इस बार डवलपमेन्ट के काम काफी हाथ में लिये गये हैं।

(श्री पी.के. चौधरी)

अब जहां तक टेक्सेशन के प्रोपोजल्स का सवाल है उनकी हर किसी ने किसी न किसी रूप में आलोचना की है। मैं पूछता हूं कि जब डवलपमेंट के काम करने हैं तो उसके लिये पैसा तो कहीं न कहीं से लाना ही होगा और उसके लिये टैक्स लगाने ही होंगे। फण्ड्स कहीं से न कहीं से इकट्ठा करना ही होगा। हां, इन के बारे में कुछ आलोचना हुई है उससे कुछ सीमा तक मैं समझता हूं सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिये।

वित्त मंत्रीजी ने जो टैक्सेशन के प्रोपोजल्स दिये हैं उनमें हरेक आइटम के लिये उसका क्या इन्सीडेन्स होगा इसकी स्पष्ट रूपरेखा नहीं रखी है। इसलिये यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि चार करोड़ के ही टैक्स वसूल होंगे या कम ज्यादा होंगे। और न यह स्पष्ट है कि इसमें से कितना हिस्सा शहरी हिस्से पर पड़ेगा और कितना देहाती हिस्से पर। गरीबों पर कितना भार इसका पड़ेगा और अमीरों पर कितना? इसका अन्दाज इस बजट को देखने से नहीं लगता। न इसे स्पष्ट किया गया है जो जरूरी था।

मसलन दाल लीजिये। इसका इन्सीडेन्स नहीं। टोटल बता दिया। अनाज पर टैक्स लगाया पर यह नहीं बताया कि इसका इन्सीडेन्स क्या होता है।

अब इससे साफ है कि चार करोड़ का यह जो टैक्स है इसका मोटा हिस्सा रूरल सैक्टर पर गया है। शहरी सैक्टर पर बहुत कम गया है। यह साफ जाहिर है। अब इसको जब देखते हैं तो देहाती सैक्टर को ईर्ष्या होती है कि शहरी सैक्टर पर तो बोझा नहीं डाला गया, हमारे पर डाल दिया गया है। गरीबी का दर्द लोगों को उतना नहीं है जितना इस कारण है कि हमें गरीब रखकर दूसरा वर्ग अमीर बनता जा रहा है। इसका दर्द होता है। एक माननीय सदस्य ने इसी का विश्लेषण करके बहुत ठीक ही कहा है कि सवाल गरीबी हटाने का नहीं है। अमीरी हटाने का है ताकि किसी के मन में ईर्ष्या नहीं रहे। तो इन टेक्सों में देखते हैं कि शहरी लोगों को अधिक टच नहीं किया गया है जब कि रूरल सेक्टर वालों को अधिक टच किया गया है।

आगे आपने बताया कि इरिगेशन से 80 लाख रुपया आयेगा। यह भी देहाती सेक्टर पर पड़ता है। ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स पर दो की जगह पांच परसेन्ट टैक्स बढ़ाया है इससे पांच लाख आवेगा और जो ट्रैक्टर और ट्रेलर पर टैक्स इन्ट्रोड्यूस किया है उससे जाकर 18 लाख आवेगा। मतलब कि ये तीनों आइटम मिलाकर 103 लाख रुपया आवेगा।

अब जो फरटीलाइजर पर टैक्स लगाया है उसमें पिछले साल राजस्थान में $3\frac{1}{2}$ लाख टन का कन्जम्पशन हुआ था, इस साल $4\frac{1}{2}$ लाख टन का अनुमान है। अब एक टन फरटीलाइजर की कीमत 1250 रुपया के लगभग है, जो अमोनिया की छः सौ, सात सौ के करीब है तो दोनों को मिलाकर एवरेज एक हजार रुपया टन मान लें तो साढे चार लाख टन की कीमत होती है लगभग 45 करोड़ रुपया। अब इस पर

(श्री पी. के. चौधरी)

पांच पर्सेन्ट टैक्स आप लेंगे तो इस में दो करोड़ पच्चीस लाख रुपया बनता है जो एडीशनल चार करोड़ से होगा सिर्फ फरटीलाइजर से।

इसका मतलब यह हुआ कि जो चार करोड़ रुपया सरकार ने बताया उसमें से 3.28 करोड़ रुपया का भार रूरल सेन्टर पर पड़ा। और केवल 72 लाख रुपया शहरी सेक्टर पर पड़ा।

मेरे कहने का तात्पर्य यह कि आज विरोध इस बात का नहीं है कि आप टैक्स मत लगाओ, विरोध इस बात का है कि उसका अधिक भार शहरों में रहने वालों पर पैसे वालों पर, मालदारों पर पड़ना चाहिये जो नहीं पड़ रहा। 72 लाख में से कुछ टैक्सेज आते हैं। 72 लाख में से दाल मोट भी आता है, चान्दी भी आती है और आपके गोटा किनारी। ये गोटा किनारी शहरी लोग नहीं पहनते हैं गांव के लोग पहनते हैं, चांदी भी गांव के लोग पहनते हैं। 72 लाख का टैक्स दे दिया। यह सारा टैक्स ग्रामीण जनता पर पड़ा है राजस्थान में हम टैक्स लगाते हैं—समाजवाद लाने के लिये लगाते हैं और सबको बराबर करने के लिये लगाते हैं। साढ़े चार करोड़ टैक्स में से साढ़े तीन करोड टैक्स रूरल सैक्टर पर आता है और 25–50 लाख का टैक्स आता है शहरी लोगों पर। बाकी मैं तो कहता हूं टैक्स और बढ़ाया जाय। पांच प्रतिशत लगाया है, और लगाइये। लेकिन गांव में जो शहर में बैठे हैं उनसे पैसे लेने की आपकी क्या योजना है? इस बात का जनता में रोष है और हम चाहते हैं यह रोष न आये। मैं भी टैक्सेज प्रपोजल का हामी हूं उन्होंने जो चार करोड़ का लगाया है मैं उनको बधाई देता हूं अगर चार करोड़ का टैक्स न लगाते तो डवलपमेन्ट रुक जाता, आपका मेन्टीनेन्स रुक जाता। ये तो केवल चालू कामों को बनाये रखने के लिये और उनको जारी रखने के लिये ही यह डवलपमेंट का टैक्स है। सिवाय डवलपमेन्ट के जो काम चालू हो चुके हैं उनके अलावा कोई नया काम डवलपमेंट का नहीं लेंगे। बिजली में थोड़ा बहुत लिया है। इस बात की ओर मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं टैक्स लगायें लेकिन जो इस टैक्स में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है—4 करोड़ में से साढ़े तीन करोड़ का टैक्स केवल रूरल सेक्टर पर है और 50–60 लाख के करीब शहरी लोगों पर है। उसका हमको रंज होता है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रपोजल हैं उसमें हमने पिछले तीन साल का प्रपोजल देखा है। हमेशा तीनों सालों में नान प्लान में डेफिसिट रहा है—बजट में नान प्लान में डेफिसिट रहे उसकी हमें चिन्ता नहीं लेकिन एग्जीसटेन्स टैक्स के आधार पर न हो। बजट प्रपोजल टैक्सेज के बाद बेलेन्स्ड होने चहिये लेकिन पिछले तीनों सालों का बजट देखा 70–71 में 29 करोड़ का नान प्लान टैक्स था वह स्पेशल असिसटेन्स फ्राम सेन्टर था, अबके साल 27 करोड़ 94 लाख का डेफिसिट रहा है यह भी अकमोडेशन फ्राम सेन्टर था लेकिन सेन्टर से असिसटेन्स नहीं होता है। हम तो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बढ़ने

(श्री पी. के. चौधरी)

का वजह यही रहा कि नान प्लान में डेफिसिट है उसको हम बेलेन्सड् नहीं करते हैं। हम जब तक यह नहीं करेंगे तब तक हमारी इकोनोमी बेलेन्स नहीं होती है, वायोबल नहीं हो सकती है। उसको कम करने के लिये, उसको काटने के लिये गवर्नमेन्ट के पास कोई तरीका नहीं हैं। मैं मसलन बताता आडिट रिपोर्ट मिली इसमें टैक्स 22 करोड़ 28 लाख रुपये आपके एरियर में बाकी हैं। ये 22 करोड़ 28 लाख रुपया क्यों नहीं रियेलाईज किया जाय-व्हाई नाट स्टाप योवर फुट। अब आप उसको रियेलाईज करें।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा-पेज 96-कि किस प्रकार से डवलपमेंट का पैसा बेकार जाता है। 1969 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने डेढ़ करोड़ के इक्विपमेंट्स खरीदे। यह सारा सामान अनयुटिलाईज्ड पड़ा है। अब अगर इस रकम पर सिक्स पर्सेन्ट भी ब्याज लगाये तो हिसाब लगाइये कितना रुपया होता है। यह जो आपके लूपहोल्स हैं क्यों होते हैं। इतना सामान बिना काम के क्यों खरीदा गया। यह एक आपका तरीका है रिसोर्सेज इकट्ठा करने का। दूसरा मैं मिसाल देता हूं कान्ट्रैक्टर को जो रुपया ऐडवान्स में देते हैं उसकी रिकवरी नहीं होती है। अभी ड्रम्स बनाने के लिये एक लाख 57 हजार रुपये दिये गये जिसकी कि रिकवरी नहीं की गई-फेमिन के लिये स्ट्रक्चर्स मंगाये 68 में दो लाख 60 हजार के मंगाये और इसमें से सिर्फ इस्तेमाल हुये 60 हजार के। अब दो लाख का सामान पड़ा है। कोई जरूरत नहीं है अब इसको, तो क्यों खरीदा गया? सर्वे मार्जिनल इक्विपमेंट्स खरीद किये गये और खरीद किये गए चार लाख 42 हजार के उनमें से काम में आये कुछ के और बाकी के बचे रह गये। आपका यह बहुत सारा सामान दो करोड़ 84 लाख 61 से पड़ा है। कोई जरूरत नहीं है तो फिर खरीदते क्यों हैं? मेरा कहने का मतलब है गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन अपना एक्सपेन्डिचर रोके। उसके ऊपर चेक रखें और जो अनयुटिलाईज्ड सामान पड़ा रहता है उसको चैक करें, उसके खर्चे को रोके तो तो आज जाकर हमारा जो गेप है वह पूरा किया जा सकता है।

दूसरा मैं उदारहण देता हूं सरप्लस का राजस्थान केनाल में फीडर डिवीजन में 55 लाख में सरप्लस डिसपोजल्स के लिये 1964 से है। अब यह 55 लाख का डिसपोजल क्यों नहीं हुआ, अब यह क्यों नहीं किया। एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पिल्स हैं। आपका बजट प्रपोजल इस प्रकार के परचेजेज को रोक सकता है। इससे विजिलेन्स रखने की जरूरत है और विजिलेन्स से जो सामान डिसपोजल के लिये पड़ा है उसको रोक सकते हैं। दूसरी मिसाल पी0 डब्ल्यू0 डी0, इर्रीगेशन जो अलग अलग डिवीजन्स हैं उनके रिजर्व लिमिट 50 पर्सेन्ट है, यहां कोई रिजर्व लिमिट नहीं है, इसके लिये भी कोई कायदा होना चाहिये-कोई लिमिट हो, दो लाख खर्च कर सकते हैं, चार लाख खर्च कर सकते हैं-फिफ्टी पर्सेन्ट का कोई नहीं है। इसमें 50 पर्सेन्ट अनयुटिलाईज्ड पड़ा रहता है। मेरा कहने का मतलब है वित्तमंत्रीजी को चाहिये जो अन-युटिलाईज्ड है उसको चैक करें, उस पर पूरी विजिलेन्स

Page No 71

(श्री पी. के. चौधरी)

रखें ताकि आधा पैसे का सदुपयोग किया जा सकता है। नान प्लान में जो डिफिसिट रहता है, उसको सेन्टर से अकमोडेट करें। आज कई सालों से देखते हैं यह नान प्लान का पैसा सेन्टर से अकमोडेट नहीं होता है और अगर अकमोडेट होता तो आज ओवर ड्राफ्ट नहीं होता। मेरा कहने का मतलब गवर्नमेंट को चाहिये इस प्रकार के जो लूपहोल्स हैं उसको रोके।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं टैक्स लगाये तो हिम्मत से लगाना चाहिये। एक बार वित्त मंत्री जी बात कर रहे थे सेन्टर में चौहान साहब ने पेट्रोल पर टैक्स लगाया है उस पर 40 पैसे बढ़ा है, यह बड़ी हिम्मत से बढ़ाया है इसी तरह हिम्मत से टैक्स बढ़ाये। आपने इर्रीगेशन की रेट्स को बढ़ाया है क्यों बढ़ाया 10 से 12 किया। आपने बजट प्रपोजल में यह कहा जो किसान से खींचता है, बिजली से पानी खींचता है उसका ज्यादा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जयपुर जिले में जो कुओं से सिंचाई होती है एक कुएं की फसल के लिए 350 रुपये खर्च होते हैं। उसके लिए चार आदमी रखे जाते हैं, और दो दिन लग जाते हैं। आपने टैक्स बढ़ाया है 10 से 12 किया है तो क्या किया आपने 175 रुपये एंजिन से पिलाई से लगते हैं 100 रुपया बिजली से पिलाई के पड़ते हैं और कुए के बारे में हम जानते हैं कि 10-15 हजार रुपया कुए की लागत लगती है फिर मोटर पर पैसा लगता है, एंजिन पर पैसा लगता है और लगान का रेट है वह जयपुर जिले में 18 रुपया, 20 रुपया, 22 रुपया है और गंगानगर जहां कि नहरी इलाका है और जहां कि जमीन बहुत उपजाऊ है वहां 35 रुपया है। तो इर्रीगेशन की रेट्स बढ़ानी ही हैं तो आप ज्यादा बढ़ा सकते थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि मैंने बजट स्टेडो को देखा तो नान-टैक्स रेवेन्यू तो हमारी बढ़ती ही नहीं है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि नान-टैक्स रेवेन्यू हमारी नहीं बढ़ रही है, इसमें कोई प्रगति नहीं है। 2-3 लाख ही बढ़ती है तो हमारा मतलब यह है कि नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गांवों के विकास के लिये गांवों में रोड्स होना बहुत जरूरी है। हमारे एक माननीय सदस्य श्री पूनमचन्दजी ने कहा उससे मैं भी एग्री करता हूं कि रोड्स बहुत जरूरी हैं और रोड्स नहीं होती हैं तो हर चीज में खर्चा ज्यादा लगता है और रोड्स होती हैं तो खर्चा कम लगता है। रोड्स होती हैं तो ट्रक जल्दी आ जाते हैं और सारा काम जल्दी और सस्ता हो जाता है। विलेज इकोनामी को डवलप करने के लिए जितनी जरूरी पावर और वाटर है उससे कम जरूरी रोड्स नहीं है। रोड्स के लिए एक पाई भी नहीं है। मेरा सुझाव है कि आपको रोड्स के लिए ज्यादा पैसा देना चाहिए। जितना पैसा अभी है उससे ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए, तो मेरा निवेदन है कि रोड्स का जो बजट उसमें कम से कम एक करोड़ रुपया उस

(श्री पी.के. चौधरी)

प्रोग्राम में से निकालकर जिसमें आपने दूसरी चीजों के लिए दिया है उसमें नहीं देकर रोड्स के लिए देना चाहिए। उसका ब्रेक अप दिया है—आपने एडवर्ड मिल के लिए 8 लाख रुपया दिया और जो दूसरे पैसे दिये हैं इसको काटकर जो 2 करोड़ 52 लाख रुपया है उसमें से एक करोड़ रुपया रोड्स के लिए देना चाहिए।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्डस्ट्रियल पालिसी के संबंध में दो बात कहना चाहता हूं। आपने कहा है कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको पैसा दिया जायेगा इन्डस्ट्रीज लगाने के लिए। मैं कहता हूं कि आप जमीन सस्ती दो, बिजली सस्ती दो, सस्ते ब्याज पर पैसा दो। और इस तरह की आप सहूलियतें देंगे तो अपने आप इन्डस्ट्रीज वाले आयेंगे। लेकिन आपने जो प्रस्ताव रखा है वह फेन्टास्टिक लगता है! आपने कहा है कि 50 लाख की इनवेस्टमेंट कोई करेगा तो उसको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया दिया जायेगा इन्डस्ट्रीज को लगाने के लिए। 50 लाख के ऊपर की इन्डस्ट्री लगेगी तो 5 लाख रुपया ग्रान्ट का मिलेगा तो मैं कहता हूं कि 5 लाख आप मुझे दो तो मैं इन्डस्ट्री लगा दूं और बाकी 50 लाख की जरूरत नहीं है। 5 लाख से ही इन्डस्ट्री लग जायेगी। आज वित्त मंत्रीजी को इस बात की जानकारी की जरूरत है कि कोई भी आदमी 50 लाख रुपया अपने पास नहीं रखता है जो आपके यहां पहले 50 लाख इनवेस्ट करके इन्डस्ट्री लगाये। बिड़ला की आज इतनी इन्डस्ट्री हैं लेकिन वह भी 50 लाख का इनवेस्टमेन्ट नहीं कर सकता। जो केपिटल इनवेस्टमेन्ट 50 लाख का करना है उसका 3/4 हिस्सा तो वह फाइनेन्शीयल एजेन्सीज से कर्जा लेता है जिससे उसको मशीन मिलती हैं। अब 50 लाख की इन्डस्ट्री लगाने के लिए 50 लाख रुपये आप ग्रान्ट का देते हैं तो वह रुपया तो धरा जायेगा और इस इन्डस्ट्री का वही होगा जो कि आपके इन्डस्ट्रियल एस्टेट का हुआ। आपने इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाया और लोगों को कोटा दिया और जिस दिन लोगों को कोटा मिला वे ताला लगाकर चले गए। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसके विरोध में हूं। 10 परसेंट सब्सीडी देने का मैं सख्त विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि आपको करना ही है तो आप कारपोरेशन बनाईये। किसी भी इन्डस्ट्री को लगाना है तो फाइनेन्शीयल एजेन्सीज से पैसा लो, बैंक से कर्जा लो लेकिन यह जो तरीका है यह गलत हैं। इस तरह की उपज दिमाग में कैसे आई मैं जानना चाहूंगा so that one can identify that.

जिसके पास दिमाग होगा वह आपसे 5 लाख रुपया सबसीडी का ले जायेगा और आपको बना जायेगा। तो मेरा निवेदन है कि 10 परसेन्ट ग्रान्ट देने का है इसको कतई नहीं देना चाहिए और मैं इसका विरोध करता हूं। वह ग्रान्ट मिलने वाली इन्डस्ट्री कभी नहीं पनपेगी। आपके पास एक्सपर्टस नहीं है आपके पास दिमाग नहीं है तो सदन के मेम्बर्स से पूछ लें वे आपको रास्ता दिखायेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10 परसेन्ट से जो 5 लाख रुपया आप देंगे उससे तो आदमी 50 लाख की इन्डस्ट्री खड़ी कर सकता है। इसलिये मेरा आपसे

(श्री पी. के. चौधरी)
निवेदन है कि जो यह एक फेन्टास्टिक चीज हैं इसको आप खतम करो।

दूसरी बात मैं ज्वाइन्ट सेक्टर के लिए कहना चाहता हूं . . . .

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें, समय समाप्त हो चुका है।

श्री पी. के. चौधरी : ज्वाइन्ट सेक्टर में आपने 6 इन्डस्ट्रीज को लाइसेन्स दिया है और उसमें 24 करोड़ रुपया लगेगा। इस हिसाब से एक एक के हिस्से में 4 करोड़ रुपये आयेंगे। तो यह ज्वाइन्ट सेक्टर में क्यों ? आज हम समाजवादी समाज लाना चाहते हैं तो फिर प्राईवेट इन्डस्ट्रियेलिस्ट क्यों आयेंगे। मैं आपको बताता हूं कि कोई भी अपने घर से 6 करोड़ रुपया नहीं लगायेगा। सारा पैसा बैंक से आयेगा या दूसरे फाइनेन्शल एजेन्सीस से आयेगा। आपने एल. आई. सी. का नेशनेलाइजेशन कर लिया, आपने बैंकों का नेशनेलाईजेशन कर लिया और जितनी भी सारी फाइनेन्शल इन्सटीट्यूशन्स हैं उनको भी आपने नेशनेलाइज कर लिया फिर हम क्यों ज्वाइन्ट सेक्टर में इन्डस्ट्रीज को लगायें। ज्वाइन्ट सेक्टर में लाते हैं तो इससे अच्छा मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन है उसको कहें इन्डस्ट्रीज लगाने को। Let them go for the Company and invite shares.

पब्लिक शेयर करेगी, हम शेयर करेंगे और आप मैनेजिंग बोर्ड बनाकर उसको चलायें लेकिन आप प्राईवेट सेक्टर में मत दीजिये। आप ज्वाइन्ट सेक्टर में प्राईवेट आदमियों को नहीं लें। दूसरे मैं चाहूंगा कि सरकार एलान करेगी कि ज्वाइन्ट सेक्टर है। There will be capital share,

पब्लिक सेक्टर का क्या हिस्सा रहेगा 50 परसेन्ट हिस्सा रहेगा, 40 परसेन्ट हिस्सा रहेगा या 30 परसेन्ट हिस्सा रहेगा या फिर क्या रहेगा इसका एलान भी हमारे सामने आ जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं (समय समाप्ति सूचक घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, पोइन्ट ही रख देता हूं दो मिनिट में। हमारे क्रेश प्रोग्राम का क्या हुआ, यह मैं बताना चाहता हूं। क्रेश प्रोग्राम के बारे में जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बताया कि सवा तीन करोड़ में से एक करोड़ 13 लाख का खर्चा हुआ है। हिन्दुस्तान में भी यही हाल हुआ है। हिन्दुस्तान के पचास करोड के बजट में से कुल 13 करोड रुपया खर्च हुआ है। तो यह जो हालत क्रेश प्रोग्राम की हुई है इसका कारण यह है कि सारे हिन्दुस्तान में हो, क्रेश प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ओर्गनाईजेशन नहीं था। हमारा सवा तीन करोड का बजट है लेकिन इस बजट का खर्चा कौन करे, इसको एम्प्लीमेंट कौन करे। इसके लिए कोई ओर्गनाईजेशन नहीं है। क्रेश प्रोग्राम तो बन गया लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करे। टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है सुपरवाईज करने के लिए। क्रेश प्रोग्राम को टेक्निकल एक्सपर्ट सुपरवाइज करता है, पेमेंट करता है कलेक्टर और बी. डी. ओ. उसकी देखभाल करता है। हमको हमारे जयपुर जिले का अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर हम अपना अनुभव यहां रखना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि वी मस्टनिलीव

(श्री पी. के. चौधरी)

इन ओर्गनाईजेशन । इस ओर्गनाईजेशन में पी. डब्ल्यू. डी. का इंजीनियर हो, एक दो इर्रीगेशन के इंजीनियर हों जो डायरेक्ट कलेक्टर के कन्ट्रोल में हो और वे इस क्रेश प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें । यह क्रेश प्रोग्राम कोई एक साल के लिए नहीं है, दो साल के लिए नहीं है बल्कि यह प्रोसेस तो कण्टीन्यू रहने वाला है । जब प्रोग्राम कण्टीन्यू होता है तो जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा सवाल के टाईम में कि कमीशन होना चाहिए क्योंकि इन्जीनियर्स इण्टरेस्ट नहीं लेते हैं । जिलों के अन्दर आप दो एक्स. ई. एन्स. को क्रेश प्रोग्राम में लगा सकते हैं । इसका परसेंटेज बढ़ा सकते हैं । सवा तीन करोड़ है इसको साढ़े छ: करोड़ कर सकते है । इसमें दो तीन एक्स.ई.एन. इर्रीगेशन के और पी. डब्ल्यू. डी. के लगा सकते हैं जो डायरेक्ट कलेक्टर के कन्ट्रोल में हों और उनके सुपरविजन में इसको चला सकते हैं, तभी यह प्रोग्राम फुलफिल हो सकता है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इससे भी कमीशन की समस्या तो हल नहीं हुई ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री पी. के. चौधरी : अभी समाप्त करता हूं दो मिनट में ।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह है कि जो पोलिटिकल पालिसीज का डिसीजन सेक्रेट्रियेट लेवल पर होता है लेकिन इस पोलिटिकल पालिसीज को इम्प्लीमेंट कौन करेगा । हू विल इम्प्लीमेंट दिस इन दी फील्ड । फील्ड लेवल पर जब तक कोई पोलिटिकल कण्ट्रोल नहीं होगा इसका इम्प्लीमेंटशन होने वाला नहीं है । हमें समाजवाद भी लाना है, डवलपमेंट भी करना है और तेजी से डवलपमेंट करना है तो जो आपका पोलिटिकल डिसिजन होता है सेक्रेट्रियेट लेवल पर वह फील्ड लेवल पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं देखने के लिए इस पर पोलिटिकल कण्ट्रोल रहना चाहिए ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक एक शब्द ही निवेदन कर देता हूं । डिटेल्ड में तो कहने का समय नहीं मिलने वाला है, इसलिये मैं अपने जयपुर जिले के बारे में कुछ कह देना चाहता हूं । जयपुर जिले के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का जो राजस्व है उसका एक चौथाई जयपुर जिला पे करता है । 24 परसेंट जयपुर जिला पे करता है जो राजस्थान में पर कैपिटा टेक्सेशन है और आपने जो 47 रुपय का फिगर दिया है वह सही है एक्चुअली जयपुर 116 रुपया पर हेड टैक्स पे करता है लेकिन डवलपमेंट फण्ड में से उस प्रपोरशनेटली नहीं मिलता है हम चाहते हैं और वित्त मंत्री जो से निवेदन करना चाहता हूं कि जो डवलपमेंट फण्ड जयपुर जिले का है, हम परकेपिटा 116 रुपया टैक्स देते हैं उस हिसाब से जयपुर जिले को डवलपमेंट फण्ड नहीं मिलता है । राजस्थान की जितनी आबादी है उसका टेन परसेंट पापुलेशन जयपुर जिले में है । जयपुर जिले की 25 लाख की आबादी है पोपुलेशन के हिसाब से डवलपमेंट फण्ड से चाहे वह रोड्स के बारे में हो, चाहे बिजली के बारे में हो चाहे और दूसरे मामले में हो,

(श्री पी. के. चौधरी)
आबादी के हिसाब से हमको हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरी बात यह कह देना चाहता हूं कि इर्रीगेशन में हमने लगभग तीन सौ करोड़ का खर्चा किया है उसमें से थर्ड प्लान तक 22 लाख रुपया और फोर्थ प्लान में 25 लाख रुपया जयपुर जिले में खर्च किया है। हम चाहते हैं कि पावर में हो, रोड्स में हो या स्कूलों में हों, हमें इन बातों में प्रायरिटि दें।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

कम से कम जो हमारा शेयर है डवलपमेंट फण्ड में वह हमको मिलना चाहिए। बस मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल (पाली)

(अनुपस्थित)

श्री माणकचन्द सोगानी।

श्री मानकचन्द सोगानी (अजमेर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, 26 अप्रेल को हमारे वित्त मंत्रीजी ने इस सदन में अपना बिल पेश किया और उस बिल में ...

कई माननीय सदस्य : बिल नहीं बजट।

श्री मानकचन्द सोगानी : उस बजट में उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये और उन सुझावों के अन्दर कई नई योजनाएं भी हैं और उनके साथ ही साथ कर का भार भी उसमें सम्मिलित है। आज तीन चार दिनों से बराबर इस सदन में सब की प्रतिक्रियायें देखने पर ऐसा आभास होता है कि जैसा अभी हमारे विधायक बोल गए कि जैसे कांग्रेस की जो बहुसंख्या आई है वह कोई धर्मादे आ गई हो ऐसी बात नहीं हैं। दरअसल इसमें कई बरसों की मेहनत है। उनको यह याद दिलाया जाय कि जो हमारा यह समाजवाद का नारा लगाया गया है और इसके पीछे जो हमारा नेतृत्व है जो और केन्द्र ने उस नेतृत्व के आधार पर जो सबसे पहला कदम उठाया है वह कदम बैंकों का नेशनेलाईजेशन है। वह रकम जो बैंकों के अन्दर पड़ी रहती थी और ऋण कुछ चन्द आदमियों को ही मिलता था वह ऋण अब हर आदमी को मिलने लगा है। यह बात छिपी हुई नहीं है। आज वह पैसा जो अरबों रुपयों का है बैंकों के मैनेजर इस बात की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि उस पैसे को रिक्शे वाले, ठेलेवाले, लोहार, मोची भाई, जो भी चाहें, उनके लिये उदारतापूर्वक सुलभ हो सकता है। यह चीज क्या है ? यह समाजवाद का अंग है जिसको वे लोग भूल जाते हैं। यहां हथेली में सरसों तो नहीं उग सकती। एक डेढ महीना हुआ है चुनाव हुए। इस डेढ महीने के अन्दर ही हम वित्त मन्त्रीजी पर इतना तमाम बोझ लाद दें कि यह काम क्यों नहीं हुआ और वह काम क्यों नहीं हुआ, या वह यह नहीं कर सकेंगे और वह नहीं कर सकेंगे तो पहले से ही इस प्रकार का सोचना गलत है। वित्त मन्त्रीजी ने इसमें कोई शक नहीं कि कुछ कर लगाए हैं उनमें कुछ सुधार होना चाहिए। उन करों के सम्बन्ध में मेरा भी अनुभव है और मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि करों में सुधार होना चाहिए। जो कर लगाए गए हैं उनमें एक गोटा किनारी भी है। हमारे यहां पर कुछ

(श्री माणकचन्द सोमानी)

व्यक्ति बैठे हैं वे जानते हैं कि कर आएगा या नहीं मगर दुकानदारों का व्यवसाय बन्द हो जाएगा। क्योंकि कर लगाते वक्त गोटे का जिक्र किया गया है इसलिए मैं खास तौर से इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गोटा राजस्थान में जयपुर, अजमेर और खण्डेला, तीन जगहों पर बनता है और यहीं पर से निर्यात होता है और हमारा कम्पीटिशन होता है सूरत और बैंगलोर से। जब सूरत और बैंगलोर में इन चीजों पर कर अगर नहीं है या कम है और अगर हम ज्यादा लगाते हैं तो वह जो व्यापारियों को माल बेचने का साधन था वह खत्म हो जाएगा। खरीदने वाले वहां से खरीदेंगे। तो आपको कोई इस कर का लाभ होने वाला नहीं है।

इसी प्रकार हमारे यहां पर कई व्यापारी जो बाहर से आकर ज्ञापन दे गए हैं उनमें सोने चान्दी को भी ले रखा है। सोने का सवाल तो मैं यहां नहीं उठाना चाहता क्योंकि वह कन्ट्रोल्ड आइटम है। मगर चान्दी के जहां तक आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं उन आंकड़ों को देखने से लगता है कि हमारे पडौस के जो राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा और चण्डीगढ़, वहां की जो रेट्स हैं उनसे अगर हम मुकाबला करते हैं तो वहां चान्दी पर एक परसेन्ट कर लगा हुआ है जब कि हमने पांच परसेन्ट कर लगाया है। इससे व्यापारी लोग जो यहां माल खरीदा करते थे वे यहां माल नहीं खरीद कर बाहर से खरीदेंगे। इससे यहां के व्यापारियों को भी नुकसान होगा और कर भी जमा नहीं होगा।

ये चीजें आपकी निगाह में मैं इसलिये ला रहा हूं कि अब भी हमारे वित्त मन्त्रीजी इन चीजों के अन्दर सुधार करें। सवाल यह भी आता है कि बिना कोई कर लगाये आप नई योजना नहीं बना सकते। ऐसी भी कई चीजें हैं जिन पर आप कर लगा कर आय बढ़ा सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव यहां पर रखना चाहता हूं और इन को काम में लेने से राज्य की आय बढ़ सकती है। मुझे यह अर्ज करना है कि हमारी जो जमीन है उसका कनवर्सन कर के रकम एकत्रित की जाये और यह आय करोड़ों में हो सकती है। इस बीच में देरी करना मेरी समझ में नहीं आता है। लैन्ड कन्वर्सन का प्रश्न अर्से से चल रहा है और इधर मकान बनाने के लिये लैन्ड कन्वर्सन के लिये हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसाइटिज इन्तजार कर रही है। इधर आप देरी कर रहे हैं। यह चीज जितनी जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा होगा। मकान भी जल्दी बनेंगे और आपकी आय भी बढेगी।

मैं इनकम टैक्स का काम ज्यादा करता हूं। जब भी रकम की कमी होती है तो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स को बढ़ाया जाता है। ये हमारे सब्जेक्टस् में नहीं है परन्तु यदि हमारे सब्जेक्टस् में प्रापर्टी टैक्स लगा सकते हैं तो वह लगाया जाना चाहिये ताकि टीका टिप्पणी न होकर उन लोगों पर भार पड़ेगा, जो उसे वहन कर सकते हैं। प्रापर्टी टैक्स लगा सकते हैं तो लगाया जाना चाहिये। रहा यह सवाल कि हमारे ऊपर 643 करोड़ का ऋण है और हमें यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट को देना है। तो यह ऋण हमारे ऊपर क्यों है। दरअसल इस ऋण का कारण राजस्थान में लगातार

(श्री माणकचन्द सोमानी)

अकाल पड़ने से है। जो ऋण हम लेते हैं, वह दरअसल में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इस तरह से देना चाहिये कि वह ऋण न होकर सबसीडी हो। परन्तु यह हमारी साख है है कि ऋण को ऋण मानकर हम उसका चुकारा कर रहे हैं। हमारे वित्त मन्त्री महोदय, काबिल हैं। मेरा निवेदन है कि डवलपमेंट कार्यालय के अन्दर जब यह सवाल आये तो वे वहां पर इस चीज को उठावें और सतत प्रयत्न कर के इस चीज को कम करावें ताकि हमारे राज्य के ऊपर ओवरड्राफ्ट का भार न रहे।

इसके अलावा जो नये सुझाव दिये गये हैं उनके लिये मैं वित्त मन्त्रीजी को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने इस भाषण में कहा कि इस साल की योजना में 400 ट्यूब वैल्स लगाये जायेंगे और उनको सब्सीडाइज्ड रेट्स पर वितरित किया जायेगा इसके अतिरिक्त इस साल 20,000 हजार कुओं को बिजली दी जायगी और एक हजार बस्तियों में बिजली पहुँचाई जायेगी। सवाल यह आता है, और मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारी योजनायें बनती हैं वे पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं होती है। मैं बहैसियत एक जिम्मेदार म्युनिसिपल प्रेसीडेन्ट अजमेर के यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो रुपया आप बिजली के लिये....

श्री **रामनारायण चौधरी** : प्रेसीडेन्ट की हैसियत से आप यहां पर कैसे बोल सकते हैं ?

श्री **जनार्दनसिंह गहलोत** : विधायक की हैसियत से ही आप यहां पर कहें।

श्री **माणकचन्द सोमानी** : विधायक की हैसियत से ही बोल रहा हूं। परन्तु साथ ही साथ में अपना वहां के अनुभव को यहां पर बता सकता हूं। मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है वह अभी तक पास नहीं हुआ है, मेरे जो दूसरे माननीय विधायक है, वे इससे कहीं नाराज न हो। मैंने जो अनुभव हासिल किया है, वही सदन को बता रहा हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य आज समय कम है, इसका ध्यान रखेंगे।

श्री **माणकचन्द सोमानी** : आप घंटी बजायेंगे तो मैं उसी समय बैठ जाऊंगा।

तो मैं बिजली के विषय में कह रहा था। आपने बिजली के लिये रुपया निकाला है परन्तु दरअसल में वह काम में नहीं आ रहा है और इससे कुछ ऐसी हालत होने वाली है जैसी कि ब्लैक आऊट के समय होती थी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी मशीनरी को कस दिया जाना चाहिये। इसके लिये जितनी भी राशि निकाली जाये उसका सदुपयोग होना चाहिये और वहां पर बिजली के बल्ब जैसी चीज न लगे और लोगों को अन्धकार में तकलीफ पाना पड़ती है। तो मेरा निवेदन है कि इतनी राशि जो निकाली गई है उसका सदुपयोग होना चाहिये।

आपने अपने बजट भाषण में यह फर्माया है कि ग्रीन रिवोलूशन के बाद अब हम व्हाइट रिवोलूशन को लाना चाहते हैं। यह खुशी की बात है। जो दूध आज हमें मिल रहा है वह डेढ रुपया किलो पानी समेत मिल रहा

Page No 78

(श्री माणकचन्द सोमानी)

है। इसलिये मेरा तो निवेदन है कि इस व्हाइट रिवोलूशन को आप जल्दी से जल्दी लावे ताकि लोगों को शुद्ध दूध मिल सके और जिस दिन आपने यह कर दिया वह दिन आपके लिये मुबारकवाद का होगा और राजस्थान का हर आदमी इस दिन के लिये इन्तजार कर रहा है।

आपने प्रोजेक्टस् खोलने की बात कही है। राजस्थान इन्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन राजस्थान में 6 प्रोजेक्टस् लगा रहा है। इनमें से एक स्कूटर का कारखाना भी है। यह बड़ी खुशी की बात है परन्तु मेरा निवेदन है कि ये कारखाने ऐसी जगहों पर लगावें जहां पर कि इनको जरूरत है और मैं इसके लिये एक हक मानता हूं अजमेर का। इस वक्त अजमेर एक कन्जूमरस् का सिटी है। तो मेरा निवेदन है कि उसका भी ध्यान रखा जाये।

आपने इस बजट में पानी के लिये भी रकम निकाली है। अजमेर में एक अणा सागर है और उससे एक चैनल निकालने के लिये रुपया निकाला गया है। परन्तु वह काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वहां का नाला सड़ रहा है। यह गन्दा नाला है। जिन लोगों से झुग्गी झोपड़ियों वाले से वोट लेकर हम आये हैं आज उन बस्तियों में जाने को हमारी हिम्मत नहीं होती है। आप इस तरफ जो भी काम करें तो इस तरफ भी ध्यान रखा जाये। आपने नये मकान बनाने के लिये अपेक्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मारफत रकम, कर्जा देने की व्यवस्था की है ताकि ये गरीब लोग इससे कर्जा लेकर अपने मकान बना सकें। मेरा निवेदन है कि आप इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि हम लोग गर्व के साथ कह सकें कि जो वायदे हमने किये हैं हमारी सरकार उनको पूरा कर रही है। इसलिये जो पानी व्यवस्था, मकान की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की ढिलाई न हो। सड़कों के मामले में मेरे एक विधायक साथी कह चुके है, इसमें कमी की गई है। मैं यहां पर अजमेर डिस्ट्रिक्ट का हवाला देना चाहता हूं। आपने इस जिले के लिये 12 लाख का प्रावधान किया है। यह मजदूरों के लिये आपने किया है। जब आप इसके लिये मेटेरियल का नहीं करेंगे तो वे मजदूर किस पर लगेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्रीजी वापिस इस पर गौर फरमायेंगे वरना इस प्रावधान से वहां का काम नहीं चलने वाला है। इसी तरह से आज वहां पर नई सड़कों के लिये 11 लाख 29 हजार 800 रुपयों की जरूरत है और इसके लिये आपने 3 लाख 40 हजार का ही प्रावधान किया है (समय समाप्ति सूचक घंटी) यह रकम बहुत कम है और इसकी ओर माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो रकम आप निकालें तो वह पूरी निकालें, थोड़ी निकालने से वह काम बेकार हो जाता है और उसकी जो स्कीम है वह पूरी नहीं हो पाती है। मुझे यही निवेदन करना है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री **केशरीमल** (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो बहस चल रही थी उस बहस को सुनते हुए कल…

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल का समय केवल 8 मिनिट बचा है आपको 39 मिनिट मिल जावेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री केशरीमल : जो बहस के दौरान कल बात सामने आई है, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस तरह की बात कही है, वह एक ऐतराज की बात थी, उन्होंने एक ऐसी बात कही है कि राजस्थान को दो हिस्सों में बांटा जाना चाहिये और तब कहीं जाकर के इसका विकास हो सकता है। तो मेरा कहना है कि ऐसे विचार आये क्यों ? ऐसा दृष्टिकोण हमारे राजस्थान के लिये उचित नहीं होगा। राजस्थान दो हिस्सों में बंट जाये ऐसा सोचना उनका गलत है। इस तरह देश में अलग अलग राज्य बन जायेंगे तो उससे देश को बहुत बड़ा नुक्सान होगा। न मालूम इस तरह की बात इस सदन के अन्दर क्यों आई ? मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्यों को जिस तरह से इसको लेना चाहिये था, उस तरह से माननीय सदस्य इसको ध्यान में नहीं ले रहे हैं और न मंत्रीगणों ने इस तरफ ध्यान दिया है। फिर यह बात क्यों आई है। मेरा कहना है कि यह जो भावना आई है इसका मुख्य कारण है हमारे राजस्थान में समान तौर से, पूरे राजस्थान के अन्दर विकास न होने का ही कारण है। समान तौर पर विकास का कार्यक्रम होता तो ये क्षेत्रीय भावनायें नहीं आतीं। इसलिये आज जो क्षेत्रीय विषमताएं हैं उससे लोगों के दिल में यह भावनाएं आई हैं। कुछ इलाकों में काम ज्यादा हो गया और कुछ में कम। जिन इलाकों को नजर अंदाज कर दिया गया है उनके बारे में न सोचना गलत होगा। सारे राजस्थान में इस तरह से काम किया जाये, उसका ऐसा प्लानिंग किया जाये कि कोई भी क्षेत्र प्लानिंग से न बचा रहे और सब जगह काम ठीक तरह से हो। यह काम है हमारे प्लानिंग करने वालों का। अगर इस तरीके से व्यवस्था की जायेगी तो मेरा मानना है कि इस तरह की भावनाएं नहीं आयेंगी। राजस्थान में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी ज्यादा है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली ज्यादा है, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बिजली नहीं है और कहीं पानी नहीं है। तो जहां पर बिजली ज्यादा है वहां पर पानी की व्यवस्था की जाये और जहां पर पानी और बिजली दोनों नहीं हैं वहां ये दोनों बातें ठीक की जायें, उसकी ठीक प्लानिंग की जाये। तो ऐसी जो खामियां हैं उनको पहले ठीक किया जाये। एक तरफ किसी इलाके की तरक्की हो जायेगी और कुछ इलाके ऐसे रह जायेंगे जिनमें कोई तरक्की नहीं होगी। तो ऐसे बहुत से इलाके राजस्थान में हैं जिससे ऐसी भावनाएं बल पकड़ती जा रही हैं।

यह कदम अगर उठाया जाता तो मेरे खयाल से यह बात नहीं आती, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि इस बजट के अन्दर यह बात जरूर दर्शाई गई है कि हमारे प्रान्त के 16 जिले जो औद्योगिक दृष्ट से पीछे रह गये हैं उन जिलों को औद्योगिक दृष्टि से बराबर लाने का प्रयास करने की बात कही गई है। यह खुशी की बात है। लेकिन और भी जिले छोड़ दिये गये हैं जैसे कि हमारा अजमेर जिला है उसका बहुत सा इलाका बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है और ड्राई इलाका जैसा इलाका है। उसको ध्यान में नहीं लाया गया है उसको भी इनमें शामिल

(श्री केशरीमल)

किया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, और करना चाहिए यह मेरी मांग है। लेकिन यह अच्छी बात दर्शाई गई है कि 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ाने की बात इसमें कही है।

इसी तरह से और जो कमियां हैं जिन इलाकों में उनको अगर ठीक किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुछ इलाके किसी बात से दुःखी हैं तो उनकी तकलीफ दूर हो तो यह जरूरी बात है कि उनको किया जाय। कई जगहों पर सड़कों की समस्याएं हैं, तो कई जगहों पर बिजली की समस्या है, तो कहीं पर पानी की समस्याएं हैं। यह ऐसी समस्याएं हैं जो अलग अलग इलाकों के लोगों को परेशान कर रही हैं।

मैं अपने इलाके के लिए यह कहना चाहता हूं कि अभी जो अजमेर जिला है उसमें पानी की भी समस्या है, सिंचाई की भी समस्या है, विद्युत भी हर जगह नहीं है तो उसकी भी समस्या है। ऐसी समस्याएं कई जगहों पर हैं उन समस्याओं का भी अगर समाधान किया जावे तो काफी लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन इन पर जितना दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया गया है। अब जो 16 जिलों के लिए कहा गया है तो इसमें और जिले भी लिये जायें।

मेरा यह कहना है कि यह जो आमद और खर्चे का जो तरीका है और जो इसमें दर्शाया गया है वह वास्तव में पुराने ही तौर-तरीके हैं। उनमें नई बात नहीं लाई गई है जिससे यह लगे कि इसमें यह तरीका ऐसा है कि जिससे हमारा प्रान्त आगे बढ़ेगा। वह बात इसमें कोई दिखती नहीं है। जितने भी टैक्सेज आ रहे हैं वह भी उसी तरह के हैं कि जिससे गरीब लोगों पर वजन बढ़ता है और अमीर पर टैक्सेज के बारे में जितनी बातें कही गई हैं वह ऐसी कही गई हैं कि जिनका भार गरीबों पर पड़ेगा और हमारा टैक्स लगाने का नजरिया और सोचने का नजरिया वैसा ही है जो कि पुराना था। उसमें तबदीली नहीं आई है जिससे यह लगता हो कि हमारे प्रान्त में नई बातें लाने की, प्रगतिशील बातें करने की कोशिश की है। वह इसमें नहीं दिखाई देती हैं। हम यह देख रहे हैं कि हमारे यहां पर जागीरदारों को करीब 80 करोड़ का मुआवजा दिया गया है और ऐसे ही करीब 125 करोड़ का अलग से इसका खर्चा हुआ है। इस तरह से बहुत सी बातें ऐसी हो गई हैं। जागीरदार लोगों को बड़े बड़े मुआवजे दिये गये हैं। अगर उनको रोका जाता तो हमारी जनता का फायदा होता। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है और अभी भी यह पैसा दिया जा रहा है और अभी भी कई मुआवजे की रकमें दी जा रही हैं। हमारा यह सुझाव है कि ये रकमें इनको नहीं देकर इनको विकास के कार्यों में प्रयोग में लाई जायं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि आज हमारे देश के अन्दर तनख्वाहों में ऐसा अन्तर है कि एक तरफ तो न्यूनतम तनख्वाह 80 और 85 रुपये हमारी राजस्थान सरकार ने निश्चित किये हैं और वह 80 और 85 रुपये भी जो

(श्री केसरीमल)
निश्चित किये गये हैं वह भी ऐसे लोगों के लिये रखे गये हैं जो कि न्यूनतम वेतन अधिनियम में आते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इसमें नहीं आते हैं और जिनकी तनख्वाह 80 और 85 रुपये से कम है उनके लिये कुछ नहीं किया गया है। लेकिन हमारे यहां ऐसे लोग भी हैं जिनके 5–5, 7–7 हजार रुपया महीने की तनख्वाह है। इतना बड़ा अन्तर हमारे यहां वेतन के अन्दर है। इस वेतन के अन्तर को कम किया जाना आवश्यक था। यह अगर इस में रखा जाता तो ज्यादा अच्छा होता और यह लगता कि हमारा विचार इस तरफ जाने का बनता जा रहा है, और हमारे प्रान्त में जो असमानता बढ़ी हुई है उसको कम करके लोगों को नजदीक ला रहे हैं यह बात इसमें लाना बहुत आवश्यक था। इस तरह से भारी भारी तनख्वाह वालों की तनख्वाहें कम की जायं। उनकी सीमाएं बान्धी जायं और उसका अन्तर एक और दस का हो तो ज्यादा अच्छा है।

मेरा एक और सुझाव है और मैं निवेदन करूंगा कि बहुत से लोग मेडिकल बिल बनाते हैं तो उसकी बहुत चर्चा यहां सदन में आती है, और उससे ऐसा लगता है कि बहुत पैसा हमारा इस तरह से ठीक ढंग से उपयोग में न लाकर गलत तरीके से पैसे का उपयोग किया जाता है, और सरकार से पैसा खींचने का एक रास्ता बना रखा है। मेरा निवेदन करना यह है कि 500 रु. की तनख्वाह जिनकी है उन लोगों को मेडिकल रिएम्बर्समेंट मिलना चाहिए और 500 रु. से ऊपर वालों को रिएम्बर्समेंट की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसको बन्द करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा खर्चा मिट जायेगा और हमारे यहां काफी बचत हो सकती है। ऐसे कई तरीकों से खर्चे में बचत करने से हमें कुछ राहत मिलेगी।

जहां मैं इस ओर ध्यान दिला रहा हूं कि तनख्वाहें कुछ नीचे लाई जायं वहां मेरा यह भी कहना है कि जो तनख्वाहें नीचे के लोगों को निश्चित की गई हैं वह बहुत कम की गई है। अभी हम यह घोषणा करते कि ऐसे जिन लोगों की तनख्वाहें कम हैं 80–85 रुपये जिनको मिलते हैं उनका मासिक भत्ता कमीशन की रिकमण्डेशन के बराबर कर दिया जायेगा। जिनकी छोटी-छोटी तनख्वाहें हैं उनको राहत मिलती तो ज्यादा ठीक होता और यह दिखता कि सरकार जो कुछ कर रही है वह गरीब तबके के लिए कर रही है। लेकिन यह बात उसमें नहीं दिखती है।

हमारे इस प्रान्त में बहुत से राजा–महाराजा थे और उनके पास में हीरे जवाहरात के रूप में करोड़ों की सम्पत्ति पड़ी हुई थी। वे लाखों की सम्पत्ति बेचते चले जा रहे हैं और खुर्द-बुर्द कर रहे हैं कई तरीकों से। उसको हिन्दुस्तान के बाहर बेचा जा रहा है। कई पुराने पेंटिंग्स बेचे जा रहे हैं। अभी आपने रामबाग की ओर सारी बातें देखी हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) वह किस तरह से सम्पत्ति आ रही है उससे पता लग रहा है कि राजस्थान में यह संपत्ति कई हिस्सों में बंट रही है। जो शहरी सम्पत्ति और दूसरी बातें आने वाली हैं तो उनको यह बन्द करना चाहते हैं और ऐसी स्थिति लाने नहीं देना चाहते हैं। जैसा कि हम जमीन

(श्री केसरीमल)

की सीमाबन्दी की बात बरसों से कर रहे हैं और शहरी सम्पत्ति की बात भी कुछ दिनों से कर रहे हैं तो वह टुकड़े टुकड़े होकर वह चीज हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि समय बहुत कम है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि टैक्स लगाने की बात सामने आती है वह कुछ ऐसी अजीब तरह की सामने आती है इससे लोगों को यह भान होता है कि चुनावों में अभी जो जीतकर आये हैं वह लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं। वे आकांक्षा लगाये बैठे हैं कि गरीबों को राहत मिलेगी, गरीबों को सांस मिलेगी और गरीबों में विश्वास बनेगा कि हमारे लिए काम करने वाले लोग आये हैं। टैक्सों की बात आती है तो अजीब तरह की बात है। वह गरीबों को सन्तोष दिलाने की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर जब एक हिन्दुस्तानी से हिन्दुस्तानी मिलता है तो कहता है कि कहो भाई कैसी गुजर रही है, कामकाज कैसा चल रहा है तो वह कहता है कि दाल रोटी मजे में मिल रही है, लेकिन दाल और रोटी दोनों गायब होते नजर आते हैं। यह जो कहावत कि दाल–रोटी मजे में मिल रही है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दाल-रोटी मिलती रहे ऐसी व्यवस्था तो रहने दें। दाल पर टैक्स लगा दिया इस तरह की व्यवस्था बन्द होनी चाहिए....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मोठ पर नहीं लगाया है। मोठ की दाल खाओ।

श्री केशरीमल : मोठ सस्ता कर दिया तो गेहूं की रोटी आप लोगों के लिए रहगी। मैं सूक्ष्म में सारी बातें कहना चाहता हूं।

श्री चन्दनमल वैद : मोठ और जो भी मिलेगा।

श्री केसरीमल : गला साफ करने के लिए जो भी कभी–कभी खा लिया जाय और गेहूं तो आप लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए।

तो मुझे निवेदन यह करना है कि इसमें जिक्र आया है हलवाइयों का और नमकीन वालों का। मेरी समझ में नहीं आता कि गरीब और मजदूर–किसान लोग जहां कहीं भी जाते हैं तो सेव व पकोड़े खाने कहीं पर बैठ जायं या तेल की जलेबी ले लें तो यह तो उन लोगों के लिए नियामत थी और उन नियामत की चीजों को कभी कभी ले लेते थे तो उनको भी वित्त मंत्री महोदय ने छीनने की कोशिश की है। यह बात अच्छी नहीं की गई है।

उनको चाहिये, जैसी कि पहले पैराग्राफ 50 में स्थिति कही है, वैसी ही रहनी देनी चाहिये। यह जरूरी है। जैसा कि पैराग्राफ 51 में कहा गया है, जो होटल और रेस्टोरेण्ट्स हैं, जो बड़े हैं, उनसे पैसा लेना चाहिये। लेकिन जो छोटे छोटे लोग चार चार पांच पांच किलो लेकर बेचते हैं, उन पर यह भार कैसे डाला जाय। जो 10–15 किलो लेकर खाते हैं उनके ऊपर तो रहना चाहिये। उन लोगों पर जितना लाया जा सकता है, उतना नहीं रखा गया है। रिक्शा, टैम्पू पर जो टैक्स रखा गया है, यह सीधा गरीबों की जेब पर असर डालता है। यह ठीक है कि टैक्स बढ़ाना चाहिये। पर, वह

(श्री केसरीमल)

तो जो सामान आदि ले जाते हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन रिक्शा, टेम्पू ऐसे हैं जिसका सामान्य जनता पर भार पड़ता है। इसी तरह से जो ट्रेक्टर पर टैक्स लगाया है, ट्रेक्टर अधिकांश में बड़े किसान ही लेते हैं। लेकिन खाट तो एक छोटे से छोटा आदमी भी लेता है। वित्तमंत्री जी से निवेदन है कि जिनके पास 5 एकड़ जमीन है उनको तो टैक्स से बरी रखा जाय। तब तो छोटे लोग बचेंगे नहीं तो उन पर भी कर भार पड़ेगा। इसी तरह से हैण्डमेड साबुन अभी तक छूटा हुआ था। गरीब आदमी अपने कपड़े लाण्ड्री में धुला ले, ऐसा तो होता नहीं है। उसे तो अपने हाथ से ही धोना पड़ता है। इसमें तो सारा भार छोटी से छोटी श्रेणी पर भी डाला जा रहा है। ऐसी कुटीर उद्योग की चीज पर यह टैक्स लगाना नहीं चाहिये। ऐसा मेरा निवेदन है। इसी तरह से वेजीटेबल घी पर भी टैक्स लगाने की बात है। जिस पैराग्राफ में यह बात कही गई है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय और····

इसमें जो वनस्पति तेल आदि का दिया गया है। इस पर भी पैसा बढ़ने की बात आयी है। इसी प्रकार से इर्रीगेशन टैक्स के बारे में भी आया है। इसमें भी 5 एकड़ वालों को छोड़कर, इनको भी दो तीन टुकड़े करके निकाला जा सकता है। इसका भी सीधा भार किसानों के ऊपर पड़ता है। इसी तरह से कपड़ों का है। बड़े लोग तो टेरेलीन और टेरीकाट पहनते है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जवाहिरात पर कर लगाया जाये, जिस पर 5 लाख पर छूट की है। उस पर और लगाया जाये। इसी प्रकार से सोने चांदी के जेवर पर टैक्स नहीं लगाया जाये। क्योंकि इसका भी उपयोग आमतौर से गरीब आदमी ही करता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास (मालपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त-मन्त्री महोदय ने कुछ ऐसा बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के रियेक्शनरी लोगों को भी नाराज किया और प्रोग्रेसिव लोगों को भी नाराज किया।

एक माननीय सदस्य : नाराज कैसे किया?

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : नाराज ऐसे किया है कि उन्होंने ऐसा सन्तुलन किया है कि जहां उन्होंने बड़े आदमी पर टैक्स लगाया है तो साधारण आदमी पर भी टैक्स लगाया है। थोड़ा बहुत टैक्स उनकी भाषा में हो सकता है गरीबों पर भी लगाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को वित्तमन्त्री महोदय ने पेश किया हैं। इससे जनता को कोई भला होने वाला नहीं है। गरीबी हटाने की बात करें। समाजवाद लाने की बात करें। वह उद्देश्य इस प्रकार के बजट से तो पूरा होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बात देखना है कि टैक्स लगाना राज्य सरकार का स्वभाव है ऐसी बात समझ में आनेवाली नहीं है। टैक्स लगाने के पीछे कोई योजना, कोई डवेलप्मेंट का प्रोगाम होना चाहिये।

Page No 84

(श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास)
आखिर जो राज्य सरकार टैक्स लगा रही है तो उसके पीछे क्या करना चाहती है। इस पूरे बजट भाषण में स्कूल खोलने के अलावा विकास की ओर कोई कदम उठाने का संकेत नहीं दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की वित्तीय स्थिति के बारे में बार बार बजट भाषण में कहा जाता है। लेकिन सरकार इस पैसे का उपयोग क्या करती है? राज्य सरकार ने कौन सा स्टैब्लिशमेण्ट किया है? कौन सा खर्चा स्टैब्लिशमेण्ट पर होने के बाद विकास पर लगाया जाता है? यह मोटे तौर पर देखना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है कि प्रशासन पर बहुत बड़ा भार है। वह सब जनता से वसूल किया जाता है। जो बहुत बड़ा खर्चा किया जाता है, वह आई.ए.एस. आफीसर्स पर खर्चा किया जाता है। आई.ए.एस. आफीसर्स को सफेद हाथी की तरह से राजस्थान सरकार ने बांध रखा है। आज चाहे वह डाक्टर हो, पी डब्ल्यू.डी. का चीफ इन्जीनियर हो। इन सब के ऊपर आई. ए. एस. आफीसर को बिठा दिया जाता है। उन पर कितना खर्चा किया जाता है। कितना राज्य सरकार पर व्यय किया जाता है। इसके बावजूद इनका क्या योगदान राज्य सरकार की प्रगति में है? अच्छे अच्छे डाक्टर, बड़े बड़े इन्जीनियर ये सब आई. ए. एस. आफसर के आगे पीछे घूमते हैं। आई. ए. एस. आफीसर जो कहते हैं, उसको सब से ज्यादा महत्व का समझा जाता है। अगर सभी आई. ए. एस. सैक्रेट्रीज को विदा कह दिया जाये तो उनके विदा करने से कितने पैसे की बचत हो सकती है?

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास : चीफ इन्जीनियर पी. डब्ल्यू. डी. हैं, वह पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेन्ट सम्भालें। आवश्यकता हो तो कोई आर.ए.एस. डिप्टी सैक्रेट्री ले लिया जाये। मैं समझता हूं कि कोई कठिनाई आनेवाली नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता आई.ए.एस. आफिसर जो राजस्थान में हैं उनकी छुट्टी कर देनी चाहिए तो राजस्थान का खर्च बच जायगा और इसके अलावा कोई फालतू खर्च नहीं होता है राजस्थान में। आज राजस्थान में जितनी जीप और गाड़ीयां हैं उनका हिसाब लगायें कि कितना मेन्टीनेन्स पर खर्च होता है. कितना डेप्रीसियेशन होता है तो आन एवरेज एक जीप पर पन्द्रह हजार रुपया खर्च होता है, डेप्रीसियेशन, को काउन्ट मत कीजिये, लेकिन जो वियर—टीयर होता है, मैटिरियल लगता है, पेट्रोल खर्च होता है उसको काउन्ट कीजिये और फिर हिसाब लगाइये। यह सोचिये कि राजस्थान में उसका उपयोग क्या है? एक आफिसर को जीप या गाड़ी दी है तो वह दफ्तर जाने के लिए और वापिस आने के लिए तो काम में लेता ही है, साथ ही उसके अलावा और कामों में भी लेता है। सरकारी काम काज के लिए, मैं समझता हूं, पांच छः हजार से ज्यादा खर्च नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा दस हजार का खर्च आ जायेगा। जिस प्रकार बर्मा शैल कम्पनी और दूसरी कम्पनी अपने आफिसर्स को गाड़ियों के लिए लोन दे सकती है उसी प्रकार राज्य सरकार भी

Page No 85

(श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास)

अपने अधिकारियों को लोन दे सकती है, वह लोन ले लें और गाड़ी खरीद लें, फिर मेन्टेन करें तो पता लगेगा कि कैसे मेन्टेन की जाती है। इसके साथ जहां बहुत जरूरत हो वहां आप दे सकते हैं, गांवों के लिए दे सकते हैं। जयपुर में जो आफिसर हैं, उनके पास जो गाड़ियां हैं वह गाड़ियां उनसे ले ली जायं, या तो उनको गाड़ियों के लिए लोन दे दिया जाय या फिर सारी गाड़ियां पूल में खड़ी रहें और आफिस के काम के लिए उनका यूज किया जाय तो उससे काफी खर्च बच सकता है। इसी प्रकार और साधन सुविधा हैं, वह अहलदा है। मेरा निवेदन है कि आज सेक्रेटरी प्लानिंग को क्या आवश्यकता है टेलीफोन की? मैं समझता हूं कि पुलिस स्टेशन पर टेलीफोन होना आवश्यक है। आप टेलीफोन दफ्तरों में दे दीजिये। आप बड़े बड़े आफीसरों के घरों पर टेलीफोन दें—यह आवश्यक नहीं है। आज राजस्थान का राज्य वित्तीय संकट की स्थिति में गुजर रहा है इसलिए बड़े बड़े आफिसरों के घरों पर टेलीफोन दें—यह मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। इसके अलावा कई आफिसरों ने जयपुर में बड़े बड़े बङ्गले खड़े कर रखे है, लेकिन वह किराये के मकान में रहते हैं और सरकार उनको किराये का भुगतान करती है मकान का। मेरा निवेदन है कि वह अपने अपने बङ्गलों में रहें और मेंटेनेंस के लिए राज्य सरकार उनको पैसा दे दे। आप देखिये, ऐसे एक नहीं कई उदाहरण मिलेंगे।

आपने पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर दो चीफ इन्जीनियर लगा रखे हैं एक चीफ इन्जीनियर रोड्स का है, दूसरा बिल्डिंग का है, जब कि लो लेवल पर दोनों कामों के लिए एक एक्स. ई. एन. है, वह कामन है। यह बात समझ में आने वाली नहीं है। मैं निवेदन करता हूं राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी, इस प्रकार प्रशासन के खर्च में कमी करने की आवश्यकता को महसूस नहीं करेगी तब तक वही स्थिति रहेगी, जैसी आज है। आज रोड्स के लिए, तालाब के लिये इस बजट में एक पाई भी मांगी नही गई है, तो कोई बात नहीं है। रोड्स के लिए राजस्थान के फाईनेन्स अलाऊ नहीं करते हैं इसलिए प्रोविजन नहीं रख सकते हैं, तालाब के लिये प्रोविजन नहीं रख सकते हैं तो इरिगेशन और पी. डब्ल्यू. डी. में जो इतना स्टाफ आपने रख रखा है। उसकी छंटनी कर दीजिये। क्या आवश्यकत है इतना अधिक स्टाफ रखने की ? आज राजस्थान सरकार प्रशासन के खर्च में कमी नहीं करे तो यह उसी तरह का बजट है, जैसे कोई आदमी अपने परिवार के लिए बजट बनाता है शराब के लिये पैसा रख लेता है, सिनेमा के लिये पैसा रख लेता है लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं रखता है, क्योंकि उसके लिये रखे तो उसके घर का काम नहीं चल सकता। उसकी तनख्वाह कम है इसलिये वह बजट से पढाई का खर्चा एफोर्ड नहीं कर सकता है, बच्चों को पढा नहीं सकता। इसी तरह से राजस्थान सरकार प्रशासन पर खर्च करके जनता के विकास के लिए कहती है कि वित्तीय संकट है आफिसर्स का खर्च बढ रहा, प्रशासन का खर्च बढ रहा उसमें कटौती नहीं कर सकते लेकिन जनता के विकास की दिशा में जाने के अन्दर आप

Page No 86

(श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास)

असमर्थ हैं। जिस जनता ने टैक्स दिया है उसको आप केवल एक स्कूल दे सकते हैं। मैं समझता हूं यह विशेष बात नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज राजस्थान के अन्दर जो बजट के आंकड़े हैं, उनमें देखा जाए कि भू-राजस्व में जो ब्यूरोक्रेटिक सैट अप था, और जो भू राजस्व था वह गई साल में कितना था उससे कम्पेअर किया जाय, मुकाबला किया जाय तो भू-राजस्व वही बता रहे हैं लगातार। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई जमीनें ऐसी हैं जो पहले बारानी जमीन थीं, बाद में जिनमें कुआ खोदा गया लेकिन उसके बाद भी उन पर चाही का लगान कायम नहीं हुआ है। यह जो रामगढ का बन्धा है, इसमें पानी आने लग गया लेकिन उसके आस पास की जमीन पर पहले नहरी लगान था वही लगान आज भी कायम है। जो पहले बारानी थी, उस पर आज सिंचाई होती है लेकिन चाही का, सिंचित का लगान नहीं मिलता है। इसलिये लगान का रेशनलाईजेशन होना बहुत आवश्यक है इसके बाद में यह देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपका विभाग आमदनी कर रहा है, क्या उसकी आमदनी हो सकती है। गत सत्र के अन्दर तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जयपुर और आस पास जो दस पर्सेंट की दर से अनआथोराइज्ड कन्सट्रक्शन हो गये हैं उनको रैगुलेराइज करेंगे। दूसरे जो म्यूनिसिपल टाउन है वहां पर भी रेगूलेराइज करेंगे। उससे क्या आमदनी हुई या होने वाली है, इसके बारे में क्या सोचते हैं कि कितनी आमदनी करना चाहते हैं–इसके बारे में कोई सूचना या कोई इन्फार्मेशन इस बजट में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज स्कूल खोलना निःसन्देह एक प्रकार का विकास का काम है, लेकिन स्कूल की जो प्राब्लम है, उसको आप किस तरह से सोल्व करने जा रहे हैं। आज जो एजूकेशन है। वह डिफेक्टिव एजूकेशन है एजूकेशन के साथ में आज वैसे बेरोजगारी की बात कही जाती है मेरा अर्ज करना है कि प्राइमरी और मिडिल तक की एजूकेशन न तो डिफेक्टिव होती है और न बेरोजगारी पैदा करने वाली। हायर सैकण्डरी के बाद में एजूकेशन डिफेक्टिव हो सकती है क्योंकि उसके बाद में ही बेरोजगारी का प्रश्न पैदा होता है यह प्राबलम कालेज स्टेज पर आती है। इसलिये यह जरूरी है कि हायर सैकण्डरी के नीचे की शिक्षा का गांवों में प्रसार किया जाय। हायर सैकेण्डरी लेवल के बाद में जो कालेज खोले जा रहे हैं, डिप्लोमा या डिग्री के कालेज जा रहे हैं उनके बजाय गांवों में प्राइमरी एजूकेशन पूरी तरह से दीजिये। उसके लिये पूरी तरह से बिल्डिंग आदि बनाकर दीजिये। लेकिन इसके लिये आप गांवों में जन सहयोग की बात करें और शहरों में नहीं करें, शहरों के स्कूल के अन्दर बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, पंखा हो, भवन बना दें, मैं समझता हूं, यह उचित नहीं है।

यह बेरोजगारी की समस्या है यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये माननीय

Page No 87

(श्री सुरेन्द्रमार व्यास)
वित्त मंत्री जी ने सुझाव रखा है कैश स्कीम का, लेकिन यह कैश स्कीम इसे दूर नहीं कर सकती। एक प्रश्न के उत्तर में सरकार यह बताने में असमर्थ रही कि बेरोजगारी को दूर करने का क्या प्लान है, जब कि बेरोजगारी ऐसी एक विषम समस्या है। इसका प्लान राज्य सरकार के पास नहीं है। मैं समझता हूं, यह गंभीर समस्या है। जिस पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। सरकार ने बेरोजगार इंजीनियर्स की ओर ध्यान दिया है। लेकिन बेरोजगार डाक्टरों की ओर ध्यान नहीं दिया है। आज बड़े बड़े डाक्टर हैं, काबिल डाक्टर हैं, सीनियर, स्पेशलिस्ट और प्रोफेसर हैं उनको तनख्वाह दो हजार मिले और प्राइवेट प्रेक्टिस के लिए भी मिले, लेकिन यंगर जनरेशन भूखी मरे, उसको नौकरी नहीं मिले—यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आने वाले वक्त में डाक्टर किस तरह से बेकार होने वाले हैं—यह भी सब जानते हैं। उन्हें कहा जाय कि प्राइवेट प्रेक्टिस वह करें, उसके लिए मदद करें और उस प्रकार भी योजना भी रखी है तो यह इम्प्रेक्टिकेबल चीज है। मेरा निवेदन है कि पन्द्रह बीस साल के लिए डाक्टर कान्ट्रेक्ट पर रखे जायं, कोई जरूरी नहीं है कि वह पच्चीस तीस साल नौकरी करें ही (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सफरिंग्स मस्ट बी शेअर्ड इक्वली बाई द ओल्ड एण्ड यंग जनरेशन। आधी तकलीफ पुराने डाक्टर पायें, आधी तकलीफ यंग जनरेशन पाये, यंग डाक्टर पायें।

यह बजट ऐसा है कि गांवों में बिजली नश्चित रूप से कब तक पहुंच जायेगी, यह कहने में असमर्थ है। आज बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, हरिजनों के आवास की समस्या है। मैं इन समस्याओं के विस्तार में न जाकर इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से नेक्स बजट में टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बनाया जाय कि फलां तारीख तक फलां साल तक बिजली पहुंच जायेगी, जहां बिजली आज है नहीं, हरिजन बस्तियों में नहीं है, वहां बिजली पहुंचाने की व्यवस्था कर देंगे। मैं समझता हूं कि जो घोषणा की गई है ऐसी घोषणाओं पर ज्यादा समय तक विश्वास करके जनता चलने वाली नहीं है। इस प्रकार की घोषणा हर साल होती है लेकिन इस प्रकार की घोषणाओं में क्रियान्विति की तारीख नहीं होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो टैक्सेशन के प्रपोजल हैं, जो कर आपने लगाये हैं, उनमें कास्मेटिक्स को छोड़ दिया है, फ्रिज को छोड़ दिया है...

श्री चन्दनमल वैद : लगाया हुआ है, उसे छोड़ा नहीं गया है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : और लगाइये। मैं कहता हूं, उस पर बढ़ाइये। ऐयर कन्डीशनर मिडिल क्लास का व्यक्ति काम में नहीं लेता है, बड़े बड़े बंगलों में फ्रिज चाहिए इसलिए आप फ्रिज पर लगाइये। कार पर टैक्स लगाया है, उसे दुगुना कर दीजिये, कोई चिन्ता की बात नहीं है। समाजवाद लाना चाहते हैं तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए, इस बात को कहने में हिचक नहीं है। समाज के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए सक्षम होने के लिए टैक्स

(श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास)

जरूर लगाया जाय, और बड़े बड़े लोगों पर लगाया जाय। जैसे माननीय केसरीसिंहजी ने कहा दाल रोटी पर कर लगाकर और उससे समाजवाद लाना चाहें तो उससे समाजवाद नहीं आने वाला है।

करों के अलावा नान-टैक्स रेवेन्यू आज तक आपने नहीं बढ़ाई। रोडवेज कारपोरेशन है। जैसा कि उनके कागजों से जाहिर है, उसके अन्दर मुनाफे की स्थिति है और मुनाफे के बावजूद अभी थोड़ा नेशनलाइजेशन हुआ है, सब रूट्स नहीं हुए। सभी रूटस को नेशनलाइज किया जाए, मिनरल इण्डस्ट्रीज को नेशनलाइज किया जाए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट लोगों को बिठाइए। आपने आइ. ए. एस. वालों को बिठा दिया, वहां एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, उद्योग चलाने का यह सवाल है। यदि उसी सबजेक्ट को जानने वाला आदमी बिठायेंगे तो जैसे वह आदमी एक प्राइवेट बनिए को पैसा कमाकर पैसा देता है उसी तरह यदि मन्त्री विजीलेन्ट रहे और बिजनेस एक्सपर्ट्स को बिठायेंगे तो हमारे उद्योग जरूर कमायेंगे। इसमें जरूर कहीं न कहीं हमारी लापरवाही रहती है।

मिठाई और नमकीन पर आपने कर लगाया। नाम से हो सकता है कि मिठाई बड़े आदमी खाते हैं लेकिन पहले के जमाने में मिठाई सब अपने पास रखते थे। मिठाई खाने के लिए एल. एम. बी. और नटराज जाते हैं लेकिन छोटे दुकानदारों पर आप लगायेंगे तो उनसे वसूल होने वाला नहीं है, आप करप्शन को प्रोमोट करेंगे। वह मिठाई अधिकारी के घर भेज देंगे, नहीं भेजेंगे तो उस व्यापारी को नोटिस दे देंगे, वह वकील करेगा, पैसा खर्च करेगा। हिंदुस्तान सेक्यूलर देश है, यहां हरेक धर्म वाले रहते हैं, सब के त्योहार पर मिठाई लाई जाती है और जिनको खाने को रोटी नहीं मिलती वे भी त्योहार पर मिठाई लाते हैं।

आपने नमकीन पर कर लगाया, वह भी वसूल नहीं होने वाला है और आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं वित्त मन्त्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि इस कर के बिना आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए इसको वापस लिया जाए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं ज्यादा नहीं कहूंगा केवल एक बात और निवेदन करूंगा।

बैंक से कर्जा दिलाने की बात हुई, राष्ट्रीयकरण हुआ, काफी समय होगा, आज तक क्या व्यवस्था की? आप कहते हैं कि बातचीत चल रही है तो बातचीत की क्या प्रगति रही है? आप सदन को जानकारी देने की कृपा करें बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ तो हमने समझा कि गरीब तबकों को फायदा होगा, उनको बैंकों से पैसा मिलेगा, वे छोटे छोटे धंधे लगा सकेंगे और सेल्फ-सफीसियेंट होंगे और समाजवाद का नारा सही निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत आज जब उनको यह सुविधा नहीं मिली तो उनके मस्तिष्क में और विचारधारा आई कि बैंक राष्ट्रीयकरण का कोई महत्व नहीं रह

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
गया। यदि आप चाहते हैं और समझते हैं कि बैंकों से पैसा दिला सकते हैं तो आप अपने जवाब में सदन को जानकारी देने की कृपा करें, आप किस स्थिति में उनसे बातचीत के लिए पहुंच गए हैं और क्या आपने स्कीम बनाई है उनको कर्जा दिलाने की ?

सोना चांदी पर आपने कर लगाया। इसमें कोई एतराज की बात नहीं। चांदी का कर बेशक किसानों पर पड़ेगा क्योंकि वे ही चांदी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फिर भी वह विलासिता और शृंगार की चीज है। इन पर आप कर दूनी कर दें लेकिन दाल रोटी पर आप कर हटादें क्योंकि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जिनके बिना जिंदा नहीं रह सकते, उन पर कर नहीं लगायें; दाल रोटी पर कर बढ़ा दिया गया है। वह सेचूरेशन पाइंट पर आ गई है। इस तरह तो हवा और पानी पर भी कहीं टैक्स न लगा बैठें। राज्य सरकार को इस प्रकार का नक्शा अपने दिमाग में क्रीएट नहीं करना चाहिए और सक्षम तबके पर, बड़े लोगों पर, अमीर लोगों पर कर लगायेंगे तो राज्य का वित्तीय संकट दूर होगा और राज्य प्रशासन में भी भारी कटौती करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मेरा समय श्री भुवनेश चतुर्वेदी को दिया जाए।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : मैं बजट प्रस्तावों पर अपने विचार रखना चाहता हूं। वैसे आम धारणा है कि बजट पेश होगा, करों में वृद्धि होगी। अक्सर यह बात देखी जाती है और सुनी जाती है कि जब-जब बजट पेश हुआ, करों में वृद्धि हुई लेकिन हमें देखना है कि कौनसी वाजिब हैं और कौनसी चीजों पर कर लगाना वित्त-मंत्री भूल गए। इसमें देखना है कि वास्तव में अच्छी सरकार की क्या परिभाषा है। वह करों से सरकार चलाना चाहती है या रेवेन्यू की आमदनी से। यह सरकार की परीक्षा होती है कि करों के भार से लादना चाहती है या रेवेन्यू की आमदनी को बढ़ा कर सरकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। जैसे मेरे पूर्व-वक्ताओं ने कहा रेवेन्यू की आमदनी बढ़ाने का वित्तमंत्री ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया। बराबर कई वर्षों से उसी तरह से रेवेन्यू की आमदनी चली आती है और करों से जिस तरह से आमदनी बढ़ाने का जो सोचने का तरीका है वह समाजवादी व्यवस्था में बहुत अधिक रुचिकर नहीं है, क्योंकि कर किस पर लगाया जाए, एक्यूमूलेटेड वेल्थ पर लगाया जाए या उन साधनों के तरीकों पर जिनसे वेल्थ एक्यूमूलेटेड होती है उन पर लगाया जाए। लेकिन कर कहां लगायें ? दालों पर, छोटे छोटे हलवाइयों पर। ऐसे कर जिससे कि जन साधारण परेशान हो, टैक्सेशन सिस्टम में काम्पलीकेशन हो, करप्शन हो, वह सब हटाना चाहिए। हालांकि कुछ कर हैं जैसे कि चांदी के आभूषण उसका मैं स्वागत करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि चांदी के आभूषणों के साथ साथ चांदी के बरतनों पर, ग्लास पर, थाली पर और भी जो विलासिता की चीजें हैं उन सब पर कर लगाए जाने चाहिए। बल्कि जो चांदी के आभूषण पर कर प्रस्ताव हैं उनको और अधिक बढ़ाया जाय, बरतनों पर...

श्री चंदन मल वेद : उनको नहीं छोड़ा है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : तो और बढ़ा दीजिए। फर्टीलाइजर पर कर या दालों पर कर, जिनका जन साधारण पर असर पड़ता है, वह वापस लिए जाने चाहिए। इसी तरह मेरा सुझाव यह है कि रेवेन्यू के साधन फिर से विशेष प्रयत्न करके बढ़ाने चाहिए और यदि मुनासिब समझें तो एक एक्सपर्ट कमेटी जिसमें केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्री और जन प्रतिनिधि भी शामिल हों ऐसी कमेटी अगर बनायें और विचार करें कि राजस्थान में किस तरह से रेवेन्यू की आमदनी बढ़ाई जा सकती है और किस तरह से सब साधन उपलब्ध हो सकते हैं तो उचित तरीका होगा। वैसे में कुछ सुझाव रेवेन्यू के साधन बढाने के लिये अर्ज करता हूं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो कुछ नेचरल रिसोर्सेज हों वे समाज के हाथ में हों। उनको किस प्रकार एक्स्प्लोइट करना है या सरकार और समाज के अधिकार की बात है। जिस प्रकार खानों की बात है, संगमरमर और दूसरे खनिजों की बात है नयी नयी माइन्स आपरेट हो रही हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हो रही हैं उनका राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण होना चाहिये। और इससे सरकार को रेवेन्यू को बढाना चाहिये। जिस प्रकार जंगल का काम हाथ में लिया सरकार ने, उसी प्रकार अन्य बातों पर भी सरकार को विचार करना चाहिये। जिसके लिये कमेटी के गठन का सुझाव दूंगा। उसमें अर्थ शास्त्री, जन प्रतिनिधि और एक सरकारी अधिकारी हों। अधिक सरकार अफसर होंगे तो सोचने के तरीके में परिवर्तन आ जावेगा और इसमें गति नहीं रहेगी।

एक दो बातें बजट में हैं। जैसे शिक्षा की है वह बहुत सराहनीय है और मैं समझता हूं कि राजस्थान में पहली बार शिक्षा पर इतना जोर दिया गया है लेकिन इसके साथ साथ यह भी अर्ज करता हूं कि प्राइमरी एजुक्शेन का महत्व है और इसमें कोई शक नहीं कि इसको अब तक नेग्लेक्ट किया गया। प्राईमरी एजुकेशन साथ सैकेन्डरी एजुक्शन का लिंक है। वह वह लिंक टूटना नहीं चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन साथ सैकेन्डरी एजुकेशन का लिंक टूट जाता है एक वैकूम क्रीयट हो जावेगा ऐसे स्कूल हैं जो आजादी से पूर्व चले आ रहे हैं या ऐसे स्कूल हैं जो पांच सात साल से चल रहे हैं। उन स्कूल को मिडिल स्कूलों और जो मिडिल स्कूलों हैं उनको सैकेन्डरी स्कूलों में परिवर्तन करना चाहिये। ऐसे कई स्कूल हैं राजस्थान में जो दस दस पन्द्रह पन्द्रह साल से चल रहे हैं। गर्ल्स एजुकेशन है वह 5 परसेन्ट है। यह बहुत कम है पांच साल से जो मिडिल स्कूल हों वे फौरन सैकेन्डरी और हायर सेकेन्डरी में कन्वर्ट होने चाहिये। अभी हमारी सरकार के नुमाइन्दों के भाषणों से जाना कि एक युनिवर्सिटी स्थापित करने की बात चल रही है चाहे एफिलियेटेड हो या रैजिडेन्शियल हो। ऐसे वक्तव्य खतरनाक हैं। किसी क्षेत्र विशेष को राजनैतिक संतुष्टी दे सकते हो। इस तरह की बातचीत ही ठीक नहीं है। यह सब ही जानते हैं कि राजस्थान की

Page No 91

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

वित्तीय स्थिति कैसी है। दो चार साल तक किसी विश्व विद्यालय का निर्माण नहीं हो सकता। सन् 1950 में हमारा संविधान बना और उसके डाइरैक्टिव प्रिन्सिपल्स में जो शिक्षा की जिम्मेदारी दी गयी उसको भी पूरा नहीं कर पाये हैं तो गलत एम्फेसिस करके इन फन्ड्स को ट्रान्सफर नहीं करना चाहिये और विश्व विद्यालय स्थापना की बात, चाहे पोलिटिकल सुटेबिलिटी हो, वह नहीं करनी चाहिये और प्राइमरी स्कूल्स और विशेषकर एजुक्शेन की ओर ध्यान देना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि टैक्सेशन के बाद, रेवेन्यू के बाद एक महत्वपूर्ण पोइन्ट रह जाता है वह है इकोनोमी का जब वित्तीय स्थिति ठीक न हो और हो तब भी फिजूल खर्ची कम करनी चाहिये। बड़े अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम यह उम्मीद करते हैं कि जन साधारण फिजूल खर्चा कम करे, मंत्री महोदय से भी अपेक्षा की जाती है कि जनता के सामने अपने आपका ऐसा व्यक्तित्व पेश करें कि जनता विश्वास करें। उदाहरण के लिये निवेदन करूं कि जितने मत्रीगण हैं उन सब को यह चाव हो गया है कि जयपुर और राजस्थान से बाहर जाय तो बड़ी 2 गाड़ियों में सफर करें। उनको क्यों ऐसा हो जाता है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वे मंत्री मंडल के सदस्य नहीं रहते हैं। इसके लिये विधान में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है और आर्डिनेन्स की भी जरूरत नहीं है। एम्बेसेडर कार के अलावा राजस्थान और राजस्थान से बाहर जाय, राजधानी में जायं या दक्षिण के दौरे पर जायं तो बड़ी गाड़ियों में न जायं। मंत्रीमंडल के सदस्यों को बड़े इकोनोमिक तरीके से रहना चाहिये लेकिन हम वह वास्तविकता नहीं देख पाये। पूरी तौर पर स्टेट गैरेज में जितनी गाड़ियां खड़ी हैं उनको तत्काल बेच देना चाहिये इसलिये कभी लोभ नहीं आये बड़ी गाड़ियां में मित्र और परिवार के लोग चलें, और देहली में घूमने को मिले ऐसी स्थिति उपलब्ध नहीं होनी चाहिये।

सेक्रेटेरियेट के खर्च। इसकी जांच होनी चाहिये कि क्या हम इतनी भारी भरकम शासन व्यवस्था को इस प्रजातन्त्र में चला सकते हैं जब कि राजकीय वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर्स के टैलीफोन के और बंगलों के खर्च ईमानदारी से रिव्यू करना चाहिये कि कहां कहां कटौती हो सकती है। एक और सुझाव देना चाहता हूं। जो कुछ भी साधन उपलब्ध हों हम देखें कि गवर्नमेन्ट किस वजह से, नेग्लीजेन्स से, नातजुर्बेकारी से, या सुस्ती की वजह से, बड़ी 2 रकमों को लेप्स होने देती है।

एक बात पहले कही थी चम्बल वे डेवलपमेन्ट की। रिक्लेमेशन की। कई बैंक्स ने मिल कर 4।। करोड़ रुपया गवर्नमेन्ट को ऑफर किया। एक भी रुपया रिक्लेमेशन में खर्च नहीं किया। क्रेश प्रोग्राम की भी यही बात है। कोई भी ऐसा जिला नहीं है कि जहां पर क्रेश प्रोग्राम में रुपया खर्च हुआ हो। जिन चीजों के लिये रुपया उपलब्ध नहीं है, हमें बराबर सरकार कहती है कि

Page No 92

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है लेकिन जहां उपलब्ध है वहां पर भी लेप्स हो जाते हैं। इसलिये जो भी वित्तीय साधन हमें मिलते हैं वे पूरे के पूरे यूटिलाईज होने चाहिये और जो साधन हैं उनमें पूरी इकोनोमी होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1972–73 के आय-व्यय के ब्यौरे को मोटी नजर से देखते हुए अन्दाज लगता है कि वह किस प्रकार परम्परा–गत है और नौकरशाही को चलाने का बजट है। किसी भी राज्य का बजट बनाते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आज हमारा राज्य आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो चुका है या नहीं।

आर्थिक दृष्टि से विकसित हुआ और अगर हो गया है तो उससे हमारा पूरा रिटर्न जेनरेट हुआ है या नहीं। इन दोनों मुद्दों पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया और रिटर्न हमें पूरा नहीं मिल पाता है तो इसका राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति आर्थिक विषमता में फंस गई है। इस समय हम बड़े ऋणग्रस्त हैं। ऋण को चुकाने के लिये ऋण लेना पड़ता है हमें। इस स्थिति में हम कब तक रहेंगे।

राजस्थान की मरुधरा की रहने वाली जनता के साथ हमने बहुत से वादे किये हैं। उस जनता की बहुत सी भावनाएं हैं। हमने वादा किया था कि इस बार जो बजट हम बनावेंगे उसमें बहुत से क्रांतिकारी कदम होंगे। लेकिन वे कदम तो इस बजट को देखने से उठाये गये हैं यह दिखाई नहीं देता। स्कूल खोलने की बात इसमें है, जलप्रदाय योजनाएं इसमें हैं और छोटे मोटे उद्योगों की बातें भी हैं। पर इतने मात्र से तो हम समाजवादी समाज की स्थापना नहीं कर सकते। ये छोटे कदम हैं। शिक्षा में बढ़ोत्तरी की बात और प्राइमरी एजूकेशन में बढ़ोतरी की बात भारत सरकार के कारण आई।

पर इसके साथ साथ समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति जो करने वाले हैं उसके लिये कोई विशेष प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया हो, ऐसा लगता नहीं है।

वित्तमंत्री महोदय ने कहा है कि हमारा रास्ता मुश्किल है और हमने जो जनता से वायदे किये हैं उनको पूरा करना है। पर साथ ही यह भी कह दिया कि चूंकि हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है हम उन वादों को पूरा नहीं कर पावेंगे। इतना कहकर उन्होंने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की है।

मैं निवेदन करूंगी कि लम्बी चौड़ी बातों में तो इस समय मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि इसके लिये इतना समय नहीं है पर राज्य की जो ऋण की स्थिति है उसकी तरफ ध्यान जरूर आकर्षित करूंगी।

अलग अलग संस्थाओं को जो ऋण दिया गया उसमें इस साल जितनी वसूली बताई गई वह 16 करोड़ 27 लाख रुपया है जब कि सरकार को ब्याज चुकाने के लिये रुपया चाहिये 41 करोड़ नब्बे लाख रुपया।

(श्रीमती कांता कथूरिया)

इससे बखूबी यह बात साबित है कि जो रकम सरकार ने अपनी तरफ से लोगों को दे रखी है उसका ब्याज पूरा नहीं आता और सरकार को डबल से भी अधिक रकम ब्याज में चुकानी पड़ती है। ब्याज चुकाने की चिन्ता नहीं होती अगर उसी के अनुपात में हमने कोई डवलपमेन्ट के काम किये हों या उस रुपये का नियोजन विकास के कामों में किया हो। या ऐसे कुछ असेट्स बनाये हों जिसका रिटंन हमें अच्छा मिलता हो।

पर यह ऋण का पैसा हमने लगाया है नान प्लानिंग सीगे में जहां से रिटंन की कोई उम्मीद नहीं है अधिकांश में। शुरू शुरू में अलग अलग स्टेटों से जो सम्पत्ति हमें मिली थी उसमें चल और अचल दोनों तरह की सम्पत्ति शामिल थी। पर इसके बाद आज उस सबका हमने दिवाला निकाल दिया। चल सम्पत्ति हमारी समाप्त हो गई। बल्कि प्रोपरटी को रहन रखने की नौबत और ऊपर से आ गई।

इसके बाद हम दिन ब दिन लोन लेते गये सिर्फ नान प्रोडक्टिव कामों के लिये अब यह हमें देखना पड़ता है कि यह नान प्रोडक्टिव काम क्या थे नेचरल केलेमिटी हो सकती है।

ओवर-ड्राफ्ट अलग है जो भी एक तरह का शार्ट टर्म लोन है। घाटे का हमारा बजट है 27.94 लाख का जिसके लिये वित्तमंत्री ने कहा है कि सेन्टर से कुछ सहायता मिलेगी जिसमें से यह कवर हो जावेगा। पिछले तीन वर्षों से मैं यही देखती और सुनती आ रही हूँ। हर साल घाटे का बजट आता है और यही कहा जाता है कि केंद्रीय सरकार की विशेष सहायता से यह घाटा पूरा हो जावेगा। इस तरह से गलतफहमी में डालकर घाटे के बजट को बराबर का बजट बताया जाता है। यही कारण है कि ओवर-ड्राफ्ट बढ़ता है। इसके लिये कहना चाहूँगी कि जैसे वित्तमंत्री ने स्वयं ने माना है कि 89.82 करोड़ का हमारे पर ओवर-ड्राफ्ट है जिसका आगे जाकर समायोजन होगा तो कुछ और बढ़ने की सम्भावना है। 91 करोड़ के आसपास बताया है प्रेस ने। और उन्होंने खुद ने भी माना है कि जब पूरा हिसाब किया जावेगा तो इसके बढ़ने की सम्भावना है।

अब भारत सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि 15 परसेन्ट ओवर ड्राफ्ट किश्तों में चुकाया जावेगा। अब 91 करोड़ में 15 परसेन्ट के हिसाब से 13.36 करोड होता है। उस सूरत में यह 3.36 करोड़ का घाटा कहां से पूरा होगा। यह समझ में नहीं आता।

9.23 के लिये भी कहा गया है कि इसके लिये सार्वजनिक लोन फ्लोट करेगी सरकार और रिजर्व बैंक की मन्जूरी से वह होगा। आज वह मन्जूरी किस तरह से मिलती है, यह भी देखना है।

कहा जाता है कि यह ओवर ड्राफ्ट नेचरल केलेमिटी, फैमीन राजस्थान में पड़ता रहता है इसलिये बढा है। फिर नान प्लानिंग एक्सपेण्डीचर भी कर्मचारियों का वेतन, भत्ते आदि में वृद्धि होने के कारण बढता जाता है। इसलिये इन सब मुद्दों पर भी विचार करना होगा।

Page No 94

(श्रीमती कांता कथूरिया)

फैमीन के लिये निवेदन करूंगी कि पांचवां वित्त आयोग जब बने तो उसके सामने भी पूरा जोर लगाकर इस बात के लिये उसको तैयार करें कि इसका सारा भार भारत सरकार वहन करे। यह नेशनल कैलेमिटी है। अगर यह मन्जूर हो जाता है तो ओवर ड्राफ्ट का एक हिस्सा खतम हो जाता है।

अब घाटा रहता है तो अपने कर्मचारियों के भत्ते बढाने आदि के नान प्रोडक्टिव खर्च के कारण बढ़ता है। इसके लिये भारत सरकार अगर अपने कर्मचारियों के भत्ते आदि बढाती है तो स्टेटों के कर्मचारियों में भी भावना पैदा होती है तो इसके लिये भी भारत सरकार जिम्मेदार है स्टेट के कर्मचारियों का भत्ता बढाने का खर्चा भी भारत सरकार भुगते इसलिये इस बात पर जोर देना चाहिये कि भारत सरकार बढ़ाती है तो राज्य कर्मचारियों का भार भी वही वहन करे क्योंकि स्टेटों के पास इतने साधन नहीं हैं। रैवेन्यू के सिवाय हमारे पास कोई साधन नहीं हैं आमदनी के और साधन वेस्ट करते हैं भारत सरकार में तो कन्स्टीट्यूशन में अमेण्डमेन्ट लाकर स्टेटों को भी ज्यादा पावर मिलने चाहिये ताकि उनकी भी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये साधन मिल सके। नहीं तो भारत सरकार यह बोझा अपने सिर पर ले। भारत सरकार के और स्टेटों के कर्मचारियों में कोई फर्क न रहे वेतन आदि में इसको देखने का भार भी भारत सरकार पर रहे।

अब रही यह ओवरड्राफ्ट की बीमारी यह कम होने वाली नहीं है। फैमीन निरंतर राजस्थान में रहने वाला है। तो अगर इस ओवरड्राफ्ट को कम करना है तो फैमिन में मदद देने की जिम्मेदारी भारत सरकार पर हो। इसको मन्जूर कराने की चेष्टा राज्य सरकार को करनी चाहिये।

दूसरी बात, जब कभी बजट बनाते हैं तो असेट और लाइबिलिटी दोनों को देखना पड़ता है। इसमें पोलिटिकल दृष्टि से सोलवेन्सी है और इसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही है जिस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

अब हमने पोलिटिकल दृष्टिकोण से जिन लोगों को लोन दिया है उसका रिटर्न हमें नहीं मिल रहा है। मैं इसकी एक एक आइटम नहीं लेना चाहूंगी, समय लम्बा हो जावेगा। मोटे तौर पर बताऊंगी कि जो इस तरह का इन्वेस्टमेन्ट है वह करीब 21 करोड का है जिसका ब्याज भी मुश्किल से आने की सम्भावना है। ऐसा लोन मोटे तौर पर निम्न है:—

म्यूनिसिपेलिटीज को, पंचायतों को और कुछ प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को। अब इन में कुछ संस्थाएं तो ऐसी है जो हमेशा कर्ज भार से दबी रहती है जिनका व्यय आमदनी से अधिक है। वे क्या चुकावेंगी। इस तरह से इस 22 करोड की रकम को तो बट्टे खाते मान लेना चाहिये। 228 करोड का खर्चा बताया है इसमें करीब 95.94 करोड की हमारी देनदारी है। 95.94 निकालने से करीब 133 करोड से कुछ कम खर्चा हमारा नान प्लान एक्सपेन्डिचर के लिये रह जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी अगर पिछले वर्षों के आंकड़े देखें

(श्रीमती कांता कथूरिया)

जाय तो यह मालूम पड़ेगा कि यह निरंतर बढ़ता ही गया है। अब या तो हमने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की हो और ब्याज की रकम बढी हो। निरन्तर ब्याज चुकाने के लिये हर बार लोन लेते हैं। उस लोन की रकम बढती है और ब्याज भी बढता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी खास तौर से ध्यान देने की बात है आज भी हम 9.3 करोड की लोन के रूप में यह ओवर ड्राफ्ट देते हैं जो आगे जाकर और बढ़ेगा और राज्य पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। मैं खास तौर से यह निवेदन करूंगी, जो कर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तावित किये हैं, मुझे खुशी है एक तो उनकी दृष्टि महिलाओं की तरफ अधिक पडी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी राजस्थान की एक परम्परा रही हैं राजस्थान की एक संस्कृति है, आपने जो गोटा किनारी पर टैक्स लगाया है वैसे मैं और मेरी महिलायें बहुत आगे बढ चुकी हैं, रंग विरंगी साडियां पहिन लेती हैं लेकिन आज भी हमारी अधिकांश महिलायें गोटा किनारी का अधिक उपयोग करती हैं। उसके पास कोई झारझट की साडी नहीं होती हैं, कोई सिल्क की साडी नहीं होती है। केवल वे ग्रामीण स्त्रियां तो लट्ठे पर ही गोटा किनारी लगाकर अपने आकर्षक को बनाये रखना चाहती हैं। माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगी कि इस टैक्स पर विचार करें, उन गरीब महिलाओं पर जिनके पास अन्य कोई आकर्षण की चीज नहीं हैं केवल इसी को वे अपना आकर्षण मानती हैं तो इस टैक्स को वापिस ले लें।

दूसरी बात हलवाइयों के लिये है, उसके लिये कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मैं भी निवेदन करना चाहूंगी, हलवाइयों पर जो टैक्स लगा हैं। होटलों पर बैठकर या बड़ी-बड़ी दुकानों पर बैठकर खाते हैं उन पर तो आलरेडो टैक्स हैं लेकिन एक गरीब जो कभी मिठाई नहीं खरीदता है और जिसको कभी वार त्योहार ही मिठाई खरीदनी होती हैं तो वह छोटे छोटे दुकानदारों से मिठाइयां खरीदता हैं उस पर अब उसको टैक्स देना पड़ जायगा। या तो वह रिश्वत देगा या उसके लिये उसको मुनीम रखना पड़ेगा जिसका बोझ गरीब व्यक्ति पर ही पड़ेगा मिठाई और नमकीन पर भी अब उसके लिये खर्चा बढ गया हैं उसको भी हमको वापिस लेना चाहिये।

निजी मोटर गाडियां, स्कूटर और टेम्पो पर भी आपने टैक्स लगाया है। जो बिल पेश हुआ है उसमें बिल में जरूर दिया है लेकिन आज जो निजी कार वाले नहीं हैं उनको भी कहीं आने जाने के लिये किराये की लेकर जाना पडता है बीमारी के वक्त भी उसको इधर उधर जाना पड़ता है वह टैक्स आम आमदनी पर पड़ेगा। अगर राज्य सरकार गरीब को जीवित रखना चाहती हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आम नागरिक को जीवित रखना चाहती है-आपका यह टैक्स अब सेचूरेशन पाइन्ट तक पहुंच चुका है इसलिये टैक्स न बढाकर अपने राजस्व को बढाने की कोशिश करनी चाहिये। मैं निवेदन

(श्रीमती कांता मथूरिया)
करना चाहूंगी माननीय वित्त मंत्री महोदय इस ओर भी ध्यान देंगे ।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगी मक । और बाजरी आम आदमी काम में लेता है । आपका ख्याल है आम आदमी टैक्स थोडा भी देगा तो कलेक्शन अच्छा होगा लेकिन आम आदमी पर कब तक बोझ डाला जायेगा ? इसलिये इसका मैं विरोध करती हूं और आशा करती हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान देंगे ।

जल प्रदाय योजना के बारे में भी वित्त मंत्री महोदय ने कहा । जल प्रदाय के विकास की बात कही । राजस्थान में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां ट्यूब वैल्स पिछले अकाल में खुदवाये थे लेकिन आज वे बन्द पड़े हुए हैं । आज उन ट्यूब वैल्स को चालू करने की कोई व्यवस्था नहीं है । उस तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है । जो ट्यूब वैल्स खोदे हैं उनको पहले कमीशन दिया जाय, जहां बिजली पहुंचाने की जरूरत है वहां बिजली पहुंचाई जाय । मेरी कान्सी-ट्यूऐन्सी के लिए मैं निवेदन करूंगी केशर देसर, कलचू, गढ़ियाना, बासन्ती जहां जल प्रदाय योजना बन सकती है और गांव वालों को पानी भी दिया जा सकता है इसलिये मेरा निवेदन है कि जो जल प्रदाय योजना है और जो ट्यूब वैल्स खुदे हुए हैं उनको पहले कमीशन दिया जाय, सबसे पहले उनको हाथ में लिया जाय ।

दूसरी बात उद्योग के बारे में कहूंगी । कुछ जिलों के लिये किया है उद्योग विकसित है । बीकानेर में कुछ भी उद्योग नहीं हैं । एक फ्लाना का उद्योग चलता था वह भी बन्द कर दिया और उसका रीजन आग लगना बताया गया । इस समय तो नहीं लेकिन मैं अनुदान के समय में पूरे विस्तार से कहूंगी । अब केवल एक वूलन मिल चलती है उसमें भी जितना लाईसेन्स मिला है उतना काम में नहीं लिया जाता है । कुल चार मशीनें हैं जिसमें तीन मशीनें बन्द पड़ी हैं और केवल एक मशीन चालू है ।

बेरोजगारी की जो मोटी समस्या हर जिले में है चाहे वे पढ़े लिखे लोग हों और चाहे बिना पढे लिखे लोग हों राजस्थान सरकार ने उनके लिये कोई नीति निर्धारित नहीं की है । उसके लिये भी राज्य सरकार को देखना चाहिये । सारे प्रान्त की बेरोजगारी दूर करने के लिये और रोजगार देने के लिये प्रयत्न किया जाय । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि 31 अगस्त तक जिन लोगों ने नाजायज जमीनों पर मकान बना लिये हैं उनको हटाया नहीं जायगा-इस प्रकार की बजट में कोई बात नहीं कही गई, इसका मुझे दुःख है । मैं निवेदन करूंगी आज यह जटिल समस्या बनी हुई है । जगह-जगह लोगों के कच्चे मकानों को तुड़वाया जा रहा है । एक गरीब आदमी 200) रु० में अपना एक कच्चा मकान रहने को बनाता है और राज्य सरकार उसको तुड़वा देती है । कलेक्टर और तहसीलदार तुड़वाने के आदेश दे देते हैं । अब उस गरीब आदमी के लिये तो 200) रु. भी मायने रखते हैं । अगर गरीब को एक मकान देने की बात करते

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

हैं तो उसको तुड़वाना नहीं चाहिये। मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि 31 अगस्त तक जिन लोगों ने कब्जे कर लिये हैं उनको नहीं तुड़वाया जायगा उसके लिये बजट में कोई बात नहीं कही गई। मैं निवेदन करूंगी वित्त मंत्री महोदय अपने उत्तर में इस बात को बतायेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक बात और निवेदन करना चाहूंगी आज हम सोसलिस्टिक समाज की बात करते हैं। आज कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने विचार रख सकते हैं लेकिन चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। मैं अपना सुझाव रखूंगी बड़ी बड़ी स्टेट में जहां अपर हाऊस है तो यहां भी एक अपर हाऊस होना चाहिये। जिनको यहां आने का मौका नहीं मिलता है उनके एक्सपीरियन्स का फायदा हम अपर हाऊस में उठा सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है एक अपर हाऊस यहां भी कायम किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री छंगाणी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : उपाध्यक्ष महोदय पहले पहले तो मैं वित्त मंत्री महोदय को बधाई दे दूं कि उन्होंने 650 करोड़ का कर्जा होते हुये भी 40 करोड़ से अधिक ब्याज चुकाते हुये भी इन परिस्थितियों के अन्दर बजट को पेश किया। वे बधाई के पात्र हैं। उनकी स्थिति से मुझे पूरी सहानुभूति है पर इस स्थिति में जहां हम खड़े हैं आज राजस्थान में और कुछ भी हो सकता है हमारा पूरा का पूरा ढांचा चरमरा रहा है। आज हम तो यह सोचते थे कि हमारे वित्त मंत्री महोदय कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस का जबसे विभाजन हुआ है, बंगलौर अधिवेशन के बाद इन्दिरा गान्धी ने जो पहला नोट दिया हमारी कांग्रेस का जो मेनीफेस्टो है, कांग्रेस की नीतियों के आधार पर इस बजट को नई दिशा देंगे पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है हमारे वित्त मंत्री जी पूरे के पूरे नाकामयाब रहे। हमारे विकास की योजना जिस पर आंख लगा रहे हैं राजस्थान में आर्थिक, सामाजिक सबमें परिवर्तन लाने मे राज्य सक्षम होगा नये विकास की दिशायें खोलेंगी उन सब आशाओं पर तुषारापात हो गया इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें बड़ी गम्भीरता से इस ओर सोचना चाहिए और विकास की दिशा को किस प्रकार से प्रखरतर तेजकर सकते हैं उसके लिए सामुहिक रूप से कदम उठाने चाहिए 3.31 म.प.

(श्री रामकिशोर व्यास अध्यक्ष पदासीन)

और वे कदम नहीं उठाये गये तो राजस्थान की अर्थ व्यवस्था चरमरा कर टूट जायेगी।

थोड़ा-सा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो हमारे विकास का प्रावधान है उसमें प्रति राजस्थानी केवल 93.42 है जब कि भारत का अनुपात 112.94 है, हरियाणा का 194.69 है और महाराष्ट्र का 166.04 है और राजस्थान का नम्बर इन सब राज्यों में 9वां है। इस दशा को जो पिछड़ेपन की दशा है इसको हम कैसे तोड़ पायेंगे और इसके लिए जो कदम उठाने चाहिए वित्त मंत्री

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
को उस तरह से वे कदम नहीं उठा पाये हैं। हमारे विकास की दशा अवरुद्ध हो चुकी है.....

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जल्दी ही करूंगा। इसके अतिरिक्त अविकास व्यय हमारा बढ़ता जा रहा है, हमारी योजनाओं के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अभी जो पंचायती राज का सर्वे हुआ उसमें 11 रुपये डवलपमेन्ट का खर्चा होता है उसके ऊपर 11 रुपये खर्च करने के लिए हमें 79 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस परिस्थिति को हम कैसे बदल पायेंगे इसके लिए हमें सामुहिक कदम उठाना बहुत जरूरी हैं।

मैं इस अवसर पर खास तौर से वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान का पूरा का पूरा विकास रेगिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। आज राजस्थान का 62 प्रतिशत हिस्सा रेगिस्तान के अन्दर है और रेगिस्तान के विकास के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। रेगिस्तान को किस तरह से बदला जा सकता है उसके लिए कभी सोचा भी नहीं गया। गयी बार यहां पर इजराइल के एक्सपर्ट्स आये थे, उनसे पूछा गया कि इस रेगिस्तान के अफोर्सटेशन का काम किया जा सकता है या नहीं। उसने कहा कि जवाब दूंगा। उनका जवाब यह था कि जिस तरीके से राज्य सरकार रेगिस्तान के अफोर्सटेशन की व्यवस्था कर रही है इसको 100 साल तक भी पूरा नहीं कर पायेंगे। इसलिए बहुत गम्भीरता से मैं अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि रेगिस्तान के विकास के लिए सैन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्सटीट्यूट बना हुआ है उसे हमारी नीति का अंग बनाया जाये या फिर एक अलग से बोर्ड बनाया जाय और उसके जरिये रेगिस्तान के विकास की योजना बनाने के लिए सक्षम कदम उठाये जायें।

अध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारी रेवेन्यू की व्यवस्था है, लगान की व्यवस्था है, एक बार मंच अधिवेशन किया था उसमें मंच अधिवेशन में हमारे मुख्य मंत्री जी भी थे और हमने सुझाव दिया था कि शीघ्र से शीघ्र जो आज टोडरमल के जमाने से व्यवस्था चल रही है लगान की वह समाप्त की जाये आज आप मानेंगे कि आज हमारा एवरेज लेण्ड रेवेन्यू कलेक्शन 6।। से 7 करोड़ का होता है।....

श्री अध्यक्ष : आप 3.40 तक समाप्त कर दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अच्छा।

उसको शीघ्र समाप्त किया जाये और जो पटवारी हैं उनको हटाया जाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भण्डारी कमीशन बैठा था उसने भी पटवारियों को हटाने की सिफारिश को मंजूर की थी और इसलिए उसको शीघ्र से शीघ्र लागू की जाये क्योंकि हमारा अनुभव है कि गांवों में अगर शोषण की व्यवस्था है, भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, और ग्रामीणों को दुःख देने की व्यवस्था है तो उसके सारे का सारा आधार पटवारी है।

(श्री मोहन लाल छंगानी)
माननीय सदस्य श्री गुमानमल जी लोढ़ा माफ करेंगे–सारे के सारे दुःखों की जड़ पटवारी ही है और जब तक पटवारियों को समाप्त नहीं किया जायेगा और ग्रामीणों को सुख किसी तरह का नहीं दे सकते तो हम ग्रामीणों को दुःख तो कम दें। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पुरजोर निवेदन करूंगा कि यह जो लगान है इसको जल्दी से जल्दी माफी दी जाये, पटवारियों को हटाया जाये और लगान के कलेक्शन की व्यवस्था है उसको समाप्त करके जो भी मार्केट सरप्लस है उसके ऊपर टैक्स लगाकर मण्डियों की पूर्ति कर सकें उसके लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कहूंगा कि यह जो टैक्स हम लगा रहे हैं मसलन हलवाइयों पर और छोटे छोटे रिटेलर्स पर उसके बारे में मैं नम्र निवेदन करूंगा कि इस टैक्स को लगाने के लिए न तो आपके पास सर्वे की मशीनरी है कि जिसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं यह कभी सोचा था कि उसमें कितनी चोरी होती है। अध्यक्ष महोदय, इंग्लैण्ड में हालांकि परचेज टैक्स का जो बजट होता है उसमें 20 परसेन्ट हिस्सा है फिर भी रिटेलर पर टैक्स नहीं होता क्योंकि उसमें चोरियों की सम्भावना बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए इस टैक्स का ढांचा कैसा बनाया जाये आप मानेंगे कि 30 हजार के टर्नओवर पर टैक्स लगता है तो वे छोटे छोटे हलवाई क्या बतायेंगे? आप एल. एम. बी. पर टैक्स लगाये, नीरोज पर टैक्स लगाये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन यह टैक्स इतना हैरान करने वाला है कि जो टैक्स देने वाला है वह पूरा नहीं दे पायेगा और सरकार के पास टैक्स आने वाला नहीं है। इस व्यवस्था के सुधार के लिए हमेशा जब भी हम टैक्स लगायें तो उसका पहले पूरी तरह से सर्वे कर लिया जाये और निर्णय लिया जाये कि किस आइटम पर टैक्स लगायें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात अब मैं उद्योग के बारे में कहूंगा। इसके लिए हमारी नीति कतई साफ नहीं है इन्फ्रास्ट्रक्चर हमने दिया है तो इन्डस्ट्रीज लग जायेंगी। उद्योगपतियों को फ्री बिजली लैंड फ्री और फ्री पानी दिया उसके बाद भी उद्योग नहीं पनपे। यह सन् 48 से इन्डस्ट्रियल रेज्योल्यूशन था उसके बाद हमारी नीति रही है और यह नीति नाकामयाब रही है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहूंगा कि फलौदी में नमक उद्योग है। वहां न तो आपने कोई सड़कें बनाई न बिजली दी और न पानी की व्यवस्था की फिर भी वह उद्योग पनप रहा है इसलिए इस थ्योरी को एग्जामिन करने की जरूरत है। हम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी रियायतें दे रहे हैं वह उद्योगीकरण के लिए हमारे काम आती है या नहीं।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य रूप से आपको कहना चाहूंगा कि फलौदी क्षेत्र में अभी तक सच्ची बात कही जाये तो राजस्थान में विकास हो रहा है उसमें फलौदी ने कोई भाग नहीं लिया। वहां पर एक धौलियां गांव है जहां कटोरो भरने के लिए आधा घन्टा लगता है। इसके लिए न तो कोई स्कीम ही बनाई जाती

(श्री मोहन लाल छंगानी)
है और न कोई व्यवस्था ही की जाती है। और हम पानी भी नहीं पहुँचा पाते हैं तो यह सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है।

दूसरे, मैं चाहूंगा कि हम आज भी राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बदलना चाहें तो हम निर्णय लें कि सन् 75 तक हमें सारे के सारे गांवों को इलेक्ट्रिफाई करना है। हम निर्णय ले कि 80 तक सारे के सारे गांवों को सड़कों को जोड़ना है, हम निर्णय लें कि जितने गांवों में अस्पताल आज तक नहीं खुलवा सके हैं वहां अस्पताल फलां सन् तक खुलवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय इस बजट में सबसे बड़ी बात और बधाई की बात है वह स्कूलें खोलने की बात है। और हम स्कूलों को हटा दें तो सारे के सारे वह कुछ भी नहीं रह जाता है जिसके लिए वित्त मंत्री जी की शोभा की जाये, फिर मैं जोर देकर कहूंगा कि राजस्थान की जैसी वित्तीय स्थिति है उसको किस तरह से बदला जा सकता है उसके लिए हम मजबूती से कदम उठायें।

श्री अध्यक्ष : अकाल राहत मंत्री। सरकारी पक्ष से उत्तर।

श्री गोपाल जोशी : आपने कहा था कि अकाल आदि के सम्बन्ध में जिस समय बजट पर बहस हो उस समय बोल सकते हैं...

श्री मोहनलाल छंगाणी : हम पूरा नहीं बोल पाये हैं इसलिए आधा घंटा और बढ़ाया जाये।

श्री गोपाल जोशी : आपने ही कहा था कि स्थगन प्रस्ताव पर अधिक न बोलकर डिबेट के समय बोल लेना....

श्री अध्यक्ष : आप बाद में और बोल लें।

श्री गोपाल जोशी : बजट पर भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपकी पार्टी को बात है, मेरा क्या है। अकाल सहायता मंत्री जी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय कुछ समय बढ़ाया जाय। हमारी बात भी मान ली जाय।

श्री अध्यक्ष : अकाल सहायता मंत्रीजी

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

और भी बहुत से मौके आयेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस बजट की बहस पर बोलना चाहते हैं तो इसका मौका मिलना चाहिए।

(लगातार कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष : सुनिये मेहरबानी करके आप तशरीफ रखिए।

(व्यवधान-अश्रव्य)

प्लीज सिट डाउन। (विराम)

बजट के वक्त पर जनरल डिस्कशन के लिए आम तौर पर तीन दिन का समय

Page No 101

(श्री अध्यक्ष)

मिलता है। अब की बार तीन दिन की जगह पांच दिन का समय दे दिया गया है। इसके अलावा पांच बजे से छः बजे तक का समय भी रखा गया और काफी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया, अब सरकार के द्वारा उत्तर दिया जायेगा। कुछ पक्ष के कुछ लोग रह गये हैं तो उनको आगे भी समय मिलेगा, और बोलने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों ने गवर्नर के अभिभाषण पर बहस में भाग लिया, कुछ लोग जनरल डिस्कशन में बोल भी चुके, आगे भी मौका मिलेगा। इस वक्त अब और समय नहीं दे सकता। अकाल सहायता मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप तो बड़े नम्र आदमी हैं अध्यक्ष महोदय। आप कुछ समय बढ़ा दीजिए।

(कई माननीय सदस्य पुनः एक साथ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री मोहन लाल छंगाणी : आधे घंटे के लिए समय बढ़ा दीजिए, सारी प्राब्लम सोल्व हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष : आधे घण्टे में आपकी प्राब्लम तो सोल्व हो जायेगी लेकिन औरों की प्राब्लम सोल्व नहीं होगी।

श्री जयकिशन : एक घण्टा दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : एक घण्टे से ही समस्या हल हो नहीं पायेगी।

अकाल सहायता मंत्रीजी।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव एवं कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : छः घण्टे विरोधियों को दिए गए....

(अनवरत व्यवधान–अश्रव्य)

श्री जयकिशन : हमारी प्रार्थना भी तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : मैं इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता। माननीय अकाल सहायता मंत्रीजी।

श्री शीशराम ओला : हम तो बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं टाइम नहीं दे सकता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, आपको समय बढ़ाना चाहिये। यह तो एक प्रकार से अन्याय है। 22 घण्टों में से 14 घण्टे कांग्रेस को दिये और छः घण्टे अपोजीशन को दिये गए हैं और आज प्रातःकाल ही आपने आश्वासन दिया था कि और समय दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : अगर समय हो तो। मैं यहां पर बहस नहीं चाहता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो आपकी मर्जी है, आपकी चेअर है, कुर्सी आपकी है।

श्री अध्यक्ष : मैं समय नहीं दूंगा। मैंने आपसे निवेदन कर दिया है।

(श्री अध्यक्ष)

अकाल सहायता मंत्रीजी।

श्री **परसराम मदेरणा** (अकाल सहायता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बहस पांच दिन से चल रही है। शायद इस विगत सभा के इतिहास में ऐसे कम ही अवसर होंगे जब बजट पर जनरल डिस्कशन के लिए पांच दिन का समय दिया गया हो। आसन की तरफ से मुझे आज्ञा मिली है कुछ माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्तावों के द्वारा और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और उन स्थगन प्रस्तावों और आकर्षण प्रस्तावों को आपने स्वीकार तो नहीं किया है लेकिन आपने मुझे यह आज्ञा दी है कि मैं इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट दूं। बीकानेर और लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्तावों के द्वारा यह मुद्दा उठाया है कि बीकानेर शहर के अन्दर बहुत सी गायें और दुधारु गायें आ गई हैं लेकिन वहां पर और आस पास में पानी की और चारे की कोई व्यवस्था नहीं है।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह सूचना देना चाहता हूं कि बीकानेर कलेक्टर ने पांच छः रोज पहले ही राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं कि बीकानेर शहर में बहुत सी गायें पहुंच गई हैं जिनमें दुधारू गायें भी हैं और कुछ गायें और भी बीकानेर में आने की सम्भावना है। और इन गायों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए हालांकि सार्वजनिक तौर पर पीने के पानी की मवेशियों के लिए खेलियां बनी हुई हैं लेकिन उनके कनेक्शन नहीं है इसलिए उनको कनेक्ट करने के लिए जो कुछ भी खर्चा हो उसको सरकार द्वारा वहन किया जाय और इसके लिए स्वीकृति प्रदान की जावे। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी निवेदन किया था कि जो मवेशी बीकानेर में पहुंचे हैं उन मवेशियों के लिए जो पास में जोड़ हैं, फोरेस्ट विभाग के जो जोड हैं उनके घास की हालांकि कटाई की जा चुकी है लेकिन घास काटने के बाद भी काफी घास बची हुई है, इसलिए उन जोडों में निःशुल्क चराई की व्यवस्था की जावे। बीकानेर कलेक्टर को कल ही राज्य सरकार ने एक टेलीग्राम के जरिए इस बात की स्वीकृति दे दी है कि जो भी गायें बीकानेर शहर में आती हैं उनके लिए व्यवस्था की जावे और साथ ही साथ इस बात की भी व्यवस्था की जावे कि जो वहां के फोरेस्ट के जोड हैं उनके अन्दर जिस प्रकार अकाल के समय में निःशुल्क चराई की आज्ञा दी जाती है उसी प्रकार इस वक्त भी चराई की इजाजत दे दी जावे।

इसी प्रकार रानीवाडा से आने वाले माननीय सदस्य ने और बाकी अन्य माननीय सदस्यों ने जो फलौदी बालोतरा, भादरा, जोधपुर, बाड़मेर सांचोर और सांभर विधान सभाई क्षेत्रों से आने वालों ने अपने अपने इलाकों में खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में पानी की समस्या और वहां की अकाल की समस्या को देखते हुए जो गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है और राहत कार्य शुरू नहीं किए गए हैं, इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए

(श्री परस राम मदेरणा)
निवेदन कर दूं कि जैसा मैंने 8 तारीख को सदन में पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में निवेदन किया है और उसके बाद में और जगहों पर भी जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में भी निवेदन कर दूं। कुल 310 जगहों पर पानी की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इन 310 जगहों पर रेल के द्वारा पानी पहुँचाया जाय टैंकर्स के द्वारा पानी पहुँचाया जाय या अन्य साधनों से पानी पहुंचाया जाय, इसकी व्यवस्था की जा रही है। इस बारे में मैं बताऊं कि 212 जगहों पर टैंकर्स के द्वारा पानी पहुँचाने की स्वीकृति दी गई है. ट्यूबवेल्स की 41 जगहों के लिए जहां पर दो साल और दो साल से ऊपर से अकाल है ऐसे 36 गांवों के टी. आई. के द्वारा धन-राशि देने की स्वीकृति दे दी गई है। जंवाई केनाल से 12 जगह पानी देने लगेंगे। इस प्रकार 8 जिलों में 310 जगहों के लिए स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार के पास दो एक जिलों के और प्रस्ताव आए हैं। बीकानेर की 10 जगहों के प्रस्ताव अण्डर एग्जामिनेशन हैं। जो प्रस्ताव कल ही आए हैं। उनके लिए कार्यवाही की जा रही है।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां कहीं पानी की दिक्कत होगी उसकी व्यवस्था की जावेगी। ऐसा हो सकता है कि दो दो मील के दायरे में पानी के दूसरे सोर्स हों तो वहां पानी परिवहन दूसरी जगह से नहीं किया जा सकता लेकिन यह राज्य सरकार की स्पष्ट नीति रही है कि अगर पांच माइल तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा पानी की व्यवस्था की जावेगी। पांच माइल से कम के हिस्से में अगर कहीं पर पानी के और सोर्सेज हैं और वहां से पानी ला सकते हैं तो वहां तो कोई व्यवस्था नहीं की जावेगी लेकिन पांच माइल से अधिक है तो राज्य सरकार पानी परिवहन करके. ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, रेल के द्वारा, ट्यूब चलाने के द्वारा या और किसी तरह से भी पानी पहुँचाने की व्यवस्था करेगी। इस प्रकार के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं।

जहां तक फैमिन रिलीफ वर्क्स का सवाल है जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया कि फैमिन रिलीफ के काम शुरू करने से पहले राज्य सरकार इस बात को देखेगी कि क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत, रूरल वर्क्स के अन्तर्गत और सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स के अन्तर्गत इन तीनों योजनाओं के अन्दर कार्य चालू करने की स्वीकृति भेज दी गई है या नहीं अगर नहीं भेजी गई हैं तो स्वीकृति जल्दी से जल्दी भेजकर उसके बाद में अगर फैमिन डिपार्टमेंट के जरिए अकाल सहायता की मद से कोई रिलीफ वर्क शुरू करने की आवश्यकता होगी तो उनको शुरू किया जावेगा।

मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देता हूं कि अभी तक हमारे पास में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत जितने काम शुरू हुए हैं उसकी सूचना डवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो सूचना दी है उसके अनुसार जिला जैसलमेर के लिए और जिला बाड़मेर के लिए नए काम शुरू करने के लिए तीन लाख को स्वीकृति भेज दी गई है: जोधपुर में क्रेश प्रोग्राम के प्रपोजल हमारे पास आए हैं उन

Page No 104

(श्री परस राम मदेरणा)

एरियाज के जिन एरियाज के अन्दर पिछले दो या दो से अधिक सालों में उनमें अकाल है और वहां की स्थिति विषम हो सकती है. वहां के लोगों को सहायता देना आवश्यक है। इसी प्रकार जालोर के प्रपोजल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास कल ही आए हैं जो अण्डर एग्जामिनेशन हैं। उसके बाद भी जहां कहीं फेमिन के काम करने की आवश्यकता होगी काम शुरू किये जायेंगे। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर दूं कि 28 तारीख को जब मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा था उस वक्त हमने यह तय किया था कि 26 तारीख तक राजस्थान में राहत कार्य खुल जाने चाहिए। 14 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार के वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा था कि सेंट्रल स्टेडी टीम राजस्थान की फेमिन कण्डीशन को स्टेडी करने के लिए जल्दी से जल्दी भेजें ताकि वह स्टेडी करने के बाद इस बात को रिकमण्डेशन करे, भारत सरकार के फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से कितनी राशि इस अकाल राहत कार्य के लिये उपलब्ध हो जायेगी। इसका जवाब हमें मिला है और यह आया है कि वे जल्दी से सेन्ट्रल स्टेडी टीम को भेज रहे हैं। इसके लिए एक हफ्ते तक हमने इन्तजार किया। एक हफ्ते के बाद हमने यह निर्णय लिया है और 29 तारीख को चीफ सेक्रेटरी ने सेन्ट्रल स्टेडी टीम के चेयरमैन को, श्री वोहरा को इत्तिला कर दी है कि अब राज्य सरकार आगे के लिये सेन्ट्रल स्टेडी टीम का इन्तजार नहीं कर सकती। हमने उनसे यह रिक्वेस्ट की थी कि एक हफ्ते के अन्दर यह टीम आनी चाहिये। अब वह समय निकल चुका है और हमारे यहां रिलीफ कार्य शुरू करना है। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान का वह इलाका जिस इलाके के अन्दर दो साल से ऊपर अकाल रहा है और सिर्फ बीच में एक साल अच्छा रहा है, उस इलाके में जहां कि स्थिति विषम है, वहां पर राज्य सरकार तीन, चार दिनों के अन्दर क्रेश प्रोग्राम के अन्दर स्वीकृति कर के कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। टैक्निकल सेंक्शन के अभाव में यह सेंक्शन नहीं गई थी। अब उसकी सेंक्शन कर दी गई है। रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्दर जो भी काम होंगे वे जल्दी से जल्दी प्रारंभ किये जायेंगे। मैंने रिलीफ डिपार्टमेंट को इस बात की सूचना दो दिन के अन्दर देने के लिये कहा है कि कितना काम शुरू हो गया है और कितनी लेबर अब तक लग गई है। सरकार के पास में जो प्रस्ताव आये हैं उनकी स्वीकृति हो गई है।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि क्रेश प्रोग्राम पिछले साल सेंक्शन किया गया था उनमें तालाबों का काम था वह इसलिये हाथ में नहीं लिया जा सका था कि वहां पर कोई टैक्निकल ऐजेन्सी नहीं थी। पी. डब्ल्यू. डी. विभाग ने इसके लिये इन्कार कर दिया था। अब पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के मंत्री महोदय ने इस बात के आदेश दे दिये हैं कि वहां पर जो एक्स. ई. एन. हैं वे इस बात को देखेंगे ताकि मेजरमेन्ट आदि के जो दूसरे मामले हैं उन पर किसी प्रकार का ऑडिट

(श्री परसराम मदेरणा)

ऐतराज न हो। पहले हमने रेवेन्यु एजेन्सी से काम करवाया था और उससे कई आडिट पैरा बन गये। अब नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं। अब यह आदेश दे दिये गये हैं कि बीकानेर के अन्दर तीन दिन के अन्दर जितने भी क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत तालाबों की सेंक्शन दी गई है उनको प्रारम्भ कर दिया जावे।

बीकानेर का एक मामला और विचाराधीन है। हमने हमेशा इस बात को देखा है कि जो मेजर प्रोजेक्ट्स जिस जिले के अन्दर हो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाये। इसलिये सन् 69-70 के अन्दर हमने तीस, चालीस हजार लोगों को वहां पर लगाया था। हम आज भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कितने लोगों को राजस्थान कैनाल पर लगा सकते हैं। दूसरी प्रकार की जो सुविधाएं पिछली बार दी गई थी राज्य सरकार वे सुविधाएं देने को तैयार है सेन्ट्रल स्टडी टीम आयेगी और बीकानेर जिले के लिए जो प्रपोजल्स हैं उसके बारे में विचार किया जायेगा। वहां पर अभी इर्रीगेशन का मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहा है। यह सही है कि लोगों को डिस्टेन्स पर काम करने के लिये जाना पड़ेगा। परन्तु भारत सरकार की भी यह नीति रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राजस्थान कैनाल पर लगा सकते हैं तो लगाया जाये। हम इस प्रयास में पहल करेंगे।

इसी के साथ माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां-जहां भी आवश्यकता होगी, जो आज रिलीफ डिपार्टमेन्ट आवश्यक समझता है, करेगा। जैसलमेर जिले के कुछ हिस्सों में जहां पर क्रेश प्रोग्राम शुरू नहीं किया जा सका है वहां पर रूरल वर्क्स प्रोग्राम चलाया जायेगा और तुरन्त प्रारम्भ करना आवश्यक होगा तो किया जायेगा।

बाड़मेर जिले से भी रिलीफ के लिये प्रपोजल्स आये हैं। भीमड़ा और फिर दूसरी रोड है जवां वाली रोड़-ये दोनों काम सेंक्शन कर दिये गये हैं। भीमड़ा का काम है, कलक्टर ने भी प्रपोजल दिये हैं। इसको हम एग्जामीन कर रहे हैं। क्योंकि दो प्रपोजल आ गये हैं। परन्तु मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस जिले के अन्दर क्रेश के जो नये प्रोग्राम है उनको जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जायेगा और वहां की स्वीकृति मैं अगले 48 घंटों में देने जा रहा हूँ।

जोधपुर जिले में फलोदी तहसील के गांव है। पिछले चार साल से इन गांवों में अकाल है। उनको भी स्वीकृति अगले 48 घण्टों में फेमीन डिपार्टमेन्ट से दे दी जायेगी।

इसी तरह से पानी का सवाल है। जो भी प्रपोजल्स रिलीफ डिपार्टमेण्ट को कलक्टर के जरिये आये हैं, दूसरे जरिये से आये हैं, या माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, राज्य सरकार की बराबर यह नीति रही है कि तत्काल उसकी स्वीकृति दे दी जाये। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को जो रिलीफ के काम खोलने के बारे में

(श्री परसराम मदेरणा)

राज्य सरकार की नीति है उससे सन्तोष होगा। इसी प्रकार, यहां पर करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये कुछ मुद्दे उठाये थे। एक मुद्दा यह था कि भारत-पाक संघर्ष के दौरान कपास की खरीद नहीं की गई और बाद में काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया ने जो खरीद की है वह कम है और इस तरह कपास के भाव गिर गये। भारत-पाक संघर्ष के दौरान मुख्य मंत्री जी गंगानगर गये थे और इस प्रकार का मामला उनके सामने आया था और यह मालूम होते ही कि कपास की खरीद करने वाला मार्केट में नहीं है, इसकी कमी है, हमने भारत सरकार के पास हमारे इण्डस्ट्रीज सेक्रेटरी को भेजा। हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारें भी केन्द्रीय सरकार से इसकी मांग कर रही थीं कि इसको रोकने के लिए कुछ कदम भारत सरकार के द्वारा उठाये जाने चाहिये या काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया को मार्केट में आकर के खरीद करनी चाहिये। भारत सरकार ने प्रथम खरीद करने के लिये रिजर्व बैंक से बात कर के उसको स्वीकृति दे दी है और उसको कुछ फेसिलिटीज भी दे दी है कि मार्केट के अन्दर जो व्यापारी कपास खरीदते हैं उनको एडवान्स कम दिया जाता है, वह अब 90 प्रतिशत तक दे दिया जायेगा ताकि जो खरीद करने के लिये धन की कमी रहती है वह उनके सामने नहीं आवे। दूसरा यह भी कर दिया है कि मिलों को एक पर्टीकूलर क्वान्टीटी के अन्दर ही कपास रखने की इजाजत थी। इसके अन्दर भी उनको कह दिया गया है कि वे ज्यादा क्वान्टीटी रख सकते हैं। ब्याज की जो दर थी उसको भी शायद एक-दो परसेन्ट कम कर दिया है। इसके उपरान्त भी कपास के भाव गिरते गये। राजस्थान सरकार ने टैक्सटाइल कमिश्नर और काटन कारपोरेशन को फिर एप्रोच किया कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में कपास के भाव गिर रहे हैं इसलिये खरीद की जाये। 22-11-71 से काटन कारपोरेशन ने कपास की खरीद प्रारम्भ कर दी है। अभी तक जो सूचना मिली है, उसके आधार पर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में कुल काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा 12 हजार क्विन्टल, 2100 बेल्स कपास की खरीद की है और अभी कपास का जो भाव है, 2 तारीख को, लम्बे रेशे की अमेरिकन कपास का, उसमें है मेग्जीमम प्राइस 195 रुपया और मिनीमम प्राइस है 150 रुपया और जो एवरेज खरीद की आ रही है वह है 190 के आस पास।

करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, और यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राज्य सरकार को 30 मार्च को मिला था। 31 मार्च को हमारे डाइरेक्टर ने ज्वाइन्ट कमिश्नर आफ एग्रीकल्चर को एक चिट्ठी लिखी है कि इस तरह से कपास के भाव कम हो रहे हैं ऐसी इत्तिला मिली है और हमारी विधान सभा के माननीय सदस्य ने भी ध्यान आकर्षित किया है कि कपास के भाव गिर रहे हैं इसलिये उचित दरों पर कपास की खरीद की जाय इस तरह के आदेश काटन कारपोरेशन को देने चाहिए।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसी तरह से 31 मार्च को हो मैनेजर, काटन कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया को जिनका कि दफ्तर बम्बई हैं उनको भी इस प्रकार की चिट्ठी लिखी। 12 तारीख को हमारे पास उत्तर उनका आया कि हम खरीद तो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी डिफिकल्टी गंगानगर में जो है वह जिनिंग की है। कपास खरीदने के बाद उसका जिनिंग होना जरूरी है आज जितनी जिनिंग फैक्ट्रियां गंगानगर में काम कर रही हैं जिनिंग फैक्ट्रियां वहां पर काम कर रही हैं और हर जिनिंग फैक्ट्री में जिन्स की अलग अलग संख्या है। गंगानगर में 12 जिनिंग फैक्ट्रियां हैं और जिनमें 325 जिन्स के होते हुए भी चूंकि जिनिंग फैक्ट्रीज के जो मालिक हैं, उनके कान्ट्रेक्ट बम्बई और अहमदाबाद के व्यापारियों से हुए हैं तो वे काटन कारपोरेशन को इस बात की इजाजत दे सकें कि उसका कपास उनमें जिन करा सके इस स्थिति में नहीं हैं। इस डिफिकल्टी के कारण काटन कारपोरेशन ने गंगानगर में कपास खरीदना बन्द कर दिया। हमारे डाइरेक्टर ने दिल्ली जाने से पहले सारी जो स्थिति है इसको लिखकर भी भेजा है और रूबरू जाकर टैक्सटाइल कमिश्नर जो हैं इंडिया के उनसे बात की। उन्होंने काटन कारपोरेशन से बात की, और इस तरह से भटिंडा में जो रीजिनल कमिश्नर हैं मि. बीसिया उनको लिखा है कि राजस्थान सरकार इस बात पर दबाव डाल रही है कि काटन परचेज किया जाय तो मुझ से मिलने के लिए वे 15 अप्रैल के आसपास आये और कहा कि जिनिंग की सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। जिनिंग की फैसिलिटी अपर्याप्त है और जब तक यह फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी तब तक वे कपास खरीदने में असमर्थ हैं। इसके दो तीन रोज बाद में ही हमने स्पेशल सेक्रेटरी, एग्रीकलचर को दिल्ली भेजा और डाइरेक्टर ग्राफ एग्रीकलचर को दिल्ली में बता दिया। उनसे बात करने के बाद में काटन कारपोरेशन द्वारा दुबारा खरीद शुरू कर दी गई, और एक और मंडी गजसिहपुर में आज से खरीद शुरू कर दी है। इस बात की सूचना काटन कारपोरेशन ग्राफ इंडिया ने दी है, और उसके आधार पर वे दो और जगह कपास खरीदना चाहते हैं उनमें से एक मंडी तो करणपुर की मंडी है और दूसरी रायसिहनगर की मंडी है। यह जो अभी काटन खरीदा जा रहा है वह केवल विजयनगर और गंगानगर में खरीदा जा रहा है और तीन और मंडियों में आज से खरीदने का आश्वासन दिया है, और कलेक्टर को उन्होंने इस तरह की सूचना दे दी है, और शायद उनके आदमी भी पहुंच गये है। कलेक्टर ने मुझे बताया है कि गजसिहपुर में आज से परचेज कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ ही जब हमको यह मालूम पड़ा कि भारत सरकार ने हरियाणा और पंजाब के लिए वहां की प्रोक्योरमेंट प्राइस तय कर दी है काटन के गिरते हुए भावों को देखते हुए तो हमने भारत सरकार से कहा है कि आपने भटिंडा की मंडी में और पंजाब हरियाणा की मंडियों में भाव तय कर दिये हैं लेकिन गंगानगर की कैसे एक्सक्लूड कर दिया? यह बात शायद स्पैशल सेक्रेटरी ने वहां पर रखी थी तो उनको

(श्री परसराम मदेरणा)

आश्वासन दिया गया ज्वाइंट सेक्रेटरी और टैक्सटाइल कमिश्नर ने जो कि दोनों पोस्ट्स पर काम कर रहे हैं कि वह कारपोरेशन से बात करके आपके वहां जो प्रोक्योरमेंट प्राइस हो काटन की और जो पंजाब और हरियाणा में दरें तय की हैं वे आपके यहां के लिए भी तय कर दें। और अभी दो घन्टे पहले मुझे इस बात की सूचना मिली है कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है और कानून के अनुसार वे नोटिफिकेशन निकालकर आज ही जो प्राइस भटिंडा और अबोहर की मंडियों के लिए तय की है वे ही गंगानगर में रख रहे हैं। हरियाणा की मंडियों के लिए उन्होंने 195 मिनिमम और 310 मेक्जीमम तय की हैं तो इस तरह की प्राइसेज हमारी मंडियों के लिए भी तय की हैं और आज या कल नोटिफिकेशन निकाल देंगे। बाजार में उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा था और प्राइसेज में वेरियेशन्स होते रहते हैं और प्रोक्योरमेंट प्राइस कारोपरेशन ने तय कर दी है तो इस नोटिफिकेशन के निकालने के बाद लाजिमी तौर पर उनको उस भाव पर कपास खरीदना पड़ेगी।

राज्य सरकार अपने प्रयत्नों को कर रही है और राज्य सरकार हमेशा ही सतर्क रही है कि काटन के भाव नहीं गिरें लेकिन जिनिंग की फैसिलिटी नहीं थी और आज तक भी जिनिंग फैसिलिटी नहीं होने के कारण कारपोरेशन को हिचकिचाहट थी तो हमने उनको आश्वासन दिया है और टेलिग्राम के जरिए आज ही यह आश्वासन दिया है कि कलेक्टर ने वहां की जिनिंग फैक्ट्रीज के मालिकों को बुला कर बात कर ली है उनसे यह कह दिया है कि रोटेशन से कारपोरेशन का कपास जिन किया जाय। कुछ स्पेशल दिन उनको दे सकते हैं और कुछ डेज अलग अलग फैक्ट्रीज में वह काटन कारपोरेशन के लिए वे तय कर सकते हैं। बाकी अगर पूरी की पूरी फैक्ट्रीज को रिजर्व करना चाहें तो सीजन के पहले रिजर्व कराना चाहिए, और उन्होंने पहले से कर रखे हैं कान्ट्रेक्ट तो उनको नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ पीरियड के लिए रोटेशन से वे कारपोरेशन को दे देंगे। कारपोरेशन के इस आश्वासन के बाद मुझे ऐसा बताया गया है कि गंगानगर में वापिस कपास खरीदने के आदेश दे दिये हैं, और भटिंडा के जनरल मैनेजर ने अभी अभी दो बजे के आसपास हमारे स्पेशल सैक्रेटरी को सूचित किया है कि गंगानगर में कल से परचेज़ेज शुरू कर दी गई हैं।

कपास खरीदने का मामला भारत सरकार से सम्बन्ध रखता है या काटन कारपोरेशन करता है। राज्य सरकार को इस बात की चिन्ता है क्योंकि कपास पैदा करने के लिए इन्टेन्सिव कल्टिवेशन आफ काटन प्रोजेक्ट गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में अगले साल से लिया जा रहा है। यह बहुत बड़ा प्रोजक्ट है उसको सेट बेक न लगे इसलिए चाहते हैं कि काश्तकार को उपज का उचित मूल्य मिले।

इन सब प्रयासों के बाद भारत सरकार के कहने से काटन कारपोरेशन ने दुबारा मार्केट में आना स्वीकार कर लिया है।

(श्री परसराम मदेरणा)
काटन कार्पोरेशन ने एक और मंडी में आज से परचेज करने के लिए आदेश दे दिये हैं, उसके साथ साथ जो प्रोक्योरमेंट प्राइस हरियाणा और पंजाब में तय हुई उसी तरह से हमारी मंडियों में प्राइसेज तय हो जाने के बाद में काश्तकारों को शोषण से मुक्ति मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय,

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : जो 22000 मन कपास खरीदा गया है वह सिर्फ 5-4 हजार मन गंगानगर में ही खरीदा गया है और किसी मंडी में नहीं खरीदा गया है। दूसरा मैं यह अर्ज करूंगा कि सारे भारत में गंगानगर का जो कपास होता है वह अच्छा होता है तो हमारे कपास के भाव पंजाब से तेज क्यों नहीं रहने चाहिये? क्या सरकार इसके लिए प्रयत्न कर रही है?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार प्रयत्नशील है। आपका यह कहना है कि केवल गंगानगर में ही कपास खरीदा गया है और दूसरी किसी मंडी में नहीं खरीदा गया है। जो मुझे सूचना मिली है और सूचना भी ज्वाइंट डाइरेक्टर आफ एग्रीकलचर के मारफत और कलेक्टर गंगानगर के मारफत मिली है कि विजयनगर में काटन खरीदा गया है। विजयनगर में 600 बेल्स दर्ने इतना काटन खरीदा गया है। एक बेल में 180 किलोग्राम रुई होती है। इसलिए यह कहना कि गंगानगर में ही केवल कपास खरीदा गया है यह बात ठीक नहीं है। 1500 बेल गंगानगर में बनी हैं और 600 बेल्स विजयनगर में खरीदे गये कपास से बनी है। अब गजसिंहपुर में खरीदा जा रहा है और दो मंडियों के नाम हैं उनमें भी परचेज करेंगे।

श्री केशरीमल : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अजमेर जिले के बारे में अकाल के संबंध में दो दफा एडजोर्नमेंट मोशन मैंने रखे हैं और कटमोशन के जरिये भी ध्यान आकर्षित किया गया है। कई दफा इस बारे में बोलने का भी अवसर मिला तब भी इस बात को रेज किया गया कि अजमेर का काफी बड़ा पहाड़ी इलाका है लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। वहां पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है यहां तक कि ब्यावर शहर में भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और दो दफा एडजोर्नमेंट मोशन रखने के बाद भी आपने अजमेर के लिए बिल्कुल जिक्र नहीं किया है। मेरे खयाल से आपने पहले जिक्र किया था कि कलेक्टर ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। कल भी 145 गांवों की रिपोर्ट भेजी है कलेक्टर ने जिसमें यह माना है कि इलाके में सूखा है। तो क्या कारण है कि इस बात का जिक्र नहीं किया गया है और इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसको कृपया स्पष्ट करें।

क्या कारण है कि हमारी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। आप स्पष्ट कारण बतायें, क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोलना था पर आप फेमिन पर आ गये। जहां तक ब्यावर तहसील का प्रश्न है, खरीफ की इस फसल में किसी भी गांव का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। रबी की फसल में जैसा आप कहते हैं, जिलाधीश की रिपोर्ट आई है। वहां काश्तकारों का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार की यह नीति रही है कि जहां रबी की फसल में नुकसान होता है तो वहां पर राहत के काम नहीं खोले जाते हैं। खरीफ में हो तो राज्य सरकार ध्यान रखती है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अजमेर जिला ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है। यहां हमेशा यह पद्धति बन गई है कि बराबर काम चलाये जाते रहे हैं। माननीय सदस्य ने पुर जोर शब्दों में मांग रखी होगी। मेरा कहना यह है कि हमने अजमेर कलेक्टर से जानकारी की है। आप का जो कहना है वह सूचना प्राप्त होने पर अजमेर जिले में और ब्यावर तहसील के बारे में विचार किया जायेगा।

यहां पर हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने भी प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि जयपुर शहर में आवासीय समस्या शोचनीय है। जयपुर नगर विकास न्यास इस समस्या को हल करने में असफल रहा है। मुझे भी यह कहने में संकोच नहीं है कि न्यास ने पिछले कई सालों से बहुत ही कम जमीन अवाप्त की है। मास्टर प्लान के अन्तर्गत 69 से लेकर अब तक 720 एकड़ जमीन में 250 प्लांट पहले से बने हुये थे। 100 एकड़ इन्स्टीट्यूशन्स के लिए रिजर्व रखी गई। 250 एकड़ बाई-पास के अन्दर आती थी। इस लिए ज्यादा जमीन नहीं बची। 1969 में 2000 बीघा अवाप्त करनी चाहिए थी। अब यह एरिया बढ़ा दिया गया है करीब 3500 बीघा कर गया है। अब राज्य के पास जमीन नहीं है। फारेस्ट ने इन्कार कर दिया है। अब जो कुछ जमीन अवाप्त करनी हैं, वह किसानों से लेनी है। अब हमने आवासीय समस्या हल करने के लिए यहां पर जो दूसरे बोर्ड हैं, हाउसिंग बोर्ड है। इस हाउसिंग बोर्ड को नगर विकास न्यास ने पहले प्लाट दिये हैं। 176 मकान बनाकर नीलाम कर दिये गये हैं। 250 बीघा जमीन तिलक नगर के पास ट्रांसफर की गई है। 200 के करीब टेनामेन्ट बनाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत 292 मकान बनाने का काम हाथ में ले लिया गया है और एक हजार बनाने की योजना है। मैंने माननीय सदस्य को यह जानकारी दी है इसलिए कि यू. आई. टी. के साथ में जो हाउसिंग बोर्ड की जो जनरल स्कीम है, उससे समस्या का समाधान होगा। उसके साथ साथ माननीय सदस्य ने जो मुख्य मुद्दा उठाया है हालांकि उसका सम्बन्ध रेवेन्यू विभाग से है लेकिन मुझ से भी है। काफी हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटीज ने बना रखे हैं। उन मकान बनाने वालों को नोटिस दिये जा रहे हैं। नोटिस दिये गये है कि मकानों का बनाना क्यों नहीं रोक दिया जाय। इसके साथ साथ ही यह भी बड़ी विषम स्थिति है कि राज्य सरकार ये नोटिस क्यों दे रही है। इसका कारण यह है कि राज्य सरकार ने कृषि भूमि को पुनरावर्तित करने का नियम नहीं बनाया है। राज्य सरकार ने 6

(श्री परसराम मदेरणा) :

अक्टूबर, 71 को Rajashan Land Revenue (Allotment and Conversion of Land for Residential & Commercial Purposes) Rules, 1971 बनाए।

इन रूल्स के बनने के बाद में 6 महीने के बाद इस बात की सम्भावना थी कि जिस किसी ने मकान बनाया है, तो जैसा कि माननीय मुख्यमन्त्री जी ने यह घोषणा की है कि 21 अगस्त 71 तक जिन्होंने बना लिये हैं, उनको रेग्यूलराइज कर दिया जाये। वह कई शहरों के लिए निर्धारित कर दिया गया है। वह सदन में समय समय पर उपस्थित हो गया है। यह 9 अक्टूबर, 71 के राज-पत्र में भी प्रकाशित हो गया है। 8-4-72 को 6 महीने की अवधि समाप्त हो गई है। इसमें 6 महीने के पीरियड में सर्वे किया गया है। 2000 लोगों ने एग्रीकल्चर लैण्ड पर कब्जा किया है। इस अवधि में पुनरावर्तित कराने के लिए किसी ने नहीं लिखा। केवल दो एप्लीकेशन आई हैं, जिन्होंने यह लिखा है कि जितना चार्जेज हो हम से ले लिया जाये। बाकी किसी अतिक्रमणकारी ने ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है। इसलिए सरकार ने नोटिस दिये हैं। 21-7-71 को मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी। 22,23 और 24 को सर्वे कराया था। उस सर्वे में रेग्युलराइज करने का प्रश्न था। उसके अन्दर जो ट्रेस पासर हैं, उनको कलेक्टर की तरफ से नोटिस दिया है। दूसरे वह लोग हैं, जिन्होंने 21-अगस्त के बाद में कन्स्ट्रक्शन किया है। 21 अगस्त रख दी गई है। 21 अगस्त के बाद जो ट्रेस पासर कर लिया गया है, उनको नोटिस दिये गये हैं। उनकी संख्या 64 है कुल मिलाकर। (अल्प विराम) उनकी संख्या 67 है। 67 को नोटिस दिये गये हैं। जिन्होंने 21 अगस्त के बाद किया है, उन पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

मैं समझता हूं जहां तक कोआपरेटिव सोसाइटीज और हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज का प्रश्न है, जिन्होंने एग्रीकल्चर लैण्ड की जमीन खरीदी है, उनके कन्वर्सन की बात है, राज्य सरकार की यह नीति रही है कि केवल उन्हीं का कन्वर्सन करेंगे जो प्लिन्थ लेविल तक आ गये हैं और जो कोआपरेटिव सोसाइटीज में लिये गये हैं। इसके अलावा जो लोग हैं, उनको परमीशन दी जायेगी या नहीं, रूल्स में यह नहीं है। राज्य सरकार इस पर व्यापक तरीके से सोच रही है। आप को और माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि कुछ बस्तियों में लोगों ने अन-अथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन कर लिये हैं। एक दो नहीं 110 कच्ची बस्तियों में और 35 म्युनिसिपल बाउण्डरी में हैं। 64 के आसपास यू. आई. टी. एरिया में हैं। उनको भी रैग्युलराइज किया जायेगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य गैर जानकारी से यह बात कह रहे हैं कि कन्वर्शन के रूल्स नहीं बने हैं। इसके रूल्स बना दिये गये हैं और रूल्स ही नहीं बना दिये गये हैं, बल्कि स्पेशल आफिसर आन ड्यूटी लगाये गये हैं जो कन्वर्शन फीस चार्ज करने की और रेगुलेराइज करने की कार्यवाही करें वह सीनियर आफिसर, आर.ए.एस. आफिसर हैं। इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, छः महीने का समय था, छः महीने के समय तक वह आफिसर कार्यवाही

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं कर सके, तो रूल्स में ऐसा प्राविजन था कि छः महीने की अवधि समाप्त हो चुकी हो उसके बाद में अनआथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन कोई व्यक्ति ने किया है तो उसको नोटिस देने की जरूरत है ताकि उसको कन्वर्शन कराना हो तो उसके लिए एप्लीकेशन दे दें और उसके लिए कुछ कहने की जरूरत हो वह कहें। उसके पास कोई डाकूमेंट हो तो उसको वह पेश कर सकता है। वह कह सकता है उसके आधार पर कि मैं मुद्दत से रह रहा हूं, खातेदारी है, मेरा प्रोप्राइटी हक है। इस प्रकार के दस्तावेज हों तो वह रख सकता है। इसलिए यदि नोटिस दिये हैं तो माननीय सदस्य को एतराज नहीं होना चाहिए। कानून के अन्तर्गत होते हुए भी वह इसलिये किया गया है ताकि वह अपनी सफाई और देना चाहे तो दे। सरकार के विचाराधीन है एग्रीकल्चर लैंड का मामला, उसमें भी इस का ध्यान रखेंगे, और रखा है। खातेदार है वह अपील कर सकता है कि इसे रेगुलेराइज किया जाय। अगर कोई खातेदार है, किसी ने जमीन खरीदी है तो हम इसमें स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहते, अगर किसी ने प्लिन्थ लेवल तक मकान बना लिया है तो उसको हम नहीं तोड़ना चाहते हैं। लेकिन राज्य सरकार की आज्ञा के बाद में भी बराबर कन्स्ट्रक्शन होते रहें, फिर भी नोटिस नहीं दिया जाय, और नोटिस के साथ एन्क्रोचमेंट भी करते हुए चले जायं और सख्त कार्यवाही नहीं की जाय-यह सम्भव नहीं है। जब तक इस सम्बन्ध में सरकार की पालिसी लिबरल रही तब तक जगह जगह अनआथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन हो गये। अब जयपुर का मास्टर प्लान बना है, जयपुर के अन्दर आवासीय सुविधा के लिए, वह अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, प्रकाशित होने वाला है। प्रिंटिंग के लिए पड़ा है, उसमें नक्शे हैं, उसे जयपुर में कोई प्रेस प्रिन्ट नहीं कर सका, इसलिए दिल्ली से प्रिन्ट कराना पड़ेगा। उसके प्रकाशित होने के बाद जहां तक चीफ टाउन प्लानर का सवाल है, उसके एप्रूवल का मसला है, उसकी एप्रूवल के साथ साथ कुछ फार्मेलिटी का प्रश्न है तो जनता के सामने और संस्थाओं के सामने वह प्लान रखेंगे, वह अपने आब्जेक्शन और सजेशन उस पर दे सकते हैं। उसके बाद राज्य सरकार के पास आयेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें जो आब्जेक्शन आयें और सजेशन पर विचार होने के बाद जब वह मास्टर प्लान सरकार के सामने आयेगा तो एक सप्ताह से ज्यादा उसके डिस्पोजल में नहीं लिया जायगा। उसके बाद जयपुर का विकास ठीक ढंग से हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की जो गलतफहमी थी वह दूर हो गई होगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अकाल के बारे में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने आवास के बारे में एक प्रस्ताव रखा था.......

श्री अध्यक्ष : एक सदस्य।

श्री मोहनलाल छंगाणी : फलौदी की उपेक्षा करके आपने अकाल नीति का निर्णय कर लिया। अकाल का अर्थ तंत्र के साथ साथ पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके बारे में निश्चित नीति होनी चाहिए। जिस तरह से आप राज्य

(श्री मोहनलाल छंगानी)
कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाते हैं, उसी तरह से आपको अकाल राहत कार्य खोलने चाहिए। लेकिन वह नहीं हो पाया है। यह दुःख की बात है। मेरा निवेदन है कि अब आप फेमिन कोड के अन्दर अमेंडमेंड करके अकाल राहत कार्य अवश्य करायें।

फलोदी के बारे में आपने सूचना दी है 'क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कुछ काम कराये जा रहे हैं।' क्रेश प्रोग्राम की एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियेलिटी नगण्य है। क्रेश प्रोग्राम में पांच-सात काम होते हैं और हजार आदमी को आप काम दे सकते हैं। उसमें केवल हजार आदमियों को काम देने की व्यवस्था है इसलिए यह आवश्यक है कि अकाल राहत कार्य खोले जायें...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मोहनलाल छंगानी : मैं निवेदन करना चाहता हूं, फेमिन कार्य में फलोदी तहसील में अकाल राहत कार्य खुलवाये जायं उनमें सड़कों का निर्माण, नाड़ियों का निर्माण कार्य हो। वहां पर पानी की समस्या है, वहां पर दो चार साल से अकाल हैं, इस साल भी अकाल पड़ा है लेकिन पानी नहीं मिलता है। इसलिए अकाल राहत कार्य में ऐसे कार्यों की व्यवस्था करें। मैं, अकाल मंत्री...

श्री श्रीराम गोटेवाला : अकाल राहत मंत्री बोले, अकाल मंत्री नहीं; राजस्थान तो पहले से ही अकाल से परेशान है।

श्री मोहनलाल छंगानी : अकाल राहत मंत्री अधिक इन बातों पर सोच कर व्यवस्था करें, इतनी अपेक्षा है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में राजस्थान में व्यापक और भयंकर अकाल पड़ा वैसा राजस्थान बनने के बाद नहीं पड़ा। माननीय सदस्य और सदन को तवारीख मालूम होगी, तवारीख के अनुसार छप्पनिया अकाल के बाद सबसे बड़ा यह अकाल पड़ा। इस अकाल के अन्दर पच्चीस-छब्बीस हजार गांव अफेक्टेड थे और 1 करोड़ 29 लाख जनता उससे अफेक्टेड थी, 20 लाख लोग मस्टर रॉल पर दर्ज होकर काम कर रहे थे। तो पिछले दो वर्षों में जो लोगों को काम दिया उसकी जानकारी माननीय सदस्य को है। कौनसे काम लिये गये, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को शायद नहीं। पांच लाख की रीजनल-पाइप लाइन की योजना हाथ में ली। जब अकाल पड़ा तो कई सड़कों का काम हाथ में लिया, जिसमें पक्की सड़कों का काम नहीं, बल्कि कच्ची सड़कों का काम हाथ में लिया, ग्रेवल रोड का काम हाथ में लिया। जो हजारों काम हाथ में लिये गये उनकी मैं एक रिपोर्ट छपवा रहा हूं, अभी वह रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। वह रिपोर्ट तैयार होने के बाद माननीय सदस्यों को वितरित करा दूंगा। जो जोधपुर जिले का सवाल है, जोधपुर में जो काम किये गये हैं, माननीय सदस्य स्वयं जाकर देख लें और तसल्ली कर लें। आप यह बात कहते हैं कि लार्जर इन्ट्रेस्ट की पॉलिसी को हमने अख्तियार नहीं किया है। मेरी अर्ज यह है कि आप इस सरकार को दोष देते हैं, लेकिन जो भी रूरल वर्क्स शुरू किये उसमें दस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट हमने नहीं किया है। भारत सरकार ने जो क्राइटेरिया निर्धारित किया उसके अनुसार हुआ है।

Page No 114

(श्री परसराम मदेरणा)
हमने तो उनके पास आंकड़े भेज दिये थे। बावन जिले कुल हिन्दुस्तान में से लिये गये जो ड्राट अफेक्टेड थे...

श्री रामनारायण चौधरी : व्हाट अबाउट झुंझुनू ?

श्री परसराम मदेरणा : अब झुंझुनू। आई विल लेट यू नो जस्ट नाऊ।

जिलों में करोड़ रुपया आवंटित कर देते हैं फोर्थ प्लान में, तो जो प्लान लाया गया है उसमें यह अभिप्राय था कि आगे बड़े फेमिन की सिक्यूरिटी को कम करने के लिए रूरल वर्क्स के काम चलाने हैं। यह काम कम आपको लगते हैं, यह सरकार भी कह रही थी कि बहुत कम है। मैं अर्ज कर रहा हूं, फलौदी से, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्यों को यह अहसास न हो कि मैं काम नहीं खोलना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं...

श्री मोहनलाल छगानी : यह भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है।

श्री परसराम मदेरणा : आप जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं। फलौदी में पूरे फेमिन की समस्या को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया जाय, वह केवल तभी हो सकता है जब पानी की सुविधा हो। दूसरा हल यह है कि फलौदी तहसील में खेती को बन्द कर दिया जाय और वहां कैटल ब्रीडिंग का काम को लिया जाय, आप ब्रीडिंग के काम को लिया जाय। वहां के काश्तकार कैटल डेवलपमेंट का काम शुरू कर दें। लेकिन वहां पर चरागाह की व्यवस्था भी नहीं है। जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, तब यह प्रश्न आया कि चरागाह की जमीन को भी एलाॅट कर दी जाय लोगों को, क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं। जैसलमेर एक ऐसा इलाका था जहां हजारों बीघा जमीन थी जहां के लोग कहते हैं, जैसा कि खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जैसलमेर में खेती का काम कम करते हैं, वहां मवेशी रखने का काम ज्यादा करते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जैसलमेर में इतनी जमीन है, जिस जमीन पर कैटल पापूलेशन बढ़ती रहे, ह्यूमन पापुलेशन बढ़ती रही तो उनकी जिस तरह की समस्या है उसके अनुसार उसका समाधान करना पड़ेगा। जो ह्यूमन पापुलेशन वहां है, जो कैटल पापुलेशन है, वहां का जिस ढंग का सवाल है, उस संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा कि वहां खेती का काम कम करते हैं इसलिए अकाल के समय वहां स्थिति विषम हो जाती है। वहां भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी है। इसलिए क्रैश प्रोग्राम चल रहे हैं, रूरल वर्क्स प्रोग्राम चल रहे हैं। सेन्टर स्पोन्सर्ड योजना बाड़मेर में चालीस-पैंतालीस लाख की चल रही है, जैसलमेर में 12 लाख की चल रही है। इसके बाद काम क्या खुलवाना चाहते हैं?

श्री मोहनलाल छगानी : रूरल वर्क्स में क्या पोटेंशियेलिटी है, क्रैश प्रोग्राम में....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय मैं....

श्री मोहनलाल छगानी : क्रैश प्रोग्राम देश भर में हैं, राजस्थान के अन्दर ही नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : रूरल वर्क्स कई जिलों में है, उसमें क्राइटेरिया यह है कि

(श्री परसराम मदेरणा)
इससे पहले तय किया गया था कि काम डिपार्टमेंटली करवायेंगे । डिपार्टमेंट से काम करवाने लगे तो जगह जगह लेबर ने स्ट्राइक कर दी । दूसरे, जो खर्चा आ रहा था बेसिक शिड्यूल्ड रेट से 200 प्रतिशत एबाऊ आ रहा था तो मंत्रीमंडल और मुख्यमन्त्रीजी के कहने पर निर्णय लिया गया कि जो काम डिपार्टमेंट कर सकता है करे और जिन पर डिपार्टमेंट द्वारा करने में ज्यादा खर्चा आता है तो वह कान्ट्रेक्टर के थ्रू करायें, लेकिन जो काम लिए गए हैं, एक एक काम हमने नहीं लिया है, हमने प्रोपोजल्स भेजे हैं....

श्री मोहनलाल छंगानी : मन्त्रिमंडल ने क्या निर्णय लिया है कि कितने आदमियों को रोजगार पर लगाया जाए ?

श्री परसराम मदेरणा : पहले कुछ लोग यहां पर कह रहे थे कि भारी काम यूटिलिटी के नहीं लिए हैं और ऐसे काम ले लिये गए हैं । अब पूरे का पूरा एक काम भारत सरकार ने सैंक्शन किया है ।

श्री मोहनलाल छंगानी : आपने फलोदी को विषम परिस्थिति का बताया है ।

श्री परसराम मदेरणा : रोजगार के आज भी करीब 20 करोड़ के काम, जो आउटले चौथी योजना में निर्धारित किया है उसमें करीबन 16॥ करोड़ की योजना स्वीकृत हो चुकी है । आगे के जो काम करवाने हैं चाहे दस हजार के हों या दस लाख के, भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए जाएगा, उनकी स्वीकृति आएगी उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सैंक्शन इश्यू किया जाएगा । इस प्रकार की सतर्कता बरती है ।

(समय-सामाप्ति-सूचक घंटी)

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री मोहनलाल छंगानी : आप बिना भारत सरकार की स्वीकृति के कुछ निर्णय लेकर राहत कार्य शुरू कर सकते हैं तो अच्छा होगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रश्न सुन लीजिये । आपने अकाल के लिए युटिलिटी वर्क्स, यह किया, यह बहस का मुद्दा है । मैं जानना चाहता हूं कि 1968-69 में आपके 32॥ हजार गांवों में से 27 हजार गांव अकाल में थे । उस साल भयंकर अकाल था, 20 हजार पशु मर गये और उस पशुधन को बचाने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया सबसे बढ़िया नस्ल की गायें नष्ट हो गई और अच्छी से अच्छी ब्रीड बिल्कुल वेनिश हो गई । राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया पशुधन को बचाने के लिए ।

दूसरी बात अकाल आपका परमानेन्ट फीचर है और राजस्थान कैनाल का अकाल में उपयोग है और बीकानेर के एरिड जोन्स के लिए कालोनाइजेशन....

श्री अध्यक्ष : ब्रीफ ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पहले ठोस योजनाएं रखीं, 5 हजार एकड़ का पास्चर लैंड, 50 हजार के खर्चे की बात की, आपके विभाग ने स्वीकार नहीं किया । जब तक आप परमानेंट पास्चर लैंड क्रियेट नहीं करते आप अपने पशुधन को नहीं बचा सकते । ऐसी

Page No 116

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
परमानेन्ट योजना जो परमानेन्ट पारस्पर लैंड क्रीएट करके पशुधन बचाने के लिए सरकार रिजेक्ट करती है....

(श्री रामनारायण चौधरी और श्री गिरधारी लाल भार्गव साथ-साथ बोलने लगे)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पहले अकाल के बारे में बात कर लें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने जयपुर की आवास-समस्या के बारे में सवाल रखा था....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पहले फेमिन तय कीजिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर राजधानी बन गई उसके कारण...

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपसे हाथ जोड़ कर कहते है कि अकालग्रस्त लोगों को कुछ कहने दीजिए।

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा सवाल था आवास–समस्या के बारे में....

श्री अध्यक्ष : वह अलग सवाल है। वित्तमंत्री जी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा स्थगन प्रस्ताव....

श्री चंदनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 दिनों से बजट पर....

(वित्तमंत्री और श्री गिरधारीलाल भार्गव साथ साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : यह वाद-विवाद का समय नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : और लोगों को तो समय दिया। आवास-समस्या के बारे में मंत्रीजी ने....

(शोरगुल–अश्रव्य)

मुझे विचार व्यक्त कर देने चाहिए।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग व्यवस्था को भंग कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य)।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आप समझते हैं, हम भी समझते हैं।

श्री अध्यक्ष : वित्तमंत्री।

श्री अध्यक्ष : डिबेट के रिप्लाई का समय नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यदि आप समय नहीं देना चाहते, आप बोलने नहीं दें तो अन्याय है। जब और पार्टीज के लोगों को समय आप देते हैं...

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया और श्री गिरधारीलाल भार्गव साथ साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : आपको सवा घंटा दिया था उसके बजाए 1 घंटा 52 मिनट लिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसके बावजूद आपने मुझे 10 मिनट का समय बजट भाषण पर बोलने का और दिया ।

श्री अध्यक्ष : वित्तमंत्री ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आवास के बारे में····

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : माननीय सदस्य आदत से बाज नहीं आयेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मस्ट नाट बी रेकार्डेड ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अंकित नहीं किया गया)

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए नहीं तो नाम से पुकारूंगा हर समय बोलने का अधिकार नहीं है । स्पीकर की परमिशन से बोलने का अधिकार है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अंकित नहीं किया गया) ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : जब अध्यक्ष ने व्यवस्था देदी है तो किन नियमों के तहत आप बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अंकित नहीं किया गया) ।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय गिरधारीलाल भार्गव नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके खिलाफ कार्यवाही की जाए ।

(शोरगुल)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री गिरधारीलाल भार्गव को सदन से बाहर····

(शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के पश्चात जिन सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं रखा था, उनको आपने बोलने का अवसर दिया····

श्री अध्यक्ष : सबको नहीं दिया ।

श्री गुमानमल लोढा : श्री गिरधारीलाल ने स्थगन प्रस्ताव रखा था....

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मैं श्री खेतसिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री गुमानमल लोढा : इनको भी इस बात के लिए अवसर देते । यदि आज वित्त मंत्री को अवसर देना था और बजट का मामला अहमियत का था तो अकाल राहत मंत्री को स्थगन प्रस्ताव के बारे में अवसर न देते । यदि उनको अवसर दिया गया है तो श्री गिरधारीलाल भार्गव के साथ न्यायोचित होगा कि स्पष्टीकरण के लिए उनको भी पूछने का अवसर दें ।

श्री अध्यक्ष : मैं आज कोई समय नहीं दे पाऊंगा । वित मंत्रीजी ।

Page No 118

श्री चन्दनमल वैद (वित्तमंत्री) : आज पांच दिन से बजट पर जो बहस हो रही है उस पर काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये हैं। मैं माननीय सदस्यों का इस बात के लिये आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार यहां प्रकट किये हैं और इसलिये मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे लिये यह संभव नहीं होगा कि थोड़े से समय में पांच दिन में जो बहस हुई, लगभग 50 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये, उन सब का पूरा जवाब दे सकूं, अपने विचार रख सकूं, किन्तु फिर भी मैं खास खास मुद्दों पर विचार प्रकट करूंगा। और बाकी मुद्दे होंगे उन पर डिमान्ड पर बहस होगी तब मैं या मंत्रिमंडल के दूसरे साथी विचार प्रकट करेंगे। माननीय सदस्य यह न समझें कि जिन मुद्दों का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, विचार प्रकट नहीं कर पाऊंगा इसलिए वे महत्वपूर्ण नहीं हैं विचार उनके महत्वपूर्ण हैं उन पर ध्यान देंगे लेकिन अभी समयाभाव के कारण कुछ ही बातों पर मैं विचार प्रगट कर सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट भाषण में कहा था कि 613 करोड़ का ऋण भार है और 90 करोड़ के ओवर ड्राफ्ट हैं। और जिसके लिए कुछ माननीय सदस्यों ने शंकायें प्रकट की कि ऋण भार क्यों बढ़ा है और उसके क्या कारण हैं। इस सम्बन्ध में मैं विस्तार से थोड़ा अर्ज करना चाहूंगा। 31 मार्च सन् 1972 को राज्य पर 732 करोड़ का ऋण भार था 664 और 90 करोड़ 733 करोड़ होते हैं जैसा बजट भाषण में कहा था पूरे समायोजन हो जाने के बाद 71–72 की यह रकम बढ़ सकती है वह बढ़ी नहीं, करीब 1 करोड़ घट गई। मेरा अन्दाज था कि 733 करोड़ से बढ़कर आगे जा सकती है। 733 करोड़ क ी इस प्रकार है :

1. मार्केट बोरोइंग्स	56.86 करोड़	
2. भारत सरकार से	566.97	,,
3. एल. आई. सी.	9.61	,,
4 अन्य बोडीज से	4.12	,,
5. जागीर बिल्डिंग्स	5.90	,,
6. रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	88.81	,,

यह कुल मिला कर होता है 731 करोड़ 97 लाख।

अब विगत देना चाहता हूं 566, करोड़ 76 लाख भारत सरकार से हमने ऋण लिया, किस किस बात के लिये।

फेमीन रिलीफ 78.10 करोड़
स्पेशल अकमोडेशन फोर मीटिंग बजटरी गेप एण्ड अदर वेज एण्ड मीन्स एडवान्सेज

आपने देखा है कि कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की और बार–बार कहा कि 27 करोड़ या 23 करोड़ का घाटा भारत सरकार से विशेष सहायता लेकर पूरा करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे ओवर ड्राफ्ट करके, भारत सरकार से विशेष सहायता लेकर गेप पूरा किया जाय। वह ऋण के रूप में आता है और ओवर

Page No 119

(श्री चन्दनमल बैद)

ड्राफ्ट होता है वह शोर्ट टर्म लोन होता है। इस घाटे को भारत सरकार से स्पेशल अकमोडेशन से और ओवर ड्राफ्ट से पूरा करते हैं। हर साल यह बढ़ते-बढ़ते 111 करोड़ 27 लाख पहुंच गया।

स्माल सेविंग्स से ऋण के रूप में जो मिलता है	75 करोड़ 15.56 करोड़
इर्रीगेशन एण्ड पावर	1.79 करोड़
ब्लोक प्लान लोन्स, प्लान्स के लिये लोन मिलता है	80.97 करोड़
दूसरे	88.08 करोड़

टोटल 566 करोड़ 67 लाख रुपया।

यह 731 करोड़ की विगत इस प्रकार से है।

अभी मैंने जिक्र किया फेमिन के बारे में जो लोन्स हैं उनका। वे हैं 78.10 करोड़। फेमीन लोन्स के बारे में आपके सामने विगत रखना चाहूंगा : 53-54 से 71-72 तक। कुछ न कुछ भारत सरकार से लोन लेते रहे हैं :

1953-54	62 लाख
54-55	4 ,,
55-56	...
56-57	5 ,,
62-63	24 ,,
63-64	100 ,,
64-65	150 ,,
65-66	220 ,,
66-67	872 ,,
67-68	500 ,,
68-69	17 करोड़ 41
69-70	42,, 70 ,,
70-71	21,, 00 ,,
71-72	ऋण नहीं लिया।

100 करोड़ 48 लाख का लोन फेमीन के लिये भारत सरकार से लिया। इसके अगेन्स्ट में 22 करोड़ 33 लाख चुका चुके हैं और 31.10 लाख बाकी है। इस साल फेमिन लोन लिया है। इस साल फेमीन लोन 9 करोड़ 90 लाख मूल धन है और 3 करोड़ 83 लाख ब्याज के हैं। इस प्रकार फेमीन में 13-73 करोड़ का ऋण चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछले साल माथुर साहब ने बजट भाषण में 106 करोड़ का कहा था। आप 100 करोड़ बता रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं जानकारी करके बता दूंगा। मेहरबानी करके बीच में न रोकें तो ठीक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 25 परसेन्ट ग्रान्ट है और 75 परसेन्ट लोन है।

श्री चन्दनमल बैद : ग्रान्ट अलग है। इसमें मूल है। ग्रान्ट को इसमें शामिल नहीं किया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 33 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने व्यय किया।

श्री चन्दनमल बैद : शान्ति के साथ बात कहना चाहता हूँ, माननीय सदस्य इसमें बाधा न डालें तो अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि 14 सालों से हमने ऋण लिये जो 100.48 करोड का है। इन पिछले 14 सालों में दो साल केवल ऐसे निकले जब कि फेमिन नहीं हुआ। इतना

(श्री चन्दनमल बैद)

पैदा नहीं हुआ जिसके लिये ऋण लेने की नौबत आती। राजस्थान के किस-किस हिस्से में थोड़ा बहुत हर साल अकाल रहता है। इसमें अकाल राहत के काम हमें खोलने पड़ते हैं। रोजगार देना पड़ता है और इसके लिये ऋण लेना पड़ता है जिससे हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। पर हमें तो मूल धन और ब्याज इसका चुकाना हो पड़ता है और इसका असर हमारे वित्तीय साधनों पर बहुत बुरा पड़ता है।

इसके लिये कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव भी दिये हैं कि भारत सरकार को हमें इसके लिये एप्रोच करना चाहिए और कहना चाहिये कि इसे एक विशेष राष्ट्रीय समस्या मानकर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। और इसके लिये एक नेशनल केलेमिटी फण्ड बनाना चाहिये उससे देश के किसी भी हिस्से में अकाल या बाढ की चपेट में लोग आते हों तो उनकी मदद इस फण्ड से की जानी चाहिये। इससे उस स्टेट की वित्तीय स्थिति पर असर नहीं पड़ेगा और उस नेचरल केलेमिटी का सामना भी किया जा सकेगा। इस तरह से लोन का भार किसी स्टेट पर नहीं पड़ेगा जो अनप्रोडक्टिव होता है। इस फण्ड से अनुदान के रूप में राशि उस प्रभावित स्टेट को दी जानी चाहिये।

नहरों के लिये अगर हमें लोन दिया जाता है तो कोई हर्ज नहीं है वह प्रोडक्टिव लोन होगा।

इस तरह से 14 साल में 12 साल अकाल के यहां रहे और उसमें यह राशि हमें खर्च करनी पड़ी जो अनप्रोडक्टिव रही और जिसके ब्याज का और मूल चुकाने का सारा भार हम पर पड़ा।

अब इस सदन के सभी माननीय सदस्य इसके लिये मेरा समर्थन करेंगे कि भारत सरकार से इसके लिये पुरजोर शब्दों में कहा जाय और इसके लिये एक नेशनल केलेमिटी फण्ड खोलने का केन्द्र से आग्रह किया जाय। अगर बंगाल, आसाम बोर्डर पर चीन के हमले से या पाकिस्तान के हमले से या शरणार्थियों के आगमन से पड़े बोझ को नेशनल केलेमिटी मानकर केन्द्र मदद कर सकती है, तो क्या कारण है कि राजस्थान में नेचरल केलेमिटी होने पर केन्द्र उसे राष्ट्रीय विपत्ति न माने।

मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि अभी जो छठा फाइनेन्सियल कमीशन का निर्माण हो रहा है उसके सामने भी यह विशेष स्थिति रखने का सरकार का इरादा है।

पर साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो ड्राट एरिया हैं उनमें अगर स्थायी कार्य नहीं किये गये तो निश्चित रूप से राजस्थान की इकानोमी बार-बार पड़ने वाले इस फेमीन के बोझे को उठा नहीं सकेगी।

इस पृष्ठ भूमि में इस बात को और भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो बात महारावल डूंगरपुर ने कही कि ईस्टर्न जोन और वेस्टर्न जोन में राजस्थान को बांट दिया जाय। यह बात महारावल ने बड़ी चतुराई और समझदारी के साथ कही क्योंकि यह

(श्री चन्दनमल बैद)
बात उनकी समझ में आ गई कि इससे आगे जाकर राजस्थान की इकोनोमी लड़खड़ा जावेगी।

इसी तरह की विचारधारा फुलेरा से आने वाले और बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी प्रकट की। उन्होंने थोडी कम चतुराई से इस बात को रखा, जबकि डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अधिक चतुराई से रखा। ईस्टर्न विंग ने डवलपमेंट कर लिया, अब वेस्टर्न सेक्टर डवलप कर ले। बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ईस्टर्न हिस्से की उपेक्षा हो रही है इसलिये उसको अधिक हिस्सा दिया जावे। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि अगर कोई अलग होना चाहे तो हो जावे। हमें ऐतराज नहीं है। उनके मनों में आशंकाएं हैं। पर इतने वर्षों के बाद राजस्थान आज अपने आपको राजनैतिक दृष्टि से भी एक महसूस करने लग गया है इस तरह की अलगाव की बात करना उचित नहीं है। आज हम राजनैतिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से राजस्थान को एक महसूस करने लगे हैं और इसके प्रमाण स्वरूप सन 72 के चुनावों में सारे राजस्थान ने एक होकर बडी ताकत और हिम्मत के साथ एक सिद्धान्त और एक नेतृत्व के लिये वोट दिया है। ऐसी स्थिति में आज इस तरह की बातें सदन में उठाना चाहे अकाल की और तज्जनित स्टेट की इकोनोमी पर पडने वाले भय की आशंका से ही क्यों न हो, राजस्थान की पक्की बनी हुई भावात्मक एकता और मानसिक एकता पर कुठाराघात करना है। मैं आशा करता हूं कि सदन के सभी सदस्य इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। एक पार्ट ने अगर प्रगति करली है और अपना विकास कर लिया है और वह दूसरे पार्ट के विकास में अपने योगदान से बचने के लिये अलग होना चाहता है तो यह उचित नहीं कहा जा सकता। दो भाई हैं। बडे भाई ने तरक्की करली, अपने बच्चों को पढा लिखाकर होशियार कर लिया और अब छोटे भाई की बारी है उसके बच्चे अपढ हैं तो उनको पढा लिखा बनाना है तब बडा भाई, जो अधिक होशियार हैं, अपने छोटे भाई से कहे कि मेरे बच्चे तो पढ लिखकर होशियार हो चुके हैं तब तुम्हारे बच्चों को पढाने लिखाने का सवाल है तो मैं क्यों इसमें पडूं, तुम तुम्हारी जानो, तो इस तरह से स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं है। छठे फाइनेन्सियल कमीशन के सामने यह बात रखनी है। न केवल अकाल के बारे में मदद देने के लिये ब्याज मुक्त ऋण के लिए भी और जो अकाल से अत्यन्त प्रभावित हैं ऐसे आठ जिलों में स्थायी विकास के लिये स्कीम बनाने के बारे में भी ताकि यह अकाल धीरे धीरे हमेशा के लिये मिटाया जा सके।

अब इन आठ जिलों के विकास के लिए और अकाल को स्थायी रूप से क्रमशः मिटाये जाने के लिये यह हमारे लिए सम्भव नहीं होगा कि हम अपने आर्थिक स्रोत सभी उसके हवाले कर सकें। इसके लिये हमें पांचवीं योजना के अन्दर भी प्रावधान रखना होगा।

इसके साथ ही हमारी यह भी कोशिश होनी चाहिये कि जो राजस्थान से लोक सभा और राज्य सभा में गये हैं वे भी

(श्री चन्दनमल बैद)
इन आठ जिलों के समुचित विकास के लिये और अकाल को क्रमशः समाप्त कर देने के लिये कोई स्पेशल स्कीम बनाने के लिये केन्द्र पर अपने अपने साधनों से जोर डाले। संसद् में और राज्य सभा में इस बात को स्पष्ट शब्दों में रखे और इसकी आवश्यकता उनको बतादें। इस तरह से प्रयत्न अगर हम लोगों ने किया तो आज जिस आर्थिक दलदल में राजस्थान फस गया है उससे निकल सकेगा।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आई प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दी रिमार्क्स। आप प्रोसीडिंगस उठाकर मुझे बता दें कि मैंने यह कहा कहा है कि अलग अलग हो जावें। यू शुड विदड्रा योर वर्ड्स।

श्री चन्दनमल बैद : मैं माफी चाहता हूं। बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने स्टेटमेंट में एक बात कही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उन्होंने भी अलग होने की बात नहीं कही है।

श्री चन्दनमल बैद : ये सारी बातें कह कर आप यह न समझ ले कि अपने प्रदेश की आर्थिक जो स्थिति बन गई है उसका सारा दायित्व भारत सरकार पर डालना चाहता हूं और न मैं यही कहना चाहता हूं कि सारा ही काम भारत सरकार करे।

अपने तौर पर सरकार भी कुछ ऐसे कदम उठाना चाहती है जिससे कि अपनी विषम आर्थिक स्थिति को हम सुधार सकें। इसके लिये जैसा मैं पहले लेखानुदान पेश करते समय संकेत कर चुका था कुछ पंचसूत्री कार्यक्रम हमने तैयार किया है। अनेक माननीय सदस्यों ने इशारा भी किया कि इकोनोमी की बात तो की गई पर उसका उल्लेख नहीं किया गया कि हम क्या इकोनोमी कहना चाहते हैं। तो मैंने जानबूझ कर उस समय इसका उल्लेख नहीं किया था। मैं चाहता था कि पहले काम करूं और फिर बताऊं कि हमने यह किया है। पर जब माननीय सदस्यों ने इस पर जोर दिया तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने जो थोड़े से दिनों में इस दिशा में कार्य किया है वह क्या हैं।

हमने एक इकोनोमी कमेटी बनाई है। चीफ सेक्रेटरी के सभापतित्व में। बैठक बराबर मिल रही है। अब तक 92 करोड़ 29 लाख की बचत के प्रोपोजल फाइनल कर लिये गये है। वे केबिनेट के सामने जाने वाले हैं।

श्री रोशनलाल : 92 करोड़।

श्री चन्दनमल बैद : सोरी 92 लाख 29 हजार।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि वित्तमंत्री अनुभव में कच्चे हैं उसको देखते हुए ऐसी स्खलना के लिये माफी देते रहेंगे तो निभाव हो जावेगा।

श्री रोशनलाल : इसीलिये कहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : इन प्रयत्नों से मुझे कोई सन्तोष हो गया हो, ऐसा नहीं है। प्रयत्न बराबर चालु है। ज्यों ही विधान सभा का सत्र समाप्त होगा मेरा प्रयत्न रहेगा कि जो भी अनुपयोगी स्कीम है और फिजूल के खर्चे हैं उनको भी समाप्त किया जावे। जिससे हम कह सकें कि आज हम

(श्री चन्दनमल बैद)
यहां जो कह रहे हैं उस पर अमल भी कर रहे हैं । हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, अगर हम ईमानदारी से प्रयत्न नहीं करेंगे सुधार आना कठिन हो जायगा ।

एक माननीय सदस्य : सदन का समय बढ़ा दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह राय है कि जब तक वित्त मंत्रीजी का भाषण समाप्त न हो जाय, सदन का समय बढ़ा दिया जावे ।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैंने ऋण और एडवान्सेज की वसूली के बारे में भी जिक्र किया था क्योंकि वह पांचसाला कार्यक्रम से सम्बन्धित है । माफ करिये अगर थोड़ी इसमें आपको देरी भी हो तो, मैं इसकी तफसील में बात करना चाहूंगा ।

आज हमारा जो ऋण है अभी कोलायत से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था कि हम कुल 71 करोड़ 68 लाख का ऋण वसूल करेंगे और इसके बदले में ऋण ज्यादा देना पड़ेगा तो यह क्या बात है ?

मैं कहता हूं कि 217 करोड़ 54 लाख का यह ऋण है । अब वह किन किन पर है और उसके वसूल करने में क्या क्या दिक्कतें हैं यह मैं बताता हूं ।

नगरपालिकाओं में 2 करोड़ 62 लाख, पंचायती राज संस्थाओं में 21 करोड़ 19 लाख, डिस्ट्रिक्ट और लोकल फण्ड कमेटी 68 लाख, कोआपरेटिव संस्थाओं में 5 करोड़, 48 लाख, जागीरदारों में 25 लाख लोन्स और एडवान्सेज में 39 लाख । लोन्स एन्ड ऐडवान्सेज टू डिसप्लेसड् परसन्स । किसान को जो ऋण फेमिन ऐडवान्स दिया गया वह 12 करोड़ 3 लाख, स्टेट्यूटरी कारपोरेशन्स जिसमें राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी शामिल है 159.27, मिसलेनियस लोन्स एन्ड ऐडवान्सेज 12. करोड़ 90 लाख एन्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स 1 करोड़ 90 लाख कुल 217. 54 लाख है ।

एक माननीय सदस्य : फेमिन का ऋण क्यों नहीं माफ कर देते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 158 करोड़ का ऋण है वह सारे हमारे काम काज में लगा हुआ है उसको वसूल करने का प्रश्न नहीं है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा फेमिन को 12 करोड़ दिया तो फेमिन ऐडवान्सेज को क्यों नहीं माफ कर दिया जाय । इसमें बहुत से ऐसे ऋण हैं जिसमें मैं समझता हूं जल्दी ही एक कमेटी बनाकर तय किया जाना चाहिये । बार बार क्यों किताबों में दिखाया जाता है ।

(सदन की मेजें थपथपाई गई)

एक माननीय सदस्य : नगरपालिका का भी ध्यान रखें ।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं वह नहीं होगा। हमारे सामने 217 करोड़ का ऋण है, इससे माननीय सदस्यों को बेचैनी हो गई कि 217 करोड़ का ऋण वसूल नहीं हो रहा

Page No 124

(श्री चन्दनमल वैद)

है। जो विगत मैंने दी है 217 करोड़ की उसमें 1 करोड़ 68 लाख वसूल करने की बात की है। मैं समझता हूं उसके लिये भी हमको धन्यवाद देना चाहिये, क्योंकि यह भी वसूल होने की स्थिति में नहीं था। अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं जो ऋण वसूल हो सके तो माफ नहीं होना चाहिये और हमें यह भरोसा हो जाय कि यह वसूल होने लायक नहीं है तो उसको बार बार किताबों में दिखाना भी अच्छी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय मैंने एक बात कही कि जो टैक्सेज हैं उनको वसूल करने में सख्ती के साथ पालन करना चाहिये और जो लू-पोल्स हैं उनके लिये पूरी सावधानी बरतनी चाहिये। मैं अर्ज करना चाहता हूं करों की वसूली के बारे में पिछले साल जो रिवाईज्ड ऐस्टीमेट थे 71–72 के 49 करोड़ 07 लाख। इसमें सेल्स टैक्स, राजस्थान पैसेन्जर एन्ड गुड्स, टैक्स इलेक्ट्रिसिटी उसके अगेन्स्ट में हमने वसूल किये हैं 40 करोड़ और 16 लाख। आम तौर से देखें तो जो राशि टैक्स की वसूल की गई है वह बहुत अच्छी मात्रा में वसूल कर ली गई है। जो टैक्स पहले लिया जाता था उससे यह राशि बड़ी है। 7 प्रतिशत जो ब्याज लिया जाता है उससे हमारे आंकड़े होते है 43 करोड़ के लेकिन हमने हिम्मत करके 72–73 में 45 करोड़ और 32 लाख का दिया है। पहले से कोशिश की जो 43 करोड़ को बिना टैक्स बढ़ाये उसको हम वसूल करेंगे। यह हम बताना चाहते हैं हमारी जो कोशिश है अलग लीकेज की ओर टैक्सेज के लू-पोल्स की उसमें ज्यादा मुस्तैदी के साथ वसूल करेंगे। अध्यक्ष महोदय मैं बता देना चाहता हूं 35 करोड़ की जो राशि रखी है बड़ी गम्भीरता के साथ रखी है, मैं चाहता हूं हमारा टार्गेट जुड़ जाय और इसमें मैं समझता हूं माननीय सदस्यों का पूरा पूरा सहयोग होगा। एक बात अध्यक्ष महोदय यह कही गयी कि हम रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं और नान प्लान टैक्स बढ़ाने जाते हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आज कहना चाहता हूं नान प्लान टैक्स सड़क यातायात के बारे में काफी जिक्र किया गया। अध्यक्ष महोदय 70 जो रूट हैं उसको नेशनेलाईजेशन करने के लिये तय किया हुआ है और उसकी सुनवाई एल. आर. से हो रही है, कुछ में हाई कोर्ट से स्टे आ गया है इसलिये अभी रुका पड़ा है। हमारी मंशा है जहां दूसरे प्रान्तों में 90-92 प्रतिशत रूट्स को नेशनेलाईजेशन कर रखा है, हम भी चाहते हैं और तेजी के साथ और हिम्मत के साथ रोड्स ट्रान्सपोर्ट को नेशनेलाईज करें। अध्यक्ष महोदय हम इस मामले में घबराना नहीं चाहते हैं। इस साल के अन्दर 8 प्रतिशत को बढ़ाकर हम उसे 25 प्रतिशत करना चाहते हैं। उसके लिये नियमों और कानूनों में संशोधन भी करना पड़ेगा तो करेंगे और अगर नये कानून बनाने की आवश्यकता हुई तो नये कानून भी बनाये जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बजट प्रोविजन तो किया नहीं आपने ?

श्री चन्दन मल वैद : सारा काम बजट प्रोविजन्स से नहीं चलता है। हमारे पास बसेज हैं और अगर बजट प्रोविजन की

(श्री चन्दनमल बैद)

भी जरूरत पड़ी तो आपकी मेहरबानी होगी तो कमी भी कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय फाइनेन्स कमीशन का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ और मैं नहीं समझता उसको दुबारा कहने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय इसके अलावा नीतियों के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। कुछ लोग यह समझते हैं कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग यह समझते हैं कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और जो बढ रहे हैं वह भी कहीं बीच में ही न रह जाय। कुछ माननीय सदस्यों को मेरे भाषण से भी निराशा हुई है। कुछ माननीय सदस्य चश्मा लगा कर मेरी शक्ल में समाजवाद देख रहे हैं। मेरा निवेदन है कि चश्मा लगाकर देखने से कोई समाजवाद नहीं दिखने वाला है। आंखों का सही पर्दा हटाने से ही समाजवाद देखा जा सकता है। समाजवाद तो इन्दिरा गांधी की विचार धाराओं में देखा जा सकता है। मावली से आने वाले सदस्य जानते हैं कि समाजवाद का चश्मा दिया भी नहीं जाता है। जनवरी 72 में यह उन्होंने अच्छी तरह से देख लिया है और अगर कोई समाजवाद का गलत चश्मा लगा लेता है तो उसका चश्मा उतार भी लिया जाता है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य को मेरे भाषण को पढ़ कर निराशा हुई और मैं भी समझता हूं आपको घोर निराशा होनी चाहिये। आपको तो यह आशा थी कि 72 में शासन आ जायगा और वह निराशा भी घोर निराशा में बदल गई है। अध्यक्ष महोदय मैं यह जानता हूं, जिस तरीके से हम आगे बढ़ते रहे हैं तो उनको निराशा ही होगी। उनको मेरे बजट भाषण से निराशा नहीं होगी तो मुझे अत्यन्त दुःख होगा। उनका कहना है हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा है, हमारे यहां प्रजातन्त्र नहीं रहा है। यह केवल उनका ढोल पीटना है और मैं कहता हूं कि उनको पीटना भी चाहिये क्योंकि आज कांग्रेस के वित्त मन्त्री ने सदन में बजट प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय बात यह नहीं है जिस तरह बजट पेश हुआ है। इसी तरह कांग्रेस सरकार आगे बढ़ रही है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। इन्होंने इस बात को सोचा है 643 करोड़ का कर्ज, 90 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट और 43 करोड़ के घाटे के बावजूद यह कांग्रेस सरकार इस लायक है कि एक हजार प्राइमरी स्कूल खोलेगी, एक हजार मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत करेगी और खोलेगी एक हजार गांवों को बिजली देगी 20 हजार कुओं में बिजली की लाईन लगायेगी। 20 हजार हरिजन और आदिवासियों की जो बस्तियां हैं उसमें पानी और बिजली की व्यवस्था करेगी। 35 लाख बिजली के लिये खर्च करेगी तो निश्चित रूप से उस ओर बैठने वाले लोगों को निराशा होगी लेकिन मैं कहना चाहता हूं टैक्सों को भी सख्ती के साथ वसूल किया जायेगा और हमारी इकोनोमी को भी सुदृढ़ बनाया जायगा और मैं समझता हूं निश्चित रूप से इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की आशायें पूरी करेंगे।

मैं भी यह अच्छी तरह से जानता हूं टैक्स लगाने वाला हमेशा बदनाम होता है लेकिन अध्यक्ष महोदय मेरी मजबूरी है।

(श्री चन्दनमल बैद)

हम बहुत बड़े आर्थिक दल दल में फंसे हुए थे और दूसरी तरफ चुनाव में जो वायदे किये हैं, जो हमारा चुनाव का घोषणा पत्र था उसके अनुसार काम करना है । इस वास्ते यह सोचा गया कि हिम्मत बान्धकर राजस्थान को आर्थिक संकट से निकाला जाय । यह समस्या हमेशा मेरे सामने थी इसीलिये मैंने यह कुछ कटु कार्य किया है। इसके लिए मैंने पहले ही क्षमा मांग ली है और आज भी माननीय सदस्यों से क्षमा मांग रहा हूं । यह मेरा कटु काम था इसलिए करना पड़ता है। आगे चलकर हम और बढ़ना चाहते हैं और हमेशा हमारी कोशिश आगे बढ़ने की रहेगी । अध्यक्ष महोदय, डी सी. एम. और साहू के बारे में कहा गया· · ·

श्री गुमानमल लोढा : धन्ना सेठों का बजट है ।

श्री चन्दनमल बैद : कोई सेठों को बाकी नहीं छोडा जायगा, उसको पूरी करने की कोशिश की जायेगी ।

श्री **श्रीराम गोटे वाला** : उसके पास भी. (साथ बोलने से अश्रव्य). . .

एक माननीय सदस्य : जिनसे चन्दा मिलता है, उनसे. . .(अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : नीति सम्बन्धी बात के बारे में भाषणों में नहीं बातचीत के दौरान में कुछ साथियों ने इसकी आशंका प्रकट की कि कहीं हम लड़खड़ा न जाये, स्टटल न कर दें हम अपने प्रोग्राम को तो मैं विश्वास के साथ उनको बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी घोषणापत्र में कांग्रेस ने देश के साथ वायदे किये हैं उनको पूरा किया जायेगा और उसको किसी तरह से मिनिमाइज नहीं किया जायेगा, वाटर डाउन नहीं किया जायेगा । इसके बारे में माननीय सदस्यों को मालूम है कि अभी जो केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं उनके बारे में विधान सभा शुरू होने से पहले हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक घोषणा की थी कि केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों को हम मानेंगे और उसी के अनुसार मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने इस बात को तय किया है कि जो हमारी सीलिंग की सीमा है, एग्रीकल्चरल लैण्ड की जो सीमा है उसको 3 से घटाकर हम 18 स्टेन्डर्ड एकड़ करना चाहते हैं। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि शहरी सम्पत्ति की सीमा का कानून इसी सत्र में पास किया जायेगा । इसकी घोषणा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी की जा चुकी है और हमारे मुख्य मंत्री जी भी कह चुके हैं और मैं भी अपने बजट भाषण में कह चुका हूँ और आज मैं फिर दोहराना चाहता हूँ क्योंकि अच्छी बातों को दोहराना अच्छा होता है, इसी सत्र में इसके लिए कानून पेश किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, बारबार एक्स-रूलर्स के बारे में प्रश्न उठाये जाते हैं कि हम कहीं उनको रियायतें तो नहीं दे रहे है। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि एक्स-रूलर्स के प्रिवीपर्सेस 1 जनवरी, 1972 से समाप्त हो चुके हैं। अब उनके प्रिविलेजेज का सवाल रहता है तो हमने एक्स-रूलर्स

(श्रीचन्दनमल बैद)

को बता दिया है कि एक जून से आपके यहां से गार्ड्स हटाई जायेगी और आप चाहें तो अपना प्रबन्ध कर सकते हैं। इसके अलावा उनके जो आर्म्स, वाटर, पावर आदि के जो हमारे ऊपर खर्चे थे वह आप जानते हैं कि सन् 67 से ही हम उनको खतम कर चुके थे। उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी और माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि हम उसमें जीत गये हैं और हमारे ऊपर अब उनका खर्चा नहीं रहा है। इसके अलावा उनके 32 और दूसरे प्रिविलेजेज हैं। इसके लिए हमने भारत सरकार से बातचीत कर ली है। उसको एग्जीक्यूटिव आर्डर्स से या जरूरत हुई तो कानून बनाकर बहुत जल्दी ही समाप्त करने वाले हैं। इसके अलावा उनकी प्राईवेट प्रापर्टी के बारे में सरकार ने भारत सरकार को लिखा है क्योंकि कोवोनेन्ट में भारत सरकार और रूलर्स के बीच में तय हुआ है इसलिए हम उनको कह रहे हैं कि जल्दी से इस सम्बन्ध में निर्णय लें जिससे हमारे माननीय सदस्यों की चिन्ताएं दूर की जा सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुत ही अहम सवाल बजट बहस के दौरान उठाया गया। मैं उसके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था कि आज वह दिन आ गया है जब कि हम नेशनल लेवल और कुछ सेक्टर तय कर दे कि इस सेक्टर में हमारा राष्ट्रीय-मान यह हो और हम तय कर दें कि राष्ट्रीयमान को कितने समय में पूरा कर देंगे। हमारा ध्यान इस तरफ है और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही हैं उसके लिए हम भारत सरकार से बराबर कह रहे हैं कि राष्ट्र के स्तर पर कुछ सेक्टर में मान तय हो जाना चाहिये और उनको पूरा करने का एक टाइम-बाण्ड प्रोग्राम हो चाहिए और जो प्रदेश उनको पूरा नहीं कर सकते हैं उनको केन्द्रीय सरकार की तरफ से अनुदान देकर वह पूरा किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें जल्दी ही न्यूनतम स्तर तय करने हैं और उनमें शिक्षा स्वास्थ्य, पीने का पानी, रूरल रोड्स है यह तो बहुत जरूरी होने चाहिए। इसके अलावा और जो सुझाव आयेंगे उनके बारे में विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का आशय यह है कि शिक्षा के बारे में तय हो जाये कि किस साल तक 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे और 11 से 15 साल के बच्चों को हम शिक्षा दे सकेंगे और किस साल तक स्वास्थ्य के बारे में न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे, किस साल तक पीने के पानी का इन्तजाम कर देंगे और किस साल तक रूरल रोड्स के कार्यक्रम को पूरा कर सकेंगे। इस तरह के लेवल तय कर दें और यह जरूरी है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए इसके लिए भी प्लान बना दें और प्रावधान कर दें और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री रोशनलाल शर्मा : शराबबन्दी नहीं आती है क्या इसमें ?

श्री गुमानमल लोढा : 2 करोड़ रुपया खा गये आज ही शराब में।

श्री चन्दनमल बैद : शराब तो पीयी जाती है खाई नहीं जाती है।

(श्री चन्दनमल बैद)

अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है कि मैंने बेलेन्स बजट रखने की हिम्मत नही की। अध्यक्ष महोदय, 643 करोड़ का कर्जा, 90 करोड़ का ओवरड्राफ्ट और नान-प्लान बजट में 18 करोड़ का घाटा है उसको कोई बेलेन्स कर सके मैं समझता हूँ कि अगर इस सदन में कोई माननीय सदस्य है और मुझे इसको करके बता सके तो निश्चित रूप से सब के सामने मैं चरण छूकर प्रणाम करूंगा।

श्री गुमानमल लोढा : मैं निवेदन करूं कि अकाल के समय में 55 करोड़ रुपया आया था जिसमें घोटाले हुए थे उसकी जांच करवाकर वसूली करें तो पूरा हो जायेगा। भ्रष्टाचार से उस रुपये को खाया गया और यह भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी का कहना है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह घोर निराशा का द्योतक है और कुछ नहीं है

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहा है कि मैंने कोशिश नहीं की है कि इसको बेलेन्स बजट बनाता। अध्यक्ष महोदय, मैंने कोशिश की है कि नान-प्लान और प्लान बजट को दो हिस्सों में बाटकर नान-प्लान को तो मैंने स्पेशल अकोमोडेशन के लिए छोड़ दिया है या भारत सरकार के ऋण के लिए छोड़ दिया है लेकिन प्लान बजट को बेलेन्स करने को कोशिश की है। आज प्लान में 2 करोड़ 4 लाख का कर्जा है, एक करोड़ 26 लाख करीब उन स्कीम पर खर्चा है इसके बदले में उतनी ही धनराशि हमें भारत सरकार से मिलने वाली है। कुछ मैंने प्लान में एडजस्ट किया है। इसके अलावा शिक्षा, जलप्रदाय पर कुछ हरिजन और आदिवासियों के लिए और उन अस्पतालों में जो देहातों में हैं या आयुर्वेद औषधालयों में दवाइयों के लिए देकर 4 करोड़ को प्लान से उसमें बेलेन्स करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, 11 महीने के टाइम में अगर प्लान बजट को बेलेन्स करके आपके सामने रख सका हूँ तो आप चाहे मेरी तारीफ न करें लेकिन कम से कम उलाहना तो मत दें कि मैंने मेहनत नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर आपका समय नहीं लूंगा और इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे सामने एक बड़ा कठिन और गुरुतर काम था। अध्यक्ष महोदय, मेरी सारी ताकत के साथ और हिम्मत के साथ मैंने इस कठिन और गुरुतर कार्यक्रम को पूरा करने को कोशिश की है उसमें कितना सफल और असफल हुआ हूँ यह तो माननीय सदस्य कहेंगे या मेरे से बाद में आने वाले वित्त मंत्री कहेंगे कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। जयहिन्द.

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 4 मई, 1972 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 5 बजकर 17 मिनट पर बृहस्पतिवार दिनांक 4 मई, 1972 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 225 की सूची)

S. No.	Name of road work	Expend. incurred to March 72	Date of Compen-cemnent	Date of Compli-tion
1	2	3	4	5
1.	G/R from Parbatsar to Harsore.	22,325.00	4-10-71	4.12-71
2.	Road from Piplad to Bassi.	20,533.05	4.10.71	4-12-71
3.	Road from Narainpura to Nawa.	21,315.25	8-10-71	8-11-71
4.	Road from Nawa to Sambhar.	14,611.44	8-10-71	7-11-71
5.	Road from Kuchamancity to Narainpura.	30,028.71	8.10-71	7-11-71
6.	Didwana Kuchaman City Road.	54,652.91	15-3-71	30-3-71
7.	Parbatsar Roopangarh Road.	19,344.46	15-3-72	30-3-72
8.	Road from Makrana to Midayad.	279.13	15-3-72	30-3-72
9.	Nagaur Didwana Road.	20,313.17	15-3-72	30-3-72
10.	Nawa Maroth Road.	1,333.70	15-3-72	30-3-72
11.	Degana Sherunda Road.	855.00	15-3-72	30-3-72
12.	Degana Taranau Road.	314.72	15-3-72	30-3-72
13.	Narainpura Parbatsar Road.	1,23,089.96	15-3-72	30-3-72
14.	Manglana Makrana Road.	8,031.75	15-3-72	30-3-72
15.	Nawa to Kuchaman City Road.	1,305.65	15-3-72	30-3-72
16.	Nawa to Parbatsar Road.	4,333.75	15-3-72	30-3-72
17.	Makrana Borawar Road.	8,520.00	15-3-72	30-3-72
18.	Didwana Sujangarh Road.	6,422.00	15-3-72	30-3-72

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 236 की सूची)

क्रम सं.	नाम भूतपूर्व एवं वर्तमान मंत्री	नाम ग्राम जहां भूमि आवंटित हुई	क्षेत्रफल जो भूमि आवंटित हुई	क्या उपरोक्त भूमि हीन की परिभाषा में आता है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? यदि नहीं तो उसे कृषि भूमि कैसे अलाट की गई ?
1	2	3	4	5
1.	श्री दिनेश राय डांगी, भूतपूर्व उपमंत्री	हरध्यानपुरा तह. सांगानेर जिला जयपुर	18 बीघा 8 बिस्वा	आवंटिति राजस्थान लेन्ड रेवेन्यू (अलाटमेन्ट आफ लेन्ड फोर एग्रीकल्चर परपजेज, रूल्स 1957 के रूल 2 (iii) के अन्तर्गत भूमिहीन की परिभाषा में आता है।
2.	श्री रामचरण भूतपूर्व उपमंत्री	अटरू जिला कोटा	9 बीघा	
3.	श्री शिवचरणसिंह, भूतपूर्व उपमंत्री	ग्राम टोटोलाई तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर	100 बीघा 12 बिस्वा बीहड़ भूमि	आवंटिति को राजस्थान बीहड़ भूमि आवंटन नियम 1967 के अन्तर्गत आवंटित की गई थी। नियमों के अन्तर्गत आवंटित के लिये भूमिहीन होना आवश्यक नहीं।

Page No 131

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 244 की सूची)

सूची (क)

(1)

दिनांक 4-3-72 को मांगलियावास में लगी आग से पीड़ित जिन व्यक्तियों को सहायता दी गई उनकी सूची ।

क्रमांक	नाम	टिन की चद्दरें दी गई तादाद	कीमत	नकद रुपया दिया गया
(1)	श्री नानू वल्द श्योनाथ भील मांगलियावास	4	132) रु.	100) रु.
(2)	श्री छोटू वल्द छोगा भील मांगलियावास	4	132) रु.	100रु.
(3)	श्रीमती हीरी बेवा छीतर भील मांगलियावास	4	132) रु.	–
	योग :-	12	396) रु.	200) रु.

(2)

दिनांक 4-3-72 को मांगलियावास में लगी आग से पीड़ित व्यक्तियों को पंचायत समिति पीसांगन से दी गई सहायता की सूची ।

क्रम संख्या 1	नाम अग्नि पीड़ित 2	राशि 3	विवरण 4
(1)	श्री गोकुल पुत्र गमीरा जाट	50) रु.	
(2)	श्री गोकुल पुत्र अर्जुन जाट	50)	
(3)	श्री हरचन्द पुत्र नन्दा जाट	50)	
(4)	श्री प्रताप पुत्र धुकल जाट	50)	

Page No 132

1	2	3	4
(5)	श्री रामकरण पुत्र श्री चतुर्भुज जाट	50)	
(6)	श्री छगना पुत्र श्री प्रताप जाट	50)	
(7)	श्री पांचू पुत्र श्री गमीरा जाट	50)	
(8)	श्री लादू पुत्र श्री गोकुल जाट	50)	
(9)	श्री छीतर पुत्र श्री सवाई जाट	50)	
(10)	श्री बालू पुत्र श्री हजारी जाट	50)	
(11)	श्री मादू पुत्र श्री गोकल जाट	50)	
(12)	श्री कालू पुत्र श्री सूजा रेगर	50)	
(13)	श्री ऊंकार पुत्र श्री मोड़ा जाट	50)	
(14)	श्री सुवा पुत्र श्री गणेश रेगर	50)	
(15)	श्री मांगू पुत्र श्री गणेश रेगर	50)	
(16)	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री छोगा भील	30)	
(17)	श्री भागू पुत्र श्री छोगा भील	50)	
(18)	श्री गणपत पुत्र श्री नारायण कुम्हार	30)	
(19)	श्री छगना पुत्र श्री देवा कुम्हार	30)	
(20)	श्री पांचू पुत्र श्री गंगाराम रेगर	50)	
(21)	श्री लादू पुत्र श्री गणेश रेगर	50)	
(22)	श्री हीरा पुत्र श्री भूरा रेगर	50)	
(23)	श्री रूपा पुत्र श्री मोड़ा रेगर	50)	
(24)	श्री धूला पुत्र श्री घीसा रेगर	50)	
(25)	श्री किसना पुत्र श्री भूरा रेगर	50)	
(26)	श्री रामदीन पुत्र श्री माला रेगर	50)	
(27)	श्री डालु पुत्र श्री नंदा रेगर	30)	
(28)	श्री नारायण पुत्र श्री मगना रेगर	50)	
(29)	श्री.हरजी पुत्र श्री नंदा भांभी	50)	
(30)	श्री देवकरण पुत्र श्री चतुर्भुज	50)	
(31)	श्री पांचू पुत्र श्री भूरा रेगर	30)	
(32)	श्री देवी पुत्र श्री गणेश रेगर	30)	
(33)	श्री बेल्ता पुत्र श्री देवी रेगर	30)	
(34)	श्री लाला पुत्र श्री भूरा रेगर	30)	
(35)	श्री छोटू पुत्र श्री छोगा भील	30)	
(36)	श्री प्रेमा पुत्र श्री कज्जा कुम्हार	30)	

Page No 133

सूची (ख)

दिनांक 4–4–72 को मांगलियावास में हुये अग्नि कांड से क्षतिग्रस्त व्यक्ति जिनको सहायता दी गई उनकी सूची

क्रमांक	नाम	राशि जो दी गई
(1)	श्री भेरू वल्द धूल्ल भांभी	50)
(2)	श्री धन्ना वल्द नाथा कहार	50)
(3)	श्री शान्ति दुख्तर धन्ना कहार	50)
(4)	श्री बींजा वल्द सरूपा भांभी	50)
(5)	श्री सूरजकरण वल्द भानू जाट	40)
(6)	श्री छगना वल्द प्रताप जाट	40)
(7)	श्री गोरधन वल्द गिरधारी जाट	40)
(8)	श्री देवकरण वल्द चतुर्भुज जाट	50)
(9)	श्री छगना व नारायण वल्द प्रताप जाट	50)
(10)	श्री भादू वल्द गोकल	50)
(11)	श्री पांचू वल्द गंभीरा जाट	50)
(12)	श्री मा[illegible] वल्द पूरा जाट	40)
(13)	श्री छोवर वल्द सवाई जाट	50)
(14)	श्री हीरा वल्द श्री राम जाट	40)
(15)	श्री रामकरण वल्द श्रीराम जाट	40)
(16)	श्री श्योबक्स वल्द वीरम जाट	40)
(17)	श्री सवाई वल्द लादू जाट	40)
(18)	श्री पांचू वल्द काना भांभी	40)
(19)	श्री नारायण वल्द भगना रेगर	50)
(20)	श्री वालू वल्द हजारी जाट	50)
	योग :–	910)रु.

परिशिष्ट 4

(तर. प्र. सं. 249 की सूची)

Government of Rajasthan

EREVNUE (B) DEPARTMENT

Jaipur, January 22, 1971

To

All Collectors.

Sub:—Attestation of Mutations

*No. F.*6 (2)*Rev/B/*71:—It has come to the notice of the Government that a large number of mutations are pending decision. In many cases mutations are also yet to be registered in the 'Intqal Register' and to be disposed off. This has created difficulties for cultivators regarding the payment of surcharge and determination of their ceiling limits. The question of early disposal of such mutations has been examined. Reasons for pending cases may be as follows:—

1. The Division of holding might result in holding having less than the minimum area prescribed under Section 53 read with Section 180 of the Raj. Tenancy Act.
2. The transfers and devolution of rights and interest might be in contravention of the provisions of Ceiling Law, Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act, and other relevant provisions.

In order to obviate the difficulties of the cultivators and for proper implementation of provisions of Ceiling Law and also for correct assessment of surcharge following decision has been taken:—

1. Immediate steps be taken to register all mutations and to decide them expeditiously along with all other such mutations which already stand registered.
2. Mutation proceedings resulting out of partition by agreement of decree or orders of a Court and succession may be sanctioned even though such sanction results in holding of an area less than the minimum prescribed under Section 53 of the Rajasthan Tenancy Act (Action to amend Section 53 of the Rajasthan Tenancy Act is being taken separately).
3. Due to insertion of section 30 DD and amendment in section 30 J of the Rajasthan Tenancy Act, certain categories of transfers which earlier were not recognised for ceiling purposes have been recognised. Tehsildars, may, therefore, be directed that mutations of such transfers as are covered under the provisions of section 30 DD and 30 J as amended are also recorded and decided.
4. In cases where holding has been actually divided by mutual agreement or by decree of court and consequential changes are yet to be recorded in the Land Records, such corrections should be expeditiously done in the land records.
5. In case where actual shares of the successors are not recorded, Tehsildars should be directed that shares of the co-tenants and co-sharers should be recorded in case the parties apply for them on the basis of their mutual agreement. Wide publicity may be given in your district to enable the co-sharers and co-tenants to apply to the Tehsildars to get their shares defined and recorded by mutual agreement.
6. All such mutations shall be decided according to the existing Rules by Panchayats concerned and in case the panchayat fails to dispose of them within two months, the S.T.O. may be directed to authorise the respective Tehsildar to dispose of such mutations.

The receipt of the circular may kindly be acknowledged.

Under Secretary to the Government.

Copy forwarded to the following for information and necessary action :—

1. The Registrar, Board of Revenue, Rajasthan Ajmer.
2. The Settlement Commissioner, Rajasthan, Jaipur.

Under Secretary to the Government.

Page No 135

परिशिष्ट 5

(ता. प्र. सं. 251 की सूची) तहसील जायल सूची खेराट के पडोसी गांवों की

क्रमांक	नाम गांव	दूरी खेराट से किलो मीटरों में
1.	डेहू	8
2.	सैडाऊ	2
3.	नौसरीया	6
4.	गडरिया	8
5.	बुरडी	9
6.	खेडा हीरावास	10
7.	कैमडिया	10
8.	जानेवा	6
9.	बागरासर	8
10.	मावलियासर	12
11.	बोसेरी	18
12.	जालनीयासर	9
13.	मीठामांजरा	12
14.	डोडू	14
15.	कागरिया	20
16.	टालनीयाऊ	22
17.	निम्बोला	15
18.	सुरपालिया	18
19.	भाड़ली	16

परिशिष्ट 6

(ता. प्र. सं. 252 को सूची)

सन् 71-72 में बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में क्रेश योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण।

क्र. सं.	कार्य	स्वीकृति का दिनांक	रोजगार दिये गये मजदूरों की संख्या	कार्य की प्रगति
1	2	3	4	5
		जिला बाड़मेर		
1.	बाड़मेर से जोधपुर सड़क	30-10-71	सितम्बर, 71 में–22 नवम्बर, 71 में–48 दिसम्बर, 71 में–52 जनवरी, 72 में 72 फरवरी, 72 में–81 मार्च, 72 में–85	कार्य पूरा हो गया है।
2.	रामसर से गिराव सड़क	,,	सितम्बर 71 में–37 अक्टूम्बर 71 में–74 फरवरी 72 में–64 मार्च 72 में–70	3 किलो मीटर तक मिट्टी का कार्य हो चुका है। शेष कार्य करवाया जा रहा है।
3.	दाखां से तिनली रोड़	,,	सितम्बर 71 में–3 अक्टूबर 71 में–3 मार्च 72 में–40	मजदूर उपलब्ध न होने के कारण विशेष प्रगति नहीं हुई है।
4.	रामसर का कुम्रा एप्रोच रोड़	,,	––	भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूरी न होने के कारण 71-72 में कार्य शुरू नहीं करवाया जा सका। अब कार्य शुरू करवाने की कार्यवाही चालू हैं।

1	2	3	4	5
5.	घनाऊ से घोरीमन्ना रोड	12-11-71	दिसम्बर 71 में–51 जनवरी 72 में–85 फरवरी 72 में–90 मार्च 72 में–86	7 किलो मीटर तक मिट्टी का कार्य किया गया है।
	जिला जैसलमेर			
1.	रमीरा थईयात सड़क	10-8-71	अक्टूबर 71 से मार्च 72 तक 72	एक किलो मीटर सडक के लिए सामान इक्ट्ठा किया गया है।
	छनेल कुछड़ी सड़क	,,	अक्टूबर 71 से मार्च 72 तक 165	एक किलो मीटर मिट्टी का कार्य हुआ व पत्थर भी डाल दिये गये है।
3.	सोनू हाबूर सड़क	,,	अक्टूबर 71 से मार्च 72 तक 185	एक किलो मीटर मिट्टी का कार्य हुआ है। चार किलो मीटर के लिए सामान एकत्रित किया गया है।
4.	पोकरन साकड़ा सड़क	,,	अक्टूबर 71 से मार्च 72 तक 720	7 कि.मी. ग्रेवलिंग हो चुका है।

Page No 138

परिशिष्ट 7

(ता. प्र. सं. 255 की सूची)

सूची (क) तारांकित प्रश्न संख्या 58 स्वा. मं. दिनांक 24-3-1972

मील संख्या	नाम ठेकेदार	ठेके की तारीख	धनराशि	विवरण
0–0 से 4–4	श्री सुखलाल		–	कार्य पूर्ण हो चुका है
4–4 से 7–0	श्री मदन मोहन	31-10-69	80,769	
7–0 से 9–6	श्री सुखलाल	18-9-70	80,000	
9–6 से 10–5	"	"	–	निविदा विचाराधीन है
10-5 से 13–	श्री मदन मोहन	25-3-69	80,463	कार्य प्रगति पर है
13–3 से 26–0	श्री केवल प्रकाश	8-2-71	3,72, 976,00	"
26–0 से 29–0	–	"	–	कार्य पूर्ण हो चुका है

नोटः– लाखेरी लवान रोड़ का कार्य पूरा हो चुका है।

परिशिष्ट 8
(ता. प्र. सं. 256 की सूची)

भवन निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण की स्वीकृति की विगत वर्ष 1970-71 जिला चूरू — परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम ऋणी मय वल्दियत	जाति	पता: नगरपालिका	पता: स्थान का नाम	कुल स्वीकृत राशि	चालू वर्ष में प्रथम किश्त को देय राशि	विशेष विवरण
1.	श्री इन्द्ररोया पुत्र नानू	मेहतर	न. पा. चूरू	वार्ड नं. 7	2500	1000	
2.	श्री नागरमल पुत्र नरसाराम	,,	,,	,,	2500	1000	
3.	श्री अरजन पुत्र नानू	,,	,,	,,	2500	1000	
			योग नं. 1 से 3 तक		7500)	3000)	

भवन के जीर्णोद्धार हेतु ब्याज मुक्त ऋण की स्वीकृति की विगत वर्ष 1970-71 जिला चूरू — परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	नाम ऋणी मय वल्दियत	जाति	पता: नगरपालिका	पता: स्थान का नाम	कुल स्वीकृति राशि	चालू वर्ष में एक मुश्त देय राशि	विशेष विवरण
1.	श्री मोटाराम पुत्र मूलाराम	मेहतर	न. पा. चूरू	वार्ड नं. 7	1000)	1000)	
2.	श्री मंगलाराम पुत्र बन्छुराम	,,	,,	,,	1000)	1000)	
3.	श्री चन्द पुत्र भोलाराम	,,	,,	मेहतर बस्ती चूरू	1000)	1000)	
4.	श्री लालचन्द पुत्र मदनलाल	,,	,,	वार्ड नं. 7	1000)	1000)	
5.	श्री मदनिया पुत्र भोखा	,,	,,	,,	1000)	1000)	
			योग 1 से 5 तक		5000)	5000)	

Page No 140

जिला चूरू के 13 भंगी (अस्वच्छता के कार्य में लगे) परिवारों की सूची जिन्होंने वर्ष 1971-72 में गृह निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया।

क्र. सं.	नाम अनुदायी मय पिता के		जाति	स्थान	स्वीकृत राशि
	सर्वश्री				
1.	जगनाराम पुत्र	श्री भिन्नराम	मेहतर	रतनगढ़	1000)
2.	जगनाराम	शिवदान	"	"	1000)
3.	हजारी	मुकनाराम	"	"	1000)
4.	मालाराम	सागर	"	"	1000)
5.	लालचन्द	लिखमाराम	"	"	1000)
6.	सीताराम	लालचन्द	"	"	1000)
7.	बिशनलाल	रलाराम	"	"	1000)
8.	घनश्याम	चम्पालाल	"	"	1000)
9.	रामगोपाल	चम्पालाल	"	"	1000)
10.	लीलाराम	मन्नूराम	भंगी	राजगढ़	1000)
11.	नारायणराम	हीराराम	"	"	1000)
12.	विनोद कुमार	भंवरलाल	मेहतर	"	1000)
13.	जीवनलाल	भंवरलाल	"	"	1000)
				योग	13000)

(अक्षरे तेरह हजार रुपये मात्र)

परिशिष्ट 9

(ता. प्र. सं. 260 की सूची)

EXTRA COPY OF ENQUIRY REPORT.

The work of Bankaheri Anicut was taken-up under Famine Relief Works after the approval of concerned authorities. The final cost of the works is still to be assessed. An amount of about Rs. 41000/- has been incurred on the work out of the famine grants and the remaining work is to be completed from departmental budget. The work was mainly taken-up with a view to raise the water level of the wells in the adjoining area and to undertake lift irrigation for the adjoining fields. So far the fresh lifting of the supplies has not been very encouraging. However, several existing pumps have been benefitted on account of additional storage built up there.

The electric line has also been extended upto this place now and many more cultivators will come forward for lifting of the supplies. On completion it is going to become a good Scheme for irrigation of lands by lifting of supplies provided adequate flow in the Nallah is there. The Scheme has also served its purpose as much as it was meant for raising the sub soil Water level.

परिशिष्ट 10

(ता. प्र. सं. 261 की सूची)

बून्दी जिले में विद्युतिकृत गांवों की सूची :--

क्र.सं. 1	गांव का विद्युतिकरण 2	तहसील 3	क्र.सं. 1	गांव का विद्युतिकरण 3	तहसील 3
1.	बून्दी	बून्दी	26.	मुदुण्डा	बून्दी
2.	तालेडा	,,	27.	डोलेरा	,,
3.	देवपुरा	,,	28.	हिन्डोली	हिडोली
4.	छतरपुरा	,,	29.	बालापुरा	नैनवा
5.	अकतासा	,,	30.	खैरुता	,,
6.	अलमनगर	,,	31.	इमरतीया	हिन्डोली
7.	अोद	,,	32.	मोतीपुरा	हिन्डोली
8.	बीकारी	,,	33.	हरना	,
9.	नमाना	तालेडा	34.	भीमगंज	,,
10.	मांलीपुरा	बूंदी	35.	दूंकाग	,,
11.	हरिपुरा	,,	36.	पेचकी बावरी	,,
12.	सुन्दरपुरा	,,	37.	बड़ा नयागांव	,,
13.	सीतापुरा	,,	38.	रघुनाथपुरा	,,
14.	खुगेद	,,	39.	गोबिन्दपुरा बावड़ी	तालेडा
15.	गागोस	,,	40.	गोरखण्डी	बून्दी
16.	लक्ष्मीपुरा	,,	41.	बरोडिया	,,
17.	सुवासा	बूंदी	42.	तलाबगांव	,,
18.	जमीतपुर	,,	43.	हाथीपुरा	,,
19.	गुधा	,,	44.	ठिकरडा	,,
20.	रामनगर	,,	45.	सिन्धाडी	हिन्डोली
21.	विवम्वा	,,	46.	अलोद	,,
22.	बाजोड	,,	47.	नैनवा	नैनवा
23.	नानगपुरा	,,	48.	धीरपुर	,
24.	वायावाद	हिन्डोली	49.	धुन्धली	,,
25.	बरमनथीम	तालेडा	50.	फेरमा	बून्दी

1	2	3	1	2	3
51.	सुधानिया	नैनवा	57.	ईश्वरनगर	के. पाटन
52.	करवार	के. पाटन	58.	बून्दी रोड	तालेडा
53.	बूड करवर	,,	59.	चिताावा	के. पाटन
54	कल्याण खोरा	,,	60.	लाखेरी	,,
55.	कनकपुरा	,,	61.	अलकोदिया	तालेड़ा
56.	केशोरायपाटन	,,			

परिशिष्ट 11

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बकाया तकावी की वसूली

262. श्री सुखलाल सेंणचा (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैतारण एवं रायपुर तहसीलों में पंचायत समितियों की बकाया तकावी की राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या राज्य सरकार अकाल घोषित क्षेत्र में वसूली को स्थगित करने का विचार रखती है या नहीं ?

उत्तर

(1) जैतारण एवं रायपुर के विकास अधिकारीगण ने अपनी पंचायत समितियों की मांग तैयार कर सम्बन्धित तहसीलदार को वसूली हेतु भेज दी है।

(2) तहसील जैतारण एवं रायपुर अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किये गये हैं। अतः वसूली स्थगित करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

भारत–पाक युद्ध काल में नियुक्तियों पर रोक

263. श्री गोरधनसिंह (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत भारत-पाक युद्ध के दौरान राज्य सरकार ने नई नियुक्तियों व स्थानान्तरणों पर रोक लगा दी थी ? यदि हां, तो डी. एम. एण्ड एच. ओ. सीकर ने किस आधार पर चतुर्थ श्रेणी व कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियां व स्थानान्तरण किये ?

(2) क्या यह सही है कि चुनावों के दौरान डी. एम. एण्ड एच. ओ. ने श्री कालूराम पुत्र श्री जोधाराम की नियुक्ति की थी ? यदि हां, तो कब और उसे वापस नौकरी से क्यों निकाला गया ?

(3) क्या यह सही है कि डी. एम. एण्ड एच. ओ. सीकर की पोस्ट पी. एम. एण्ड एच. ओ. में परिवर्तित हुई और पी. एम. एण्ड एच. ओ. ने दिनांक 14-3-1972 को ही अपना चार्ज सीकर में संभाल लिया लेकिन डी.एम एण्ड एच.ओ. ने दिनांक 26-3-1972 को चार्ज दिया तथा इस दौरान उन्होंने श्री कल्याण अस्पताल के अनेक कर्मचारियों के स्थानान्तरण व नई नियुक्तियां की ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) जी नहीं। श्री कालूराम पुत्र जोधाराम बलाई (शिड्यूल कास्ट) की नियुक्ति दिनांक 15-3-72 को की गई। किन्तु उसे वापस नौकरी से नहीं निकाला गया।

(3) जी नहीं। सीकर अस्पताल के लिये केवल वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद के आदेश 23-2-72 को प्रसारित किये गये थे। डा. टंडन ने उक्त पद पर 14-3-72 को ज्वाइन कर लिया था। उसके पश्चात् दुबारा आदेश 19-4-72 को प्रदान किये गये जिसके आधार पर उन्होंने डी. एम. एच. ओ. से 26-3-72 को चार्ज लिया।

ग्राम सलोद के पटवारी द्वारा दिये गये आंकडे

26 /. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि नाथद्वारा तहसील के ग्राम सलोदा के पटवारी ने सरपंच अथवा पंचायत को सूचना दिये बिना ही इस वर्ष फसल की जिन्सवारी पूरी करली है और उसके आंकड़े पेश कर दिये हैं? यदि हां, तो क्या इसे राज्य सरकार उचित समझती है?

(2) क्या यह सही है कि पटवारी ने मौके पर गये बिना ही पैदावार शत प्रतिशत बतादी है जब कि वहां से फसल दाह एवं पानी की कमी के कारण जल गई?

(3) क्या राज्य सरकार इस संबन्ध में कोई जांच करवायेगी?

उत्तर

(1) यह सत्य नहीं है। पटवारी द्वारा सरपंच को सूचना देकर ही जिन्स गिरदारी की गई है?

(2) पटवारी ने भी मौके पर जा कर गिरदावरी को है व जो खराबा आंका गया है वह रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया हैं।

(3) आवश्यकता नहीं है।

पंचायत समिति, धौद, के निलम्बित सरपंच

265. **श्री गोरधनसिंह** (सीकर): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, धौद के सरपंचों को राजनैतिक आधार पर निलम्बित करवाया था? यदि हां, तो कितने सरपंचों को इस (धौद पंचायत समीति) में निलम्बित किये गये? तथा जांच के दौरान कितनों को दोषी या निर्दोषी पाया गया?

(2) क्या यह सही है कि निलम्बित सरपंचों ने माननीय हाईकोर्ट की शरण ली और उसके फलस्वरूप उनको अपने पद पर कार्य करने का हाईकोर्ट का निर्णय हुआ?

(3) क्या यह सही है कि निलम्बित सरपंचों को निलम्बन आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, तथा निर्णय के पश्चात् कई महिनों के बाद राज्य सरकार ने सरपंचों को बहाल करने के आदेश प्रसारित किये यदि हां, तो देरी से प्रसारित करने के क्या कारण थे?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) चार निलम्बित सरपंचों में से तीन द्वारा रिट याचिका दायर की गई। इनमें से दो सरपंचों की रिट याचिकाएं स्वीकार हुई तथा एक रिट याचिका पार्ट में स्वीकार हुई।

(3) दो सरपंचों के निलम्बन आदेश उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किये गये। निर्णय का कार्यान्वयन करना है अनावश्यक विलम्ब नहीं किया गया।

करौली-मासलपुर सड़क पर डामर

266. श्री बृजेन्द्रपालसिंह (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

करौली-मासलपुर सड़क पर डामर बिछाने के कार्य के लिये कितनी धनराशि किस वर्ष स्वीकृत की गई ? तथा 1971-72 तक कितनी धनराशि खर्च की गई ? और 1972–73 के बजट में कितना प्रावधान है ?

उत्तर

3,07,000/- की स्वीकृति वर्ष 1971–72 में दी गई वर्ष 71–72 में 10,000/- रुपये का प्रावधान रखा गया था तथा 2263 रुपये व्यय हुए हैं वर्ष 72–73 में 5,000/-रुपये का प्रावधान हैं ?

जिला नियोजन कार्यालय, बांसवाड़ा

267. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला नियोजन कार्यालय, बांसवाडा में वर्ष, 1969–70, 1971 में कितने व्यक्तियों ने अपने नाम लिखवाये तथा उनमें से कितनों को रोजगार मिला इनका शैक्षणिक स्तर क्या था ? इनमें कितने आदिवासी थे ?

(2) क्या यह सत्य है कि जिला नियोजन, कार्यालय, बांसवाडा में कार्य कर रहे कर्मचारियों में से एक भी कर्मचारी आदिवासी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि जिला नियोजन अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा प्रार्थी प्रेषण में मनमानी की जाती है ? यदि नहीं, तो शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रेषण में क्या रीति नीति अपनाई गई थी ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रेषण सामान्यतया पंजीयन वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है शर्त है कि उनकी अन्य योग्यताएं समान हों।

जिला नियोजन कार्यालय, बांसवाड़ा में निम्न तालिकानुसार व्यक्तियों के नाम लिखवाये व नियोजित हुए :–

वर्ष	कुल पंजीयन	आदिवासी पंजीकृत	नियोजित कुल	आदिवासी नियोजन
1969	1628	265	278	29
1970	1612	243	238	30
1971	1831	345	297	49

शैक्षणिक स्तरानुसार पंजीकृत एवं नियोजित आशार्थियों का वर्गीकरण निम्न तालिकानुसार है :–

वर्ष	शैक्षणिक योग्यता	कुल पंजीयन	आदिवासी पंजीकृत	कुल नियोजित	आदिवासी नियोजित
1969	मैट्रिक	519	59	112	10
	इन्टर	435	57	97	3
	स्नातक व उच्च शिक्षा वाले	92	—	25	1
1970	मैट्रिक	473	51	65	10
	इन्टर	406	38	85	5
	स्नातक व उच्च शिक्षा वाले	85	1	21	—
1971	मैट्रिक	446	89	83	17
	इन्टर	424	75	136	17
	स्नातक एवं उच्च शिक्षा वाले	87	—	27	—

सीकर–डीडवाना–मोलासर बिजली लाइन

268. **श्री भोमाराम** (डीडवाना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अभी तक सीकर–डीडवाना–मोलासर बिजली लाइन का काम शेष है ? यह काम कब पूरा होना था एवं क्या इस कार्य में कोई देरी हुई ? यदि हां, तो इस देरी के क्या क्या कारण थे ?

Page No 148

(श्री भोमाराम)

(2) क्या यह सही है कि इस लाइन से इस वर्ष बिजली नहीं मिलने के कारण डीडवाना तहसील के 23 गांवों के किसानों की 11 लाख रुपये की फसल का नुकसान हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील डीडवाना के ग्राम तोसीणा, कल्याणपुरा, रुगनाथपुरा, खरवालिया व थेगड़ी का विद्युतिकरण करना स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो इन ग्रामों में कब तक बिजली दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सीकर–डीडवाना वाया लोसल 33 के. वी. लाइन दिसम्बर 1968 में स्वीकृत हुई थी । लाइन को पूरा किये जाने की कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई थी । यह लाइन 1969–70 के अन्त में चालू कर दी गई थी । दौलतपुरा से मोलासर के लिये एक 33 के. वी. लाइन खेंचने के लिए वर्ष 1969–70 के बजट में आंशिक प्रावधान रखा गया था । यह लाइन 1970–71 में खेंच दी गई थी, पर आवश्यक सामान की कमी के कारण इसे मार्च, 1972 से पहले चालू नहीं किया जा सका ।

(2) फसल के नुकसान की जानकारी विद्युत् मण्डल को नहीं है । राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल इस क्षेत्र के कृषकों को उपलब्ध बिजली बराबर देता रहा है । डीडवाना में 33/11 के. वी. के ट्रान्सफार्मर की सीमित क्षमता के कारण 4 से 5 घण्टे प्रति दिन का स्टेगरिंग अवश्य किया जाता था ।

(3) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

भू-बन्दोबस्त कार्य और काश्तकारों को पट्टे

269. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील पचपदरा एवं सिवाना के कुछ गांवों का भू-बन्दोबस्त वर्ष 1966–67 में हुआ था ? यदि हां, तो कितने गांवों का ? कृपया नाम बतावें ।

(2) क्या इन गांवों के काश्तकारों को अब पट्टे दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पट्टे के अभाव में राजस्व तहसीलदार एवं पटवार उक्त गांवों के काश्तकारों को उस जमीन से हटाने की कार्यवाही करते रहे हैं, अथवा उनसे जुर्माना वसूल करने के नोटिस देते रहे हैं ?

(4) क्या यह बात न्याय संगत है कि भू-बन्दोबस्त के पांच, छः वर्ष बाद तक भी काश्तकारों को पट्टे नहीं दिये जायें ?

उत्तर

(1) हां । इन दोनों तहसीलों पचपदरा व सिवाना के क्रमशः 16–16 ग्रामों में वर्ष 1967 एवं 1968 में सर्वे व तस्दीक

(राजस्व मन्त्री)

का कार्य कराया गया था। गांव की सूची 'क' संलग्न है।

(2) जी नहीं। रेन्ट रेट्स रिपोर्ट स्वीकृत होने के पश्चात् पर्चे वितरित किए जा सकेंगे।

(3) पर्चा (खाम) देने के बाद साधारणतया; काश्तकारों को हटाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(4) क्षेत्र में अभी बन्दोबस्त की कार्यवाही पूरी नहीं होने के कारण पट्टे नहीं दिए जा सके हैं।

सूची 'क'

(क) तहसील पचपदरा

1. आसोतरा
2. कांकराता
3. बालोतरा
4. रामसीन
5. उमरलाई (खालसा जागीर)
6. गोदावास
7. चीरडाणी
8. डोली कल्ला
9. नेवरी
10. पचपदरा
11. पटाऊ खुर्द
12. बाकीयावास
13. मन्डापुरा
14. मण्डली
15. शिवनगरी
16. खारडी

(ख) तहसील सिवाना

1. मंडली
2. मैली
3. गुडा
4. नान
5. खण्डप
6. सामुजा
7. जेठन्तरी
8. सेवाली
9. बुरड
10. मानावास
11. छीपाली
12. खांखरलाई
13. सुईली
14. सेला
15. पिपलून
16. शिवाना

नेशनल हाई-वे को मिलाने वाली सड़कों की मरम्मत

270. श्री विश्वम्भर दयाल बोहरा (महुवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 12 वर्ष पूर्व बनी हुई लिंक रोड जो क्रमशः नेशनल हाईवे 11–जयपुर-भरतपुर से ग्राम बालाहेड़ी के 3 मील के टुकड़े से मिलती है तथा मण्डावर–करौली रोड से ग्राम खेड़ला-बुजुर्ग गाजीपुर से सायां, खेड़ला बुजुर्ग से तालिचिड़ी रौदपुर व

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)
अकड्रूंद पढ़ हिम्मतसिंह आदि ग्रामों को मिलाती है ? अभी तक सरकार की ओर से क्यों नहीं संभाली गई ?

(2) इनके सम्भालने में सरकार को क्या आपत्ति है, जिससे इन सड़कों में लगा हुआ धन बेकार न हो ? सरकार अब तक इन सडकों को शीघ्र दुरुस्त करने के आदेश जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भरतपुर से वालाहेडी रोड इस विभाग की मरम्मत सूची पर है गांजीपुर से साथा, केडला तालचिडी निर्माणाधीन हैं। मण्डावर-करोली रोड से ग्राम खेडला केश प्रोग्राम में स्वीकृत किया गया है शेष रोड्स विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(2) पंचायत समिति द्वारा बनाई सड़कों की मरम्मत पंचायत समिति के ही जिम्मे हैं।

अनुसूचित जाती एवं जनजाति के भूमिहीन परिवार

271. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा)। क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में आज तक कितने अनुसूचित जाति जन जाति के परिवार भूमिहीन हैं ?

(स्थगित किया गया)

Page No 151

परिशिष्ट 12

(ता. प्र. सं. 228 की सूची)

Proposal for Electrification in Nagaur District. Recommended by the District Agriculture Production Committee on 23-6-1971 for Rural Electrification during the year 1971-72.

S.No.	Panchayat Samiti	Name of Villages	Total No. of villages.
1	2	3	4
1.	Merta	Dhawa, Desuwal, Dattani, Cladan, Merta Road, Kheduli, Jogimagra Shiv, Riyan Shyamda- Gotan, Harsolao, Mangaliyawas Hokha, Chandawatan, Dhasashi, Bansi and Narsingh Basni.	16
2.	Riyan	Bedas Khurd, Arniyala, Impolai, Baggad, Dhamania, Gawardi, Surpura, Jawantbed, Leolia.	9
3.	Kuchaman	Meethri, Manglodi, Guda Salt, Chosala, Loonwa, Mundghasoi, Sirso, Thikariakhurd, Deoli, Bavri, Shyampura, Devla.	13
4.	Didwana	Godi, Modiyawat, Deendarpura, Jatanpura, Muwa, Beri, Kyamser, Cholukha, Kharia, Paili, Sudrashan, Akoda, Tosina, Thebri, Kalyanpura, Mandupura, Kuchetia.	17
5.	Jayal	Padeli, Bodwa, Didiya khurd, Fardod, Tarnau Jayal Karnau, Deh, omda, Rol.	10
6.	Landnun	Nimbi Jodha, Lakes, Banskalia, Husanpura.	4
7.	Makarana	Jusri, Barwali, Budsu.	3
8.	Mundwa	Kadlu, Khudkhuda, Jujanda, Sankhwas.	4
9.	Nagaur	Alai, Lalsar, Chau, Baragaon.	4
10.	Degana	Degana Rly. Station, Degana Village, Pundlota, Butati, Punas, Sanjoo.	6
		TOTAL:—	86

परिशिष्ट 13

(अ. प्र. सं. 72 की सूची)

रायपुर तहसील जिला पाली में चल रही एवं विचाराधीन रपटों की सूची

(सूची 'अ'

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांवों का नाम	कार्य चल रहा है	कार्य का मामला विचाराधीन है।
1	2	3	4	5
1.	पाचनपुरा रपट (एनीकट)	पाचनपुरा	कार्य चल रहा है	–
2.	लोलाखुर ,, ,,	चांग	,,	–
3.	केसरपुरा ,, ,,	सेंदडा	,,	–
4.	मानपुरा ,, ,,	मानपुरा	,,	–
5.	कालभ ,, ,,	कालभ	,,	–
6.	सबलपुरा ,, ,,	सबलपुरा	,,	–
7.	बरड़ ,, ,,	बागरी	,,	–
8.	टीकली का नाका ,,	कुनेजा	,,	–
9.	रामावास ,, ,,	रामावास	,,	–
10.	अम्बा की नाका ,,	अम्बा	,,	–
11.	भंवरिया ,, ,,	भंवरिया	,,	–
12.	भेव का नाका ,,	कुनेजा	–	विचाराधीन है।
13.	पालुगुडिया ,,	पीपलिया	–	,,

परिशिष्ट 14

(अ. प्र. सं. 76 की सूची)

एक मोघे से दूसरे मोघे में जिन हिस्सेदारान ने प्रार्थना-पत्र दिया और रकबा तबादला किया गया वह सूची निम्न अनुसार है :—

क्र. सं. 1	नाम मालिक जिसकी जमीन तबादला की गई 2	मोघा से 3	को 4
1.	गुरदयाल-बलदेवसिंह	17 पी. एस. से	16 पी. एस.
2.	हिस्सेदारान चक 40-49 एल. एन. पी. बलराम हरभजन इत्यादि 20-8-69	40 एल. एन. पी. से	49 एल. एन. पी.
3.	जोरासिंह जगराजसिंह वगैरा 3-1-69	20 एम. एल. से	23 एल. एन. पी.
4.	बृजलाल 2-4-70	46 आर. बी. से	46 आर. बी. II
5.	गुरदेवसिंह 18-8-70	4 पी. पी. से	5 पी. पी. ए.
6.	स्वर्णसिंह वल्द उधमसिंह 18-11-70	31 आर. बी. से	31 आर. बी. सेकेन्ड
7.	बसन्त सिंह दरशनसिंह गुरदीपसिंह वगैरा 21-12-68	40 जी. बी. से	48 जी. बी.
8.	गणपत वगैरा 21-12-68	4 ई. ई. ए. से	11 ई. ई. ए.
9.	भागीरथ पुत्र उदाराम 28-8-63	6 एल. एन. पी. से	11 एल. एन. पी.
10.	जोगेन्द्रसिंह श्री भगतसिंह	3 एम. के. से	14 पी. एस. बी.
11.	नत्थासिंह पुत्र अजैतसिंह 23-7 70	29 एन.पी. से	37 एन.पी.
12.	गणेशाराम पुत्र भेराराम 27-4-71	2 एफ. से	1 जी.
13.	लछमनसिंह पुत्र जोरासिंह	36 आर. बी. ए. से	48 आर. बी.
14.	जरनेलसिंह पुत्र सोहनसिंह 14-4-68	33 एम. एल. से	13 टी. के.
15.	हिस्सेदारान एल. डी. एस. करतारसिंह वगैरा	24 एस. डी. एस. से	15 एल. एन. पी. सैकेन्ड बी.
16.	प्रतापसिंह पुत्र चिरासिंह 29-5-58	18 एम. एल. से	22 एल. एन. पी.

1	2	3	4
17. भागीरथ पुत्र सुरजाराम	काशीराम पुत्र सहीराम 10-8-70	चक जीवनदेसर से	46 एल. एन. पी.
18. मोदनसिंह पुत्र मल्लसिंह		5 के. के. से	6 के. के.
19. भीमाराम		8 एम. के. से	17 टी. के.
20. हाकमसिंह पुत्र लहणासिंह इत्यादि 26-10-67		21 एल. एन. पी. से	गणेशगढ
21. तेजासिंह		3 पी. पी. से	4 पी. पी.
22. बीरूसिंह 13-4-71		36 आर. बी. बी. सी.	48 आर. बी.
23. दलीपसिंह यानासिंह वगैरा		48 आर. बी. से	51 आर. बी.

काश्तकार की दरख्वास्त पर जमीन का तबादला एक चक से दूसरे चक में किया जाता है । काश्तकार को जब एक मोघे से पानी अच्छी तरह नहीं लगता या उसकी जमीन दो चकों में बंटी हुई होती है और जब उसे एक ही समय दोनों चकों से पानी लगाना पडता है तब वह अपनी तकलीफों को दूर करने के लिये भूमि का एक चक से दूसरे चक में तबादला कराना चाहता है ऐसे कुओं की पूरी तकनीकी एवं मोका तथा लिवलों के हिसाब से जांच कर भूमि तबादला मंजूर किया जाता है ।

परिशिष्ट . 15

(अ. प्र. सं. 78 की सूची)

पंचायत समिति बालोतरा के मुख्यालय पर कार्य कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	स्थाई निवास	तिथि जिससे पंचायत समिति में कार्य कर रहा है
1	2	3	4	5
1.	श्री मुकटलाल माथुर	विकास अधिकारी	जोधपुर	15-7-1971
2.	श्री सरदारमल हर्ष	पशुपालन प्रसार अधिकारी	जोधपुर	5-6-1971
3.	श्री राधेश्याम शर्मा	कृषि प्रसार अधिकारी	नादौती तहसील हिन्डोन (जिला सवाई माधोपुर)	7-9-1971
4.	श्री बनवारीलाल शर्मा	शिक्षा प्रसार अधिकारी	अनूपशहर जिला बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)	30-8-1969
5.	श्री मिसरीलाल गहलोत	शिक्षा प्रसार अधिकारी	बालोतरा (जिला बाडमेर)	10-9-1971
6.	श्री अकलेश्वर प्रसाद व्यास	सहकारी प्रसार अधिकारी	जोधपुर	26-8-1971
7.	श्री कोजराजसिंह	कार्यालय सहायक	ग्राम बुडीवाडा तहसील पचपदरा (जिला बाडमेर)	24-12-1967
8.	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	लेखा लिपिक	बालोतरा (जिला बाडमेर)	1-12-1959
9.	श्री अम्बाराम राठी	वरिष्ठ लिपिक	बालोतरा (जिला बाडमेर)	28-8-1959
10.	श्री खुशालचन्द सोलंकी	वरिष्ठ लिपिक	गडरारोड (तहसील शिव, जिला बाडमेर)	1-7-1969
11.	श्री रामकिशन अग्रवाल	कनिष्ठ लिपिक	बालोतरा (जिला बाडमेर)	5-6-1971
12.	श्री अनन्तराम सोनी	कनिष्ठ लिपिक	ग्राम पारलू (तहसील पचभदरा जिला बाडमेर)	2-10-1959
13.	श्री छगनलाल गिराच	कनिष्ठ लिपिक	शिव (जिला बाडमेर)	6-7-1970
14.	श्री मोहम्मद युसुफ	कनिष्ठ लिपिक	बालोतरा (जिला बाडमेर)	4-6-1967
15.	श्री सांगीलाल	कनिष्ठ लिपिक	बाडमेर (जिला बाडमेर)	24-8-1971

1	2	3	4	5
16.	श्री दिनेशचन्द्र पुरोहित	स्कंधपाल	जोधपुर जिला जोधपुर	6-11-1965
17.	श्री शक्तिदान	ड्राईवर	करमावास तहसील सिवाना (जिला बाडमेर)	2-10-1959
18.	श्री चम्पालाल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	पचभदरा तहसील पचभदरा (जिला बाडमेर)	18-8-1961
19.	श्री बरकतअली	,,	,,	9-5-1959
20.	श्री मेघराज	,,	बालोतरा (जिला बाडमेर)	24-2-1960
21.	श्री तुलछाराम	,,	बागवास तहसील पचभदरा (बाडमेर)	20-1-1961
22.	श्री कुम्भाराम	,,	खट् तहसील पचभदरा (बाडमेर)	6-11-1959
23.	श्री जेठूसिंह	,,	जसोल तहसील पचभदरा (जिला बाडमेर)	1-4-1960

परिशिष्ट 16

(अ.प्र.सं. 81 की सूची)

विधान सभा प्रश्न सं. 25/अ.ता. की सूची

1. गिरधर (कूरना)
2. भावनगर
3. बुटानी
4. खेड़ाखुर्द
5. पाथथहरिया
6. ग्रोनाइयाला
7. सिणागारी
8. मारण
9. कलाखी
10. लाणको
11. नुरीभावनी
12. वाला
13. मंडीवा
14. तुरहाई
15. गिरावड़ा
16. खदावान
17. मूलोदावास
18. दयालपुरा
19. सांवलता
20. साकलणा खुर्द
21. माडपुरिया
22. ढूढोवा
23. डाबर
24. मडली खुर्द
25. बुनावता
26. रामाकालोया
27. कान्दला
28. खुदेलाव
29. बागड़िया
30. हेमावाध
31. भोतडा
32. कामदड़ा
33. खाखी
34. डिगाई
35. सोगावास की ढाणी

परिशिष्ट 17

(प. ता. प्र. सं. 86 की सूची)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

Position of Wells Energised During the Year 1971-72

S.No.	Name of the Distt.	No. of wells energised from April 71 to March 72.
1.	Ajmer.	485
2.	Alwar.	786
3.	Banswara.	150
4.	Barmer.	108
5.	Bharatpur.	550
6.	Bhilwara.	553
7.	Bikaner.	8
8.	Bundi.	91
9.	Chittorgarh.	1022
10.	Churu.	30
11.	Dungarpur.	149
12.	Jaipur.	3974
13.	Jaisalmer.	..
14.	Jalore.	109
15.	Jhunjhunu.	751
16.	Jhalawar.	162
17.	Jodhpur.	469
18.	Kota.	171
19.	Nagaur.	616
20.	Pali.	453
21.	Sawaimadhopur.	385
22.	Sikar.	975
23.	Sirohi.	39
24.	Sri Ganganagar.	315
25.	Tonk.	199
26.	Udaipur.	744
	TOTAL :	13294

परिशिष्ट 18

(अ. प्र. सं. 89 की सूची)

जिला नागौर के आयुर्वेदिक औषधालयों की सूची

क.सं.	नाम औषधालय			पंचायत समिति
1	2			3
(1)	'अ' श्रेणी औषधालय		1	
1.	श्री रिद्दकरण जैन राजकीय आयुर्वेदिक प्रधान औषधालय लाडनू।			नागौर
(2)	'ब' श्रेणी औषधालय		7	
1.	राज. आयुर्वेद औषधालय, नागौर			नागौर
2.	,,	,,	मकराना	मकराना
3.	,,	,,	छोटीखाटू	डीडवाना
4.	,,	,,	जायल	जायल
5.	,,	,,	रोल	जायल
6.	,,	,,	नीम्बीजोधा	लाडनू
7.	,,	,,	रैण	रियांबडी
(3)	'स' श्रेणी औषधालय		68	
1.	राज. आयुर्वेद औषधालय, परबतसर			परबतसर
2.	,,	,,	नांवा	कुचामन
3.	,,	,,	बोरावड	मकराना
4.	,,	,,	बूडसू	,,
5.	,,	,,	मनाना	,,
6.	,,	,,	मोरेड	,,
7.	,,	,,	बरबला	,,
8.	,,	,,	विदियाद	,,
9.	,,	,,	रियांबडी	रियांबडी
10.	,,	,,	थांत्रवला	,,
11.	,,	,,	भैरून्दा	,,
12.	,,	,,	आलनियावास	,,
13.	,,	,,	पादूकलां	,,
14.	,,	,,	डोडियाना	,,

Page No 160

1	2		3
15.	राज. आयुर्वेद औषधालय,	बीडायली	रियांबडी
16.	,, ,,	हुसरीलाव	,,
17.	,, ,,	नोखाचान्दावता	,,
18.	,, ,,	भगू	नागौर
19.	,, ,,	अलाय	,,
20.	,, ,,	जीधियासी	,,
21.	,, ,,	भुन्डेल	,,
22.	,, यूनानी ,,	नागौर	,,
23.	,, ,,	बासनी	,,
24.	,, आयुर्वेद ,,	शंखवास	मन्डावा
25.	,, ,,	रूण	,,
26.	,, ,,	खजवाना	,,
27.	,, ,,	पाचलासिद्धा	,,
28.	,, ,,	सरपालियां	जायल
29.	, ,,	खियाल	,,
30.	राज. आयुर्वेदिक औषधालय	तरनाऊ	जायल
31.	,, ,,	श्यामगढ़	कुचामन
32.	,, ,,	गीराऊ	,,
33.	,, ,,	केरिया	डीडवाना
34.	,, ,,	तोसीना	,,
35.	,, ,,	दयालपुरा	,,
36.	,, ,,	खुनखुना	,,
37.	,, ,,	केराब	,,
38.	,, ,,	नीम्बोद	,,
39.	,, ,,	मदलिया	,,
40.	,, ,,	छोटीबोरी	,,
41.	,, ,,	लादडिया	,,
42.	,, ,,	खरेश	लाडनू
43.	,, ,,	कसूम्बी	,,
44.	,, ,,	रोडू	,,
45.	,, ,,	सीलनबांद	,,
46.	,, ,,	मिठडी	कुचामन
47.	,, ,,	मोन्डा	,,

Page No 161

1	2			3
48.	राज. आयुर्वेद	औषधालय	लीचाना	कुचामन
49.	,,	,,	जीजोट	,,
50.	,,	,,	घाटवा	,,
51.	,,	,,	मारोठ	,,
52.	,,	,,	लूणवा	,,
53.	,,	,,	भीलीया	,,
54.	,,	,,	हून्डोल	,,
55.	,,	,,	पीलवा	परबतसर
56.	,,	,,	हूरनावा	,,
57.	,,	,,	रिड	,,
58.	,,	,,	रोहिन्डी	,,
59.	,,	,,	बागोट	,,
60.	,,	,,	बाबला	,,
61.	,,	,,	डेगाना	डेगाना
62.	,,	,,	सांजू	,,
63.	,,	,,	नीमडीकलां	,,
64.	,,	,,	पालडीकलां	,,
65.	,,	,,	तातेड	मेड़ता सिटी
66.	,,	,,	डावा	,,
67.	,,	,,	सुरैरा	,,
68.	,,	,,	गगराना	,,

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 3 मई, 1

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
2	ऊपर से 8	कारवाया	करवाया
15	,, 3	ीहड	बीड़
	,, 11	आाचार्य	आचार्य
16	,, 13	कदारनाथ	केदारनाथ
20	अन्तिम से 2	समझ	समझता
21	,, 3	आपके	आपने
25	ऊपर से 6	आप	आज
26	,, 8	बाहर	भूमिका
27	,, 12	ह ी	रही
46	,, 17	निर्गाण	निर्माण
48	,,	किन्ता	कितना
61	अन्तिम से 2	मूलचन्द सांमरिया	श्री मूलचन्द-सामरिया
63	,, 7	चित्तौड़गड	चित्तौडगढ़
97	,, 3	बोल	बोलते
114	,, 12	आय व्य क	आय-व्ययक
116-117, 119,121,123	ऊपर से 1	श्री भूपालसिंह	श्री भोपाल
129	अन्तिम से 1	के	इनका
134	ऊपर से 7	अ	अब
151	ऊपर से 5	आकृषित	आकर्षित
166	,, 8–15	श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास	श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास
167	,, 1	,,	,,
168	,, 3	,,	,,
169	,, 1	,,	,,
171	,, 1	,,	,,

1	2	3	4
173	ऊपर से 1	श्री सुरेन्द्रमार व्यास	श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास
174	,,	श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास	,,
199	अन्तिम से 7	सकरी	सरकारी
209	,,	वश्वास	विश्वास
231	ऊपर से 2	पारस्चर	पास्चर
232	अन्तिम से 10	आदि	यदि
234	अन्तिम से 8	अहीमयत	अहमियत
237	,, 18	वरे	बारे
244	ऊपर से 4	कहना	करना
246	अन्तिम से 16	ऋ	ऋण
257	ऊपर से 3	Compencemnent Complition	Commencement Completion
262	,, 4	EREVNUE	REVENUE
273	,, 2	गिरदारी	गिरदावरी
278	ऊपर से शीर्ष	जाती	जाति
	अन्तिम से 1	क्षमिहीन	भूमिहीन
285	ऊपर से 3	विधान सभा प्रश्न सं. 25।अ. ता. की सूची	-